KGS Publications

UPSC

करेंट अफेयर्स

मार्च 2024

एक राष्ट्र एक चुनाव

भारत-मॉरीशस संबंध

भारत में डेयरी उद्योग

इथेनॉल सम्मिश्रण

अंतरिक्ष क्षेत्र में 100%
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

KGS IAS

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

GET IN ON Google Play

Download on the App Store

Download
the Khan Global Studies App

प्रकाशक
के जी एस पब्लिकेशन
सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रधान कार्यालय :
Urbtech Trade Center, Tower – C/310, सेक्टर - 132, नोएडा, (उत्तर प्रदेश)
पिन - 201304.
Web-kgspublication.com
E-mail-business@kgspublication.com
Mob. : 9910129844

पुस्तक	:	करेंट अफेयर्स पत्रिका (UPSC)
सम्पादक/लेखक	:	के जी एस (UPSC) टीम
ISBN	:	978-81-971379-3-8
मूल्य	:	100/-
कोड	:	KGS-CM01
मुद्रक	:	आर बी डी, जयपुर (राजस्थान)

विधिक क्षेत्राधिकार –

- केजीएस पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक के सभी तथ्य उचित एवं विश्वसनीय स्रोतों से लिए गए हैं। जानकारी को त्रुटी रहित बनाने का यथासंभव प्रयास किया गया है। मानवीय त्रुटी की सम्भावना रह सकती है ।
- इस पुस्तक के किसी भी अंश का इलेक्ट्रॉनिक, फोटोकापी, रिकार्डिंग या वेब माध्यम, मैकेनिकल या अन्य किसी प्रणाली के माध्यम से बिना प्रकाशक की अनुमति के प्रकाशन या वितरण आपराधिक श्रेणी में रखा जायेगा।
- पुस्तक में प्रकाशित किसी सूचना की सत्यता के प्रति हुई क्षति के लिए प्रकाशक, लेखक,सम्पादक तथा मुद्रक जिम्मेदार नहीं है
- प्रकाशन से सम्बन्धित सभी विवाद न्यायिक क्षेत्र नोएडा होगा।

KGS IAS

Online Programmes

UPSC (PRE + MAINS)

English Medium | Hindi Medium

BPSC
(PRE + MAINS)
Bilingual

UPPSC
(PRE + MAINS)
Hindi Medium

MPPSC
(PRE + MAINS)
Hindi Medium

OPTIONAL COURSES

Scan To Know More

Admission Open

Start Your Preparation Online With
Khan Global Studies App

www.khanglobalstudies.com
+91 875 735 4880
enquiry@khanglobalstudies.com

विषय सूची

1. राज्यव्यवस्था एवं शासन 1

1.1. एक राष्ट्र एक चुनाव 1
1.2. राजनीति का अपराधीकरण 3
1.3. नागरिकता (संशोधन) नियम 2024 6
1.4. सांसदों-विधायकों को रिश्वतखोरी हेतु अभियोजन से छूट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8
1.5. राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग 10
1.6. भारत का लोकपाल 11
1.7. दो नये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 13
1.8. आदर्श आचार संहिता 14
1.9. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 16

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध 18

2.1. भारत-मॉरीशस संबंध 18
2.2. भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता 20
2.3. भारत-मालदीव संबंध 23
2.4. गर्भपात के अधिकार की संवैधानिक गारंटी 25
2.5. भारत-भूटान 27
2.6. भारत-ब्राजील संबंध 29

3. सामाजिक मुद्दे 31

3.1. महिलाएँ, व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट 31
3.2. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर एसबीआई की रिपोर्ट 32
3.3. महाराष्ट्र ने आरटीई (RTE) कोटा प्रवेश में दी छूट 35
3.4. राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 36
3.5. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 37
3.6. महतारी वंदन योजना 38
3.7. मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षण (FLNAT) 39

4. अर्थव्यवस्था 40

4.1. भारत में डेयरी उद्योग 40
4.2. राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड 42
4.3. घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 44
4.4. विश्व व्यापार संगठन और भारत की खाद्यान्न सब्सिडी 46
4.5. MSME निर्यात प्रोत्साहन पर नीति आयोग की रिपोर्ट 47
4.6. निर्धनता पर वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक डेटा 49
4.7. गिग इकोनॉमी 52
4.8. उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 (UNNATI) 54
4.9. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) 55
4.10. पीएम-सूरज पोर्टल 56
4.11. ऑयल पाम मिशन के अंतर्गत पहली तेल मील 56
4.12. मानक और लेबलिंग कार्यक्रम 57
4.13. ग्रिड-इंडिया मिनीरत्न 58
4.14. पेटेंट कार्यालय द्वारा एक वर्ष में एक लाख पेटेंट प्रदान किये गये 59
4.15. केंद्र सरकार की नई टोल संग्रहण प्रणाली लागू करने की योजना 59

5. पर्यावरण 61

5.1. इथेनॉल सम्मिश्रण 61
5.2. वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन आउटलुक रिपोर्ट 62
5.3. बेंगलुरु जल संकट 64
5.4. भूगर्भिक समय सारणी में एंथ्रोपोसीन पर चर्चा 67
5.5. उत्सर्जन परिदृश्य और प्रतिनिधि संकेंद्रण मार्ग 68
5.6. समुद्र सतह के तापमान में वृद्धि 70
5.7. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर हेड-शील्ड सी स्लग की एक नई प्रजाति का नामकरण 72
5.8. इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) का गठन 72
5.9. सतत जीवन शैली पर संकल्प 73
5.10. विश्व वन्यजीव दिवस 74
5.11. स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र 75
5.12. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना 2024 76
5.13. भारत को विनिर्माण गंतव्य बनाने के प्रयोजन हेतु ई-वाहन नीति 77
5.14. इथेनॉल 100 ईंधन 79

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 80

6.1. अंतरिक्ष क्षेत्र में सौ प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति 80
6.2. भारत का स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान (AMCA) 81
6.3. भारत का स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 84
6.4. मिशन दिव्यास्त्र: एमआईआरवी तकनीक 86
6.5. भारत में मधुमेह 88
6.6. सखी ऐप 90
6.7. विश्व में मोटापे की दर मे वृद्धि : लैंसेट अध्ययन 91
6.8. भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट 93
6.9. भारत ने पाकिस्तान जाने वाली दोहरी उपयोग वाली वस्तुओं को जब्त किया 94

7. आंतरिक सुरक्षा 95

7.1. भारत में मादक पदार्थों की तस्करी 95
7.2. जनजातीय अधिकारों हेतु टिपरा (TIPRA) मोथा के साथ समझौता 97
7.3. आईएनएस जटायु 98
7.4. ADITI योजना 99
7.5. 'चक्षु' और 'डीआईपी' प्लेटफॉर्म 100
7.6. सेला सुरंग परियोजना का उद्घाटन 101
7.7. वर्ष 2019 से 2023 के बीच भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयातक : SIPRI 102

8. कला एवं संस्कृति 104

8.1. श्रीनाथ वीर म्हस्कोबा उत्सव 104
8.2. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 104
8.3. स्टैच्यू ऑफ वेलोर 105
8.4. कोचरब आश्रम और साबरमती आश्रम पुनर्विकास परियोजना 106
8.5. वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 106
8.6. श्री अय्या वैकुंड स्वामीकल 107
8.7. मेदाराम जतारा महोत्सव 108

9. बहुविकल्पीय अभ्यास प्रश्न 109

उत्तरमाला 114

10. मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न 115

1.1. एक राष्ट्र एक चुनाव

संदर्भ

हाल ही में, **एक राष्ट्र, एक चुनाव (One Nation, One Election-ONOE) पर उच्च स्तरीय समिति** ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

अन्य संबंधित जानकारी

- इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष **देश के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द** थे।
- समिति के अन्य सदस्य: **अमित शाह** (केंद्रीय गृह मंत्री), **गुलाम नबी आज़ाद** (राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता), **नंद किशोर सिंह** (वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष), **सुभाष चन्द्र कश्यप** (लोकसभा के पूर्व महासचिव), वरिष्ठ वकील **हरीश साल्वे** और **संजय कोठारी** (पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त)
  - ✓ समिति में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री **अर्जुन राम मेघवाल** "विशेष आमंत्रित" सदस्य थे।
- यह रिपोर्ट 2 सितंबर, 2023 को समिति के गठन के बाद से 191 दिनों के शोध कार्यों तथा विभिन्न विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श का परिणाम है।
- इस समिति ने सर्वसम्मति से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने और उसके बाद 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की है।

समिति की प्रमुख सिफ़ारिशें

- **एक साथ चुनाव बहाल करना:** समिति ने फिर से एक साथ चुनाव (जो भारत की स्वतंत्रता के दो दशकों के भीतर बाधित हो गए थे) कराने के महत्व पर जोर दिया।
- **द्विचरणीय प्रक्रिया:** समिति के अनुसार दो चरणों में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए।
  - ✓ पहले चरण में, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव होंगे। इसके लिए संविधान संशोधन हेतु **राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं** होगी।
  - ✓ दूसरे चरण में, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को **लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के साथ** इस तरह से समन्वयित किया जाएगा कि स्थानीय निकाय चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के **100 दिनों के भीतर आयोजित किए जाएं।** इसके लिए देश के **कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।**
- **राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती:** भारत के राष्ट्रपति

भारत में एक साथ चुनाव का इतिहास

01 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के बाद वर्ष 1951-1952 में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव एक साथ हुए। यह प्रथा वर्ष 1967 तक (अगले तीन लोकसभा चुनावों तक) जारी रही।

02 हालाँकि, यह प्रथा पहली बार वर्ष 1959 में तब बाधित हुई थी जब केंद्र सरकार ने ईएमएस नंबूदरीपाद के नेतृत्व वाली केरल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 (संवैधानिक मशीनरी की विफलता) का इस्तेमाल किया।

03 इसके बाद, अनुच्छेद 356 के बड़े पैमाने पर उपयोग और पार्टियों के बीच दल-बदल और जवाबी-दलबदल के कारण लोकसभा और विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गईं, जिससे वर्षों तक अलग-अलग लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए।

04 वर्तमान में केवल चार राज्यों (आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम) के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ सम्पन्न होते हैं।

एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का पुनःप्रचलन

1983 वर्ष 1983 : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पहली बार एक साथ चुनाव का प्रस्ताव रखा।

2003 वर्ष 2003 : प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ इस विचार पर चर्चा की, लेकिन कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई।

2010 लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ इस मुद्दे को उठाया, जिन्होंने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के साथ, निश्चित अवधि की विधायिका और एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनावों के प्रस्ताव के प्रति संवेदनशीलता दिखाई।

2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी घोषणापत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव के एजेंडे को शामिल किया था।

2018 विधि आयोग ने एक साथ चुनाव पर एक मसौदा रिपोर्ट (जिसमें प्रस्ताव से संबंधित कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की जांच की गई थी) जारी की।

2019 प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता दोहराई।

लोकसभा की पहली बैठक की तिथि को ही एक अधिसूचना जारी करेंगे, इसे चुनावों के समन्वय के लिए **"नियत तिथि" के रूप में नामित** किया जाएगा।

- ✓ एक बार ऐसी तिथि तय हो जाने पर, नियत तिथि के बाद गठित सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 में 18वीं लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगा।
- ✓ इस प्रकार, संक्षेप में, जून 2024 से मई 2029 तक संक्रमण अवधि के दौरान चुनाव वाले सभी राज्यों का कार्यकाल पांच वर्ष से कम होगा, यह इस संक्रमणकालीन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु एकमुश्त (एक बार) उपाय होगा।

- **आपात स्थिति से निपटना: त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव** के कारण संसद या राज्य विधानसभा के समय से पहले भंग होने के कारण व्यवधान के मामलों में, नए चुनाव केवल शेष अवधि या **"असमाप्त अवधि"** (जब तक एक साथ मतदान का अगला चक्र शुरू नहीं हो जाता) के लिए कराए जाने चाहिए।
  - ✓ अविश्वास प्रस्ताव पर रचनात्मक वोट के जर्मन मॉडल (भारत के विधि आयोग द्वारा अनुशंसित) के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव के साथ बहुमत के समर्थन वाली **वैकल्पिक सरकार का प्रस्ताव** होना चाहिए।
  - ✓ हालाँकि, उच्च-स्तरीय समिति की रिपोर्ट ने इस प्रणाली को खारिज कर दिया, इसके बजाय त्रिशंकु विधानसभाओं या अविश्वास प्रस्तावों के मामलों में शेष अवधि के लिए नए चुनावों की वकालत की।
- **संवैधानिक संशोधन आवश्यक**
  - ✓ **अनुच्छेद 82A का सम्मिलन:** इस नए अनुच्छेद में प्रावधान है कि "नियत तिथि" के बाद आयोजित किसी भी आम चुनाव के माध्यम से गठित सभी विधानसभाएं लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर समाप्त हो जाएंगी।
    - ■ इसमें आगे प्रावधान है कि यदि भारत निर्वाचन आयोग एक साथ ऐसे चुनाव कराने में असमर्थ है, तो वह राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा घोषणा करने की सिफारिश करेगा कि उस विधान सभा का चुनाव बाद की तारीख में कराया जा सकता है।
    - ■ हालाँकि, ऐसे मामलों में भी जहां राज्य विधानसभा चुनाव स्थगित कर दिया गया है, विधान सभा का कार्यकाल उसी तारीख को समाप्त होगा जिस दिन आम चुनाव में गठित लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल समाप्त होगा।
  - ✓ **अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन:** ये प्रावधान क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए **"पांच साल का कार्यकाल"** प्रदान करते हैं। समिति ने सिफारिश की है कि इस पांच साल के कार्यकाल को **"पूर्ण कार्यकाल"** के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए और यदि लोकसभा या राज्य विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है, तो शेष अवधि को **"असमाप्त कार्यकाल"** के रूप में जाना जाएगा।
    - ■ इस प्रकार, नई लोकसभा या राज्य विधानसभा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक साथ चुनाव होने पर फिर से भंग होने से पहले केवल शेष **"असमाप्त कार्यकाल"** के लिए ही काम करेगी।
  - ✓ **अनुच्छेद 324A का सम्मिलन:** यह नया प्रावधान संसद को यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देगा कि नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव आम चुनावों के साथ-साथ हों।
- **एकल मतदाता सूची और चुनाव पहचान पत्र:** समिति ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को राज्य चुनाव आयोगों (SEC) के परामर्श से एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता फोटो पहचान पत्र (DPIC) तैयार करने की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन करने की भी सिफारिश की है, जिसे सरकार के सभी तीन स्तरों के चुनाव के लिए उपयोग किया जाएगा। इन संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
- **लॉजिस्टिक योजना:** भारत निर्वाचन आयोग को राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीनों जैसे उपकरण प्राप्त करने और मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों को तैनात करने जैसी लॉजिस्टिक व्यवस्था के लिए पहले से योजना आंकलन की तैयारी करना चाहिए।

एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है?

- **एक साथ चुनाव**, जिसे प्रचलित रूप से **"एक राष्ट्र, एक चुनाव"** कहा जाता है, का अर्थ है लोकसभा, सभी राज्य विधान सभाओं एवं शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं और पंचायतों) के चुनाव एक ही समय में कराना।
- वर्तमान में, ये सभी चुनाव प्रत्येक संबंधित निर्वाचित निकाय की शर्तों द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से आयोजित किए जाते हैं।

एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में तर्क

- **लागत संबंधी चिंताएँ:** बार-बार चुनावों से सरकार और राजनीतिक दलों का अतिरिक्त खर्च होता है, जिससे सरकार पर वित्तीय दबाव पड़ता है।
- **अनिश्चितता और अस्थिरता:** बार-बार होने वाले चुनाव अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा करते हैं, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं, व्यावसायिक निवेश को रोकते हैं और आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं।
- **सरकारी तंत्र में व्यवधान:** चुनावों के बारंबारता के कारण होने वाला व्यवधान सरकारी कार्यों को प्रभावित करता है, जिससे नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **अधिकारियों और सुरक्षा बलों पर प्रभाव:** बार-बार होने वाले चुनावों के लिए सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा बलों की निरंतर तैनाती करनी होती है, जिससे उनके कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने की क्षमता प्रभावित होती है।
- **आदर्श आचार संहिता:** आदर्श आचार संहिता (MCC) को बार-बार लागू करने से नीति निर्माण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है तथा

विकासात्मक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन धीमा हो जाता है।

- **मतदाता की थकान:** क्रमबद्ध चुनाव से 'मतदाता थकान' होती है और मतदान प्रक्रिया में उच्च मतदाता भागीदारी सुनिश्चित करने में चुनौती उत्पन्न होती है।

एक राष्ट्र एक चुनाव के विपक्ष में तर्क

- **संघवाद संघर्ष:** एक राष्ट्र एक चुनाव संघवाद (जो भारत को **राज्यों के संघ के रूप में मान्यता** देता है) के सिद्धांत का खंडन करता है। यह पूरे देश को एक इकाई मानकर राज्यों की स्वायत्तता को कमज़ोर करता है।
- **संवैधानिक बाधाएँ:** एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवस्था हेतु संविधान के कई अनुच्छेदों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) में संशोधन करना होगा।
- **जवाबदेही और प्रतिनिधित्व:** बार-बार होने वाले चुनाव मतदाताओं को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न मुद्दों को अलग-अलग समाधान करने की सुविधा देते हैं, जिससे अधिक जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। एक राष्ट्र एक चुनाव से इन मुद्दों को मिश्रित करने और मतदाता संबंधी मुद्दों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होने का जोखिम।
- **वित्तीय भ्रांतियां:** यह धारणा कि बार-बार चुनावों में भारी लागत आती है, भ्रामक है, क्योंकि **प्रति वर्ष प्रति मतदाता** वास्तविक व्यय अपेक्षाकृत कम है।
- **संसाधन संबंधी चुनौतियाँ:** एक साथ चुनाव के लिए वर्तमान में उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) और वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीनों की तुलना में इनकी संख्या दोगुनी करनी होगी।
- **बहुदलीय लोकतंत्र को ख़तरा:** एक साथ चुनाव कराने से बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय पार्टियों को फ़ायदा होगा और क्षेत्रीय पार्टियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिससे बहुदलीय लोकतंत्र कुछेक/दो-दलीय लोकतंत्र में सिमट कर रह जाएगा।
  - ✓ स्वतंत्र शोध संस्था आईडीएफसी इंस्टीट्यूट के वर्ष 2015 के एक अध्ययन से पता चला है कि वर्ष 1999 और वर्ष 2014 के बीच, "77% संभावना थी कि अगर चुनाव एक साथ होते हैं तो जीतने वाला राजनीतिक दल या गठबंधन उस राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों जीत जाएगा"।

एक राष्ट्र एक चुनाव के कार्यान्वयन में बाधाएँ

- **संवैधानिक संशोधन:** समिति की सिफारिशों के लिए संविधान के कई प्रावधानों में संशोधन करना होगा। इसके लिए **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** (जो आम चुनावों और राज्य विधान सभाओं के चुनावों के समय को नियंत्रित करता है) में भी संशोधन करना होगा।
- **जटिल प्रक्रिया:** आम चुनावों को स्थानीय निकाय चुनावों के साथ जोड़ना अधिक जटिल और कठिन होगा क्योंकि **स्थानीय सरकार एक राज्य का विषय** है और सभी राज्य विधानसभाओं ने इन निकायों के कार्यकाल को तय करने के लिए अलग-अलग पंचायती राज अधिनियम और नगरपालिका अधिनियम पारित किए हैं।
- **राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों की सहमति:** भारत के विविधतापूर्ण संघीय ढांचे के कारण सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों के बीच सर्वसम्मति तैयार करना कठिन है।
- **वित्तीय निहितार्थ:** एक साथ चुनाव कराने पर अतिरिक्त **ईवीएम/वीवीपीएटी** की आवश्यकता सहित महत्वपूर्ण लागत आएगी। यह खर्च हजारों करोड़ रुपये में हो सकता है, क्योंकि मशीनों को हर 15 साल में बदलना होगा।
- **सरकार की स्थिरता:** ऐसे हालात को संभालना जहां सरकारें गिर जाती हैं या विधानसभाएं अपने कार्यकाल के दौरान समय से पहले भंग हो जाती हैं, **एक लोकतांत्रिक चुनौती** बन जाती है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने से लोकतांत्रिक मानदंड और स्थानीय सशक्तिकरण के प्रयास कमजोर हो सकते हैं।
- **चुनावी खर्च पर प्रभाव:** एक राष्ट्र एक चुनाव का लक्ष्य चुनावी खर्च को कम करना है, लेकिन यह चुनावों में काले धन की समस्या से प्रभावी ढंग से नहीं निपट सकता है।

आगे की राह

जबकि एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार कार्यान्वयन के योग्य है, एक राष्ट्र एक चुनाव के पूरक के लिए कई अन्य चुनावी सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ सुधारों में निम्न शामिल हैं:

- वर्तमान में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के तहत, चुनाव खर्च की सीमा केवल उम्मीदवारों के लिए है, राजनीतिक दलों के लिए नहीं। चुनाव आयोग ने ऐसी सीमा प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन करने की मांग की है।
- पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों को **सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम** के दायरे में लाना।
- इसके अतिरिक्त, **चुनावों का राज्य द्वारा वित्तपोषण** (चुनावी कानूनों के सुधार पर विधि आयोग की रिपोर्ट-1999 द्वारा अनुशंसित) और अंतर-दल लोकतंत्र को मजबूत करने से चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता में और वृद्धि हो सकती है।

1.2. राजनीति का अपराधीकरण

संदर्भ

हाल ही में, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) ने वर्ष 2024 में मौजूदा राज्यसभा सांसदों के आपराधिक, वित्तीय और अन्य पृष्ठभूमि विवरणों के विश्लेषण पर एक रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य विवरण

- विश्लेषण में 225 राज्यसभा सांसदों से संबंधित निम्न आंकड़े प्रस्तुत किए गए:
  - ✓ राज्यसभा के 75 (33%) मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है।
  - ✓ राज्यसभा के 40 (18%) मौजूदा सांसदों ने गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है।
  - ✓ राज्यसभा के **02** सांसदों ने **हत्या (आईपीसी धारा 302)** से संबंधित मामलों की घोषणा की है।
  - ✓ राज्यसभा के **04** मौजूदा सांसदों ने **हत्या के प्रयास (आईपीसी धारा 307)** से संबंधित मामलों की घोषणा की है।

गंभीर आपराधिक मामलों के मानदंड
• ऐसा अपराध जिसके लिए अधिकतम सज़ा 5 साल या उससे अधिक है।
• यदि कोई अपराध गैर-जमानती है।
• यदि यह एक चुनावी अपराध है (जैसे आईपीसी 171E या रिश्वतखोरी)।
• सरकारी खजाने को नुकसान से संबंधित अपराध।
• ऐसे अपराध जो हमला, हत्या, अपहरण या बलात्कार से संबंधित अपराध हैं [जिनका उल्लेख लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (धारा 8) में किया गया है]।
• भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध।
• महिलाओं के खिलाफ अपराध।

- विश्लेषण किए गए 225 मौजूदा राज्यसभा सांसदों में से **31 (14%) अरबपति** हैं।
- मौजूदा 225 सांसदों की कुल संपत्ति **19,602 करोड़ रुपये** है, जबकि राज्यसभा के मौजूदा सांसदों की औसत संपत्ति **87.12 करोड़ रुपये** है।

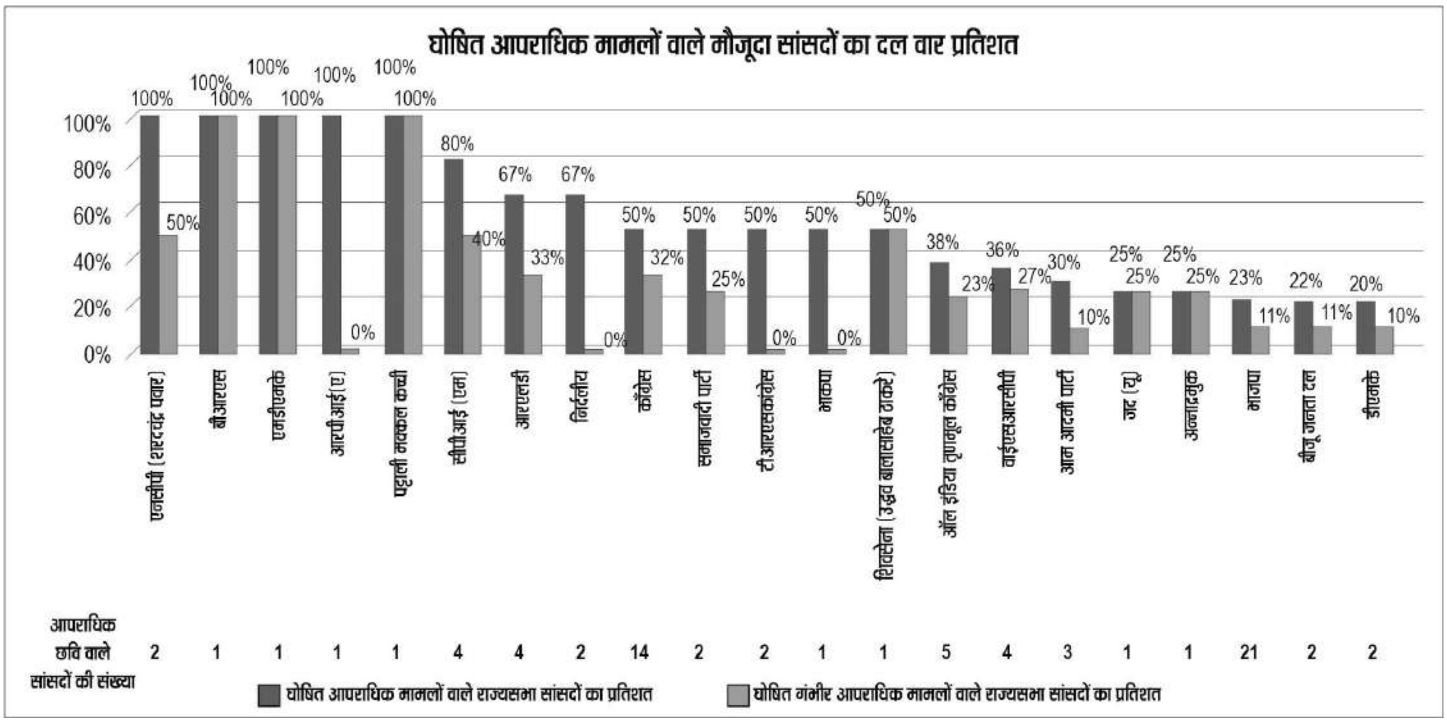

राजनीति का अपराधीकरण क्या है?

- राजनीति के अपराधीकरण में संसद, विधानसभाओं और राजनीतिक दलों में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी के साथ-साथ सरकारी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए आपराधिक तौर-तरीकों और रणनीति का उपयोग शामिल है।

राजनीति के अपराधीकरण का कारण

- **गरीबी का प्रसार:** गरीबी को दूर करने में सरकार की विफलता लोगों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रभावशाली व्यक्तियों (जिन्हें धन और प्रभाव के माध्यम से जरूरतों को पूरा करने में सक्षम माना जाता है) की ओर प्रेरित करती है।
- **पारस्परिकता/सहजीविता का संबंध (Quid pro quo relation):** अपराधी अपनी अवैध गतिविधियों को बनाए रखने के लिए राजनीतिक समर्थन पर भरोसा करते हैं, जबकि राजनीतिक दल वित्तपोषण, बाहुबल और चुनावी सहायता हेतु अपराधियों पर भरोसा करते हैं।
- **चुनावी लाभ:** आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर पर्याप्त वित्तीय संसाधन होते हैं और माना जाता है कि उनके चुनाव जीतने की संभावना गैर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार की तुलना में अधिक होती है।

हाल के रुझान
• ADR रिपोर्ट के अनुसार –
• वर्ष 2004 में, लगभग 24% लोकसभा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे।
• वर्ष 2014 में, यह आंकड़ा बढ़कर 34% हो गया।
• वर्ष 2019 में, लगभग 43% लोकसभा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे।

- **पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव:** राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी के कारण दल के कुलीन/वरिष्ठ नेता उम्मीदवारों के चयन में मनमानी करते हैं। बाहुबली (ताकतवर) को महत्व देने की संस्कृति के कारण, स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता राजनेताओं के आपराधिक रिकॉर्ड को नजरअंदाज कर देते हैं।
- **लंबी कानूनी प्रक्रियाएं:** निम्न दोषसिद्धि दर और मुकदमे में देरी होने से राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने की प्रथा को बढ़ावा मिलता है।
- **कानूनी खामियाँ:** चुनाव आयोग की शक्तियाँ अपराध और राजनीति के बीच संबंध को खत्म करने में पर्याप्त रूप से प्रभावशाली नही रही हैं। कानूनी खामियों ने आपराधिक उम्मीदवारों के लिए न कुछ अवसर (लूप होल) छोड़ देते हैं।

अपराधीकरण का प्रभाव

- **लोकतंत्र को कमज़ोर करना:** आपराधिक पृष्ठभूमि वाले निर्वाचित प्रतिनिधि लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वसनीयता को समाप्त करते हैं। यह लोकतंत्र की बुनियाद को नुकसान पहुंचाता है।
- **शासन की अक्षमता:** आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं में अक्सर प्रभावी शासन के लिए आवश्यक कौशल और समझ का अभाव होता है। वे अपने मतदाताओं के हितों की तुलना में व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देते हैं।

- **आर्थिक विकास पर प्रभाव:** आपराधिक राजनेताओं से प्रेरित भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन निवेश को रोकता है। इससे आर्थिक विकास बाधित होता है और गरीबी तथा असमानता बढ़ती है।
- **सामाजिक विकास में बाधा:** भ्रष्टाचार से प्रेरित नीति निर्माण प्रक्रिया सामाजिक विकास पहलों को बाधित करती है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण जैसे सामाजिक क्षेत्रों की प्रगति में बाधा डालता है।
- **विशेषाधिकार की संस्कृति:** राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों के संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जहां व्यक्तियों का मानना है कि वे बिना दंड पाए अपराध कर सकते हैं। इससे अपराध दर में वृद्धि होती है और कानून का भय समाप्त हो जाता है।
- **भ्रष्टाचार को बढ़ावा:** आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और गबन जैसी गतिविधियों में लिप्त होने की अधिक संभावना होती हैं। यह सरकार की वैधता और जनता के विश्वास को कमजोर करता है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय

- **भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (2002):** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय रिकॉर्ड और शैक्षिक योग्यता घोषित करनी होगी।
- **लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013):** जिन सांसदों या विधायकों को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उन्हें दो साल या उससे अधिक अवधि की जेल की सजा सुनाई गई है, वे पद पर नहीं बने रह सकते।
- **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2018):** इसमें राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के लंबित आपराधिक मामलों को ऑनलाइन प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया।
- वर्ष 2020 में, उच्चतम न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि राजनीतिक दलों को लंबित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के विवरण का खुलासा करना चाहिए, जिसमें उनके चयन के कारण का भी उल्लेख शामिल हों।

आगे की राह

- **मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति:** राजनीतिक दलों को राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने की जरूरत है।
- **जवाबदेही सुनिश्चित करना:** आपराधिक आरोप वाले राजनेताओं के कृत्यों हेतु राजनीतिक दलों को सार्वजनिक रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जिसके लिए प्रभावी नियमों और विनियमों का गठन और कार्यान्वयन आवश्यक है।
- **फास्ट-ट्रैक कोर्ट प्रणाली:** आपराधिक आरोपों वाले राजनेताओं से जुड़े मामलों का निपटान फास्ट-ट्रैक कोर्ट के माध्यम किया जाना चाहिए।
- **सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा:** राजनीति में अपराधियों के नामांकन का विरोध करने हेतु नागरिकों को सशक्त बनाने में सार्वजनिक जागरूकता अभियान और राजनीतिक शिक्षा महत्वपूर्ण साधन हैं।
- **आरपीए, 1951 में संशोधन:** इस अधिनियम में इच्छुक उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यताएं परिभाषित की जानी चाहिए, जिसमें नामांकन पत्र जमा करने से पहले पृष्ठभूमि की गहन जांच भी शामिल हो।

- **निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना:** चुनाव आयोग को प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और व्यवस्थित चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। इनके उल्लंघन होने पर चुनाव परिणाम स्वतः बदल देने चाहिए।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकना:** राजनीतिक हस्तक्षेप और चुनावी कुप्रबंधन को रोकने के लिए चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के पास नागरिक और राजनीतिक अधिकारियों पर प्रशासनिक शक्तियाँ होनी चाहिए।

1.3. नागरिकता (संशोधन) नियम 2024

संदर्भ

हाल ही में, सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है।

नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के प्रमुख प्रावधान

- ये नियम **पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान** में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता हासिल करने में सहायता करेंगे।
- **नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6B** के तहत पंजीकरण या देशीयकरण के माध्यम से अब **पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी** समुदायों के लोगों को नागरिकता प्रदान की जा सकती है।
- इन नियमों के तहत नागरिकता के लिए पात्रता हेतु योग्य व्यक्तियों को **31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुकें हो।**
- भारतीय नागरिकता अब उन अप्रवासियों को दी जा सकती है जो आवेदन करने से पहले लगातार बारह महीने तक और निवास के लगातार बारह महीने से पहले पिछले 14 वर्षों में से कम से कम पांच साल तक भारत में निवास किए हों।
  - ✓ यह देशीयकरण (naturalization) द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु 14 वर्षों में से 11 वर्षों की पूर्व की शर्तों में एक उल्लेखनीय कमी है।
- नियमों में शिथिलिता से उक्त तीन देशों द्वारा जारी वैध पासपोर्ट या भारत द्वारा जारी वैध आवासीय अनुमति की आवश्यकता को भी खत्म कर दिया है।

विशेष दस्तावेजों की आवश्यकता

तीसरी अनुसूची में उल्लिखित योग्यताओं के अनुसार, देशीयकरण द्वारा नागरिकता हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति को फॉर्म VIII-A जमा करना होगा। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ों की सूची में निम्न शामिल हैं:

- इन देशों द्वारा जारी किया गया एक "जन्म या शैक्षणिक संस्थान प्रमाण पत्र", "किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज", "कोई भी लाइसेंस या प्रमाण पत्र", "भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड" या "कोई अन्य दस्तावेज" (जो साबित करता हो कि आवेदक उनका नागरिक था), इन देशों की नागरिकता के प्रमाण के रूप में काम करेगा।
- भारत में प्रवेश की तारीख को प्रमाणित करने के लिए 20 दस्तावेज़ों की सूची में से कोई भी एक दस्तावेज़।
  - ✓ इन दस्तावेजों में निम्न शामिल हैं: भारत में जनगणना गणनाकर्ताओं (जनगणना कर्मचारी) द्वारा जारी की गई कोई पर्ची, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या शैक्षणिक प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र।
- आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता की पुष्टि करने वाला एक शपथ पत्र। इसके साथ आवेदक के चरित्र को प्रमाणित करने वाला भारतीय नागरिक का हलफनामा भी संलग्न होना चाहिए।
- संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी एक में अपनी दक्षता बताते हुए आवेदक की ओर से एक घोषणा पत्र। नियम यह निर्दिष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति किसी भाषा बोल, पढ़ या लिख सकते हैं, उन्हें उस भाषा का पर्याप्त ज्ञान वाला माना जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, आवेदक को यह कहते हुए एक घोषणा पत्र प्रदान

धारा 6B के तहत नागरिकता हेतु आवेदन के पात्र

01 भारतीय मूल का कोई व्यक्ति।

02 कोई व्यक्ति जिसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया है।

03 भारतीय माता-पिता की नाबालिग संतान।

04 वह व्यक्ति जिसके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत या देशीयकृत हैं।

05 ऐसा व्यक्ति जो स्वयं या उसके माता-पिता में से कोई एक पहले स्वतंत्र भारत का नागरिक था।

06 ऐसा व्यक्ति जो भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकृत है।

07 पूर्ण आयु और क्षमतावान कोई व्यक्ति आवेदन करने से बारह महीने तक लगातार और आवेदन करने से पहले बारह महीने की उक्त अवधि से पहले चौदह साल की अवधि के दौरान पांच साल (कुल मिलाकर) भारत में रहा हो।

करना होगा कि उनके आवेदन के अनुमोदन पर उनके वर्तमान देश की नागरिकता अनिवर्तनीय (अपरिवर्तनीय) रूप से त्याग दी जाएगी।

आवेदन जमा करने की प्रक्रिया

- **आवेदन जमा करना:** नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6B के तहत पंजीकरण या देशीयकरण के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को केंद्र सरकार द्वारा नामित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति (सशक्त समिति) को अपने आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करना होगा।
- **पावती (रसीद) :** आवेदन जमा करने के बाद फॉर्म IX में एक पावती (acknowledgement) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वचालित रूप से सृजित होगी।
- **दस्तावेज़ सत्यापन:** आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन जिला स्तरीय समिति करेगी।
- **राजनिष्ठा की शपथ:** नाम निर्दिष्ट अधिकारी आवेदक को नागरिकता अधिनियम, 1955 की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित राजनिष्ठा की शपथ दिलाता है। इसके बाद, हस्ताक्षरित शपथ और दस्तावेज़ सत्यापन की पुष्टि हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिकार प्राप्त समिति को भेज दी जाती है।
- **इनकार पर विचार:** ऐसे मामलों में जहां कोई आवेदक उचित अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जिला स्तरीय समिति ऐसे आवेदन के इनकार पर विचार हेतु आवेदन को अधिकार प्राप्त समिति को अग्रेषित करेगी।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019

- नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act-CAA) पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के विशिष्ट गैर-मुस्लिम समुदायों (जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था) को **धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान** करता है। यह इन समुदायों को कुछ अधिनियमों (जो अवैध प्रवेश और समाप्त वीजा और परमिट से अधिक समय तक रहने पर जुर्माना लगाते हैं) के तहत आपराधिक मामलों से छूट देता है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- **नागरिकता**
  - ✓ नागरिकता संशोधन अधिनियम पहली बार धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, विशेष रूप से **अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर-मुस्लिम समुदायों को,** जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
  - ✓ नागरिकता हेतु पात्र समुदायों में इन देशों के **हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई** शामिल हैं। अन्य समुदाय इस प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
- **देशीयकरण द्वारा नागरिकता**
  - ✓ नागरिकता अधिनियम, 1955, पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्षों के लिए भारत में निवास को अनिवार्य बनाता है।
  - ✓ नवीन संशोधन में उक्त तीन देशों के निर्दिष्ट छह धर्मों के आवेदकों हेतु भारत में निवास की आवश्यकता को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।
- **भारत के विदेशी नागरिक (OCI) पंजीकरण रद्द करना**
  - ✓ यह अधिनियम सरकार को नागरिकता अधिनियम या अन्य कानूनों के उल्लंघन के लिए भारत के विदेशी नागरिकों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देता है।
  - ✓ उच्चतम न्यायालय ने मनमानी को रोकने और प्राधिकरण की शक्तियों को सीमित करने के लिए भारत के विदेशी नागरिक का पंजीकरण रद्द करने के तहत कानूनों की प्रकृति के संबंध में दिशानिर्देशों की आवश्यकता पर जोर दिया है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से छूट प्राप्त क्षेत्र

- नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा पेश किए गए संशोधन संविधान की छठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं।
  - ✓ 6वीं अनुसूची क्षेत्र: 4 उत्तर-पूर्वी राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम) में स्वायत्त जिले/क्षेत्र हैं।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम संशोधन इनर-लाइन परमिट (ILP) व्यवस्था वाले राज्यों पर भी लागू नहीं होता है।
  - ✓ वर्तमान में, इनर-लाइन परमिट प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के साथ-साथ सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के कुछ संरक्षित क्षेत्रों में लागू है।

सरकार की प्रतिक्रिया

- सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक देश हैं। इन देशों में मुसलमान बहुसंख्यक में हैं और उन्हें उत्पीड़ित अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता।
- सरकार के मुताबिक, नागरिकता संशोधन कानून का मकसद भारतीय नागरिकता रद्द करना नहीं, बल्कि गैर-भारतीयों को नागरिकता देना है।
- सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसी अन्य समुदाय के आवेदनों की मामला-दर-मामला आधार पर जांच की जाएगी।
- सरकार ने यह भी तर्क दिया कि इस क्षेत्र में एक गैर-मुस्लिम बहुसंख्यक देश होने के नाते भारत की उत्पीडित गैर-मुस्लिम जातीयताओं के प्रति ऐतिहासिक और नैतिक जिम्मेदारी है।

निष्कर्ष

- एक जिम्मेदार शक्ति संपन्न देश होने के नाते भारत का कर्तव्य है कि वह अपने पड़ोस में प्रताड़ित किये गए अल्पसंख्यकों की रक्षा करे। हालाँकि, उसे संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार ऐसा करना होगा।
- संविधान के संरक्षक के रूप में उच्चतम न्यायालय को चल रहे विभिन्न मामलों में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और नागरिकता नियम, 2024 की संवैधानिकता का निर्धारण करने का कार्य सौंपा गया है, साथ ही यह आंकलन करना कि क्या यह वर्गीकरण अनुच्छेद 14 के साथ संरेखित है।

1.4. सांसदों-विधायकों को रिश्वतखोरी हेतु अभियोजन से छूट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

संदर्भ

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया है कि संसद सदस्य (सांसद) और विधान सभा के सदस्य (विधायक) सदन में मतदान करने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामलों में अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकते हैं।

अन्य संबंधित जानकारी

- उच्चतम न्यायालय के सर्वसम्मत फैसले ने **वर्ष 1998 के जेएमएम (झारखंड मुक्ति मोर्चा) रिश्वत मामले** में अपने 25 साल पुराने फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि विधायिका के सदस्यों को **अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत** (जिस तरह से वे सदन में वोट देते हैं या बोलते हैं के संबंध में) रिश्वत के आरोप से छूट प्राप्त है।
  - ✓ अनुच्छेद 105(2) सांसदों को संसद या किसी संसदीय समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में अभियोजन से छूट प्रदान करता है। इसी तरह, अनुच्छेद 194(2) विधायकों को सुरक्षा प्रदान करता है।
- उच्चतम न्यायालय ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 105 और 194 के तहत सांसदों-विधायकों को दी गई वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रिश्वत देने या लेने की छूट प्रदान नहीं करता है।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि रिश्वतखोरी का अपराध इस बात पर निर्भर नहीं है कि सांसद-विधायक रिश्वत देने वाले के पक्ष में भाषण देता है या वोट देता है या नहीं, बल्कि रिश्वतखोरी का अपराध उसी क्षण पूरा हो जाता है जब भ्रष्टाचार का पैसा स्वीकार कर लिया जाता है।
- अदालत ने वर्ष 1998 के फैसले से पैदा हुई विरोधाभासी स्थिति पर प्रकाश डाला। वर्ष 1998 के फैसले के अनुसार, जो विधायक रिश्वत लेता है और उसके अनुसार वोट करता है, उसे बचा लिया जाता है, जबकि जो रिश्वत लेता है लेकिन स्वतंत्र रूप से वोट करता है, उसे अभियोजन का सामना करना पड़ता है।
- वर्तमान मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि संसदीय विशेषाधिकारों का उद्देश्य विधायिका के सदस्यों को देश के सामान्य आपराधिक कानून के दायरे से बाहर करना नहीं है।
- यह फैसला वोट के बदले नोट के मुद्दे से निपटने और चुनावी जनादेश की अखंडता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वतखोरी मामला

- वर्ष 1993 में, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) नेता शिबू सोरेन और उनकी पार्टी के कुछ सांसदों को केंद्र की तत्कालीन पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार को गिरने से बचाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने हेतु कथित तौर पर रिश्वत दी गई थी।
- हालाँकि, जब घोटाला सामने आया, तो आरोपियों ने आपराधिक मुकदमा चलाने से छूट का दावा किया क्योंकि उनका मतदान का कार्य संसद के अंदर हुआ था।

रिश्वतखोरी से संबंधित अन्य मामले

- **वर्ष 2008 कैश-फॉर-वोट घोटाला:** भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर वाम मोर्चे द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद विश्वास मत हासिल करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) द्वारा कथित रिश्वतखोरी।
- **वर्ष 2015 कैश-फॉर-वोट घोटाला:** तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं ने वर्ष 2015 के चुनावों में वोट के लिए एक विधायक को रिश्वत दी, जिसके कारण गिरफ्तारियां हुई और राजनीतिक साजिश के आरोप लगे।

- वर्ष 1998 में, उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत के फैसले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों के खिलाफ मामले को रद्द कर दिया और माना कि रिश्वत लेने वाले सांसदों को अनुच्छेद 105(2) के तहत मुकदमा चलाने से छूट दी गई थी।

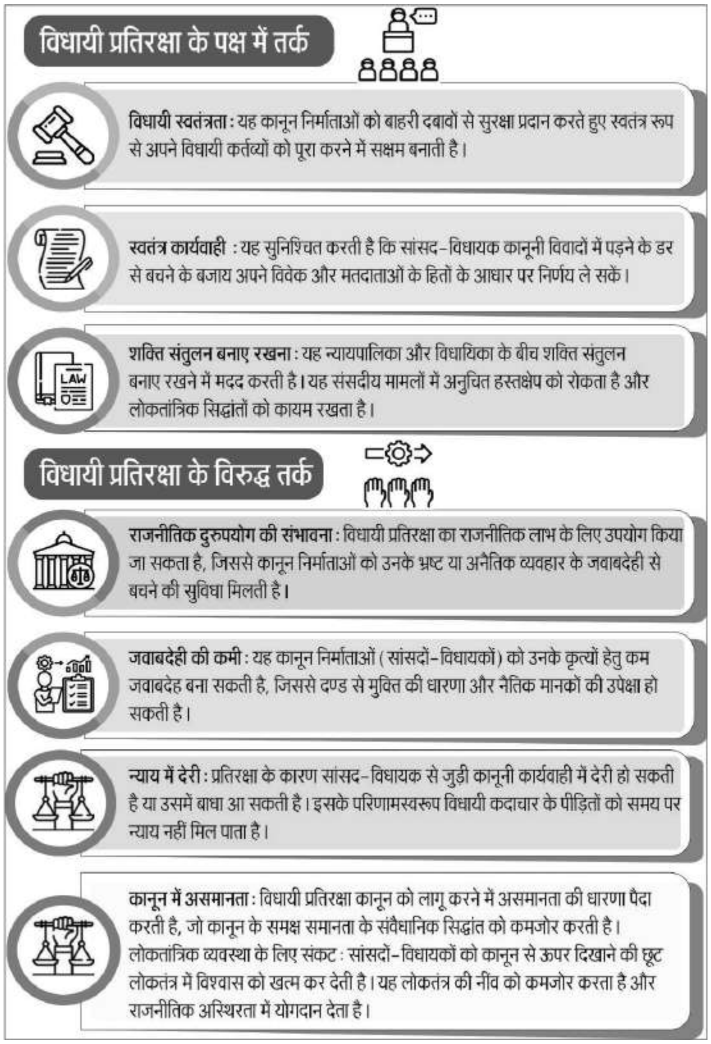

संसदीय विशेषाधिकार क्या हैं?

- भारत में संसदीय विशेषाधिकार सांसदों और विधायकों को प्रदान किए गए अधिकार और छूट हैं। जो यह सुनिश्चित करता है कि वे बिना किसी हस्तक्षेप या दबाव के अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें।

विशेषाधिकारों का स्रोत
• संवैधानिक प्रावधान • संसद द्वारा लागू कानून • संसद के दोनों सदनों की प्रक्रियाओं के नियम • संसदीय परंपराएँ • न्यायपालिका द्वारा प्रदत्त व्याख्याएँ

विशेषाधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
• **अनुच्छेद 105:** संसद में बोलने की स्वतंत्रता; संसद या इसकी समितियों में बयान देने या मतदान करने हेतु सांसदों को कानूनी कार्यवाही से उन्मुक्ति प्रदान करता है। • **अनुच्छेद 122:** प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण संसदीय कार्यवाही की वैधता को अदालत में चुनौती दिए जाने से उन्मुक्ति प्रदान करता है। • **अनुच्छेद 194:** राज्य विधानमंडलों में बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है; विधानमंडल या इसकी समितियों में बयान देने या मतदान करने हेतु विधायकों को कानूनी कार्रवाई से उन्मुक्ति प्रदान करता है। • **अनुच्छेद 212:** अनुच्छेद 122 के समान, यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की वैधता को प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण अदालत में चुनौती दिए जाने से उन्मुक्ति प्रदान करता है।

संसदीय विशेषाधिकारों के स्वरूप

सांसदों को सामूहिक रुप से प्राप्त विशेषाधिकार

- न्यायालयों को किसी भी संसदीय सदन या उसकी समितियों की कार्यवाही की जाँच करने से प्रतिबंधित किया गया है।
- संसद के पास राष्ट्रीय महत्व के मामले उठने पर अतिथियों या आगंतुकों को अपनी बैठकों से बाहर करने और गुप्त बैठक आयोजित करने का अधिकार है।
- संसद के पास अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए अपने सदस्यों और बाहरी लोगों को दंडित करने की शक्ति है।
- संसद को अपनी रिपोर्ट, बहस और कार्यवाही प्रकाशित करने और प्रकाशित न करने देने का भी अधिकार है।
- सभापति/अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये बिना सभा के परिसर के अन्दर किसी भी व्यक्ति चाहें वह सदस्य हो या नही को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और उसके खिलाफ कोई आपराधिक या दीवानी कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

संसद सदस्यों को व्यक्तिगत रुप से प्राप्त लाभ

- संसद के सत्रों के दौरान, ये अधिकार और छूट प्राप्त सदस्य या व्यक्ति अदालत में उपस्थित होने या साक्ष्य प्रदान करने से इनकार कर सकता है।
- संसद सदस्यों को संसदीय सत्र के दौरान और सत्र से 40 दिन पहले और बाद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
- संसदीय सत्रों या संसदीय समिति की बैठकों के दौरान दिए गए बयानों या दिए गए वोटों के लिए सदस्यों को किसी भी अदालत में कानूनी कार्यवाही से छूट प्राप्त है।

विशेषाधिकार का उल्लंघन

- विशेषाधिकार का उल्लंघन संसद या राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन को संदर्भित करता है।
- जब सदन का कोई सदस्य या कोई बाहरी व्यक्ति सदस्यों और समितियों को दी गई शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को कमज़ोर करता है, तो यह कहा जाता है कि वे विशेषाधिकार हनन का अपराध कर रहे हैं।
- संसद या राज्य विधानसभा विशेषाधिकार प्रस्तावों को पारित करने की प्रक्रिया और ऐसे अपराधों के लिए संभावित दंड के संबंध में नियम निर्धारित करती है।
- विशेषाधिकारों का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाता है। उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ही संसदीय नियमों और विनियमों के अनुसार सजा का रूप निर्धारित किया जाता है।

1.5. राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग

संदर्भ

हाल ही में, **तीन राज्यों (उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक)** में हुए राज्यसभा चुनावों में विभिन्न दलों के विधायकों द्वारा व्यापक स्तर पर **क्रॉस-वोटिंग** की गई, जिससे चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।

अन्य संबंधित जानकारी

- राज्यसभा के 50 सदस्यों का 2 अप्रैल को अपना कार्यकाल पूर्ण करने और 06 सदस्यों का 3 अप्रैल को कार्यकाल पूर्ण करने की वजह से कुल 56 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव आवश्यक था।
- चुनाव आयोग द्वारा उक्त तीन राज्यों में 15 सीटों पर चुनाव कराया गया जबकि शेष 41 सीटों पर उम्मीदवारों को चुनाव आयोग ने निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया।
- विभिन्न दलों द्वारा 'व्हिप' जारी करने के बावजूद, चुनाव में तीनों राज्यों में क्रॉस-वोटिंग हुई।
- इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10, कांग्रेस ने 3 और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीतीं।
- इस परिणाम के साथ, भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सदस्यों की संख्या बढ़कर 117 हो गई, जिससे वह राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े के और करीब पहुंच गई।
  - ✓ वर्तमान में, राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 121 है, क्योंकि 245 सदस्यीय राज्यसभा में पांच सीटें (चार राष्ट्रपति शासन वाले जम्मू एवं कश्मीर और एक मनोनीत सदस्य श्रेणी में) रिक्त हैं।

राज्यसभा सदस्यों के चयन की प्रक्रिया

- **संविधान के अनुच्छेद 80(4) के अनुसार**, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों को **वहां की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधितत्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Single transferable vote-STV) प्रणाली** के माध्यम से **खुले मतपत्र का उपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है**।
  - ✓ राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान तभी होगा जब उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक हो।
- एकल हस्तांतरणीय मत का मतलब है कि एक विधायक एक ही वोट में अपनी प्राथमिकता के क्रम में कई उम्मीदवारों को वोट कर सकता है अर्थात् वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली,दूसरी तथा तीसरी(इसी क्रम में) प्राथमिकता/वरीयता कौन है|
- मतगणना के दौरान प्रत्येक विधायक की पहली पसंद को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है।
- निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार को एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त करने होंगे, जिसे **"कोटा" या 'वरीयता वोट'** कहा जाता है।
- यदि कोई उम्मीदवार कोटा तक पहुँच जाता है, **तो वह निर्वाचित हो जाता है**; अन्यथा, **सबसे कम मत** पाने वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उनके मतों को बाद की प्राथमिकताओं के आधार पर पुनर्वितरित किया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कोई व्यक्ति उम्मीदवार निर्धारित कोटे को प्राप्त नहीं कर लेता|
- राज्यसभा चुनावों में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल होने वाले **गुप्त मतपत्र के बजाय एक खुली मतपत्र प्रणाली का उपयोग** किया जाता है।

क्रॉस वोटिंग क्या है?

- क्रॉस वोटिंग तब होती है जब एक विधायक [आमतौर पर राज्य विधानसभा का सदस्य - MLA] किसी ऐसे उम्मीदवार हेतु मतदान करता है जो उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन से नहीं होता है।
- दूसरे शब्दों में, जब कोई विधायक अपनी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ जाकर किसी अन्य उम्मीदवार को वोट देता है तो उसे क्रॉस वोटिंग कहा जाता है।
- **क्रॉस-वोटिंग की वजहों** में विधायकों का पार्टी के दिशा-निर्देशों (party lines) के बजाय व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर मतदान करना, पैसा और भ्रष्टचार, जटिल राजनीतिक गठबंधन या प्रतिद्वंद्विता और राजनीतिक दबाव , व्यक्तिगत राय को प्रभावित करने वाले स्थानीय मुद्दे और राजनीतिक दल के भीतर आंतरिक संघर्ष या असंतोष शामिल हैं।

राज्यसभा चुनाव में दल-बदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता

- वर्ष 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन ने दसवीं अनुसूची के माध्यम से दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law-ADL) को पेश किया गया।
  - ✓ इसमें कहा गया है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य जो स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है या किसी सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है तो वह संबंधित सदन का सदस्य रहने की योग्यता खो देता है।
- भारत निर्वाचन आयोग ने जुलाई 2017 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर स्पष्ट किया कि पार्टी निर्देशों के खिलाफ मतदान

के संबंध में दसवीं अनुसूची के प्रावधान राज्यसभा चुनावों पर लागू नहीं होते हैं और सदस्य इन चुनावों में पार्टी के अनुदेशों (whips) से बंधे नहीं होते हैं।

आगे की राह

- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और इसकी शुचिता के उच्च सिद्धांत को बनाए रखने के लिए, उच्चतम न्यायालय राज्यसभा चुनावों में दल-बदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता के संबंध में अपने वर्ष 2006 के फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, पार्टी के दिशा-निर्देश के विरुद्ध मतदान को **पार्टी की सदस्यता के स्वैच्छिक त्याग के रूप में व्याख्या करना (जिससे दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता हो सकती है)** भविष्य में क्रॉस-वोटिंग के खिलाफ एक निवारक के रूप में काम कर सकता है।
- साथ ही, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व और **क्रॉस-वोटिंग के परिणामों के बारे में विधायकों के बीच जागरूकता बढ़ाने** से जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है। राजनीतिक दलों को भी **अंतर-पार्टी लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिए और अनैतिक प्रथाओं को हतोत्साहित करना चाहिए।**

1.6. भारत का लोकपाल

संदर्भ

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश **अजय माणिकराव खानविलकर** को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

अन्य संबंधित जानकारी

- न्यायमूर्ति खानविलकर **लोकपाल के द्वितीय लोकपाल अध्यक्ष** हैं।
  - ✓ लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश **पिनाकी चंद्र घोष** थे, जिनका कार्यकाल मार्च 2019 से मई 2022 तक था।
- लोकपाल के अध्यक्ष का पद लगभग 2 वर्षों से रिक्त था और इस बीच न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती लोकपाल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे।
- सरकार ने लोकपाल के तीन न्यायिक सदस्यों और तीन गैर-न्यायिक सदस्यों की भी नियुक्ति की।
- इन नियुक्तियों के साथ, भारत के लोकपाल में अब अध्यक्ष सहित नौ सदस्यों की संख्या पूर्ण हो गई है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

लोकपाल की मुख्य विशेषताएं

- **संरचना:** लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होंगे, जिनमें से **50% न्यायिक सदस्य होंगे।** साथ ही, **कुल सदस्यों में से कम से कम 50%** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिला वर्ग में से होंगे।
- **नियुक्ति:** लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्न शामिल एक **चयन समिति की सिफारिशों पर की जाती है। चयन समिति में निम्न शामिल हैं:**
- अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री
  - ✓ लोकसभा अध्यक्ष
  - ✓ लोकसभा में विपक्ष के नेता
  - ✓ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश।
  - ✓ चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों की सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया एक प्रतिष्ठित न्यायविद् शामिल होगा।
- एक **खोज समिति** चयन की प्रक्रिया में चयन समिति की सहायता करती है। खोज समिति के कम से कम 50% सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिला वर्ग से होने चाहिए।
- **अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल:** उनके पदग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो।
- **वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें:**
  - ✓ अध्यक्ष का वेतन, भत्ता और सेवा-शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होंगी।
  - ✓ अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा-शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होंगी।।
  - ✓ लोकपाल के अध्यक्ष, सदस्यों या सचिव या अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होगा और लोकपाल द्वारा लिया गया कोई भी शुल्क या अन्य धन इसी कोष का हिस्सा होगा।

एक लंबी-चौड़ी बहस

1960 के दशक से वर्तमान समय तक लोकपाल विधेयक का संक्षिप्त इतिहास

राज्य स्तर - सांसदों सहित सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ शिकायतों की जांच करना।

2005

दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि बिना किसी देरी के एक लोकपाल का गठन किया जाए।

2013

लोकपाल अधिनियम, 2013 संसद में पारित हो गया।

2016

लोकसभा 2013 के कानून में संशोधन पर सहमत हुई।

1963

- लोकपाल शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ है "लोगों का रक्षक" वर्ष 1963 में एल.एम. सिंघवी द्वारा गढ़ा गया था।
- यह संस्था सबसे पहले 1809 में स्वीडन में बनाई गई थी।

1966

- भारत के पहले प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) (1966-1970) ने सांसदों सहित सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए दो स्वतंत्र प्राधिकरणों - एक केंद्र (लोकपाल) और एक राज्य स्तर पर गठन की सिफारिश की।

1968

- लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया, लेकिन पारित नहीं हुआ। विधेयक को पारित कराने के लिए 2011 तक आठ प्रयास किए गए, लेकिन सभी व्यर्थ रहे।

2002

- एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश की। इसमें यह भी सिफारिश की गई कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाए।

2017

उच्चतम न्यायालय ने 27 अप्रैल को स्पष्ट किया कि केवल विपक्ष के नेता (जो 2013 अधिनियम के अनुसार लोकपाल चयन समिति का सदस्य है) की अनुपस्थिति के कारण लोकपाल नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने की आवश्यकता नहीं है।

- **पद पर न रहने के पश्चात् नियोजन पर निर्बंधन:** पद से हटने के बाद अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य निम्न हेतु अयोग्य होंगे -
  - ✓ पद पर पुनर्नियुक्ति हेतु अपात्र।
  - ✓ कोई भी राजनयिक कार्यभार, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्ति या कोई अन्य नियुक्ति जो कानून के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत आज्ञापित की जानी आवश्यक है।
  - ✓ भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद।
  - ✓ पद छोड़ने के बाद पांच साल के भीतर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, राज्य विधानमंडल, नगर पालिका या पंचायत के लिए चुनाव लड़ना।
- **लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य का निलंबन, निष्कासन:**
  - ✓ यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए; या
  - ✓ यदि वह अपने कार्यकाल में, अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी भी लाभकारी पद को स्वीकार करता है; या
  - ✓ यदि वह राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त/अक्षम के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है।
  - ✓ उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अध्यक्ष या किसी सदस्य को सिद्ध कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटा दिया जाएगा।
  - ✓ कम से कम सौ संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका पर राष्ट्रपति द्वारा।
- **क्षेत्राधिकार:** लोकपाल का क्षेत्राधिकार निम्न तक फैला हुआ है:
  - ✓ कोई भी व्यक्त जो प्रधानमंत्री है या रहा है, या केंद्र सरकार में मंत्री है, या संसद सदस्य है, साथ ही समूह क, ख, ग और घ के तहत केंद्र सरकार का अधिकारी है।
  - ✓ संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्र द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित किसी भी बोर्ड, निगम, सोसायटी, ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और निदेशक।
  - ✓ कोई भी सोसायटी या ट्रस्ट या निकाय जो विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत किसी विदेशी स्रोत से एक वर्ष में दस लाख रुपये से अधिक का दान प्राप्त करता है।
- **प्रधानमंत्री के लिए अपवाद:**
  - ✓ यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित है तो लोकपाल मामले की जांच नहीं करेगा।
  - ✓ प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायतों की जांच तब तक नहीं की जाती है जब तक कि पूर्ण लोकपाल पीठ जांच शुरू करने पर विचार न कर ले और कम से कम दो-तिहाई सदस्य इसका अनुमोदन न दे दें।
  - ✓ प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी जांच बंद कमरों में करायी जाएगी और यदि लोकपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायत खारिज की जानी चाहिए, तो जांच के अभिलेख प्रकाशित नहीं किए जाएंगे या किसी को भी उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे।

आगे की राह

लोकपाल के **"दंतहीन बाघ"** की धारणा को समाप्त करते हुए भारत में लोकपाल को सशक्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

- **स्वत: संज्ञान प्राधिकार के साथ सशक्तीकरण:** लोकपाल को स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू करने की शक्ति प्रदान करना, जिससे भ्रष्टाचार से लड़ने की उसकी सक्रिय क्षमता मजबूत हो।
- **शिकायत के स्वरूप के स्थान पर विषय-वस्तु को प्राथमिकता:** शिकायतों की तकनीकी पक्ष पर जोर कम दिया जाए, इसके बजाय भ्रष्टाचार के मुख्य आरोपों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
- **व्हिसल ब्लोअर्स/मुखबिर की सुरक्षा, झूठी शिकायतों के मध्य संतुलन:** झूठे आरोपों के खिलाफ सुरक्षा उपाय बनाए रखते हुए अज्ञात शिकायतों हेतु सुरक्षित तंत्र लागू किया जाए।
- **संवैधानिक समर्थन पर विचार:** लोकपाल को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने, उसकी स्वतंत्रता, जैसे- वित्तीय प्रशासनिक आदि और अधिकार को मजबूत करने की संभावना का पता लगाया जाए।
- **प्रधानमंत्री के मामलों में पारदर्शिता:** निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायतों की जाँच हेतु स्पष्ट, पारदर्शी और जवाबदेह प्रक्रियाएं स्थापित की जाएँ।

1.7. दो नये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

संदर्भ

हाल ही में, राष्ट्रपति ने दो नये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की है, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों के हेतु पर नियुक्ति पूरी हो गई।

अन्य संबंधित जानकारी

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा चयन के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी **ज्ञानेश कुमार** और **सुखबीर सिंह संधू** को नये चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया।
  - ✓ चयन समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे।
- ये नियुक्तियां पिछले साल दिसंबर में सरकार द्वारा लाए गए **मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023** के अनुसार की गई हैं।
- नियुक्ति से पूर्व, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार तीन सदस्यीय भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के एकमात्र सदस्य थे। इस प्रकार, नियुक्ति ने निर्वाचन आयोग की पूर्ण संख्या बहाल कर दी।

पृष्ठभूमि

- **अनुच्छेद 324** के तहत संविधान 'चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण' का कार्य चुनाव आयोग को सौंपता है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर नियत की गई संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं।
- हालाँकि, संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हेतु **कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।** इसके अलावा, अब तक ऐसा कोई कानून नहीं था जो नियुक्ति प्रक्रिया को निर्देशित करता हो।
- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 से पूर्व, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिशों पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते थे।
- हालाँकि, मार्च 2023 में अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघ वाद में, उच्चतम न्यायालय ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि **चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी समिति (1990)** और **चुनाव सुधार पर विधि आयोग की 255 वीं रिपोर्ट (2015)** ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता की सदस्यता वाली एक समिति का सुझाव दिया था।
- इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया ('पूर्ण न्याय' करने के लिए निर्देश जारी किए) और एक विशिष्ट समिति का गठन किया जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता) शामिल थे।
- अनूप बर्णवाल मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद, केंद्र सरकार नया कानून **मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023** लेकर आई।

नये कानून के प्रमुख प्रावधान

- इसने चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्यों का संचालन) अधिनियम, 1991 को प्रतिस्थापित किया।
- **नियुक्ति प्रक्रिया:** मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  - ✓ **चयन समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री**, सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता (या लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता) और सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं।
    - ▪ इस समिति में कोई पद रिक्त होने पर भी चयन समिति की सिफारिशें मान्य होंगी।
  - ✓ **कानून और न्याय मंत्री** की अध्यक्षता वाली एक **खोज समिति** (जिसमें भारत सरकार के सचिव के पद से नीचे के दो अन्य सदस्य शामिल हैं) चयन समिति के विचारार्थ हेतु नामों की एक सूची तैयार करती है।

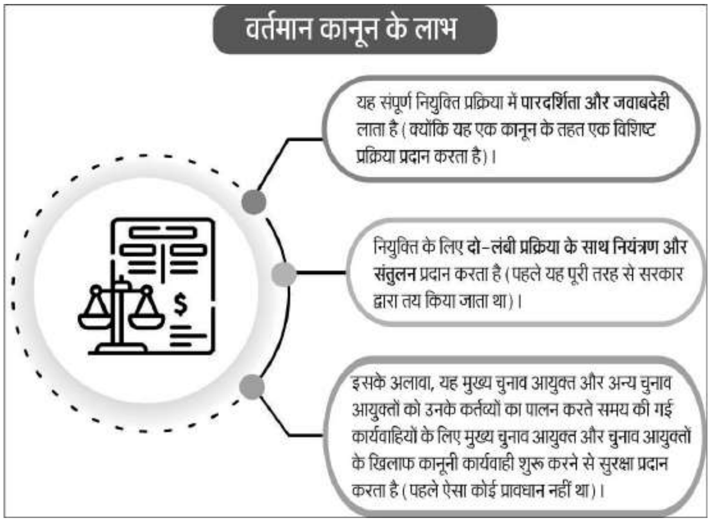

- **योग्यताएँ:** मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाती है जो **भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष पद धारण कर रहे हैं या कर चुके हैं** और सत्यनिष्ठ व्यक्ति होंगे, जिन्हें चुनाव के प्रबंधन और संचालन का ज्ञान और अनुभव हो।
- **कार्यकाल:** मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अपने पद ग्रहण करने की तारीख से **छह साल की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष** की आयु पूरी करने तक (जो भी पहले हो) पद पर बने रहते हैं।
    - मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं।
- **वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें:** मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती हैं।
- **हटाने की प्रक्रिया:** अधिनियम **अनुच्छेद 324 (5) के तहत संविधान में निर्दिष्ट** मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के तरीके को बरकरार रखा गया है, जिसमें प्रावधान है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उसी तरीके से और उसी आधार पर हटाया जा सकता है, जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

कानून से जुड़ी प्रमुख समस्याएं

- वर्तमान कानून ने **भारत मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर रखा है** (उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत) और उसके स्थान पर केंद्रीय मंत्री को शामिल किया है, इस प्रकार अधिकांश सदस्य (3 में से 2) तत्कालीन सरकार के हो गए हैं। यह कार्यकारी नियंत्रण निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है।
- पद रिक्त होने पर समिति की सिफारिशों को अनुमति देने से मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन में सरकार का प्रभावी रूप से एकाधिकार हो गया।
- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अर्ध-न्यायिक कार्य भी करते हैं, इस प्रकार इन पदों को सरकार के सचिव के समकक्ष पद तक सीमित करने से **अन्य उपयुक्त उम्मीदवार बाहर हो सकते हैं** और निर्वाचन आयोग में विविधता और विशेषज्ञता भी सीमित हो जाएगी।
- नया कानून मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया में समानता लाने के संदर्भ में बहुत जरूरी सुधार लाने में विफल रहा।
    - ✓ स्वयं चुनाव आयोग और कई अन्य समितियों (दिनेश गोस्वामी समिति 1990) ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में प्रक्रियागत समानता लाने के लिए कहा है।

आगे की राह

- जबकि वर्तमान कानून का उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है, निर्वाचन आयोग को वास्तव में स्वतंत्र और सच्चे अर्थों में भारत में चुनावी लोकतंत्र का प्रहरी बनाने के लिए कई उपाय किए जाने की आवश्यकता है।
- कुछ सुधारों में निम्न शामिल हैं:
    - ✓ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया में समानता लाना।
    - ✓ लोकसभा, राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समान निर्वाचन आयोग के लिए भी एक **स्वतंत्र सचिवालय**।
    - ✓ भारत निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता सुनिश्चित करने हेतु नियुक्ति प्रक्रिया में **सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं** (जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका में, राष्ट्रपति चुनावी निकाय के सदस्यों की नियुक्ति करता है लेकिन सीनेट द्वारा उनकी पुष्टि की आवश्यकता होती है) को अपनाना।

1.8. आदर्श आचार संहिता

संदर्भ

हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग के आगामी 18वीं लोकसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही **आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct-MCC)** लागू हो गई है।

अन्य संबंधित जानकारी

- भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की कि 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून, 2024 तक सात चरणों में होंगे और 4 जून को चुनाव के परिणाम घोषित किए जायेंगे।
    - ✓ यह लोकसभा चुनाव भारत के चुनावी इतिहास में दूसरा सबसे लंबा मतदान कार्यक्रम होगा।
    - ✓ अब तक का सबसे लंबा चुनाव देश का पहला आम चुनाव था, जो सितंबर 1951 और फरवरी 1952 के बीच पांच महीने की अवधि में आयोजित किया गया था।
- लोक सभा चुनाव के साथ ही चार राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम) में **विधानसभा चुनाव** भी होंगे।
- अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के चुनावी नतीजे 2 जून को घोषित

आदर्श आचार संहिता का विकास

1960 — चुनाव हेतु आचार संहिता अपनाने वाला पहला राज्य केरल था। वर्ष 1960 में, केरल में राज्य विधानसभा चुनावों से पहले प्रशासन द्वारा एक मसौदा संहिता तैयार किया गया था।

1962 — चुनाव आयोग ने केरल के उदाहरण का अनुकरण किया और वर्ष 1962 के लोकसभा चुनावों के लिए सभी मान्यता प्राप्त दलों और राज्य सरकारों के बीच मसौदा संहिता प्रसारित की। इसका वर्ष 1962 के चुनावों में ज्यादातर पालन किया गया और बाद के आम चुनावों में भी इसे जारी रखा गया।

1968 — निर्वाचन आयोग ने औपचारिक रूप से 1968-69 के मध्यावधि चुनाव के दौरान सितंबर 1968 में 'न्यूनतम आचार संहिता' शीर्षक के तहत आदर्श आचार संहिता जारी किया।

1979 — वर्ष 1979 के लोकसभा चुनावों से पहले, निर्वाचन आयोग ने संहिता को और समेकित किया तथा सात भागों के साथ एक संशोधित आदर्श संहिता जारी किया, जिसका एक भाग 'सत्ताधारी दल' को विनियमित करने और चुनाव के समय अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने हेतु समर्पित था।

2013 — उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को चुनावी घोषणापत्र के संबंधित दिशानिर्देश को आदर्श संहिता में शामिल करने का निर्देश दिया, जिसे निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2014 के आम चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता में 8वें भाग के रूप में शामिल किया।

किए जाएंगे जबकि आंध्र प्रदेश और ओडिशा के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे।

- चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई।

आदर्श आचार संहिता क्या है?

- यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मार्गदर्शित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मानकों का एक संग्रह है।
- आदर्श आचार संहिता चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहता है।
- यह कदाचार पर अंकुश लगाकर, शुचिता बनाए रखकर और संतुलित चुनावी माहौल बनाकर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है।
- हालांकि यह **कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं** है, तथापि निर्वाचन आयोग उल्लंघन हेतु निगरानी और दंड के माध्यम से आदर्श आचार संहिता को लागू करता है।

आदर्श आचार संहिता के प्रमुख प्रावधान

- आदर्श आचार संहिता के **8 भागों** में निम्न हेतु प्रावधान शामिल हैं:
  1. **सामान्य आचरण:** राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, विगत कार्यक्रमों और गतिविधियों तक सीमित होना चाहिए।
     ✓ वोट को सुरक्षित करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं का उपयोग करना, उम्मीदवारों की आलोचना असत्यापित रिपोर्ट के आधार पर करना, मतदाताओं को डराना और रिश्वत देना इत्यादि गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
  2. **बैठकें:** पार्टियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए बैठक स्थल (रैली) और समय के बारे में स्थानीय पुलिस को अनिवार्य रूप से सूचित करना होगा।
  3. **जुलूस:** दो या दो से अधिक उम्मीदवारों का एक ही मार्ग या स्थल पर जुलूस आयोजित करते समय आयोजकों को झड़पों से बचने के लिए अनिवार्य रूप से समन्वय/सम्पर्क स्थापित करना होगा।

आदर्श आचार संहिता की वैधानिक स्थिति

यह इस अर्थ में वैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं है कि इसे वैधानिक कानून के माध्यम से प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया है। हालाँकि, इसके कुछ प्रावधानों को महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक समर्थन प्राप्त है और इसके प्रावधानों का परम्परा और चुनावी नैतिकता के रूप में पालन किया जाता है।

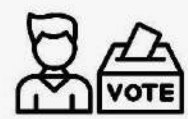

संवैधानिक आधार : भारत निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता जारी करता है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से शक्तियां प्राप्त हैं। यह अनुच्छेद निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं एवं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों की निगरानी करने का अधिकार देता है।

वैधानिक समर्थन : आदर्श आचार संहिता स्वयं किसी विशिष्ट कानून में संहिताबद्ध नहीं है, इसे आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 जैसे अन्य कानूनों के संबंधित प्रावधानों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।

प्रवर्तन तंत्र : आदर्श आचार संहिता को चुनाव आयोग के अधिकार और विवेक के माध्यम से प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। इसमें चेतावनी जारी करना, जुर्माना लगाना या अयोग्यता की सिफारिश करना शामिल हो सकता है।

स्वैच्छिक अनुपालन : राजनीतिक दल और उम्मीदवार आम तौर पर चुनावी नैतिकता, सार्वजनिक धारणा और चुनाव आयोग के प्रतिकूल नतीजों के भय से आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। हालाँकि उल्लंघनों के परिणामस्वरूप आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन इससे प्रतिष्ठा को नुकसान, जनता के विश्वास की हानि और अन्य चुनावी दुष्परिणाम हो सकते हैं।

न्यायिक जांच : आदर्श आचार संहिता प्रवर्तन और व्याख्या न्यायिक जांच के विषय हैं। न्यायालयों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपने संवैधानिक शक्तियों के हिस्से के रूप में आदर्श आचार संहिता को लागू करने के निर्वाचन आयोग के अधिकार को बरकरार रखा है।

- ✓ अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों के पुतले ले जाने और जलाने की अनुमति नहीं है।

4. **मतदान दिवस:** मतदान केंद्रों पर अधिकृत पार्टी कार्यकर्ताओं के पास पार्टी/उम्मीदवार के चिह्न या नाम के बिना पहचान पत्र होना चाहिए।
5. **मतदान केंद्र:** मतदान केंद्र में केवल मतदाताओं और निर्वाचन आयोग से वैध पास धारकों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
6. **पर्यवेक्षक:** निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों द्वारा बताए गए निर्वाचन के संचालन संबंधी किसी भी समस्या या शिकायत के समाधान के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है।
7. **सत्ताधारी दल:** वर्ष 1979 में स्थापित, यह सत्ताधारी दल के लिए क्या करें और क्या न करें की जानकारी प्रदान करता है।
   - ✓ मंत्रियों को आधिकारिक दौरों को निर्वाचन प्रचार कार्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिए और न ही चुनाव उद्देश्यों के लिए आधिकारिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए।
   - ✓ प्रतिबंधित कार्यों में, विज्ञापन के लिए सार्वजनिक कोष का उपयोग करना या प्रचार के लिए आधिकारिक जनसंचार माध्यमों का दुरूपयोग शामिल है।
   - ✓ अन्य दलों को सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं तक समान पहुँच मिलनी चाहिए।
8. **चुनाव घोषणापत्र:** वर्ष 2013 में जोड़े गए दिशानिर्देश के अनुसार राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने से रोकते हैं जो मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालते हैं और सुझाव देते हैं कि घोषणापत्र में वादों को पूरा करने के साधनों का भी संकेत दिये जाएं।

आदर्श आचार संहिता के समक्ष चुनौतियाँ

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग गलत सूचना फैलाने, जनता की राय को प्रभावित (भ्रमित) करने और अनुरूप संदेश के साथ निर्दिष्ट जनसांख्यिक क्षेत्रों को लक्षित करने के लिए किया जा सकता है, जो सभी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता को कमजोर कर सकते हैं। हालाँकि, मौजूदा आदर्श आचार संहिता सोशल मीडिया मंचों पर एआई-संचालित रणनीति द्वारा उत्पन्न इन उभरती चुनौतियों का स्पष्ट रूप से समाधान नहीं कर सका है।
- घृणास्पद भाषण और धनबल के दुरुपयोग जैसी कुप्रथाओं को रोकने में अप्रभावी।
- चुनाव अभियानों की निगरानी और डिजिटल मंचों को विनियमित करने में नई तकनीकी जटिलताएँ और सीमित क्षमता।
- कानूनी प्रवर्तनीयता का अभाव, बाध्यकारी कानूनों के बजाय नैतिक अनुनय पर भरोसा करना।
- शासन में हस्तक्षेप, चुनाव अवधि में नीतिगत निर्णयों को प्रतिबंधित करना।
- आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के विषय में मतदाताओं, उम्मीदवारों और अधिकारियों के बीच सीमित जागरूकता।
- आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने पर निर्वाचन आयोग की उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने या दलों का पंजीकरण रद्द करने में असमर्थता।
- आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन में वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता की कमी की शिकायतें।

आगे की राह

- **वैधानिक समर्थन प्रदान करना:** विशेषज्ञ आदर्श आचार संहिता को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एकीकृत करने का सुझाव देते हैं, जिससे इसकी प्रभावशीलता और प्रवर्तन को बढ़ाने हेतु इसे वैघानिक समर्थन अधिकार मिल सके।
  - ✓ वर्ष 2013 में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर स्थायी समिति ने आदर्श आचार संहिता से जुड़ी कुछ कमियों को कम करने के लिए इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का प्रस्ताव रखा था।
- **फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना:** आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों के समाधान में तेजी लाने, त्वरित न्याय और निवारण सुनिश्चित करने हेतु फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित की जानी चाहिए।
- **इंटरनेट कंपनियों के साथ सहयोग:** इंटरनेट कंपनियों सहित विभिन्न हितधारकों को सोशल मीडिया और इंटरनेट के लिए एक आचार संहिता विकसित करने हेतु सहयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पहले ही राजनीतिक विज्ञापनों में पारदर्शिता पर जोर देते हुए एक स्वैच्छिक आचार संहिता प्रस्तुत कर चुके हैं।
- **सी-विजिल (cVIGIL)** जैसे प्लेटफार्मों के उपयोग को प्रोत्साहित करने से चुनावों के दौरान उल्लंघनों की रिपोर्ट करने और उन्हें कम करने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष

- हालाँकि आदर्श आचार संहिता को वैधानिक समर्थन का अभाव है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा इसके सख्त कार्यान्वयन से इसकी विश्वसनीयता में सुधार हुआ है। इसे और मजबूत करने के लिए भारत में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु इसे और सशक्त करने के लिए वैधानिक समर्थन, फास्ट-ट्रैक अदालतें और विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग जैसे उपाय आवश्यक हैं।

1.9. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में घरों के छत पर सोलर पैनल लगाने (सोलर रुफटॉप) को बढ़ावा देने के लिए "प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना" (प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना) के लिए 75,021 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी।

इस योजना से जुड़ी मुख्य बातें

- इस योजना के अंतर्गत एक करोड़ परिवारों को हर महीने **300 यूनिट "मुफ्त बिजली"** प्रदान करने का दावा किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:
  - ✓ 1 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल पर 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  - ✓ 2 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल पर 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  - ✓ 3 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता वाले सोलर पैनल पर 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  - ✓ इससे अधिक वाट की क्षमता वाले सोलर पैनल केंद्रीय सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे।
- **पात्रता:** भारतीय नागरिकों जिनके पास वैध बिजली कनेक्शन के साथ उपयुक्त छत वाला घर है और उनके पास पहले से कोई सौर पैनल सब्सिडी नहीं ली है।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे तथा छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए उपयुक्त विक्रेता का चयन कर सकते हैं।
- वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक परिवार को सोलर पैनल लगाने के लिए लगभग 7 प्रतिशत की दर पर **संपार्श्विक-मुक्त ऋण** अर्थात, बिना गारंटी के कम ब्याज पर ऋण ले सकते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को अपनाने हेतु अनुकरणीय उदाहरण (रोल मॉडल) के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक जिले में **आदर्श सौर गाँव (मॉडल सोलर विलेज)** विकसित किया जाएगा।

योजना का महत्व

- इस योजना में शामिल घर के बिजली का बिल बचानें में सक्षम होंगे।
- डिस्कॉम को अधिशेष बिजली की बिक्री के माध्यम से परिवार अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।
- आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर के माध्यम से 30 गीगावॉट सौर क्षमता में बढ़ोतरी करना है।
- **COP 26** में घोषित **पंचामृत नीति** द्वारा निर्देशित यह योजना वर्ष **2070 तक शुद्ध शून्य (नेट-ज़ीरो) उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ-साथ वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अपनी पचास प्रतिशत बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य में मदद करेगी।**
- यह योजना विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन, अनुसंधान एवं विकास के अलावा अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष नौकरियाँ सृजित करेगी।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल

- **सौर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल** में गीगा वाट (GW) पैमाने की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना (PLI) को शुरू किया गया है।
- **सौर पार्क योजना**: सरकार ने पूरे देश के **12 राज्यों में 37,990 मेगावाट** की कुल क्षमता वाले **50 सौर पार्कों** की स्थापना को मंजूरी दी है।
- **पीएम-कुसुम (PM-KUSUM):** इसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके कृषि क्षेत्र के सौर्यीकरण (सोलराइजेशन) को बढ़ावा देना है।
- **अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):** इसकी कल्पना सौर ऊर्जा समाधानों को परिनियोजित (तैनाती) करने के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रयासों को संगठित करने के लिए भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी।
  - ✓ **माल्टा** अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला **119वाँ देश** है।

2.1. भारत-मॉरीशस संबंध

संदर्भ

हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से अगालेगा द्वीप पर भारत द्वारा बनाई गयी एक नयी हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन किया।

अन्य संबंधित जानकारी

- इन परियोजनाओं का उद्देश्य समुद्री निगरानी और सुरक्षा में **मॉरीशस की क्षमता और सामर्थ्य को बढ़ाना** है।
- यह परियोजना समुद्री डकैती, आतंकवाद-रोधी, मादक द्रव्य-रोधी कार्रवाई करने, मानव तस्करी से निपटने और अवैध मछली पकड़ने की समस्या से निपटने में सक्षम होगी।
- इस बुनियादी ढांचे से महत्वपूर्ण **आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर पैदा** होने की उम्मीद है, जिससे अगालेगा के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि मॉरीशस का कोई कोई एजेंडा नहीं है कि वह अगालेगा द्वीपों पर अपनी संप्रभुता छोड़ दे ,और उन्होंने अगालेगा को सैन्य अड्डे में बदलने के दावों का खंडन किया।
- मॉरीशस, भारत की **'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी'** और **विजन "सागर (SAGAR)" के तहत एक महत्वपूर्ण भागीदार है।**

अगालेगा द्वीप समूह

अगालेगा द्वीप समूह पश्चिमी हिंद महासागर में मॉरीशस का दो द्वीपों वाला द्वीप है। मुख्य उत्तरी द्वीप और लघु दक्षिणीय द्वीप,ये द्वीप समूह मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुइस से लगभग 1,100 किमी उत्तर में और मालदीव की राजधानी माले से 2,500 किमी दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं।

- वर्ष 2015 में, भारत ने समुद्री और हवाई परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मॉरीशस के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया था।

भारत ने हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित मॉरीशस की निर्भरता वाले अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी और जेटी को उन्नत किया है।

नयी हवाई पट्टी एवं जेटी का महत्व

- भारत के लिए
  - ✓ यह भारत को बड़े **P8I समुद्री टोही विमान संचालित करने की सुविधा देती है,** जिससे हिंद महासागर में इसकी निगरानी क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार होगा।
  - ✓ इससे हिन्द महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की भारत की क्षमता में वृद्धि होगी।
  - ✓ इस हवाई पट्टी की अवस्थिति भारत को पूरे **पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर** और अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिणी तट की निगरानी करने की सुविधा प्रदान करती है।
  - ✓ **लाल सागर क्षेत्र में मार्ग परिवर्तन के कारण** जलमार्ग यातायात में हुई वृद्धि, इस क्षेत्र में निगरानी को और भी महत्वपूर्ण बनाती है।
- मॉरीशस के लिए
  - ✓ यह विकास लक्ष्यों को पूरा करने और विभिन्न हितों की रक्षा करने में सहायक सिद्ध होगा।
  - ✓ यह मॉरीशस के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की अधिक प्रभावी निगरानी को सक्षम बनाएगा।
  - ✓ यह मॉरीशस के अगालेगा द्वीपों की कनेक्टिविटी और सुरक्षा को बेहतर बनाता है।

भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय संबंध

ऐतिहासिक	• भारत और मॉरीशस का इतिहास 18वीं सदी से जुड़ा हुआ है। • वर्ष 1968 में मॉरीशस को स्वतंत्रता मिलने से पूर्व ही वर्ष 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे। • 2 नवंबर को मॉरीशस में 'अप्रवासी दिवस' के रूप में मनाया जाता है, जो वर्ष 1834 में जहाज 'एटलस' पर भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की पहली खेप(बैच) के आगमन का प्रतीक है। • भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह यात्रा की शुरुआत के याद में 12 मार्च को मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस के रुप में मनाया जाता है।

राजनीतिक	• दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (CECPA) 2021 पर हस्ताक्षर किए। व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता भारत द्वारा अफ्रीका के किसी देश के साथ हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है। • भारत के प्रधानमंत्री और मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से वर्ष 2022 में मॉरीशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना भारत और मॉरीशस के बीच जीवंत विकास साझेदारी का हिस्सा है। • दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध समुद्री सुरक्षा, विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव और तकनीकी सहायता सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं।
आर्थिक	• वर्ष 2023 में, मॉरीशस के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 10.2% थी, जो वहां निर्यात करने वाले प्रमुख देशों में तीसरे स्थान पर था। • मॉरीशस के लिए शीर्ष 5 निर्यात: फार्मास्यूटिकल्स, कपास, अनाज, मोटर वाहन और खनिज ईंधन। • मॉरीशस का भारत को निर्यात: वर्ष 2023 में 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर। • प्रमुख उत्पादों में चिकित्सकीय उपकरण, स्क्रैप धातु, भोजन हेतु मछली आदि शामिल हैं। • वर्ष 2000 से वर्ष 2022 तक दो दशकों में मॉरीशस से भारत में 161 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आया (भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का 26%)। • 64 भारतीय कंपनियों ने मॉरीशस में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ICT, फ्री-पोर्ट और वित्तीय सेवाओं में निवेश किया है। • हाल ही में, मॉरीशस में UPI और RuPay कार्ड की सेवाएं शुरु की गईं।
रक्षा	• मॉरीशस रक्षा बलों में भारतीय रक्षा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति। • भारत ने मॉरीशस में तटीय निगरानी रडार प्रणाली स्थापित करने में सहायता की। • फरवरी 2021 में, भारत ने रक्षा उत्पादों की खरीद के लिए मॉरीशस को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ़ क्रेडिट (LoC) की सुविधा प्रदान की । • मॉरीशस सरकार ने डोर्नियर विमान के यात्री संस्करण और एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ध्रुव) प्राप्त करने के लिए लाइन ऑफ़ क्रेडिट का उपयोग किया है। • भारत में निर्मित अपतटीय गश्ती जहाज (offshore patrol vessels-OPV) और फास्ट अटैक क्राफ्ट (FAC) मॉरीशस की सेवा में हैं और ये रक्षा लाइन ऑफ क्रेडिट (defence lines of credit) के माध्यम से प्रदान की गई है।
सांस्कृतिक	• मॉरीशस में इंदिरा गांधी भारतीय संस्कृति केंद्र (IGCIC) है, जो विदेश में भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है। • वर्ष 2004 से, मॉरीशस के युवाओं ने भारत के विदेश मंत्रालय के "भारत को जानो" कार्यक्रम (Know India Programme) की 52 बैचों में भाग लिया है। • अगस्त 2022 में, राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में मॉरीशस के युवा प्रतिनिधिमंडल को भारत में आमंत्रित किया था। • मॉरीशस भारत की 'जन औषधि योजना' को अपनाने वाला पहला देश बन गया है।
प्रवासी	• मॉरीशस की कुल आबादी 1.2 मिलियन (28% क्रियोल, 3% चीन-मॉरीशस, 1% फ्रेंको-मॉरीशस) है, जिसमें लगभग 70% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। • मॉरीशस में 17,403 भारतीय नागरिक और 11,600 ओसीआई (OCI) कार्ड धारक रहते हैं। • वर्ष 2004 से, मॉरीशस आने वाले भारतीय पर्यटकों हेतु एक महीने के लिए वीज़ा-मुक्त व्यवस्था है। • लगभग 3,100 भारतीय छात्र मॉरीशस में विभिन्न विधाओं में उच्च शिक्षा ले रहे हैं और इंटर्नशिप कर रहे हैं।
आपदा प्रबंधन	• भारत संकट के दौरान परंपरागत रूप से मॉरीशस के लिए 'पहला प्रतिक्रिया देने वाला देश ' है। • भारत मॉरीशस को कोविड-19 टीके की आपूर्ति करने वाला पहला देश है। • मॉरीशस ने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान भारत को 200 ऑक्सीजन संकेन्द्रक (oxygen concentrator) दान किए। • जापानी जहाज वाकाशियो से तेल रिसाव के बाद भारत प्रथम प्रतिक्रिया देने वाले देश के रूप में सामने आया।

भारत और मॉरीशस संबंधों के मध्य चुनौतियाँ

- **व्यापार असंतुलन:** दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। मॉरीशस को भारत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करता है, जबकि मॉरीशस का भारत को निर्यात सीमित है। इससे मॉरीशस में नाराजगी पैदा हो सकती है।
- **काला धन:** मॉरीशस भारतीय काले धन का गंतव्य स्थल रहा है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
  - ✓ **उदाहरण के लिए, वर्ष 2016 में पनामा पेपर्स लीक** से पता चला कि कुछ अमीर भारतीयों ने अपनी संपत्ति के स्रोत को छिपाने के लिए मॉरीशस स्थित शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया था।
- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** भारत मॉरीशस सहित हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य उपस्थिति से चिंतित है। इससे प्रभाव वृद्धि हेतु प्रतिस्पर्धा हो सकती है।
  - ✓ उदाहरण के लिए, चीन ने मॉरीशस की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) अवसंरचना के निर्माण हेतु 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।
  - ✓ **लघु द्वीपीय विकासशील राष्ट्रों (Small Island Developing States-SIDS) की चिंताएं:** मॉरीशस, अन्य लघु द्वीपीय विकासशील राष्ट्रों की तरह, जलवायु परिवर्तन और समुद्र-स्तर में वृद्धि से अस्तित्व संबंधी खतरों को प्राथमिकता देता है, जिस पर भारत पूरी तरह से ध्यान नहीं देता पाता है।

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समक्ष मौजूद चुनौतियाँ

- ✓ **सुरक्षा खतरा:** भारत हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों को लेकर चिंतित है।
  - ▪ चीन ने अन्य देशों के विपरीत हिंद महासागर के सभी छह प्रमुख द्वीपों - श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस - में दूतावास स्थापित किया है।
  - ▪ **स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स:** चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति में कई देशों में वाणिज्यिक और सैन्य अड्डों और बंदरगाहों का निर्माण शामिल है।

- इस नीति के तहत चीन में वर्ष 2017 में जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य परिसर स्थापित किया है।

- **हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में गश्ती:** कई रिपोर्टों से इस बात का संकेत मिलता है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) नौसेना के विस्तार और संख्या के मामले में सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति बन गई है। चीन अपने विस्तारवादी नीति को समर्थन देने हेतु हिन्द महासागर में सर्वेक्षण और निगरानी जहाजों की तैनाती में वृद्धि कर रहा है।
- **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का विस्तार:** चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वह अफ्रीका के पूर्वी तट पर अवस्थित द्वीपीय देशों को अपने साथ मिलाकर अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है।
- **ऋण जाल की कूटनीति:** भारत हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की "ऋण जाल वाली कूटनीति" को लेकर चिंतित है, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण स्थानों पर चीन की उपस्थिति बढ़ सकती है।

हिंद महासागर में भारत द्वारा उठाये गये कदम:

- **सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास):** वर्ष 2015 में, भारत ने सागर पहल की शुरुआत की। जिसका लक्ष्य समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों के बीच सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करना है।
- **IORA (इंडियन-ओशन रिम एसोसिएशन):** भारत का हिंद महासागर क्षेत्र में एक मजबूत प्रभाव है। जिसके कारण भारत इंडियन-ओशन रिम एसोसिएशन के सदस्य देशों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने के लिए इंडियन-ओशन रिम एसोसिएशन जैसे संगठनों का समर्थन करता है।
- **अन्य देशों के साथ समझौते:** भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक सहयोग और सुविधाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए फ्रांस, सेशेल्स, ओमान, सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **IONS (हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी):** भारत हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) के कार्यक्रमों में भाग लेता है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने वाला एक मंच है।
- **सुरक्षा ग्रिड:** भारत हिंद महासागर के सैन्यीकरण को रोकने और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए तटीय देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

आगे की राह

- **लक्ष्य में बदलाव:** भारत को सुरक्षा चिंताओं से आगे बढ़ना चाहिए एवं जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन प्राथमिकताओं पर मॉरीशस के साथ सहयोग करना चाहिए।
- **व्यापक सहयोग:** दोनों देशों में सहयोग नवीकरणीय ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था के विकास और आपसी हित के क्षेत्रों में ज्ञान साझा करने जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित हो सकता है।
- **व्यापार संतुलन:** भारत को मॉरीशस से आयात बढ़ाने और इसके आर्थिक विविधीकरण का समर्थन करने के लिए नए तरीके तलाश करने चाहिए।
- **क्षेत्रीय एकीकरण:** दोनों देश क्षेत्रीय संस्थानों को मजबूत करने और हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।
- **लोगों से लोगों के जुड़ाव को प्रोत्साहन:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, छात्र गतिशीलता और संयुक्त अनुसंधान पहल को प्रोत्साहित करने से गहरी समझ और को बढ़ावा मिल सकता है।
- **बहु-हितधारक दृष्टिकोण:** भारत मॉरीशस के साथ सहयोग के लिए व्यापक आधार बनाने हेतु निजी व्यवसायों, गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों को शामिल कर सकता है।

2.2. भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता

संदर्भ

हाल ही में, भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (European Free Trade Association-EFTA) के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (Trade and Economic Partnership Agreement-TEPA) पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौते के प्रमुख बिंदु

- **व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA):**
  - ✓ यह एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है। पहली बार, भारत चार विकसित देशों (यूरोप के एक महत्वपूर्ण आर्थिक ब्लॉक) के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है।
- **निवेश**
  - ✓ यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) का निवेश बढ़ाने और ऐसे निवेशों के माध्यम से 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
  - ✓ यदि यह निवेश लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो भारत शुल्क रियायतें वापस ले सकता है।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)

- इसकी **स्थापना वर्ष 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन** द्वारा की गई थी।
- इसका लक्ष्य अपने चार सदस्य राष्ट्रों (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड) के साथ-साथ विश्व भर में उनके व्यापारिक भागीदारों को लाभान्वित करना है।
- ये देश मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से उत्तरोत्तर उदारीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- **वस्तुओं का व्यापार**
  - ✓ यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ अपनी 92.2% टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है, जिसमें भारत के 99.6% निर्यात शामिल है। यूरोपीय

मुक्त व्यापार संघ के बाजार पहुंच प्रस्ताव में 100% गैर-कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद (PAP) पर शुल्क रियायत शामिल है।

✓ भारत अपनी 82.7% टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है, जिसमें यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का 95.3% निर्यात शामिल है, जिसमें से 80% से अधिक हिस्सा सोने का आयात है।

✓ डेयरी, सोया, कोयला और संवेदनशील कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्रों को अपवर्जन सूची (Exclusion list) में रखा गया है।

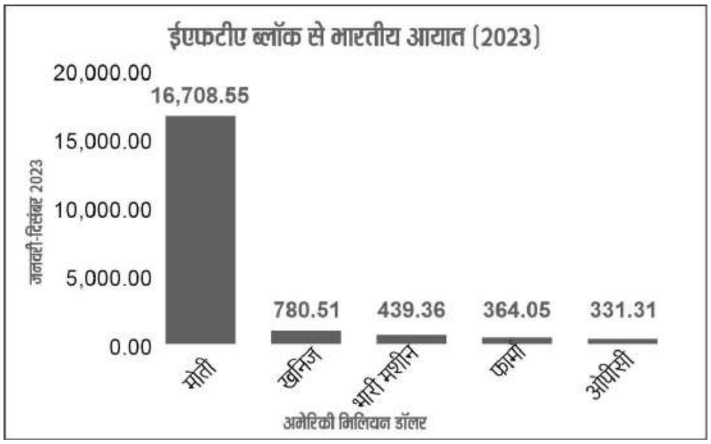

- **सेवाओं में व्यापार**
  ✓ भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में उदारीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
  ✓ नॉर्वे भारत से योग प्रशिक्षकों और पारंपरिक चिकित्सकीय पेशेवरों को पहुंच सुविधा प्रदान करता है।
  ✓ भारत अपने सेवा क्षेत्र, विशेषकर आईटी(IT), व्यवसाय और शिक्षा सेवाओं तक पहुंच सुविधा प्रदान करता है।
  ✓ इसमें नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट आदि जैसे पेशेवर सेवाओं की पारस्परिक मान्यता के प्रावधान शामिल हैं।

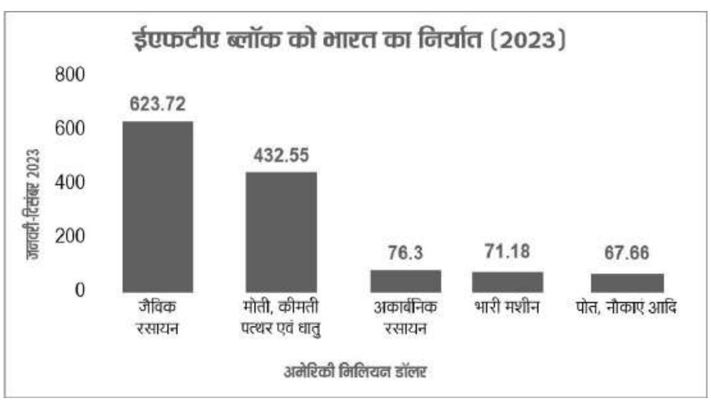

- **सतत विकास**
  ✓ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते में व्यापार और सतत विकास (TSD) पर एक अध्याय शामिल है जो पर्यावरण और श्रम पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, यह भारत की तरफ से किसी भी मुक्त व्यापार समझौते में पहली बार शामिल किया गया है।

- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)**
  ✓ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित प्रतिबद्धताएं ट्रिप्स (TRIPS) स्तर की हैं। जेनेरिक दवाओं को लेकर भारत के हितों और पेटेंट की एवरग्रीनिंग संबंधी चिंताओं का TEPA में पूरी तरह से ध्यान रखा गया है।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ भारत का व्यापारिक संबंध

- वर्ष 2023 में, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ और भारत का वस्तु व्यापार (मर्चेंडाइज़ ट्रेड) 22.33 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने मुख्य रूप से कार्बनिक रसायनों (33.2%) का आयात किया, जबकि भारत को प्राकृतिक मोती, कीमती धातुओं (81.7%) और खनिज ईंधनों (3.8%) का निर्यात किया।
- यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ को भारत का निर्यात 1.9 बिलियन डॉलर था (जो वर्ष 2022 में 1.8 बिलियन डॉलर से अधिक था), जबकि आयात कुल 20.45 बिलियन डॉलर था (जो वर्ष 2022 में 17.32 बिलियन डॉलर से अधिक था)।

स्विट्ज़रलैंड	• यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ब्लॉक में यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, इसके बाद नॉर्वे है। • पिछले वित्तीय वर्ष में भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार 17.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर (1.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात और 15.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात) रहा। • वर्ष 2022-23 में स्विट्ज़रलैंड के साथ भारत का व्यापारिक घाटा 14.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। • स्विट्ज़रलैंड से भारत को मुख्य आयात में सोना, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, कोकिंग और स्टीम कोयला आदि शामिल हैं। • भारत से प्रमुख निर्यातों में रसायन, रत्न, आभूषण आदि शामिल हैं। • भारत एशिया में इसका चौथा सबसे बड़ा और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
नॉर्वे	• वर्ष 2022-23 में भारत और नॉर्वे के बीच कुल व्यापार 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। • नॉर्वेजियन सॉवरेन वेल्थ फंड संभवतः भारत के सबसे बड़े एकल विदेशी निवेशकों (लगभग 17.6 बिलियन डॉलर) में से एक है। • नॉर्वे से 721.52 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्रवाह। • न्यू क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में 700 करोड़ रुपये (974 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर) का निवेश किया है।
आइसलैंड	• पिछले 27 वर्षों के दौरान, भारत को आइसलैंड का निर्यात 6.38% की वार्षिक दर से बढ़ा है, जो वर्ष 1995 में 891 हजार डॉलर से बढ़कर वर्ष 2022 में 4.74 मिलियन डॉलर हो गया है। • आइसलैंड से 29.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्रवाह रहा।
लिकटेंस्टाइन	• भारत के निर्यात में कांच और कांच के बर्तन, पत्थर की वस्तुएं, प्लास्टर आदि शामिल हैं। • भारत के आयात में यांत्रिक उपकरण और उनके हिस्से, विद्युत मशीनरी और उपकरण आदि शामिल हैं। • लिकटेंस्टीन से 105.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्रवाह रहा।

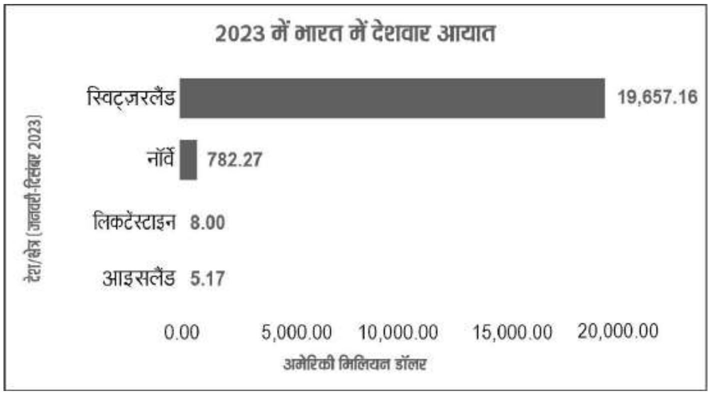

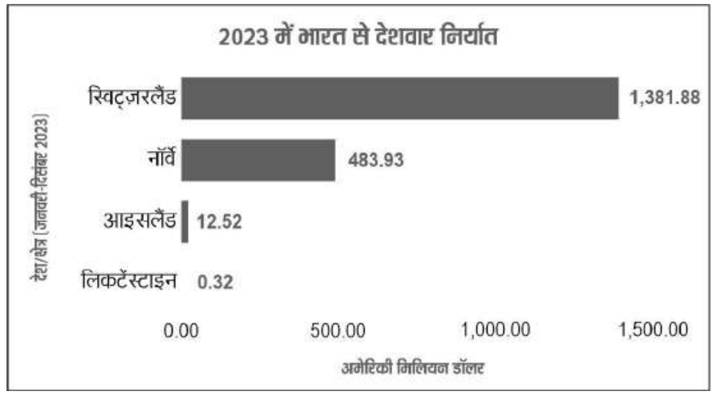

भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार समझौता के महत्वपूर्ण होने की वजह

- मुक्त व्यापार समझौते के इतिहास में पहली बार, लक्ष्योन्मुख निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता की जा रही है।
- आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड की संयुक्त आबादी 14 मिलियन से कम है। लेकिन व्यापार के आंकड़ों के लिहाज से इनका काफी महत्व है।
  - ✓ वर्ष 2021 में, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ वस्तु व्यापार में विश्व का **दसवां और सेवाओं के व्यापार में आठवां सबसे बड़ा व्यापारिक संघ था।**
- **"चाइना प्लस वन" रणनीति के साथ संरेखण**
  - ✓ यह समझौता चीन से परे व्यापार भागीदारों में विविधता लाने की भारत की रणनीति का समर्थन करता है।
  - ✓ यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ देशों को चीन से दूर आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन करने और भारत के निवेश अवसरों का उपयोग करने से भी लाभ होगा।
- **भारत में एफडीआई को बढ़ावा**
  - ✓ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों से महत्वपूर्ण निवेश प्राप्त होने की उम्मीद है, जिसमें नॉर्वेजियन सॉवरेन वेल्थ फंड और स्विस संस्थाओं जैसे प्रतिष्ठित निवेशक भी शामिल हैं।
- **चीन से आयात विविधीकरण बढ़ाना**
  - ✓ स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद, भारत अपने आयात में और भी अधिक विविधता लाना चाहता है, खासकर चीन से।
  - ✓ संयुक्त उद्यमों में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की रुचि भारत को चीन से आयात पर निर्भरता कम करने का अवसर प्रदान करती है, विशेष रूप से चिकित्सा उपकरणों और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में।
- **यह विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करके "मेक इन इंडिया" और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा।**
  - ✓ यह भारतीय कंपनियों को स्विट्जरलैंड के माध्यम से यूरोपीय संघ के बाजारों में विस्तार करने का अवसर प्रदान करती है।

भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ मुक्त व्यापार समझौते में चुनौतियाँ

- **बाज़ार पहुंच बढ़ाने की कम गुंजाइश:** यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ब्लॉक में शुल्क पहले से ही शून्य या बहुत कम हैं; इस प्रकार, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते का ब्लॉक को निर्यात किए जाने वाले भारत के सामान पर न्यूनतम प्रभाव पड़ सकता है।
- **भारी व्यापार घाटा:** वर्ष 2023 में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ भारत का व्यापार घाटा 18.58 बिलियन डॉलर था, जो भारत में ब्लॉक के लिए बाजार पहुंच में वृद्धि के कारण अधिक बढ़ सकता है।
- **आर्थिक असमानताएँ:** भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ देशों के बीच प्रति व्यक्ति आय में बड़े अंतर को लेकर भारत चिंतित है। इससे भारतीय उद्योगों (विशेषकर मत्स्य पालन) को नुकसान हो सकता है, जहां यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सुव्यवस्थित तरीके से वित्तपोषित उद्योग की तुलना में भारत में कई छोटे पैमाने के मछुआरे हैं।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार:** फार्मास्यूटिकल्स के लिए डेटा विशिष्टता एक प्रमुख बाधा है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ भारतीय जेनेरिक दवा कंपनियों को एक निश्चित अवधि के लिए मूल आविष्कारकों के डेटा का उपयोग करने से रोकना चाहता है। इससे भारत के लिए सस्ती जेनेरिक दवाएं बनाना कठिन हो जाएगा।

आगे की राह

- **बाजार पहुंच की समस्या को हल करना:** कम शुल्क के बावजूद, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ देशों में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गैर-टैरिफ बाधाओं और नियामक सामंजस्य को हटाकर बाजार पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- **व्यापारिक घाटे को कम करना:** भारतीय निर्यात को बढ़ावा देकर और उन क्षेत्रों में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ देशों से निवेश को आकर्षित करके व्यापार को संतुलित करने वाले उपायों को लागू करना चाहिए जहां भारत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ रखता है।
- **आर्थिक असमानताओं को कम करना:** मत्स्य पालन जैसे कमजोर क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए लक्षित नीतियां विकसित करना, यह सुनिश्चित करना कि वे समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के अच्छी तरह से वित्तपोषित उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।
- **बौद्धिक संपदा अधिकारों पर बातचीत करना:** बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण खोजने हेतु यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ रचनात्मक बातचीत करनी चाहिए, जिसमें यह सुनिश्चित रहे कि सस्ती जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करने की भारत की क्षमता से समझौता नहीं किया जाएगा।

2.3. भारत-मालदीव संबंध

संदर्भ

हाल ही में, मालदीव ने भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने का आदेश देने के बाद चीन के साथ एक "सैन्य सहायता" समझौते पर हस्ताक्षर किए।

अन्य संबंधित जानकारी

- इस समझौते के तहत, मालदीव को चीन की सेना से मालदीव की सेना के लिए मुफ्त "गैर-घातक" सैन्य उपकरण और प्रशिक्षण मिलेगा।
- यह पहली बार है जब मालदीव ने सैन्य सहयोग के लिए चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि इससे पूर्व चीन विशेष रूप से मालदीव के शहरी और आर्थिक विकास के लिए सहायता देने हेतु जाना जाता था।
- मालदीव और चीन के बीच सैन्य संबंधों में यह बढ़ोतरी मालदीव और भारत के बीच तनावपूर्ण संबंधो की पृष्ठभूमि में आया है, जब मालदीव के नये राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सैनिकों को 10 मई तक मालदीव छोड़ने का आदेश दिया है।
- हाल ही में, भारत द्वारा उपहार में दिए गए हेलीकॉप्टर का संचालन करने वाले भारतीय सैन्य कर्मियों का पहला ग्रुप मालदीव में भारतीय नागरिक चालक दल को हेलीकॉप्टर का संचालन सौंपने के बाद द्वीप राष्ट्र से रवाना हुआ।

भारत-मालदीव संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

01

भारत और मालदीव जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक सम्बन्धों को साझा करते हैं। भारत वर्ष 1965 में मालदीव की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता देने और देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।

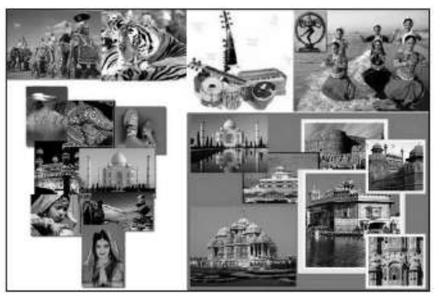

03

मिनिकॉय द्वीप पर मालदीव के दावे का समाधान दोनों देशों के बीच **वर्ष 1976 की समुद्री सीमा संधि द्वारा किया गया, जिसके तहत मालदीव ने मिनिकॉय को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी।**

02

मालदीव में भारत की रणनीतिक भूमिका के महत्व को मान्यता मिली हुई है, साथ ही भारत को एक वास्तविक सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा मालदीव सरकार की घोषित नीति 'इंडिया फर्स्ट' रही है।

04

वर्ष 1988 के तख्तापलट के प्रयास के दौरान भारत की त्वरित सहायता (ऑपरेशन कैक्टस) से मालदीव के साथ दीर्घकालिक विश्वासपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों का विकास हुआ।

सहयोग के क्षेत्र

आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध	• पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था (जीडीपी का 75%) की रीढ़ है। वर्ष 2023 में मालदीव जाने वाले पर्यटकों में सर्वाधिक संख्या भारतीय पर्यटकों की थी। • भारत और मालदीव ने वर्ष 1981 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान करता है। • वर्ष 2021 में भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया, वर्ष 2021 में द्विपक्षीय व्यापार पहली बार 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। • वर्ष 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच एक द्विपक्षीय **यू एस डी मुद्रा विनिमय समझौता (USD करेंसी स्वैप एग्रीमेंट)** किया गया था।
सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग	• रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए वर्ष 2016 में रक्षा हेतु एक व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे। • भारत, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) की लगभग 70% प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। • भारत और मालदीव के बीच रक्षा सहयोग एकुवेरिन, दोस्ती, एकता (E katha) और ऑपरेशन शील्ड जैसे संयुक्त अभ्यासों तक विस्तृत है। • रक्षा सचिव के स्तर पर वार्षिक रक्षा सहयोग वार्ता (DCD) की शुरुआत जुलाई 2016 में हुई थी। 14 फरवरी, 2022 को माले में रक्षा सहयोग वार्ता के तीसरे सत्र का आयोजन हुआ था। • हाल ही में, मई 2023 में, भारत के रक्षा मंत्री द्वारा उथुरु थिला फाल्हू (UTF) एटोल के सिफावारु में 'एकता हार्बर' नामक एक नौसैनिक गोदी(डार्कयार्ड) के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। • यह परियोजना मालदीव में सबसे बड़ी भारतीय अनुदान सहायता परियोजनाओं में से एक है।

विकास सहयोग	• भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत, हनीमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास परियोजना चल रही है। इसका लक्ष्य सालाना 1.3 मिलियन यात्रियों को समायोजित करने के लिए एक नया टर्मिनल बनाना है। • भारत के विदेश मंत्री ने वर्ष 2022 में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट (NCPLE) का उद्घाटन किया। • **ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट** में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हुए माले और पड़ोसी द्वीपों के बीच 6.74 किमी लंबे पुल और कॉज़वे लिंक का निर्माण शामिल है। • भारत से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन (LOC) द्वारा वित्त पोषित, यह परियोजना मालदीव में सबसे बड़ी परियोजना है। • भीड़भाड़ वाले माले कमर्शियल हार्बर और वेयरहाउसिंग को माले से गुलहिफाल्हू द्वीप (जो ग्रेटर माले क्षेत्र में है) में स्थानांतरित करने के लिए गुलहिफाल्हू बंदरगाह परियोजना में सहायता।
मानवीय सहयोग	• वर्ष 2004 की सुनामी और वर्ष 2014 में माले में जल संकट के दौरान मालदीव की सहायता सर्वप्रथम भारत ने की थी। • भारत ने मालदीव में खसरे के प्रकोप को रोकने के लिए जनवरी 2020 में खसरे के टीके की 30,000 खुराक भेजने के लिए शीघ्रता से कार्य किया। • कोविड-19 महामारी के दौरान मालदीव को भारत की त्वरित और व्यापक सहायता ने भारत की पहली सहायक प्रतिक्रिया (प्रथम सहयोगकर्ता) देने वाले देश के रूप में विश्वसनीयता को और मजबूत किया।
समुदायिक और सांस्कृतिक सहयोग	• लगभग 26,000 की संख्या के साथ भारतीय समुदाय मालदीव में दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। • देश के लगभग 400 डॉक्टरों में से 125 से अधिक भारतीय हैं। इसी तरह, मालदीव में लगभग 25% शिक्षक भारतीय हैं। • तीन ऐतिहासिक मस्जिदों (शुक्रवार मस्जिद और धारुमवंथा रासगेफानु मस्जिद - माले', फेनफुशी मस्जिद - दक्षिण अरी एटोल) को भारतीय विशेषज्ञों द्वारा सफलतापूर्वक पुनरुद्धार किया गया था। • मालदीव में हिंदी व्यावसायिक फिल्में, टीवी धारावाहिक और संगीत बेहद लोकप्रिय हैं।

मालदीव का सामरिक महत्व

- भौगोलिक दृष्टि से, मालदीव मिनिकॉय से लगभग 70 समुद्री मील और भारत के पश्चिमी तट (जो भौगोलिक रूप से इसे हिंद महासागर में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के केंद्र में है) से 300 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है।
- मालदीव भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख रणनीति में महत्त्व रखता है, जिसमें चीन की "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" का मुकाबला करने के लिए भारत की "डायमंड नेकलेस रणनीति" को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है|
- मालदीव और भारत के हित कई मोर्चों पर समान हैं, जिनमें संचार के समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना, समुद्री डकैती और समुद्र आधारित आतंकवाद का मुकाबला करना, हिंद महासागर को संघर्ष-मुक्त क्षेत्र के रूप में बनाए रखना और नीली अर्थव्यवस्था और व्यापार को बढ़ावा देना शामिल है।

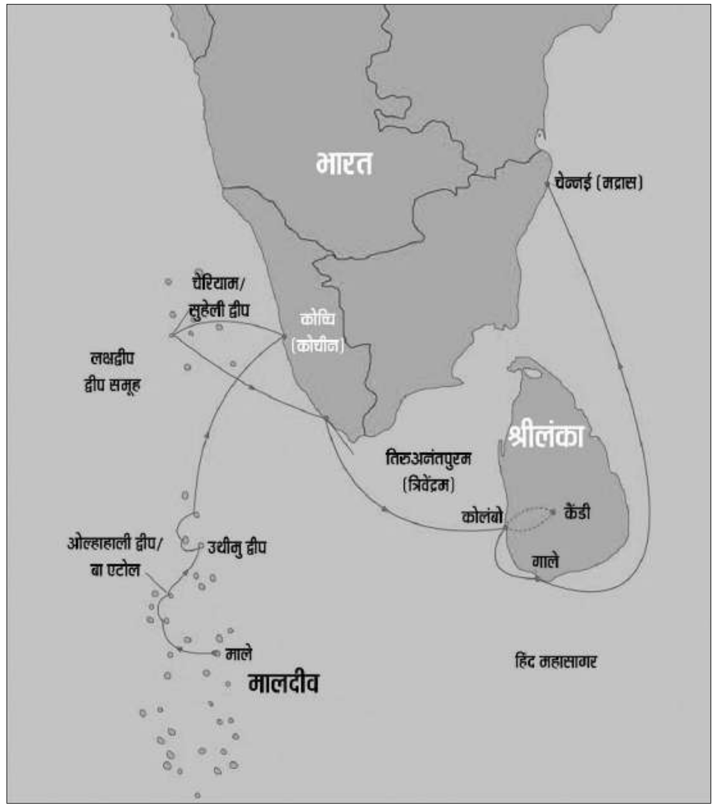

भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंधों के समक्ष चुनौतियाँ

- चीनी प्रभाव में वृद्धि:
  - ✓ नवंबर 2023 में डॉ. मोहम्मद मुइज्जू के सत्ता संभालने के बाद से भारत-मालदीव संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। चीन समर्थक माने जाने वाले मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति ने भारतीय सैन्य कर्मियों को देश से हटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।
  - ✓ **वर्ष 2017 में चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** में शामिल होने के मालदीव के निर्णय के बाद भारत-मालदीव संबंधों को झटका लगा।
  - ✓ मालदीव ने महत्वपूर्ण चीनी निवेश को आकर्षित किया है तथा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) में शामिल हो गया है। चीन ने अपनी "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" रणनीति के तहत मालदीव में कई प्रमुख परियोजनाओं (जैसे- सिनामाले ब्रिज) को वित्तपोषित किया है।
    - ▪ दोनों देशों ने हाल ही में अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी तक बढ़ाया है।
- इंडिया आउट अभियान:
  - ✓ इस अभियान का नेतृत्व अब्दुल्ला यामीन कर रहे हैं और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुइज्जू इसका समर्थन कर रहे हैं।
  - ✓ इसका उद्देश्य मालदीव में भारत के निवेश, रक्षा साझेदारी और सुरक्षा प्रदाता के रूप में इसकी भूमिका के प्रति संदेह पैदा करना है।
  - ✓ इसने मालदीव की पिछली सरकार पर अपनी धरती पर भारतीय सैन्य उपस्थिति की अनुमति देकर देश की संप्रभुता से समझौता करने का आरोप लगाया।

- **कट्टरवाद में वृद्धि**
  - ✓ बढ़ते कट्टरपंथ के परिणामस्वरूप इस्लामिक स्टेट (IS) जैसे आतंकवादी समूहों में शामिल होने वाले मालदीव के लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा के समक्ष बड़ा खतरा है।
  - ✓ राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक-आर्थिक अनिश्चितता मालदीव में कट्टरवाद के विकास में योगदान करती है। यह सुदूर मालदीव के द्वीपों को भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किए जाने की संभावना के बारे में चिंता पैदा करता है।

आगे की राह

- **सहभागिता में वृद्धि:** भारत तत्काल पारस्परिकता की अपेक्षा किए बिना आर्थिक और विकासात्मक सहायता प्रदान करके मालदीव में अपनी राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी को मजबूत कर सकता है, जिससे आपसी संबंध मजबूत हो सकते हैं।
- **विश्वास निर्माण:** सद्भावना और समझ को बढ़ावा देने के लिए मानवीय और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखते हुए सैन्य मौजूदगी को वापस लेकर किसी भी विश्वास की कमी को दूर करने के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए|
- **संप्रभुता का सम्मान:** मालदीव के अपनी विदेश नीति संचालित करने के अधिकार को मान्यता देनी चाहिए। दीर्घकालिक साझेदारी के लिए विश्वास और आपसी सम्मान को बनाये रखने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- **चीन के प्रभाव का मुकाबला:** भारत को मालदीव में चल रही विकासात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाकर चीन के बढ़ते प्रभाव का सक्रिय रूप से मुकाबला करना चाहिए।
  - ✓ मालदीव में **"भारत-प्रथम"** नीति को फिर से स्थापित करने के लिए विश्वास-निर्माण के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए।
- **कट्टरपंथ का मुकाबला:** मालदीव में भारत की उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICPs) को कट्टरपंथ के जोखिम को कम करने के लिए युवा रोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाली पहलों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

2.4. गर्भपात के अधिकार की संवैधानिक गारंटी

संदर्भ

हाल ही में, फ्रांस स्पष्ट रुप से संवैधानिक अधिकार के रूप में गर्भपात की गारंटी देने वाला विश्व का एकमात्र देश बन गया है।

अन्य संबंधित जानकारी

- फ्रांस की संसद ने संविधान में गर्भपात के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले एक विधेयक को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी, जिससे यह स्पष्ट रूप से एक महिला को स्वेच्छा से अपने गर्भ को समाप्त करने के संवैधानिक अधिकार की गारंटी देने वाला एकमात्र देश बन गया।
- वर्ष 1975 से फ्रांस मे वैध होने के बावजूद, गर्भपात को अब महिलाओं के लिए गारंटीकृत स्वतंत्रता के रूप में मान्यता मिल गई।
- हाल के वर्षों में, अमेरिका में सामने आए गर्भपात अधिकारों के वापसी से संबंधित प्रयासों को रोकने के लिए एक तरीकें के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन द्वारा ऐतिहासिक कदम प्रस्तावित किया गया था।
  - ✓ जून 2022 में, अमेरिका के उच्चतम न्यायालय में **डॉब्स बनाम जैक्सन वूमन्स हेल्थ ऑर्गनाइजेशन** के फैसले ने 50 साल पुराने **रो बनाम वेड (1973) के फैसले को पलट दिया**, जिसने अमेरिका में महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया था।
- **फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34** में संशोधन स्पष्ट रूप से महिलाओं की स्वेच्छा से गर्भधारण को समाप्त करने की स्वतंत्रता का उल्लेख

करता है। यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य की सरकारें गर्भावस्था के पहले 14 सप्ताह के भीतर गर्भपात की अनुमति देने वाले मौजूदा कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं कर सकेंगी।

- संविधान में गर्भपात का अधिकार जोड़े जाने से, फ्रांस में महिलाओं के स्वेच्छा से गर्भावस्था समाप्त करने वाले अधिकार को समाप्त या संशोधित करना बहुत कठिन हो जाएगा क्योंकि फ्रांसीसी संविधान अपेक्षाकृत कठोर है।
  - ✓ वर्ष 1958 में अपनाए जाने के बाद से फ्रांसीसी संविधान को केवल 17 बार संशोधित किया गया है।
- एक प्रमुख कानून निर्माता और नारीवादी **सिमोन वेइल** (जिन्होंने वर्ष 1975 में फ्रांस में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले विधेयक का समर्थन किया था) को भी श्रद्धांजलि दी गई।

भारत में गर्भपात कानून

गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन (MTP) अधिनियम,1971

- वर्ष 1971 में एमटीपी अधिनियम की शुरूआत के साथ भारत में गर्भपात वैध हो गया।
- मूल विधि के अनुसार, 12 सप्ताह तक के चिकित्सीय गर्भपात हेतु **एक डॉक्टर** की मंजूरी लेनी जरूरी थी तथा 12 से 20 सप्ताह के बीच गर्भपात हेतु पर **दो डॉक्टरों** की मंजूरी की जरूरी होती थी।

गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रमुख प्रावधान

- **गर्भकालीन सीमा में वृद्धि:** विशिष्ट परिस्थितियों में चिकित्सकीय गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है।
- **अनुमोदन प्रक्रिया:**
  - ✓ 20 सप्ताह तक: **एक योग्य चिकित्सा पेशेवर की राय** पर्याप्त है।
  - ✓ 20 से 24 सप्ताह तक: **दो पंजीकृत चिकित्सा पेशेवरों की राय** आवश्यक है। हालाँकि, 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण की समाप्ति केवल निम्न विशेष श्रेणी की महिलाओं पर लागू होगी:
    - ▪ गर्भावस्था जारी रखनें से महिला के जीवन पर संकट
    - ▪ गर्भावस्था जारी रखने से महिला को गंभीर शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य जोखिम।
    - ▪ महिला निम्न हो
      - ♦ यौन उत्पीड़न, बलात्कार, या व्यभिचार से पीड़ित
      - ♦ अवयस्क पीड़िता
    - ▪ गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति मे परिवर्तन होना जैसे- विधवा या तलाक होना
    - ▪ बड़ी शारीरिक अक्षमताओं या मानसिक बीमारी से पीड़ित महिला
- **24 सप्ताह के बाद गर्भपात:** एमटीपी अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में स्थापित **चार सदस्यीय चिकित्सा बोर्ड** की सिफारिश पर गंभीर भ्रूण असामान्यताओं के मामलों में इसकी अनुमति है।
- **अविवाहित महिलाएं और गर्भपात:** वर्ष 2021 का अधिनियम अविवाहित महिलाओं को गर्भ निरोधक विधियों या उपकरणों की विफलता की स्थिति में गर्भपात कराने की अनुमति देता है (पहले यह केवल विवाहित महिलाओं पर लागू होता था)। हालाँकि, नाबालिगों के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक है।
- **गोपनीयता अधिकार:** गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन (MTP) अधिनियम गर्भपात चाहने वाली महिलाओं की गोपनीयता की रक्षा करता है। चिकित्सा प्रदाता कानूनी अनुमति के बिना किसी महिला के विवरण का खुलासा नहीं कर सकते। उल्लंघनकर्ताओं को कारावास या जुर्माने या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिबंध) अधिनियम, 1994

- इसे कन्या भ्रूण हत्या रोकने और भारत में घटते लिंगानुपात को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- यह गर्भधारण से पूर्व या बाद में लिंग चयन तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है और लिंग-चयनात्मक गर्भपात के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकता है।

भारतीय दंड संहिता (IPC) धाराएँ

- **धारा 312:** यह धारा 'गर्भपात कराने' को अपराध मानती है यदि ऐसा गर्भपात महिला के जीवन को बचाने के लिए सद्भावना से नहीं किया गया हो। इसमें 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है।
- **धारा 313:** महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने पर प्रतिबंध, कठोर दंड (आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक) का प्रावधान।
- **धारा 316:** इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिससे गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाती है तो वह गैर इरादतन हत्या का दोषी होगा।

भारत में असुरक्षित गर्भपात से संबंधित चिंताएँ

- **असुरक्षित गर्भपात की वजह**
  - ✓ **विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 की स्थिति** के अनुसार, असुरक्षित गर्भपात भारत में **मातृ मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण** बना हुआ है और असुरक्षित गर्भपात से संबंधित कारणों से हर दिन लगभग 8 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है।
  - ✓ **कम गर्भनिरोधक अपनाना (स्वीकार्यता):** एनएफएचएस-5 के अनुसार, गर्भनिरोधक के सुरक्षित और आधुनिक तरीकों की अनुपलब्धता और असुरक्षित उपयोग के परिणामस्वरूप किशोर वय में अवांछित गर्भधारण होता है, जो अक्सर अनियोजित और असुरक्षित गर्भपात का कारण बनता है।
  - ✓ **सुरक्षित और किफायती गर्भपात सुविधाओं की सीमित उपलब्धता:** विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण मातृ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी महिलाओं को अप्रशिक्षित कर्मियों और झोलाछाप डॉक्टरों के हाथों गर्भपात कराने के लिए मजबूर करती है।
- **पुत्र को वरीयता**
  - ✓ पितृसत्तात्मक समाज में पुत्रों को अधिक प्राथमिकता दी जाती

है, जिसके कारण लिंग-चयनात्मक गर्भपात होते हैं। इससे देश के कुछ हिस्सों में लिंगानुपात में गिरावट आई है, जिसके दीर्घकालिक अवांछनीय सामाजिक और जनसांख्यिकीय परिणाम सामने आयेंगे।

- **व्यापक यौन शिक्षा का अभाव:**
  - ✓ गर्भनिरोधक, प्रजनन स्वास्थ्य और गर्भपात के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने के लिए स्कूलों और समुदायों में व्यापक यौन शिक्षा की आवश्यकता है। जागरूकता की कमी के कारण अक्सर अवांछित गर्भधारण और असुरक्षित गर्भपात होता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की कमी:**
  - ✓ विश्व स्तर पर सर्वाधिक संख्या में मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद, भारत को स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी का सामना करना पड़ता है।
  - ✓ **ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-22** के अनुसार, भारत में 83.2% सर्जनों, 74.2% प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों, 79.1% चिकित्सकों और 81.6% बाल रोग विशेषज्ञों की कमी है।

आगे की राह

- **गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 2021 का बेहतर कार्यान्वयन:** संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत प्रदान किए गए अपने शरीर पर महिलाओं के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने हेतु गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन अधिनियम में संशोधन को सही रूप में लागू करने की आवश्यकता है।
- **व्यापक यौन शिक्षा:** महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात के बारे में सटीक जानकारी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार यौन व्यवहार, गर्भनिरोधक उपयोग और प्रजनन अधिकारों की समझ को बढ़ावा देने हेतु स्कूल पाठ्यक्रम में व्यापक यौन शिक्षा को एकीकृत किया जाना चाहिए।
- **सेवाओं तक पहुंच:** सुरक्षित और किफायती गर्भपात सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने हेतु (विशेष रूप से ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में) प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की संख्या में विस्तार एवं अधिक गर्भपात क्लीनिकों तथा सुविधाओं की व्यवस्था और कम आय वाले लोगों के लिए सब्सिडी या वित्तीय सहायता जैसे उपाय किए जा सकते हैं।

2.5. भारत-भूटान

संदर्भ

हाल ही में, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे पांच दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे, इस वर्ष जनवरी में पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी।

अन्य संबंधित जानकारी

- दोनों पक्षों ने भूटान के युवाओं के कौशल और नेतृत्व विकास हेतु भूटान के राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम **(ग्यालसुंग)** के लिए भूटान की शाही सरकार को 1500 करोड़ रुपये के रियायती वित्तपोषण हेतु **समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर** किए।
- **भारत ने 13वीं पंचवर्षीय योजना** सहित भूटान की विकास योजनाओं के लिए निरंतर समर्थन का वादा किया।
- भारत के प्रधानमंत्री ने **गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी** से संबंधित भूटान के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की सराहना की।

भारत-भूटान द्विपक्षीय संबंध

ऐतिहासिक	• भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1968 में थिम्पू में एक रेसिडेंट रिप्रजेंटेटिव की नियुक्ति के साथ प्रारंभ हुए थे। • वर्ष 1968 से पहले संबंधों का प्रबंधन सिक्किम में राजनीतिक अधिकारी द्वारा किया जाता था। • भारत-भूटान संबंधों की आधारशिला वर्ष 1949 में हस्ताक्षरित मित्रता और सहयोग की संधि है, जिसे फरवरी 2007 में नवीनीकृत किया गया था।
राजनीतिक	• भूटान के महामहिम नरेश ने भारत का दौरा किया और पिछले बीस वर्षों में राष्ट्रपति भवन में रुकने वाले पहले विदेशी अतिथि बने। • अगस्त 2019 में, भारत के प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा ने चार महत्वपूर्ण द्विपक्षीय परियोजनाओं की शुरुआत की। ✓ इसमें 720 मेगावाट की मंगदेछू हाइड्रो परियोजना का शुभारंभ, दक्षिण एशियाई उपग्रह के उपयोग हेतु इसरो के ग्राउंड अर्थ स्टेशन की स्थापना, रुपे कार्ड की शुरुआत एवं भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और भूटान के अनुसंधान एवं शिक्षा नेटवर्क के बीच अंतरसंबंध का विस्तार शामिल है। • विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए चौथी भारत-भूटान विकास सहयोग वार्ता जनवरी 2023 में थिम्पू में आयोजित की गई थी।

आर्थिक	• व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर भारत-भूटान संधि (पहली बार वर्ष 1972 में हस्ताक्षरित और वर्ष 2016 में संशोधित) **एक मुक्त व्यापार व्यवस्था का** गठन करता है। • वर्ष 2014 के बाद से, भूटान के साथ भारत का व्यापार लगभग तीन गुना हो गया है, जो **वर्ष 2022-23 में 1606 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है और जो भूटान के कुल व्यापार का लगभग 73% है।** • भूटान के कुल एफडीआई (FDI) में भारत का हिस्सा 50% है, जो इसे देश में निवेश का प्रमुख स्रोत बनाता है। • भूटान, भारत के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रीय व्यापार पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जैसे- **दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA)** और **बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC)।** • **भारत कोकराझार से गेलेफू और बनारहाट से समत्से** तक रेल लिंक का निर्माण करेगा और क्षेत्र में हवाई परिवहन सुविधाओं के वृद्धि के लिए एक नये हवाई अड्डे का निर्माण करेगा।
रक्षा	• भारत बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान के साथ 'शांतिर ओग्रोशेना (शांति का अग्रदूत) नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेता है, जो पड़ोसी देशों के साथ इस तरह का पहला बहु-राष्ट्रीय अभ्यास है। • 2000 कर्मियों की एक मजबूत **भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (IMTRAT)** पश्चिमी भूटान में तैनात है, **जो रॉयल भूटान सेना को निरंतर प्रशिक्षण सहायता प्रदान करती है।** • भारत ने डोकलाम सीमा विवाद पर भूटान का समर्थन किया
जलविद्युत सहयोग	• भूटान, **भारत को जलविद्युत निर्यात करके महत्वपूर्ण राजस्व सृजित करता है।** • भूटान की चार परिचालित परियोजनाएं **भारत को 2136 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करती हैं।** • दो जल विद्युत परियोजनाएं 1200 मेगावाट पुनातसांगछू-I और 1020 मेगावाट पुनातसांगछू-II) कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
शैक्षणिक	• **भारत सरकार द्वारा** चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे विविध क्षेत्रों में भूटान के छात्रों के लिए **950 से अधिक वार्षिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।** • लगभग **4,000 भूटान के छात्र** भारतीय विश्वविद्यालयों में अपनी स्नातक की पढ़ाई स्व-वित्तपोषण द्वारा करते हैं। ✓ **नेहरू-वांगचुक छात्रवृत्ति योजना** (2010): इसके द्वारा भूटानी छात्रों और विद्वानों के लिए सालाना 8 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ✓ **नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने हेतु भूटानी छात्रों के लिए पांच वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।** ✓ **सेंट स्टीफेंस कॉलेज** में भूटानी छात्रों के लिए प्रतिवर्ष दो सीटें आरक्षित की गई हैं।
सांस्कृतिक और बौद्ध संबंध	• भूटानी तीर्थयात्री अक्सर भारत में बौद्ध स्थलों की यात्रा करते हैं, **जिनमें बोधगया, राजगीर, नालंदा, सिक्किम और उदयगिरि प्रमुख हैं।** • राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के सम्मान में, **भारत सरकार ने 18 लैम नीटेन्स (बौद्ध भिक्षुओं)** और भूटान के केंद्रीय मठ निकाय के प्रतिनिधियों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित यात्रा की सुविधा प्रदान गई।
भारतीय प्रवासी	• अनुमान है कि लगभग **50,000 भारतीय नागरिक भूटान में रहते हैं,** जो मुख्य रूप से थिम्पू, फुंटशोलिंग और गेलेफू जैसे शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं।

भारत और भूटान के बीच चुनौतियाँ

- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** भारत, भूटान में चीन के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को लेकर चिंतित है। मौजूदा सीमा विवाद और भूटान के राजनयिक रुख में संभावित बदलाव इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक प्रभाव के लिए चुनौतियां पैदा कर सकते हैं।
- **बुनियादी ढांचे के विकास की चुनौतियाँ:** भूटान के पर्वतीय भूआकृति और पर्यावरणीय चिंताए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में बाधाएँ पेश करते हैं, जिससे आर्थिक विकास की प्रक्रिया नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।
- **धारणा:** भूटान में भारत के कुछ परियोजना की शर्तों को लेकर चिंताएं हैं, जिन्हें भारत के लिए अत्यधिक लाभप्रद माना जाता है, जिससे इस क्षेत्र में भारत की मौजूदगी के प्रति जनता का विरोध बढ़ गया है।

- **सांस्कृतिक और सामाजिक अंतराल:** साझा सांस्कृतिक विरासत के बावजूद, भाषा, परंपराओं और राजनीतिक प्रणालियों में अंतराल भारत और भूटान के बीच गलतफहमी और बातचीत में ठहराव उत्पन्न कर सकता है।
- **पर्यावरणीय प्राथमिकताएँ: कार्बन-नकारात्मक राष्ट्र** होने के कारण, पर्यावरण संरक्षण के प्रति भूटान की प्रतिबद्धता **कभी-कभी भारत की विकास प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाती है।**

आगे की राह

- रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने से दोनों देश साझा सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और **आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अंतरराष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ सहयोग करने में सक्षम होंगे।**
- संयुक्त उद्यमों, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास (जो भूटान के पर्यावरण का ख्याल रखते हैं) के माध्यम से **आर्थिक सहयोग को और मजबूत** करना चाहिए।
- क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वार्तालाप के माध्यम से **सीमा समस्याओं को शांतिपूर्वक हल** करना चाहिए।
- साझा सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास और ज्ञान साझा करने के साथ **रक्षा सहयोग बढ़ाना** चाहिए।
- गहरी समझ और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक आदान-प्रदान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यटन के माध्यम से **लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा** देना चाहिए।

2.6. भारत-ब्राजील संबंध

संदर्भ

हाल ही में, भारत और ब्राज़ील ने नई दिल्ली में अपनी पहली **'2+2' रक्षा और विदेश मंत्रिस्तरीय वार्ता** सम्पन्न की।

अन्य संबंधित जानकारी

- इस वार्ता की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने की।
- ब्राज़ील के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्रालय के निदेशक और ब्राजील रक्षा मंत्रालय के रियर एडमिरल ने किया।
- वार्ता का लक्ष्य भारत और ब्राजील के बीच सहयोग विस्तार पर केन्द्रित रहा।
  - ✓ **फोकस क्षेत्र:** रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल), प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी, क्षेत्रीय मुद्दे, बहुपक्षीय सहयोग और अन्य पारस्परिक हित।

2+2 डायलॉग

- यह वार्ता का एक प्रारूप है जहां रक्षा और विदेश मंत्री या सचिव दूसरे देश के अपने समकक्ष पदधारकों से मिलते हैं।
- 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता दो देशों के बीच उच्चतम स्तरीय संस्थागत तंत्र है।
- वर्तमान में, भारत क्वाड (QUAD) के सभी तीन देशों (अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) के साथ-साथ रूस के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित करता है।
- हाल ही में, अक्टूबर 2023 में, भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त सचिव स्तर पर अपना पहला '2+2' विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित किया था।

द्विपक्षीय संबंध

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	• भारत और ब्राजील के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1948 में स्थापित हुए, उसी वर्ष दोनों देशों ने दूतावास खोले। • भारत का साओ पाउलो में एक महावाणिज्य दूतावास है, जबकि ब्राजील का मुंबई में एक महावाणिज्य दूतावास है। • भारत ने रियो डी जनेरियो में अपना दूतावास खोला, जिसे बाद में वर्ष 1971 में ब्रासीलिया में स्थानांतरित कर दिया गया।
राजनीतिक संबंध	• दोनों देश वर्ष 2006 से रणनीतिक भागीदार हैं। • विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए **रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक कार्य योजना** को अपनाया गया। • निवेश, साइबर सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को शामिल करने वाले **15 समझौता ज्ञापनों /समझौतों पर हस्ताक्षर** किए गए। • ब्राजील ने नवंबर 2022 में **भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष सत्र आयोजित किया,** जिसे भारत के विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री ने संबोधित किया।
आर्थिक सहयोग	• भारत ब्राज़ील का **5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** है। • पिछले 27 वर्षों के दौरान, ब्राज़ील को भारत का निर्यात 16.8% की वार्षिक दर से बढ़ा है, जो वर्ष 1995 में 147 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2022 में 9.78 बिलियन डॉलर हो गया है। • पिछले 27 वर्षों के दौरान, ब्राज़ील का निर्यात भारत में 11.2% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है, जो वर्ष 1995 में 366 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2022 में 6.43 बिलियन डॉलर हो गई है। • **ब्राज़ील में कुल भारतीय निवेश** 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। भारत में ब्राजीलियाई निवेश लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
रक्षा सहयोग	• वर्ष 2003 में रक्षा सहयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। • सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक संयुक्त रक्षा समिति (JDS) नियमित रुप से बैठक करती है। • ब्राजील ने भारत की अत्याधुनिक **सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली** हासिल करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। • **भारत फोर्ज जैसी** भारतीय कंपनियां ब्राजील के 155 मिमी हॉवित्जर तोपों की मांग को पूरा करने की दावेदार हैं।

सुरक्षा सहयोग	• 2006 में स्थापित रणनीतिक संवाद तंत्र क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करता है। • CERT-In और इसकी समकक्ष एजेंसी के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर वर्ष 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। • दोनों देश ब्रिक्स (BRICS) और इब्सा (IBSA) में साइबर मुद्दों पर भी सहयोग करते हैं।
अंतरिक्ष सहयोग	• दोनों देश भारतीय उपग्रहों के डेटा साझाकरण और उपग्रह निगरानी में सहयोग कर रहे हैं। • श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया- 1 का प्रक्षेपण किया गया।
ऊर्जा सहयोग	• भारत और ब्राजील बायो प्लेटफॉर्म जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से जैव-ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करते हैं। • भारत की 'राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति' और ब्राजील के 'रेनोवा बायो' कार्यक्रम के पेट्रोल और डीजल के साथ जैव ईंधन के वर्तमान मिश्रण प्रतिशत में वृद्धि से संबंधित कुछ साझा उद्देश्य हैं। • ब्राजील ने वर्ष 2019 में भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
सांस्कृतिक सहयोग	• ब्राजील में आने वाली पहली शास्त्रीय भारतीय कला भरतनाट्यम थी, उसके बाद ओडिसी, कथक और कुचिपुड़ी आई। • वर्ष 2020-2024 के लिए एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (CEP) पर वर्ष 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। • प्रोफेसर दिलीप लौंडो को भारतीय दर्शन और परंपराओं को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
प्रवासी	• ब्राजील में लगभग 4,000 भारतीय लोगों के निवास करने का अनुमान है, जिनमें से अधिकांश साओ पाउलो, रियो डी जनेरियो और मनौस में रहते हैं। • साओ पाउलो में एक भारतीय संघ मौजूद है, जो संभवतः सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोहों का आयोजन करता है।
बहुपक्षीय संस्थान	• दोनों देशों के सहयोग में ब्रिक्स (BRICS), बेसिक (BASIC), G-20, G-4, इब्सा (IBSA) और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आदि शामिल हैं। • इसके अतिरिक्त, दोनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, यूनेस्को और विपो (WIPO) जैसे बड़े बहुपक्षीय निकायों में साथ में बड़े पैमाने पर सहयोग करते हैं। • जून 2003 में, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों ने भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) संवाद मंच की शुरुआत की, जिसे आम तौर पर G-3 के नाम से जाना जाता है।

भारत के लिए ब्राजील का महत्व

- **महत्वपूर्ण खनिज भंडार:** ब्राज़ील भारत के बढ़ते तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों का एक प्रमुख भंडार प्रदान करता है, जिनमें लिथियम, नाइओबियम आदि शामिल हैं।
  - ✓ भारत अपनी **दुर्लभ मृदा तत्वों (REEs) की जरूरतों हेतु आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है।** ब्राज़ील के साथ एक मजबूत साझेदारी इन महत्वपूर्ण खनिजों की विश्वसनीय और दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित कर सकती है।
- **चीन के प्रभाव का मुकाबला:** ब्राजील के साथ संबंधों को मजबूत करके, भारत व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने हेतु रणनीतिक साझेदारी बना सकता है।
- **साझा हित और गठबंधन:** भारत और ब्राजील विभिन्न बहुपक्षीय मंचों के सदस्य हैं। ये मंच उन्हें जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यापार, सतत विकास और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार जैसे मुद्दों पर सहयोग करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
- **नई दिल्ली में 18वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन** में ब्राजील के राष्ट्रपति ने **2028-29 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** में एक गैर-स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी हेतु समर्थन व्यक्त किया।

भारत और ब्राज़ील के संबंधों के समक्ष चुनौतियाँ

- उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, ब्राज़ील के साथ भारत का व्यापार अभी भी लैटिन अमेरिका (**जो** इस क्षेत्र में **चीन के प्रभुत्व** की तुलना में स्वयं एक छोटा देश है) के साथ **इसके कुल व्यापार का एक छोटा सा हिस्सा है।**
- आलोचकों का तर्क है कि ब्रिक्स सदस्य देशों के मध्य एक सामंजस्यपूर्ण या एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव है|
- उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, **भारत और ब्राजील कभी-कभी वैश्विक मंचों पर संसाधनों और प्रभाव** के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे कभी-कभी राजनयिक तनाव पैदा हो जाता है।
- ब्राज़ील ने भारत की चीनी-संबंधी प्रथाओं (सब्सिडी) के बारे में विश्व व्यापार संगठन से शिकायत की क्योंकि उन्हें लगा कि इससे भारतीय गन्ना उत्पादकों को अनुचित लाभ मिलता है।
  - ✓ ब्राजील दुनिया में **गन्ना और इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक** है। यह इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी में अग्रणी है।

आगे की राह

- **प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर फोकस:** भारत और ब्राजील को व्यापार और निवेश को बढ़ाने हेतु फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव ईंधन और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करनी और प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **बाज़ार पहुंच को सुविधाजनक बनाना:** दोनों देशों को नियमों को सुव्यवस्थित करने और व्यापार बाधाओं को कम करने, आसान बाजार पहुंच की सुविधा प्रदान करने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करना चाहिए।
- **रक्षा सहयोग को प्रगाढ़ करना:** प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते और साइबर सुरक्षा पर सूचना साझा करना भारत और ब्राजील के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत कर सकता है।
- **महत्वपूर्ण मुद्दों को मिलकर सुलझाने का प्रयास:** महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने पर सहयोग एवं ब्रिक्स और इब्सा जैसे वैश्विक मंचों पर संयुक्त नेतृत्व जलवायु परिवर्तन और संसाधन सुरक्षा जैसी साझा चुनौतियों का समाधान कर सकता है।

3.1. महिलाएँ, व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट

संदर्भ

हाल ही में विश्व बैंक द्वारा **महिला, व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट जारी की गई।**

रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

- विश्व बैंक की यह रिपोर्ट 190 देशों में **महिलाओं के आर्थिक अवसरों को प्रभावित करने वाले कानूनों और विनियमों का विश्लेषण** करती है।
- रिपोर्ट उन चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है जो वैश्विक कार्यबल में महिलाओं के प्रवेश में बाधा हैं, जिससे उनकी, उनके परिवार और उनके समुदायों की समृद्धि में योगदान करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
- यह कानूनी ढांचे पर प्रदर्शन को मापने वाला एक नया सूचकांक प्रस्तुत करता है, **जिसमें 10 संकेतक शामिल हैं जिसे निम्नवत दिए गए चित्र में दर्शाया गया है:**

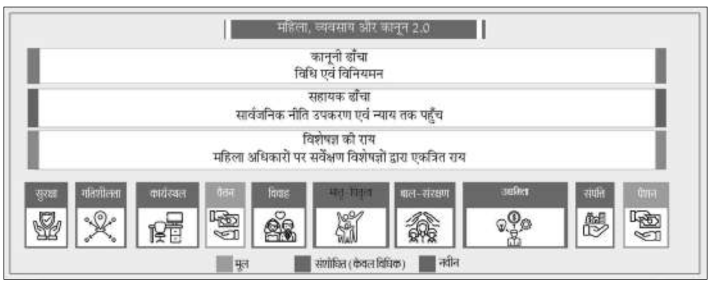

- रिपोर्ट वैश्विक असमानता की ओर ध्यान आकर्षित करती है, जिसमें पुरुषों को मिलने वाले कानूनी संरक्षण का केवल 64% तक ही महिलाओं को मिल पाता है।
- रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि कार्यबल और व्यवसाय में महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं को समाप्त करने से **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 20% से अधिक की वृद्धि** हो सकती है।
- विश्व बैंक के अनुसार, यह संभावित आर्थिक प्रोत्साहन आगामी दशक में वैश्विक संवृद्धि दर को दोगुना कर सकता है।

भारत की स्थिति

- नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं सहित कोई भी देश महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित नहीं करता है।
- भारत ने **74.4% स्कोर** के साथ रैंक में मामूली सुधार करते हुए 113वां स्थान प्राप्त किया है, लेकिन इसका स्थान वर्ष 2021 के 122 से गिरकर वर्ष 2022 में 125 हो गया और वर्ष 2023 के सूचकांक में 126 हो गया।
- भारतीय महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में **60% कानूनी अधिकार हैं, जो वैश्विक औसत 64.2% से थोड़ा कम** है।
- चुनौतियों के बावजूद, भारत ने अपने दक्षिण एशियाई देशों/समकक्षों (जहां महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल 45.9% कानूनी संरक्षण प्राप्त है) से बेहतर प्रदर्शन किया।
- भारत को महिलाओं की आवाजाही की स्वतंत्रता और विवाह से संबंधित बाधाओं के संकेतक में पूर्ण अंक प्राप्त हुए, जो इन पहलुओं में अपेक्षाकृत सकारात्मक स्थिति को दर्शाता है।
- महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानूनों का मूल्यांकन करने वाले संकेतक में भारत को प्राप्त सबसे कम अंकों वाले संकेतकों में एक है।
- आवश्यक सहायक ढांचे का केवल 54.2% ही देश में स्थापित किया गया था, हालांकि इस संबंध में वैश्विक भार बहुत कम (39.5%) था।

महिलाओं को कम कानूनी अधिकार प्राप्त होने की वजह

- **व्यक्तिगत कानून:** भारत में विभिन्न धर्मों के अपने-अपने उत्तराधिकार और संपत्ति कानून हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की संपत्ति आमतौर पर बेटों को विरासत में मिलती है, जिससे बेटियों के अधिकार सीमित हो जाते हैं।
- **पितृसत्तात्मक व्यवस्था:** पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं अक्सर पुरुषों को प्राथमिकता देती हैं, जिससे महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति और निर्णय लेने की शक्ति तक पहुंच सीमित हो जाती है।
- **कमजोर प्रवर्तन:** महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका, जिससे भेदभाव जारी रहा।
- **कानूनी ढाँचे में खामियाँ:** मौजूदा कानूनी ढाँचे में कमी या खामियाँ हो सकती हैं जिससे असमानताएँ बढ़ती हैं। जैसे- बाल विवाह निषेध अधिनियम बाल विवाह को शून्य घोषित नहीं करता है, जिससे लड़कियों के अधिकार प्रभावित होते हैं।
- **विधायी प्रतिनिधित्व की कमी:** पर्याप्त प्रतिनिधित्व के अभाव के परिणामस्वरूप कानून-निर्माण में महिलाओं के दृष्टिकोण की कमी है; जैसे- भारत के 70 साल पुराने चुनावी इतिहास में महिला सांसदों ने कभी भी 15% का आंकड़ा पार नहीं किया है।

सरकार द्वारा किए गए प्रयास

- **नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023:** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई सीट आरक्षित करना।

- **सतत विकास लक्ष्य (SDG) लक्ष्य 5.5:** इसका उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है।
- **महिला-लक्षित योजनाएं:** इसमें प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, स्वधार गृह और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शामिल हैं।
- भारतीय संविधान विभिन्न अनुच्छेद (जैसे- अनुच्छेद 14, 15, 42) के माध्यम से महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर सुनिश्चत करते हैं और भेदभाव को समाप्त करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है।
- संविधान संशोधन (73वां और 74वां) राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करते हैं।
- महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए/लागू किए गए हैं, जिनमें घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम आदि शामिल हैं।

आगे की राह

- **व्यक्तिगत कानूनों में सामंजस्य स्थापित करना और वर्तमान कानून को मजबूत करना:** लड़कियों के लिए समान विरासत अधिकार, संपत्ति स्वामित्व और विवाह की न्यूनतम आयु सुनिश्चित करने के लिए सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों की समीक्षा और संशोधन करने की आवश्यकता है।
- **वेतन में समानता:** महिलाओं को वेतन में समानता प्रदान करने हेतु, देश समान कार्य के लिए समान वेतन अनिवार्य करने, महिलाओं को पुरुषों के समान रात में काम करने की अनुमति देने और महिलाओं को पुरुषों के साथ समान स्तर पर औद्योगिक नौकरियों में शामिल होने में सक्षम बनाने जैसे उपायों पर विचार कर सकता है।
- **कानून को मजबूत करना:** प्रभावी कार्यान्वयन और कठोर दंड सुनिश्चित करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम जैसे मौजूदा कानून को मजबूत करना चाहिए।
- **राष्ट्रीय अभियान:** नागरिकों को महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाना चाहिए।
- **सामुदायिक पहुँच:** लैंगिक समानता के बारे में समुदायों को शिक्षित करने और महिलाओं को उनके अधिकारों का दावा करने के लिए सशक्त बनाने हेतु ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
- **फास्ट-ट्रैक कोर्ट/न्यायालय:** लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव से संबंधित मामलों के लिए समर्पित फास्ट-ट्रैक कोर्ट/न्यायालय स्थापित की जाएं, जिससे महिलाओं के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सके।
- बहु-आयामी दृष्टिकोण के साथ इन कदमों को लागू करके, भारत महिलाओं के लिए अधिक कानूनी समानता हासिल करने की दिशा में काम कर सकता है और एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकता है जहां महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और सम्मान किया जाता हो।

3.2. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर एसबीआई की रिपोर्ट

संदर्भ

भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में महिला सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एक रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य अंश

- **महिला सशक्तीकरण**
  - ✓ **स्वयं सहायता समूहों के नेतृत्व में परिवर्तनकारी क्रांति:** लगभग 8.5 मिलियन स्वयं सहायता समूहों और 92.1 मिलियन सदस्यों के साथ, भारत में स्वयं सहायता समूह एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन ला रहे हैं।

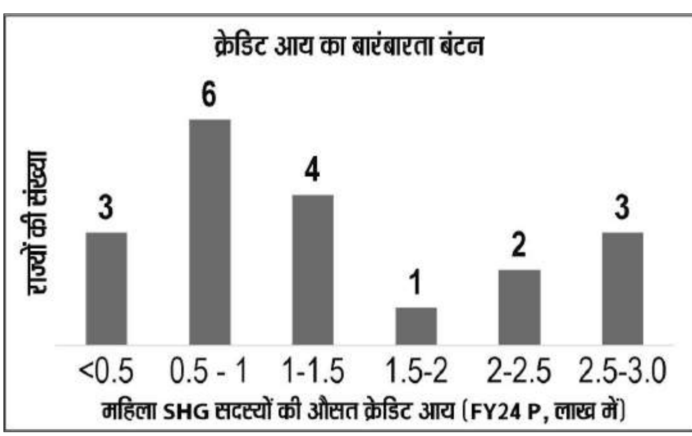

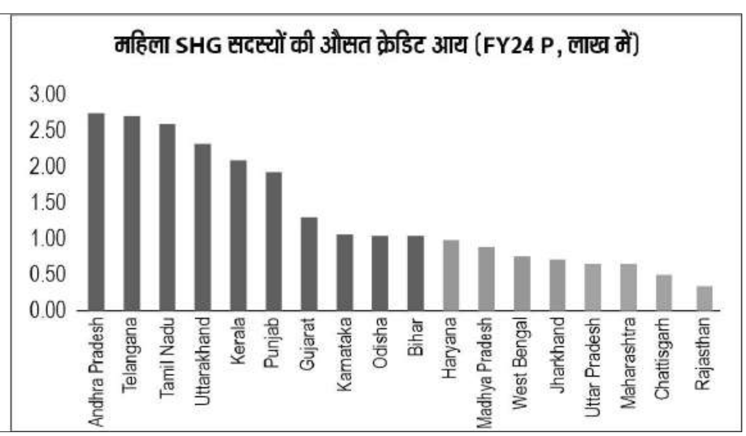

✓ **आर्थिक उत्पादन में बढ़ता योगदानः लखपति दीदियों** का उदय सकल मूल्य वर्धन (GVA) और समग्र आर्थिक उत्पादन में महिलाओं के बढ़ते योगदान को रेखांकित करता है।

- **वित्तीय समावेशन और ऋण पहुंचः**
  ✓ **SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम (SHG-BLP):** लगभग 97.5% स्वयं सहायता समूहों के पास अब बैंक खाते हैं, जो आर्थिक मूल्य वर्धन के लिए समय पर ऋण पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।
- **मजबूत बैंकिंग संबंधः** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) में 2 ट्रिलियन रुपये के करीब एसएचजी पोर्टफोलियो के साथ कम ब्याज दरों पर इष्टतम कोष एसएचजी को अपनी पूर्ण विपणन क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं।

लखपति दीदी पहल

घोषणा एवं उद्देश्य
- प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2023 में घोषित।
- **उद्देश्यः** महिलाओं को अपने गांवों के भीतर सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

प्रशिक्षण एवं लक्ष्य
- पहल के तहत दो करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- प्रति परिवार कम से कम 1 लाख रुपये की स्थायी वार्षिक आय प्राप्त करने हेतु स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना।

कार्यान्वयन दृष्टिकोण
- दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY–NRLM) द्वारा प्रबंधित।
- स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं को प्लंबिंग, एलईडी बल्ब बनाने, ड्रोन संचालन और मरम्मत, सिलाई और बुनाई सहित विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है।
- प्रशिक्षित महिलाओं को अर्जित कौशल का उपयोग करके आय अर्जित करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

ऋण उपयोग और वित्तीय स्थिरता

- **बढ़ी हुई क्रेडिट सीमाः** आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देते हुए, वित्त वर्ष 2019 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में स्वयं सहायता समूहों को स्वीकृत औसत सीमा मे 2.2 गुना की वृद्धि हुई है।
- **बेहतर पुनर्भुगतानः** विवेकपूर्ण और समय पर पुनर्भुगतान प्रथाओं का प्रदर्शन करते हुए, वित्त वर्ष 2019 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में औसत पुनर्भुगतान 3.9 गुना बढ़ गया है।
- **डिजिटल समावेशन**
- **बैंक मित्र और डिजिटल दीदीः** बैंक मित्र और डिजिटल दीदी जैसी पहल अभूतपूर्व रूप से वित्तीयकरण की सुविधा प्रदान कर रही हैं।
- **डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठानाः** सरस (SARAS) मेलों और अन्य पहलों को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर शामिल होने से और अधिक लाभ मिल सकता है, जिससे पहुंच और सुविधा में वृद्धि होगी।
- **आधार सक्षम भुगतान प्रणाली** के माध्यम से व्यय वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2024 में कम से कम 3 गुना बढ़ गया।

आय वृद्धि और राज्यवार प्रगति

- **आय में तिगुनी वृद्धिः** वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2024 के दौरान महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की आय तीन गुना हो गई है, शहरी सदस्यों की आय में 4.6 गुना की वृद्धि देखी गई है, जिससे आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा मिला है।
- **ग्रामीण समृद्धिः** लगभग 65% ग्रामीण स्वयं सहायता समूह सदस्यों ने वित्त वर्ष 2019 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में सापेक्ष आय में वृद्धि का अनुभव किया है, जो व्यापक आर्थिक प्रगति का संकेत देता है।
- **राज्य-वार प्रगतिः** आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्वयं सहायता समूहों में अग्रणी राज्य हैं, जबकि तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल, पंजाब और गुजरात जैसे अन्य राज्यों में भी महिला स्वयं सहायता समूहों के आय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
- **भविष्य का दृष्टिकोणः** वित्त वर्ष 2027 तक, भारत के लगभग हर राज्य में लाखों लखपति दीदियाँ होने की उम्मीद है, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

भारत में स्वयं सहायता समूह

- अवधारणा
  ✓ स्वयं सहायता समूह आम तौर पर समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के अनौपचारिक संघ होते हैं जो स्वयं सहायता और सामूहिक गतिविधि हेतु एक साथ आते हैं।
  ✓ अल्प विकास और गरीबी, ऋण तक पहुंच की कमी इत्यादि सामाजिक मुद्दों जैसी आम चुनौतियों से निपटने पर ध्यान देना।
  ✓ यह अवधारणा प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस और बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के श्रेष्ठ कार्यों से ली गई है।
- कार्य
  ✓ **बचत और सूक्ष्म वित्तः** सदस्य अपनी बचत जमा करते हैं और विभिन्न जरूरतों हेतु एक-दूसरे को छोटे ऋण प्रदान करते हैं।
  ✓ **आय सृजनः** स्वयं सहायता समूह हस्तशिल्प उत्पादन, पशुपालन या छोटे व्यवसायों जैसी आय-सृजन गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं।
  ✓ **सामाजिक सशक्तीकरण :** समूह स्वास्थ्य, शिक्षा और घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और जागरूकता का प्रचार करते हैं।
- प्रभाव
  ✓ भारत को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े माइक्रोफाइनेंस (लघु वित्त) कार्यक्रम वाला देश होने का गौरव प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह भारत में गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तीकरण के लिए एक प्रभावी साधन रहे हैं।
  ✓ बैंकिंग सुविधा से वंचित आबादी तक ऋण पहुंच प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा। स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज परियोजना ने लाखों परिवारों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है।
  ✓ सामाजिक परिवर्तन और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देते हुए सदस्यों के लिए एक सहायक नेटवर्क बना।
  ✓ भारत में 12 मिलियन से अधिक स्वयं सहायता समूह मौजूद हैं, जिनमें से अधिकांश का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किए जाते हैं [आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23]।

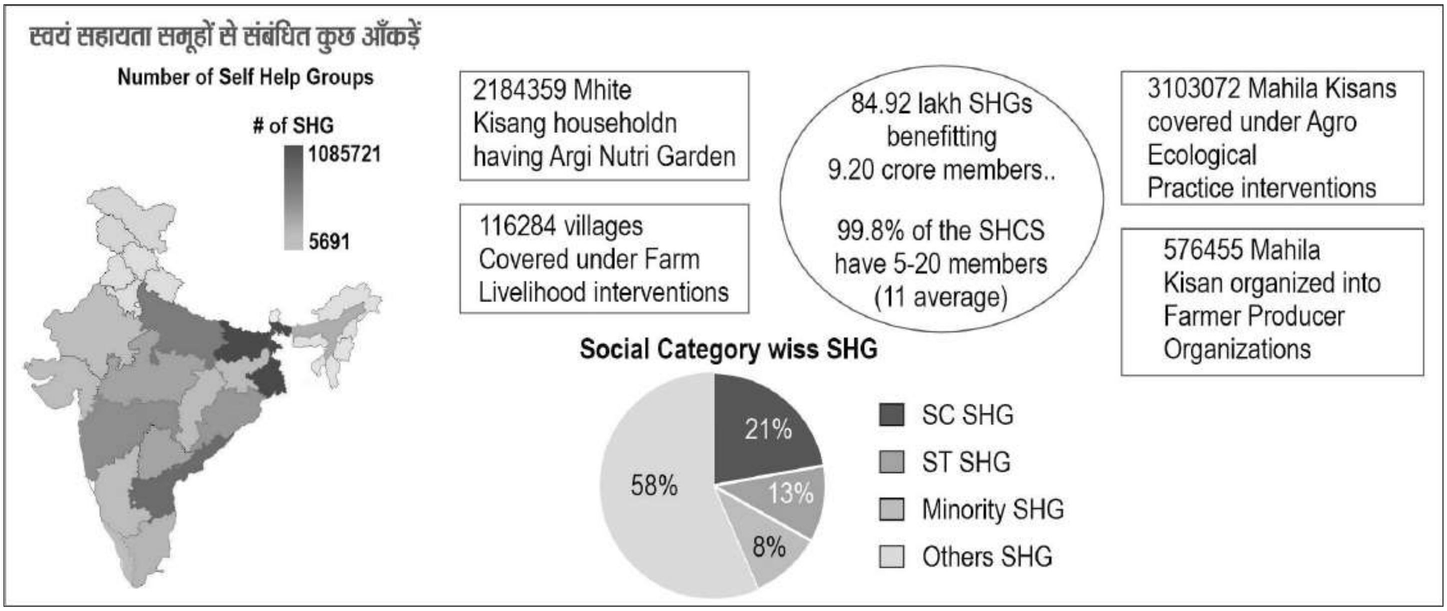

स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल

- दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM):
  - ✓ महिला सशक्तीकरण और आय सृजन हेतु स्वयं सहायता समूहों के गठन और रख रखाव में सहायता करता है।
  - ✓ **स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP):** यह कार्यक्रम ग्राम-स्तरीय गैर-कृषि उद्यमों को स्थापित करने में एसएचजी की सहायता करता है।
  - ✓ **महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP):** स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिला किसानों को सशक्त बनाना।
- **एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम:** इसे वर्ष 1992 में नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था और यह बचत खातों और ऋणों तक पहुंच हेतु स्वयं सहायता समूहों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ता है।
- **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण: यह** एसएचजी को बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करता है, उन्हें ऋण देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है।
- **स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित अनाज बैंक:** यह स्वयं सहायता समूहों को कमजोर क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज भंडारण का प्रबंधन करने की अनुमति देता है।
- **प्रियदर्शिनी योजना (नाबार्ड द्वारा):** यह स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण और आजीविका सृजन को बढ़ावा देती है।
- **सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (MEDPs): नाबार्ड 2006 से** बैंक के साथ जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। **MEDP एक ऑन लोकेशन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कौशल की कमी को पूरा करने अथवा SHG सदस्यों द्वारा पहले से अपनाई गई उत्पादन विधियों की उत्पादता को बढ़ाने हेतु प्रयासरत है|**
- **पिछड़े और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने की योजना:** इस योजना का उद्देश्य स्थायी महिला स्वयं सहायता समूह स्थापित करना, बैंक लिंकेज की सुविधा प्रदान करना और इन क्षेत्रों में आजीविका के अर्जन में सहायता करना है।

भारत में स्वयं सहायता समूहों के समक्ष चुनौतियाँ और सीमाएँ

- **सीमित कौशल और प्रशिक्षण:** कई स्वयं सहायता समूह सदस्यों के पास व्यवसाय प्रबंधन, विपणन या नई आय-सृजन गतिविधियों में पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव है।
- **समूह की गतिशीलता:** स्वयं सहायता समूहों के भीतर आंतरिक संघर्ष, असमान भागीदारी या अनुचित व्यवहार उनकी प्रगति में बाधा बन सकते हैं।
- **वित्तीय साक्षरता:** सीमित वित्तीय साक्षरता स्वयं सहायता समूहों के भीतर खराब वित्तीय प्रबंधन का कारण बन सकती है।
- **बाज़ार तक पहुँच:** प्रतिस्पर्धा या विपणन(मार्केटिंग)तंत्र की कमी के कारण स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बाजार पहुँच सीमित है|
- **नौकरशाही:** कागजी कार्रवाई और देरी के कारण सरकारी योजनाओं या ऋण तक पहुँचने में कई जटिलताओं का सामना करना पड़ता है।
- **स्थिरता:** स्वयं सहायता समूहों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता और आय सृजन सुनिश्चित करना।
- **सामाजिक दबाव:** सामाजिक मानदंड और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण महिलाओं की भागीदारी या गतिशीलता को सीमित करते हैं।
- **योग्य प्रशिक्षकों की कमी:** स्वयं सहायता समूहों के लिए क्षमता निर्माण प्रदान करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल प्रशिक्षकों की कमी है।

आगे की राह

- **कौशल विकास कार्यक्रम:** स्थानीय बाजार की मांग और स्वयं सहायता समूहों के लिए उपयुक्त आय सृजन गतिविधियों के अनुरूप सरकारी और गैर सरकारी संगठन के नेतृत्व वाले कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करना।
- **मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण:** स्वयं सहायता समूहों में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए व्यवसाय प्रबंधन, विपणन और वित्तीय साक्षरता में मार्गदर्शन (मेंटरशिप) और प्रशिक्षण प्रदान करना।

- **बाज़ार पहुंच पहल:** सरकारी और निजी पहलें स्वयं सहायता समूहों को व्यापार मेलों, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म या स्थापित व्यवसायों के साथ सहभागिता के माध्यम से बड़े बाजारों से जुड़ने में मदद कर सकती हैं।
- **मूल्य संवर्धन और ब्रांडिंग:** स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए उत्पाद डिजाइन, गुणवत्ता नियंत्रण और ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित करने वाले सहायतापूर्ण कार्यक्रम चलाए जाएँ।
- **आजीविका गतिविधियों का विविधीकरण:** जोखिम को कम करने और बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुकूल होने के लिए स्वयं सहायता समूहों को विविध आय-सृजन गतिविधियों मे शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण:** स्वयं सहायता समूहों को डिजिटल कौशल से प्रशिक्षित करने से ऑनलाइन मार्केटिंग, वित्तीय लेनदेन और सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकती है।
- **सूक्ष्म-ऋण योजनाएं:** लक्षित सूक्ष्म-ऋण योजनाएं हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में भाग लेने और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए सशक्त बना सकती हैं।

3.3. महाराष्ट्र ने आरटीई (RTE) कोटा प्रवेश में दी छूट

संदर्भ

हाल ही में, महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों के एक किलोमीटर के दायरे में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को 25% आरटीई कोटा प्रवेश अनिवार्यता से छूट देने की अधिसूचना जारी की है।

अन्य संबंधित जानकारी

- महाराष्ट्र सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने "महाराष्ट्र बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2013" में संशोधन करने के लिए गजट मे अधिसूचना जारी की।
- अधिसूचना में कहा गया है कि स्थानीय प्राधिकरण शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य 25% प्रवेश कोटा के प्रयोजनों हेतु उन क्षेत्रों के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को छूट देगा, जहां सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल उस स्कूल के एक किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं।
- यह छूट भविष्य में स्थापित होने वाले निजी स्कूलों पर भी लागू होगी, जब तक वे सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल के 1 किमी के दायरे में बने हो।

आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(C)

- यह गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित समूहों के बच्चों के लिए अपने प्रवेश स्तर (नर्सरी से कक्षा 1) की 25% सीटें आरक्षित करने का आदेश देता है।
- यह प्रावधान निजी स्कूलों में वंचित समुदायों पर रहने वाले समुदायों के बच्चों को शामिल करने और कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है।
- सरकार स्कूलों द्वारा ली गई शुल्क/खर्च की प्रतिपूर्ति करती है।

- अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आसपास के क्षेत्र में कोई सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल नहीं होने की स्थिति में, शिक्षा का अधिकार के तहत प्रवेश देने के लिए निजी स्कूलों की पहचान की जाएगी और वे फीस की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगे।
- इस नए नियम के साथ, निजी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित प्रवेश कोटा प्रदान करने से छूट देने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक (2018) और केरल (2011) के साथ सूची मे शामिल हो गया है।

नए नियमों का प्रभाव

- इस संशोधन का तात्पर्य है कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल (जो सरकार से पैसा प्राप्त करता है) के 1 किमी के दायरे में आने वाले निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अब आरटीई अधिनियम के तहत 25% प्रवेश कोटे की अनिवार्यता का पालन नहीं करना होगा।
- इसके बजाय, इन क्षेत्रों के छात्रों को निजी स्कूलों में स्थानांतरित करने से पहले उनका सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।
- यह संशोधन निजी और सरकारी स्कूलों के बीच संतुलन को प्रभावित कर सकता है, जिसका आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए गुणवतापूर्ण शिक्षा तक पहुँच पर असर पड़ सकता हैं|
- फैसले में वंचित छात्रों को सरकारी स्कूलों में जाने के लिए मजबूर किए जाने के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं, जिससे संभवत: रूप से वे शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूलों द्वारा प्रदान की जाने वाली बेहतर सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे।

नए नियमों की वजह

- इस प्रावधान के परिणामस्वरूप सरकारी स्कूलों में नामांकन अनुपात में भारी गिरावट आई है।
- निजी स्कूलों और शिक्षक संगठनों ने इस बात को उठाया है कि राज्य सरकारें अक्सर इस कोटा के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति करने में विफल रही हैं।
  - ✓ शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार, राज्य सरकारें प्रति छात्र स्कूल द्वारा किए गए खर्च या शुल्क राशि (जो भी कम हो) की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य हैं।
- प्रति छात्र होने वाले खर्च के लिए राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति की कमी के कारण निजी स्कूलों को वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है।

शिक्षा का अधिकार

- **वर्ष 2002 में भारत के संविधान में 86वें संशोधन के द्वारा** अनुच्छेद **21 ए** (भाग III) के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई।
- वर्ष 2009 में अधिनियमित शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अनुच्छेद 21-ए में निहित मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था।

संवैधानिक पृष्ठभूमि

- शिक्षा का अधिकार मूल रूप से संविधान के भाग IV के DPSP(राज्य के नीति निर्देशक तत्व) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39f से उत्पन्न हुआ, जिसमें राज्य-वित्तपोषित शिक्षा के प्रावधान शामिल था जिसका उद्देश्य न्यायसंगत और सुलभ शिक्षा सुनिश्चित करना था।
- राममूर्ति समिति की रिपोर्ट (1990), तपस मजूमदार समिति (1999) और उन्नीकृष्णन जेपी मामले (1993) में उच्चतम न्यायालय के फैसले ने शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- **प्राथमिक शिक्षा:** यह 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की गारंटी देता है।
- **निजी स्कूलों में आरक्षण:** यदि सरकारी स्कूल आसपास नहीं हैं तो निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 25% आरक्षण अनिवार्य करता है।
- **मानड और दिशा-निर्देश:** छात्र-शिक्षक अनुपात, बुनियादी ढांचे और शिक्षक योग्यता के लिए मानक का निर्धारण।
- **भेदभाव निषेध:** लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव न करने की सुनिश्चितता।
- **वित्तीय जिम्मेदारियाँ:** यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय जिम्मेदारियों को साझा करने का उल्लेख करता है।

शिक्षा का अधिकार की उपलब्धियां

- **नामांकन में वृद्धि और समवेशिता:** शिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्राथमिक उपलब्धियों में से एक देश भर में नामांकन दरों (खासकर हाशिए पर और वंचित समुदायों के बीच) में उल्लेखनीय वृद्धि है।
- **बेहतर बुनियादी ढाँचा:** शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह निर्धारित करता है कि सभी स्कूलों को कुछ बुनियादी ढाँचे के मानदंडों का पालन करना होगा, जैसे- पर्याप्त कक्षाएँ, खेल के मैदान, पुस्तकालय और शौचालय।
- सरकार ने **समग्र शिक्षा अभियान (SSA) नामक एक एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना** शुरू की है, जिसने पिछली निम्न तीन योजनाओं का स्थान ले लिया:
  - ✓ सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
  - ✓ शिक्षक शिक्षा पर केंद्र प्रायोजित योजना (CSSTE)
  - ✓ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)
- 25% कोटा मानदंड के तहत 33 लाख से अधिक प्रवेश।
- जवाबदेहीता में वृद्धि करने के लिए "नो डिटेंशन पॉलिसी" को हटाना।

सीमाएँ

- शामिल किया गया आयु समूह (6-14 वर्ष) इसकी समावेशिता को सीमित करता है।
- **शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER)** के आंकड़ों के अनुसार,अधिनियम सीखने के परिणामों पर ध्यान नहीं होता हैं|
- कुछ राज्यों में अनुपालन न होना और शिक्षकों की कमी।
  - ✓ यूनेस्को की भारत की शिक्षा स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 1.2 लाख स्कूल हैं जिनमें सिर्फ एक ही शिक्षक है।
- **बुनियादी ढांचे की कमी:** स्कूलों को कुछ बुनियादी ढांचे मानदंडों का पालन करने के आदेश के बावजूद, कई स्कूलों में अभी भी कक्षाओं, पुस्तकालयों, शौचालयों और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।
- **वित्तपोषण की बाधाएँ:** शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तपोषण आवश्यक है। हालाँकि, शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन अक्सर अपर्याप्त रहा है, जिससे संसाधनों की कमी होती है और प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता होता है।

आगे की राह

- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर:** शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उपायों को लागू किया जाए, जिसमें पाठ्यक्रम सुधार, मानकीकृत शिक्षण सामग्री का विकास और नवीन शिक्षण पद्धतियों को अपनाना शामिल हों।
- **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से युक्त हैं उन्हे प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना होगा|
- **सामुदायिक जुड़ाव:** शिक्षा प्रणाली में जवाबदेहीता को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों, समुदायों और स्थानीय अधिकारियों के बीच सहभागिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **बेहतर वित्तपोषण:** शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तपोषण आवश्यक है| जबकि शिक्षा व्यय **सकल घरेलू उत्पाद के 2.9% पर स्थिर बना हुआ है**। इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 द्वारा अनुशंसित **सकल घरेलू उत्पाद का 6% तक शिक्षा परिव्यय को बढ़ाने** की तत्काल आवश्यकता है।

3.4. राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024

संदर्भ

नीति आयोग द्वारा **राष्ट्रीय जन्म दोष जागरुकता माह 2024** नामक अभियान की शुरुआत की गई है।

पृष्ठभूमि

- यह अभियान जन्म दोष दिवस मनाने का एक प्रयास है, जो **हर साल 3 मार्च को** मनाया जाता है तथा यह सभी जन्म दोषों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की एक पहल है।

जन्मजात विकार (CD)पर एक नजर

- **इसे जन्म दोष** के रूप में भी जाना जाता है जो तब होता है जब बच्चा गर्भ में होता है।
- **भारत में जन्मजात विकृतियाँ और आनुवंशिक विकार:**
  - ✓ यह शहरी क्षेत्रों में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर का तीसरा सबसे आम कारण हैं।
- **जन्मजात विकारों के प्रकार:**
  - ✓ **गुणसूत्र से संबंधित जन्म दोष (CBD):** डाउन्स सिन्ड्रोम जैसे विकार।
  - ✓ **जैविक रासायनिक जन्म दोष (BBD)**
  - ✓ **शारीरिक या संरचनात्मक जन्म दोष (ABD):** शारीरिक या संरचनात्मक जन्म दोष (ABD) के सामान्य प्रकारों में हृदय रोग, कटा हुआ तालु, क्लबफुट और जन्मजात कूल्हे की अव्यवस्था शामिल हैं।
- **उपचार:**
  - ✓ पित्रैक उपचार(जीन थेरपी)
  - ✓ शल्य चिकित्सा (सर्जरी)
  - ✓ एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी
  - ✓ प्रसवपूर्व उपचार

विश्वभर में 6 प्रतिशत बच्चे जन्म से ही इस विकार से ग्रसित होते हैं।

थीम/विषय

- इस राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 का विषय **"बाधाओं को तोड़ना: जन्म दोष वाले बच्चों का समावेशी समर्थन"** है।

आँकड़ें

- **भारत के रजिस्ट्रार जनरल या महारजिस्ट्रार** (Registrar General of India- RGI) के अंतर्गत कार्य करने वाली **नमूना पंजीकरण प्रणाली** की **मृत्यु सांख्यिकी 2017-19 की रिपोर्ट** के अनुसार, जन्म दोष **नवजात मृत्यु दर** में **4.9 प्रतिशत** और 5 साल से कम उम्र की मृत्यु दर में **5.7 प्रतिशत** योगदान देता है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** की शुरुआत के बाद से भारत में बाल मृत्यु दर में अप्रत्याशित कमी देखने को मिली है।
- **भारत के रजिस्ट्रार जनरल** द्वारा 22 सितंबर, 2022 को जारी **नमूना पंजीकरण प्रणाली, 2020** रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में, नवजात मृत्यु दर **प्रति 1000 जीवित जन्म पर 20 है**, शिशु मृत्यु दर **प्रति 1000 जीवित जन्म पर 28** है। इसके अतिरिक्त 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर **प्रति 1000 जीवित जन्म पर 32** है।

अभियान से संबंधित अन्य सहायक निकाय

- **मोबाइल (गतिशील) स्वास्थ्य टीमें**
- **जिला स्तर पर प्राथमिक हस्तक्षेप टीमें**
  - ✓ ये निकाय बाल स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के साथ-साथ **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम** (RBSK) के सफल क्रियान्वयन के लिए भी कार्य करते हैं।

रोकथाम

एक महिला जन्म दोष वाले बच्चे के जन्म की संभावना को कम करने के लिए अपनी जीवनशैली में कई बदलाव कर सकती है। गर्भावस्था के दौरान उठाए जा सकने वाले कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

- धूम्रपान को छोड़ना।
- स्वस्थ वजन बनाए रखना।
- **फोलिक एसिड को** नियंत्रण में रखना।
- गर्भावस्था के दौरान शराब और नशीली दवाओं के संपर्क में आने से बचना।
- सीसा (Lead), कीटनाशकों और विकिरण जैसे हानिकारक पदार्थों से बचना।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)

- इस कार्यक्रम में **जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों में चार स्तर पर रोगों की स्क्रीनिंग** (4-Ds) अर्थात, - जन्म के समय दोष के होने, रोग होने, कमियाँ और इसके विस्तार मे लगने वाले समय- की जाँच शामिल है, जिसमें 32 सामान्य स्वास्थ्य स्थितियों का शीघ्र पता लगाने और तृतीयक स्तर पर सर्जरी सहित मुफ्त उपचार और प्रबंधन शामिल है।

3.5. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

संदर्भ

महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु **प्रतिवर्ष 8 मार्च** को **अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (IWD)** मनाया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024

- इसका आयोजन **संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, सदस्य राष्ट्रों**, नागरिक समाज संगठनों, युवा समूहों और अन्य लोगों को एक साथ लाने के लिए किया जाता है, ताकि **लैंगिक अंतर को पाटने** के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कार्यों पर जोर दिया जा सके।
- **संयुक्त राष्ट्र ने** अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की **थीम 'महिलाओं में निवेश करें: प्रगति में तेजी लाएँ' (Invest in Women, Accelerate Progress)** रखा है।

पृष्ठभूमि

- **28 फरवरी, 1909** को **संयुक्त राज्य अमेरिका** में सबसे पहला **राष्ट्रीय महिला दिवस** मनाया गया था, जिसे न्यूयॉर्क में वर्ष 1908 के कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल की याद में **सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका** द्वारा आयोजित किया गया था।
- **वर्ष 1910** में, **क्लारा ज़ेटकिन (Clara Zetkin) ने कोपेनहेगन (Copenhagen) में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन** में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का प्रस्ताव रखा, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में **श्रमिक आंदोलनों** से उत्पन्न हुआ था।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का रंग	महत्व
बैंगनी	जस्टी और डिग्निटी
हरा	आशा
सफ़ेद	पवित्रता

- पिछले वर्ष कोपेनहेगन में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, **कई यूरोपीय देशों में पहली बार (19 मार्च) अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस** मनाया गया।
- **वर्ष 1975 में, संयुक्त राष्ट्र ने** इस दिन को मनाना शुरू किया और दो साल बाद, वर्ष 1977 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सदस्य देशों को **8 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और विश्व शांति दिवस (UN Day for Women's Rights and World Peace)** के रूप में घोषित करने के लिए आमंत्रित किया।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का उद्देश्य

- महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के बारे में **जागरूकता को बढ़ाना।**
- **लैंगिक समानता** और महिलाओं के अधिकार के प्रति व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों को प्रेरित करना।
- महिलाओं को आगे बढ़ाने वाले **सकारात्मक बदलाव** का आह्वान करना।
- महिलाओं पर केंद्रित चैरिटी के मध्ययम से फंड (धन) जुटाना।

8 मार्च की तारीख के पीछे का कारण

- **जूलियन कैलेंडर (उस समय रूस में इस्तेमाल होने वाला कैलेंडर)** के अनुसार, **रूस के महिलाओं ने 23 फरवरी, 1913 को** विश्व युद्ध (1914 से 1918) की संभावना का विरोध किया। **ग्रेगोरियन कैलेंडर** के अनुसार, वह **तारीख 8 मार्च थी** तथा इसए एक वैश्विक मानक के रूप में स्थापित किया गया और कई देशों में इस दिन रैलियाँ आयोजित की जाने लगीं।

महत्व

- यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में **समान भागीदारी का समर्थन करके** लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी सदस्यों के पास समान अधिकार हैं।
- महिलाओं और लड़कियों के बीच उनकी विविध सांस्कृतिक और पृष्ठभूमि भिन्नताओं को दूर करते हुए **वैश्विक एकजुटता** की भावना को बढ़ाता है।
- **अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस** (IWD) हमारी प्रगति को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण और महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता की दिशा में की जाने वाले कार्य के प्रति **प्रतिबद्धता की घोषणा** दोनों के रूप में कार्य करता है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (IWD) न केवल महिलाओं द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान और बलिदान को रेखांकित करता है, बल्कि लैंगिक समानता के लिए लगातार लड़ाई का एक मार्मिक अनुस्मारक भी है। इस दिन, हम महिला सशक्तीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों पर विचार करते हैं। साथ ही, उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि करते हैं, जिनका दुनिया भर में महिलाओं को सामना करना पड़ रहा है।

3.6. महतारी वंदन योजना

संदर्भ

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में **महतारी वंदन योजना** की शुरुआत की है।

महतारी वंदन योजना पर एक नजर

- यह **विवाहित महिलाओं हेतु** शुरू की गई एक वित्तीय सहायता योजना है।
- इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 12,000 रुपये की वार्षिक राशि प्राप्त होगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में 1,000 रुपये की मासिक किस्तों में भेजी जाएगी।
- **पात्रता:**
  - ✓ इसके लिए पात्र महिला को छत्तीसगढ़ की निवासी होनी चाहिए।
  - ✓ उसे विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त होना चाहिए।
  - ✓ 1 जनवरी, 2024 तक उसकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- अन्य पेंशन योजनाओं के माध्यम से प्रति माह 1,000 रुपये से कम प्राप्त करने वाली महिलाओं को उनकी कुल मासिक पेंशन को 1,000 रुपये करने हेतु अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी।

उद्देश्य

- महिलाओं की आत्मनिर्भरता बनाने के साथ-साथ उन पर निर्भर बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में निरंतर सुधार लाना।
- महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र बनाने के साथ-साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।
- परिवार के स्तर पर निर्णय लेने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना।

चुनौतियाँ

- **सरकारी खजाने पर दबाव:** इस योजना के लिए बड़ी मात्रा में सरकारी धन की आवश्यकता होगी, जिसके कारण राज्य सरकार के बजट पर आर्थिक दबाव बढ़ेगी। इससे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के फंड में कटौती होने की संभावना है।
- **निरक्षरता और पितृसत्तात्मक समाज:** यदि लाभार्थी योजना से

अनभिज्ञ हैं या आवेदन प्रक्रिया को समझने में सक्षम नहीं हैं, तो वे इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। पितृसत्तात्मक समाजों में, महिलाएँ, जो इच्छित लाभार्थी हो सकती हैं, को योजना के संसाधनों तक पहुँचने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

- **अक्षमता और भ्रष्टाचार:** नौकरशाही (लालफीताशाही) और पारदर्शिता की कमी के कारण क्रियान्वयन में देरी और धन के दुरुपयोग की संभावना के कारण यह योजना वास्तव में लक्षित लाभार्थी की पहुँच से बाहर हो सकती है।

महिलाओं के कल्याण हेतु सरकार द्वारा संचालित अन्य पहलें

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लखपति दीदी, जन धन खाते, मुद्रा ऋण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना।

3.7. मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षण (FLNAT)

संदर्भ

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय ने 23 राज्यों में **उल्लस (ULLAS) [नव भारत साक्षरता कार्यक्रम]** के हिस्से के रुप में **मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षण (FLNAT)** आयोजित किया है।

FLNAT की मुख्य विशेषताएँ

- **17 मार्च, 2024 को** मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षण (FLNAT) में भाग लेने वाले प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किया गया था, जिसमें **जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)** तथा सरकारी/सहायता प्राप्त स्कूल परीक्षण केंद्र के रूप में शामिल थे।
- इसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के **स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) के अधीन** आयोजित किया गया था।

जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE),1986 की सिफारिशों के आधार पर, सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश भर में **जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)** की स्थापना की गई थी तथा यह **जिला स्तर पर अपनी तरह का एकमात्र संस्थान** है।

- इस मूल्यांकन परीक्षण में तीन क्षेत्र **(पढ़ना, लिखना और संख्यात्मक ज्ञान)** शामिल हैं।
- इस परीक्षण को पंजीकृत **गैर-साक्षर शिक्षार्थियों** की मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया गया है।
- यह परीक्षण **बहुभाषावाद को बढ़ावा देने** और शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा का प्रयोग करने पर **नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के** केंद्रित विषय के अनुरूप है, जिसे शिक्षार्थियों की **क्षेत्रीय/स्थानीय भाषा** में आयोजित किया गया था।

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (उल्लास-ULLAS)

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के** अंतर्गत, भारत सरकार ने **नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (New India Literacy Program) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की, जिसे सामान्यतः ULLAS (समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ)** के रूप में जाना जाता है।
- यह कार्यक्रम वर्ष **2022 से वर्ष 2027 तक पाँच साल** की अवधि के लिए शुरू किया गया है।

दीक्षा पोर्टल (ज्ञान साझा करने हेतु डिजिटल बुनियादी ढाँचा)
• इसे **वर्ष 2017** में **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)** के अंतर्गत स्कूली शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय मंच के रूप में लॉन्च किया गया था।   • इसका **विजन** प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाकर शिक्षा के तरीके को बदलना है।

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य **15 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता तथा महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान** करना है, जिन्हें खुद को शिक्षित करने का अवसर नहीं मिला है और उन्हें देश के विकास में योगदान करने में सक्षम बनाना है।
- शिक्षार्थियों (Learners) को दीक्षा पोर्टल के साथ-साथ **उल्लास (ULLAS) मोबाइल ऐप** के माध्यम से सभी के लिए शिक्षा पर **क्षेत्रीय भाषाओं** में पढ़ने की सामग्री (Content) तक पहुँचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- यह कार्यक्रम **'विकसित भारत'** और **'जन-जन साक्षर भारत'** के विजन पर जोर देता है।
- विकसित भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है।

4.1. भारत में डेयरी उद्योग

संदर्भ

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation-GCMMF) के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। अमूल डेयरी ब्रांड का स्वामित्व गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के पास है|

अन्य संबंधित जानकारी

- प्रधानमंत्री ने अमूल को जो अभी आठवें स्थान पर है , को विश्व का सबसे बड़ा डेयरी उद्योग ब्रांड बनने का लक्ष्य निर्धारित किया।
  - ✓ इंटरनेशनल फार्म कम्पेरिजन नेटवर्क (IFCN) के अनुसार, अमूल वर्तमान में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा दूध प्रसंस्करणकर्ता है।
- गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ देश के सबसे प्रमुख फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) संगठन के रूप में उभरा है, जिसमे अमूल ब्रांड 80,000 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल करने के लिए तैयार है।

अमूल और गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ का इतिहास

- वर्ष 1946 में, बिचौलियों के शोषण से परेशान होकर, **त्रिभुवनदास पटेल** के नेतृत्व में तथा **मोरारजी देसाई एवं सरदार वल्लभभाई पटेल** के सहयोग समर्थन से आणंद (खेड़ा जिला) शहर में कैरा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड का गठन किया गया।
- वर्ष 1955 में, सहकारिता द्वारा उत्पादित डेयरी उत्पादों के विपणन हेतु एक ब्रांड नाम के रूप में **"अमूल" (आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड)** नाम से एक ब्रांड बनाया गया।
- डेयरी सहकारी आंदोलन की सफलता गुजरात में तेजी से फैली और कुछ ही समय में पांच अन्य जिला संघों (मेहसाणा, बनासकांठा, बड़ौदा, साबरकांठा और सूरत) का भी गठन किया गया।
- अपनी ताकत/क्षमता को एकजुट करने और आपसी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए, **डेयरी सहकारी संघों की एक शीर्ष विपणन संस्था** गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (GCMMF) का गठन **वर्ष 1973 में डॉ. वर्गीस कुरियन और श्री एच.एम. दलाया** की सहायता से किया गया और इसी दौरान **अमूल** ब्रांड नाम को गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ को स्थानांतरित कर दिया गया।
- वर्तमान में, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के **सदस्यों के रूप** में 18 जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ सदस्य हैं, जो गुजरात में 18,600 ग्राम दूध सहकारी समितियों के माध्यम से 36 लाख से अधिक किसानों को शामिल करते हैं।

श्वेत क्रांति (ऑपरेशन फ्लड)

- डेयरी सहकारी समितियों के अमूल मॉडल की सफलता से प्रभावित होकर, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने वर्ष 1964 में आणंद का दौरा किया और डॉ. वर्गीस कुरियन से पूरे भारत में अमूल की तरह ही डेयरी सहकारी समितियों का गठन करने को कहा।
- इस प्रकार, वर्ष 1965 में डॉ. कुरियन की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)** का गठन किया गया और पूरे भारत में अमूल मॉडल की तरह महासंघ गठित करने हेतु ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया।
- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया जो कि **विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम** था।
- इसके तहत पूरे भारत में दूध उत्पादकों को कस्बों और शहरों के उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए एक **राष्ट्रीय दूध ग्रिड** बनाया गया। इसके परिणामस्वरूप भारत विश्व भर में दूध और दूग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया।
- **ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्यों** में निम्न शामिल हैं:
  - ✓ दूध का उत्पादन बढ़ाना
  - ✓ ग्रामीण आय में वृद्धि
  - ✓ उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना
- **ऑपरेशन फ्लड को निम्न तीन चरणों में लागू किया गया:**
  - ✓ प्रथम चरण (1970-1980); द्वितीय चरण (1981-1985); तृतीय चरण (1985-1996)

भारत में डेयरी क्षेत्र का अवलोकन

- भारत वैश्विक स्तर पर **दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है**, भारत ने वर्ष 2021-22 में **कुल वैश्विक दूध उत्पादन में 24.64% का योगदान दिया।**
- यह उद्योग **राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% योगदान** देता है। यह उद्योग लगभग 300 मिलियन मवेशियों के साथ सीधे **8 करोड़ से अधिक किसानों की सहायता** करता है।
- देश के शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य **राजस्थान (15.05%)**, उत्तर प्रदेश (14.93%), मध्य प्रदेश (8.6%), गुजरात (7.56%) और आंध्र प्रदेश (6.97%) हैं। उक्त राज्य देश के कुल दूध उत्पादन में 53.11% का योगदान देते हैं।
- पिछले नौ वर्षों में (वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022-23 तक) भारत का दूध उत्पादन 58% बढ़ गया है, जो वर्ष 2022-23 में 230.58 मिलियन टन तक पहुंच गया है।

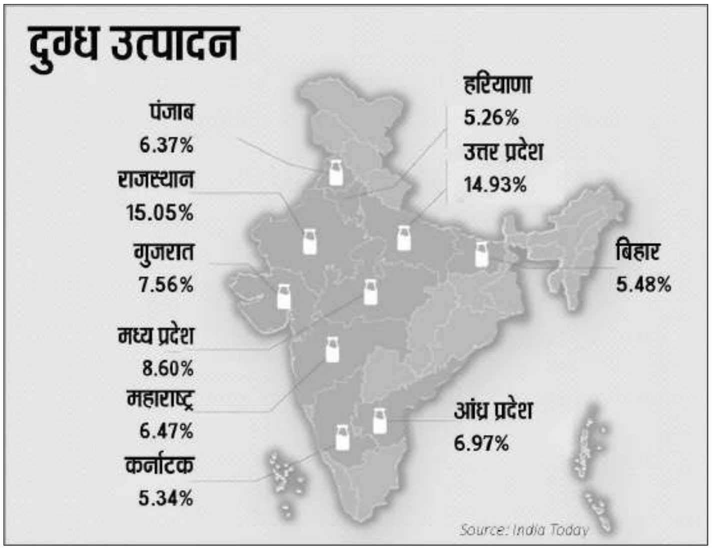

डेयरी क्षेत्र को सहायता देने हेतु सरकार की पहल

- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन**
  - ✓ राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) का लक्ष्य स्वदेशी मवेशियों की नस्लों का संरक्षण और विकास करना, उनकी उत्पादकता बढ़ाना और सतत प्रजनन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना है।
  - ✓ यह गोकुल ग्राम (मवेशी गांव) स्थापित करने और मवेशी पालन हेतु मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है।
- **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम**
  - ✓ राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) नस्ल सुधार, चारा प्रबंधन और क्षमता निर्माण सहित विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से डेयरी विकास में सहयोग करता है।
  - ✓ इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, दूध की गुणवत्ता में सुधार करना और **श्वेत क्रांति 2.0** को बढ़ावा देने के लिए डेयरी किसानों को सशक्त बनाना है।
- **डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि:**
  - ✓ डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (DIDF) **के माध्यम से** डेयरी प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - ✓ यह डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों, कोल्ड चेन और मूल्य वर्धित उत्पाद विनिर्माण में निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है।
- **डेयरी क्रियाकलापों में संलग्न सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता (SDCFPO):**
  - ✓ यह पहल सहकारी मॉडल को प्रोत्साहन देती है और डेयरी गतिविधियों में लगे किसान-उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत करती है।
  - ✓ यह सामूहिक विपणन, खरीद और मूल्य वर्धन की सुविधा प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय पशुधन मिशन**
  - ✓ **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)** पशुधन विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसके अंतर्गत मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी शामिल हैं।
  - ✓ इस मिशन का उद्देश्य पशुधन उत्पादकता, स्वास्थ्य और पशुधन पर निर्भर समुदायों की समग्र आजीविका में सुधार करना है।
- **लम्पी-प्रो-वैक (Lumpi-ProVac^{ind}):**
  - ✓ यह एक स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन है जिसका इस्तेमाल पशुओं मे लम्पी त्वचा रोग से बचाव के लिए किया जाता है। यह करीब एक साल तक सुरक्षा प्रदान करेगा।
- **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि**
  - ✓ पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) द्वारा पशुपालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - ✓ इसमें पशु शेड, चारा भंडारण, पशु चिकित्सा अस्पताल और प्रजनन केंद्र से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।
- **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम:**
  - ✓ पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LH&DCP) पूर्ववर्ती पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना को राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के साथ जोड़ती है।
  - ✓ यह पशुधन रोगों को रोकने और नियंत्रित करने, टीकाकरण पहुँच बढ़ाने और पशु स्वास्थ्य में सुधार करने पर केंद्रित है।

डेयरी क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

- **दूध उत्पादन की उच्च लागत:** भारतीय मवेशियों की दूध देने की क्षमता अन्य देशों की तुलना में कम है। अनुचित चारा, जल प्रबंधन और आवास जैसे कारक दूध के उत्पादन मे कमी की वजह हैं।
- **दूध के रख-रखाव और विपणन में उच्च लागत:** भारत में डेयरी की सीमित पहुंच के कारण दूध आपूर्ति श्रृंखला में कई बिचौलिये संलग्न हैं। इससे संचालन और विपणन की लागत में वृद्धि होती है।
- **निम्न गुणवत्ता युक्त दूध:** पशु फार्मों और डेयरियों में अस्वच्छता की स्थिति के कारण दूध की गुणवत्ता निम्न होती है। दूध में उच्च माइक्रोबियल होने के कारण विदेशी निर्यात क्षमता बाधित होती है।
- **अधिक दूध देने वाले पशुओं की सीमित संख्या:** संकर नस्ल और अधिक दूध देने वाले पशुओं की सीमित संख्या के कारण दूध उत्पादन कम होता है।
- **उच्च रोग बोझ:** हाल ही में गांठदार त्वचा रोग (Lumpy skin disease-LSD) जैसी बीमारी का प्रकोप मवेशियों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित करता है। इससे दूध उत्पादन में कमी, त्वचा की क्षति तथा मृत्यु दर के कारण आर्थिक हानि होती है।
- **बुनियादी ढांचागत चुनौतियाँ:** सड़क संपर्क बेहतर न होने और ख़राब बुनियादी ढाँचे के कारण प्रसंस्करण सुविधाओं तक कच्चे दूध की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है।
- **जानकारी और आधुनिक तकनीकों का अभाव:** डेयरी फार्म मालिकों के बीच एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला ज्ञान का अभाव है। डेयरी फार्मों में आधुनिक वैज्ञानिक कृषि तकनीकों और स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में जागरूकता का अभाव है।
- **निवेश पर कम रिटर्न:** कम विकास दर, विश्वसनीय दूध उत्पादन डेटा की कमी और अपर्याप्त शोध निवेशकों को डेयरी क्षेत्र में निवेश करने से रोकते हैं।

आगे की राह

- **अधिक उपज देने वाली नस्लों पर ध्यान केंद्रित करना:** होल्स्टीन-फ्रिसियन या जर्सी जैसी अधिक दूध देने वाली नस्लों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **सहकारी समितियों को मजबूत बनाना:** गुजरात के सफल अमूल मॉडल की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
- **किसानों को सशक्त बनाना:** डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS) जैसी पहल के माध्यम से किसानों को शिक्षा और संसाधन प्रदान करना।
- **दूध प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना:** बिचौलियों की संख्या को कम करना और कुशल दूध संग्रहण हेतु चिलर इकाइयों जैसे प्रौद्योगिकी समाधान लागू करना।
- **अनुसंधान में निवेश:** नई नस्लों और कृषि प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने की आवश्यकता है।
- **विनियमों को मजबूत करना:** दूध की गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता मानकों को लागू किया जाना चाहिए।

4.2. राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड

संदर्भ

सहकारिता मंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited-NUCFDC) का उद्घाटन किया। यह शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक मुख्य संगठन (umbrella organisation) के रूप में कार्य करेगा।

अन्य संबंधित जानकारी

- सहकारिता मंत्री ने कहा कि 'आत्मनिर्भर' भारत बनाने के लिए 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को प्राप्त करने में इस मुख्य संगठन की स्थापना एक और मील का पत्थर है।
- इस पहल का उद्देश्य भारत के शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना है, जिससे अंततः बैंकों और उनके ग्राहकों को लाभ होगा।
- राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड की एक प्रमुख भूमिका छोटे बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अनुपालन हेतु तैयार करना है।

राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का विवरण

- राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड ने भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) प्राप्त किया है। यह एक **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)** के रूप में संचालित होगी और शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रमुख निकाय के रूप में कार्य करेगी।
- इसे इस क्षेत्र के लिए स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में काम करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह बैंकों और नियामक निकायों के बीच बेहतर सम्पर्क सुविधा प्रदान करेगा।
- यह सहकारी बैंकों के लिए विशेष कार्यों और सेवाओं को सुनिश्चित करेगा, प्रौद्योगिकी बाधाओं और सेवाओं की श्रृंखला से संबंधित समस्याओं जैसी चुनौतियों का समाधान करेगा।
- राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड ने 300 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य इस पूंजी का उपयोग शहरी सहकारी बैंकों को सहायता देने और एक प्रौद्योगिकी मंच विकसित करने के लिए करना है जिसे सभी शहरी सहकारी बैंकों द्वारा साझा किया जा सके, जिससे वे अपेक्षाकृत कम लागत पर अपनी सेवाओं की सीमा का विस्तार कर सकें।
- राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सेवाओं में वित्त प्रबंधन और परामर्श सेवाएं शामिल हैं।

शहरी सहकारी बैंक (UCB)

- भारत में शहरी सहकारी बैंकिंग आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई। यह मुख्य रूप से **ब्रिटिश और जर्मन** सहकारी आंदोलनों से प्रेरित था
- शहरी सहकारी बैंक (UCBs) शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी बैंकों को संदर्भित करता है।
- ये संबंधित राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत सहकारी समितियों के रूप मे पंजीकृत होते हैं लेकिन बैंक के संचालन का क्षेत्र एक राज्य की सीमाओं से ज्यादा फैला हुआ है तो इसका पंजीकरण बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम 2002 के तहत होगा।
- शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य/केंद्रीय सोसायटी रजिस्ट्रार के दोहरे नियंत्रण में होते हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके बैंकिंग-संबंधी कार्यों पर नियंत्रण रखता है, जबकि प्रबंधन-संबंधी कार्यों को संबंधित राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCS) या केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ (CRCS), जैसा भी मामला हो द्वारा विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग व्यवसाय चलाने और व्यवसाय की नई शाखा खोलने हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 और 23 के तहत शहरी सहकारी बैंक को लाइसेंस जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
- वर्ष 1968 में, शहरी सहकारी बैंक को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) के तहत जमा बीमा के लाभ बढ़ाए गए थे।

- **वर्ष 1996 तक इन बैंकों को केवल गैर-कृषि उद्देश्यों** के लिए धन उधार देने की अनुमति थी। हालाँकि, यह सुविधा वर्तमान में नहीं है।

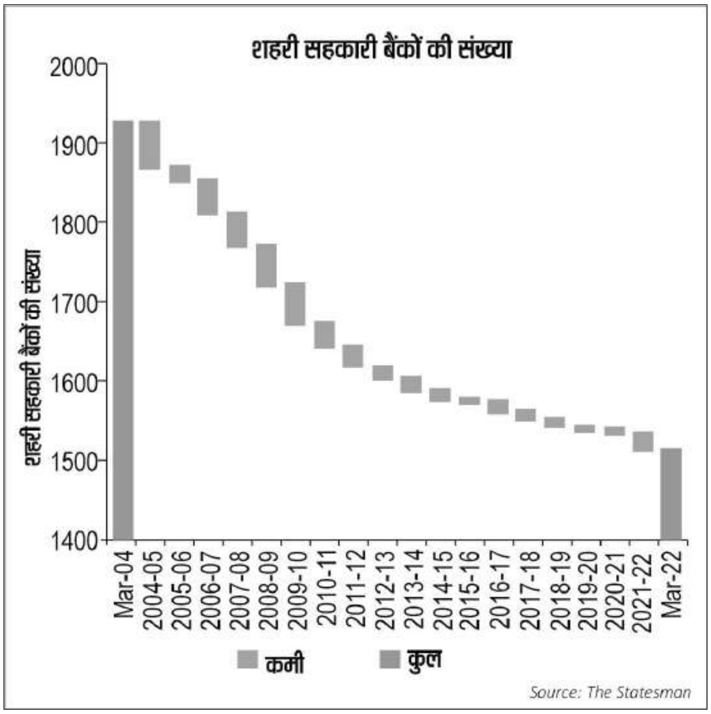

शहरी सहकारी बैंकों की संरचना

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त **एन.एस. विश्वनाथन** समिति (2021) ने नियामक उद्देश्यों के लिए शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को निम्न चार स्तरों में वर्गीकृत करने का सुझाव दिया:
  - ✓ टियर 1: 100 करोड़ रुपये तक जमा वाले शहरी सहकारी बैंक।
  - ✓ टियर 2: 100 करोड़ रुपये से 1,000 करोड़ रुपये के बीच जमा वाले शहरी सहकारी बैंक।
  - ✓ टियर 3: 1,000 करोड़ रुपये से 10,000 करोड़ रुपये के बीच जमा वाले शहरी सहकारी बैंक।
  - ✓ टियर 4: 10,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा वाले शहरी सहकारी बैंक।
- इसके अतिरिक्त, शहरी सहकारी बैंक के लिए पूंजी पर्याप्त अनुपात (CRAR) 9% से 12% के बीच हो सकता है।

सहकारी बैंकों की मुख्य विशेषताएं

- **ग्राहक स्वामित्व:** सहकारी बैंक अपने ग्राहकों (जो बैंक के सदस्य भी होते हैं) के स्वामित्व में संचालित होते हैं।
- **लोकतांत्रिक संचालन प्रणाली:** इसके सदस्य लोकतांत्रिक ढंग से बैंक के संचालन की देखरेख हेतु निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। "एक व्यक्ति, एक वोट" के सिद्धांत का पालन करते हुए, प्रत्येक सदस्य के पास आमतौर पर समान मतदान अधिकार होते हैं।
- **लाभ वितरण:** सहकारी बैंक अपने लाभ का एक हिस्सा सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवंटित करते हैं और लाभ का एक हिस्सा अपने सदस्यों के बीच वितरित कर सकते हैं।
- **वित्तीय समावेशन:** ये बैंक सुविधा विहीन लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वित्तीय समावेशन प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

चुनौतियां

- **वित्तीय संघर्ष:** सहकारी बैंकों को वित्तीय संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जिससे जमाकर्ताओं के बीच आर्थिक अनिश्चता का संकट पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए, पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (PMC) संकट।
- **विकसित होता वित्तीय क्षेत्र:** फिनटेक और अन्य एकीकृत वित्तीय सेवा प्रदाताओं का उदय, छोटे और कम विविधता वाले शहरी सहकारी बैंक के लिए खतरा पैदा करता है।
- **ऋण और जमा में गिरावट:** सहकारी बैंकों को ऋण और जमा दोनों में तेजी से गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, जो कमजोर वित्तीय स्थिति का संकेत देता है।
- **असमान भौगोलिक वितरण:** शहरी सहकारी बैंक महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में व्यापक रूप से मौजूद हैं, जहां उनकी कुल संख्या का 80% से अधिक संख्या में उपस्थिति है।

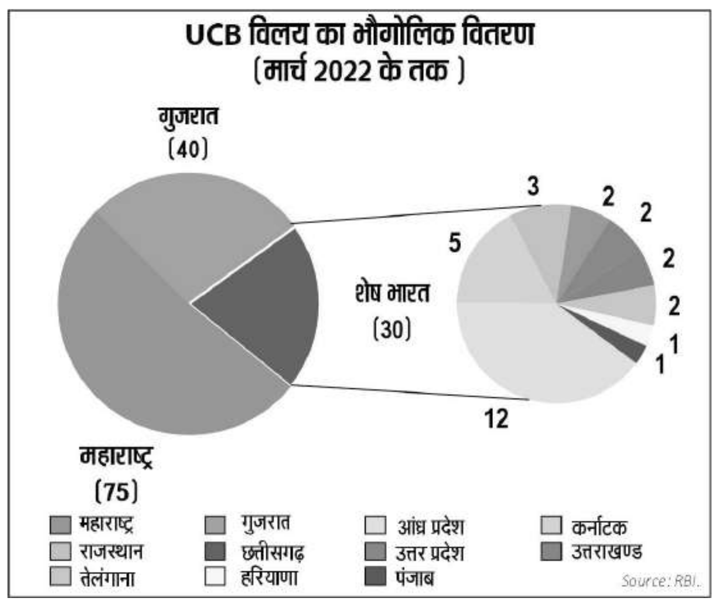

- **निवेश नीतियों का अभाव:** कई शहरी सहकारी बैंक औपचारिक निवेश नीतियों के बिना, स्व-अनुभव और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। हालाँकि, गैर-अनुपालन के उदाहरणों (जैसे कि कपटी बिचौलियों हेतु निवेश) के कारण काफी नुकसान हुआ है।
- **विनियामक बहुलता:** शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा विनियमन पर निर्भर करता हैं, जो कुशल संचालन में बाधा उत्पन्न हैं।

- **स्पष्ट ऋण नीतियों का अभाव:** कई शहरी सहकारी बैंकों में स्पष्ट ऋण नीतियों और पूर्व-ऋण मूल्यांकन तंत्र का अभाव है। इसके परिणामस्वरूप कुप्रबंधन होता है और ऋणों की वसूली न होने का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (non-performing assets-NPA) बढ़ जाती हैं।

आगे की राह

- शहरी सहकारी बैंक को ग्राहकों को जोड़ने और बनाए रखने के लिए नवाचार करते हुए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम जैसे आधुनिक तरीकों को अपनाना चाहिए।
- नए शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का लाइसेंस देने का कार्य किसी विशिष्ट वर्ग या समुदाय का पक्ष लिए बिना निष्पक्ष होना चाहिए।
- शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन और समेकन पर **एन.एस. विश्वनाथन समिति (2021)** की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए।
- नए दृष्टिकोण अपनाने और नवाचार में सहायता करने हेतु नए बोर्ड निदेशकों का नियमित नामांकन होने चाहिए।
- शहरी सहकारी बैंकों को महिलाओं की सदस्यता बढ़ानी चाहिए और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उधारकर्ता या जमाकर्ता के रूप में अवसर प्रदान करना चाहिए।
- बैंकों को कम आय वाले समूहों को लाभ पहुंचाने तथा ग्राहक प्रेषण को प्राथमिकता देने हेतु कम ब्याज वाले ऋण प्रदान करने चाहिए।
- बढ़ती लाभप्रदता के कारण शहरी बैंकों को अधिक लाभांश वितरित करने और नए सदस्यों को अधिक शेयर जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सामना की जाने वाली ऋण वसूली समस्याओं के समाधान के लिए बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत ऋण वसूली प्रक्रियाओं की समीक्षा जरूरी है।

4.3. घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23

संदर्भ

हाल ही में, राष्ट्रीय नमूना (प्रतिदर्श) सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (Household Consumption Expenditure Survey-HCES) 2022-23 जारी किया गया है।

सर्वेक्षण के प्रमुख बिन्दु

- घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 वर्ष 2011-12 के बाद जारी किया गया पहला प्रमुख सर्वेक्षण-आधारित डेटा है जो घरेलू स्तर पर धरातलीय वास्तविकता को दर्शाता है।
- इसके अनुसार, वर्ष 2022-23 में औसत अनुमानित **मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE)** ग्रामीण भारत में 3,773 रुपये और शहरी भारत में 6,459 रुपये रहा है।

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण

- घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण आमतौर पर पंचवर्षीय यानी हर पांच साल में आयोजित किया जाता है। हालाँकि, वर्ष 2017-18 में पिछले ऐसे उपभोग सर्वेक्षण के नतीजों को इसी तरह के रोजगार सर्वेक्षण के साथ, सरकार ने डेटा में "गुणवत्ता की समस्या" का हवाला देते हुए छोड़ दिया था।
- यह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा संचालित किया जाता है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अंतर्गत आता है और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का हिस्सा है।
- सर्वेक्षण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ दुर्गम गांवों को छोड़कर पूरे भारत को शामिल किया गया है।
- मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर रैंक किए गए भारत की ग्रामीण आबादी के निचले 5% लोगो का औसत 1,373 रुपये एमपीसीई रहा है, जबकि यही शहरी क्षेत्रों में समान श्रेणी के लोगों हेतु 2,001 रुपये है।

- मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर रैंक किए गए भारत की ग्रामीण और शहरी आबादी के शीर्ष 5% लोगों का औसत क्रमश: MPCI 10,501 रुपये और 20,824 रुपये क्रमशः है।
- राज्यों में, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए **सिक्किम में सबसे अधिक है** (ग्रामीण - 7,731 रुपये और शहरी - 12,105 रुपये)। यह **छत्तीसगढ़ में सबसे कम है** (ग्रामीण - 2,466 रुपये और शहरी - 4,483 रुपये)।
- राज्यों के बीच औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में ग्रामीण-शहरी अंतर **मेघालय** (83%) में सबसे अधिक है, इसके बाद **छत्तीसगढ़** (82%) है।
- केंद्रशासित प्रदेशों में, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय **चंडीगढ़ में सबसे अधिक है** (ग्रामीण - 7,467 रुपये और शहरी - 12,575 रुपये), जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए यह क्रमशः **लद्दाख** (4,035 रुपये) और **लक्षद्वीप (5,475 रुपये) में सबसे कम है।**

Trend in level of Consumption since 1999-00: All-India

Sector	Average MPCE (Rs.) over different period				
	1999-'00 NSS (55th round)	2004-05 NSS (61st round)	2009-10 NSS (66th round)	2011-12 NSS (68th round)	2022-23
Rural	486	579	1,054	1,430	3,773
Urban	855	1,105	1,984	2,630	6,459
Difference as % of Rural MPCE	75.9	90.8	88.2	83.9	71.2

Note: For the years 1999-00 2004-05, estimates are based on Mixed Reference Period (MRP) and for the years 2009-10, 2011-12 and 2022-23, these are based on Modified MRP (MMRP).

- **खाद्य व्यय रुझान:** वर्ष 1999-2000 (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 55वां

दौर) और वर्ष 2022-23 के बीच, शहरी और ग्रामीण परिवारों के लिए भोजन पर व्यय का हिस्सा धीरे-धीरे कम हो गया है।
- वर्ष 2022-23 के, ग्रामीण भारत में खाद्य पदार्थों पर व्यय का हिस्सा वर्ष 2011-12 में 52.90% से घटकर 46.38% हो गया। शहरी भारत में यह हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 के 42.62% से घटकर वर्ष 2022-23 में 39.17% हो गई।

Year	Rural % share of food in MPCE	Urban % share of food in MPCE
1990-2000	59-46	48.06
2004-05	53.11	42.51
2011-12	52.9	42.62
2022-23	46.38	39.17

सर्वेक्षण विधि

- घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 में वस्तुओं के उपभोग संग्रह को तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात्, **(i) खाद्य पदार्थ, (ii) उपभोग्य वस्तुएं एवं सेवा मद और (iii) टिकाऊ वस्तुएं।**
- सर्वेक्षण में गांवों/शहरी ब्लॉकों को प्रथम चरण की इकाई मानते हुए एक बहुस्तरीय स्तरीकृत नमूना डिजाइन का उपयोग किया गया था। परिवार अंतिम चरण की इकाइयाँ हैं।
- नमूनों का चयन करने के लिए प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण (SRSWOR) प्रणाली का उपयोग किया गया है।
- विभिन्न आर्थिक श्रेणियों के परिवारों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, एक चयनित गांव/शहरी ब्लॉक के सभी परिवारों को (i) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व वाली भूमि और (ii) शहरी क्षेत्रों में कार के स्वामित्व के आधार पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया है।

सर्वेक्षण का महत्व

- **नीति निर्माण समर्थन:** यह लक्षित सब्सिडी, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम और कर समायोजन को डिजाइन करने हेतु आवश्यक डेटा एकत्र करने में मदद करता है।
- **जीवन स्तर का आंकलन:** यह घरेलू व्यय विश्लेषण के माध्यम से जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता का आंकलन करने में मदद करता है।
- **आर्थिक मूल्यांकन:** यह अर्थशास्त्रियों के लिए उपभोग स्वरूप का विश्लेषण करने हेतु मुख्य डेटा सृजित करता है, जो आर्थिक स्थिरता, विकास और धन वितरण का संकेत देता है।
- **गरीबी और असमानता मापन:** यह गरीबी के स्तर को मापने, कमजोर समूहों की पहचान करने और आय असमानता को समझने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।
- **मुद्रास्फीति और लागत निगरानी:** यह प्रभावी मौद्रिक नीति निर्माण के लिए मुद्रास्फीति दर की गणना और जीवनयापन सूचकांक की लागत में योगदान देता है।

सर्वेक्षण में चुनौतियाँ

- **डेटा गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ:** डेटा गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के कारण वर्ष 2017-18 सर्वेक्षण के बंद होने से महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा हुईं।
- **निष्कर्षों को खारिज करना:** वर्ष 2017-18 सर्वेक्षण में उपभोक्ता खर्च में गिरावट का संकेत देने वाली रिपोर्टों को वर्ष 2019 में सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया था।
- **प्रशासनिक डेटा के साथ विचलन:** अन्य प्रशासनिक डेटा स्रोतों की तुलना में उपभोग पैटर्न में उल्लेखनीय असमानताएँ देखी गईं,जैसे कि वास्तविक उत्पादन डेटा |
- **सामाजिक सेवाओं की अपर्याप्त जानकारी:** विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा में सामाजिक सेवाओं की घरेलू खपत को सटीक रूप से पकड़ने की सर्वेक्षण की क्षमता के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गईं।
- **कम रिपोर्टिंग:** खपत व्यय की सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ बनी रहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर कम आंकलन या पूर्वाग्रह का संदेह होता है।
- **नमूनाकरण की समस्या:** यह सुनिश्चित करना कि सर्वेक्षण नमूना अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ भारत की विविध आबादी का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करता है, एक जटिल कार्य बना हुआ है।
- **क्षेत्रीय और सामयिक परिवर्तनशीलता:** सर्वेक्षण में मौसमी व्यय भिन्नताओं को पकड़ने और क्षेत्रीय असमानताओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- **डेटा गुणवत्ता में वृद्धि:** विश्वसनीय और सटीक सर्वेक्षण डेटा सुनिश्चित करने हेतु ठोस गुणवत्ता नियंत्रण उपाय लागू करने की आवश्यकता है।
- **सर्वेक्षण पद्धति को परिष्कृत करना:** सर्वेक्षण पद्धतियों में लगातार सुधार किया जाना चाहिए, विशेषकर सामाजिक सेवा उपभोग का पता लगाने में।
- **क्षमता निर्माण:** व्यय रिपोर्टिंग में कम रिपोर्टिंग और पूर्वाग्रह को दूर करने हेतु सर्वेक्षणकर्ताओं को प्रशिक्षण दी जानी चाहिए।
- **नमूनाकरण रणनीतियाँ बढ़ाना:** भारत की विविध आबादी का बेहतर प्रतिनिधित्व करने हेतु नमूनाकरण संग्रह तकनीकों में सुधार करने की आवश्यकता है।
- **डेटा स्रोतों को एकीकृत करना:** सत्यापन के लिए सर्वेक्षण डेटा को प्रशासनिक स्रोतों के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- **परिवर्तनशीलता हेतु रणनीति का विकास:** मौसमी व्यय भिन्नताओं और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए रणनीतियाँ विकसित की जानी चाहिए।

4.4. विश्व व्यापार संगठन और भारत की खाद्यान्न सब्सिडी

संदर्भ

हाल ही में, विश्व व्यापार संगठन (WTO) में थाईलैंड के राजदूत ने अबू धाबी (यूएई) में आयोजित WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत के सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (Public Stockholding-PSH) कार्यक्रम पर निशाना साधा।

विवरण

- **विश्व व्यापार संगठन** की 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान, थाईलैंड के राजदूत ने तर्क दिया कि भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली जन कल्याण के लिए नहीं बल्कि निर्यात बाजार पर "कब्ज़ा" करने के लिए है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, के तहत सरकार उत्पादकों से आवश्यक खाद्यान्नों को खरीदती है और उन्हें सस्ते दरों पर जनता को वितरित करती है।
- थाईलैंड ने लगातार भारत के सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रम को अत्यधिक सब्सिडी वाला माना है, जिससे वैश्विक खाद्य कीमतें विकृत हो रही हैं और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा कमजोर हो रही है।
  - ✓ व्यापार विकृति एक ऐसी स्थिति है जहां कीमतें और उत्पादन उस स्तर से अधिक या कम होते हैं जो आमतौर पर प्रतिस्पर्धी बाजार में मौजूद होते हैं।
  - ✓ विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, लगभग सभी घरेलू सहायतों उपायों को ऐसे व्यापार को विकृत करने वाला माना जाता है, लेकिन उन्हें एक निश्चित सीमा तक अनुमति दी जाती है जिसे **'डी मिनिमिस' सीमा** कहा जाता है।
- भारत के बाद, थाईलैंड दुनिया का **दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है।**
  - ✓ थाईलैंड केर्न्स समूह (20 सदस्य देश) का सदस्य है, जिसमें वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा आदि जैसे चावल निर्यातक देश शामिल हैं।
  - ✓ यह गठबंधन कृषि उत्पादों के लिए **निर्यात सब्सिडी** और **व्यापार-विकृत ("एम्बर बॉक्स")करने वाले** घरेलू समर्थन को समाप्त करके वैश्विक कृषि व्यापार के उदारीकरण पर जोर देता है।
- भारत का गैर-बासमती चावल का निर्यात वित्त वर्ष 2020 में 1.38 MMT से लगभग 360% बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में लगभग 6.40 MMT हो गया।
- साथ ही, भारत बासमती और गैर-बासमती किस्मों सहित शीर्ष चावल निर्यातक देश बन गया, जिसकी वर्ष 2022 में वैश्विक चावल व्यापार में लगभग 40% हिस्सेदारी थी।

विश्व व्यापार संगठन और इसकी सब्सिडी

- **स्थापना**
  - ✓ इसकी स्थापना 1 जनवरी, 1995 को हुई थी। इसने प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) को प्रतिस्थापित किया, जिसे वर्ष 1948 में बनाया गया था।
  - ✓ **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- **उद्देश्य**
  - ✓ निष्पक्ष और पारदर्शी व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना।
  - ✓ आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना।
  - ✓ सुनिश्चित करना कि सदस्य देश व्यापार समझौतों का सम्मान करें और उनका पालन करें।
- **सदस्यता**
  - ✓ वर्तमान में यूरोपीय संघ सहित इसके 164 सदस्य हैं।
  - ✓ इसकी सदस्यता किसी भी राज्य या सीमा शुल्क क्षेत्र (जो डब्ल्यूटीओ के नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए सहमत है) के लिए खुली है।
- **विश्व व्यापार संगठन के तहत सब्सिडी**

ग्रीन बॉक्स	एम्बर बॉक्स	ब्लू बॉक्स
ऐसी सब्सिडी जो व्यापार को विकृत नहीं करती या न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न नहीं करती। कोई सीमा नहीं।	सब्सिडी की विस्तृत श्रृंखला। कृषि उत्पादन के 5% तक सीमित (विकासशील देशों के लिए 10%)।	सब्सिडी की विस्तृत श्रृंखला की अनुमति है लेकिन इसे व्यापार विकृति को कम करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, कोई सीमा नहीं।

विश्व व्यापार संगठन में भारत की सब्सिडी के लिए चुनौतियाँ

- विश्व व्यापार संगठन के **कृषि समझौते (Agreement on Agriculture-AoA)** के अनुसार, उत्पाद-विशिष्ट समर्थन कृषि उत्पाद के कुल उत्पादन मूल्य के **5% से अधिक** नहीं होना चाहिए।
  - ✓ हालाँकि, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह सीमा **10%** है।
- भारत ने विश्व व्यापार संगठन को सूचित किया कि वर्ष 2019-20 में उसका चावल उत्पादन मूल्य 46.07 बिलियन डॉलर था। हालाँकि, प्रदान की गई सब्सिडी 6.31 बिलियन डॉलर थी, जो 13.7% (अनुमत 10% से अधिक) थी।
- चावल के मामले में अनुमत सीमा के इस उल्लंघन ने थाईलैंड जैसे अन्य निर्यातकों को नाराज कर दिया है, क्योंकि उन्हें भारतीय चावल के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा है और भारत के हाथों वैश्विक निर्यात बाजार हिस्सेदारी खोनी पड़ रही है।
- भारत ने डब्ल्यूटीओ में सब्सिडी की गणना के तरीके पर सवाल उठाया है और कहा है कि इसकी गणना वर्ष 1986-88 की एक निश्चित और पुरानी कीमत (जो सब्सिडी को बढ़ा-चढ़ाकर बताती है) पर की जाती है।

- भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ (European Union-EU) जैसे विकसित देश अपने किसानों को भारत की तुलना में अधिक सब्सिडी प्रदान करते हैं।

शांति उपबंध

- **परिभाषा:**
  - ✓ कृषि संधि के अनुच्छेद 13 में शांति उपबंध को शामिल किया गया है।
  - ✓ यह विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा अपने उत्पादकों को दी जाने वाली निर्यात सब्सिडी और सहायता उपायों को मान्य करता है।
- **कानूनी वैधता:**
  - ✓ शांति उपबंध के अंतर्गत शामिल सब्सिडी और सहायता उपायों को अन्य विश्व व्यापार संगठन समझौतों के तहत कानूनी रूप से अवैध के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- **विकासशील देशों के लिए सुरक्षा:**
  - ✓ विकासशील देशों को सब्सिडी स्तरों के उल्लंघन हेतु चुनौती से बचाने के लिए इसे वर्ष 2013 में बाली संधि के तहत लागू किया गया था।
  - ✓ यदि कोई विकासशील देश निर्धारित सब्सिडी सीमा का अतिक्रमण करता है, तो अन्य विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान मंच पर इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने पर रोक लगाता है।

- भारत सरकार प्रति किसान 300 डॉलर की सब्सिडी प्रदान करती है, जबकि अमेरिका में, सब्सिडी की राशि प्रति किसान 40,000 डॉलर है।

भारत द्वारा खरीद का उद्देश्य

- भारत की खाद्यान्न खरीद का उद्देश्य **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम** और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है।
- इसका उद्देश्य आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि वैश्विक खाद्य व्यापार को विकृत करना।
- भारत ने सार्वजनिक खरीद और स्टॉकहोल्डिंग के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन (MSP) प्रदान करने के आधार के रूप में किसान आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या, फसल की विफलता, वित्तीय संकट और खाद्य सुरक्षा का हवाला दिया है।

सब्सिडी मानदंडों के पुनर्मूल्यांकन की जरूरत

- **असमान प्रतिनिधित्व:** अपनी स्थापना के बाद से ही विश्व व्यापार संगठन को व्यापार चर्चाओं में असमान व्यवहार के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, अक्सर वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) और उभरते बाजारों को दरकिनार कर दिया जाता है।
- **खाद्य सब्सिडी सीमा:** विश्व व्यापार संगठन ने एक प्रतिबंध लगाया है जिसमें किसी भी सदस्य का खाद्य सब्सिडी बिल वर्ष 1986-88 की कीमत का संदर्भ देते हुए उत्पादन मूल्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह विकासशील देशों में कृषि और गरीब किसानों के लिए सब्सिडी को असंगत रूप से प्रभावित करता है।
- **खाद्य सुरक्षा में असमानता:** असंतुलित व्यापार समझौतों ने विकसित देशों को अधिक लाभान्वित किय है, जिसके परिणामस्वरूप विकासशील देशों की तुलना में खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई है।
- **बढ़ती खाद्य असुरक्षा:** हाल की वैश्विक घटनाओं जैसे कि कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष ने सब्सिडी मानदंडों के पुनर्मूल्यांकन की तात्कालिकता को रेखांकित किया है। अब खाद्य और उर्वरक सुरक्षा सुनिश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

भारत का प्रस्ताव

- भारत सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग मुद्दे का "स्थायी समाधान" पर जोर देता है। इसने बाह्य संदर्भ मूल्य (External Reference Price-ERP) अवधि को अद्यतन करने या सब्सिडी गणना में मुद्रास्फीति को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।
  - ✓ बाह्य संदर्भ मूल्य आधार अवधि (वर्ष 1986-1988) के दौरान निर्यात/आयात मूल्य है। वर्तमान कीमतें अधिक होने के बावजूद, भारत के एमएसपी की तुलना वर्ष 1986-1988 के औसत अंतरराष्ट्रीय मूल्य 262 डॉलर प्रति टन से की जाती है।
- खाद्य सुरक्षा चिंताओं को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए वर्ष 2013 के बाद के कार्यक्रमों को **शांति उपबंध** के तहत शामिल किया जाना चाहिए।
- विश्व व्यापार संगठन का 13वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के सार्वजनिक खाद्य भंडारण के स्थायी समाधान पर बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया।

आगे की राह

- **संघ बनाना:** भारत अन्य विकासशील देशों या क्षेत्रीय समूहों के साथ संघ बना सकता है जो कृषि सब्सिडी से संबंधित चिंताओं को साझा करते हैं। इससे उनके सौदेबाजी की शक्ति मे वृद्धि होगी और उनकी मांगें माने जाने की संभावना बढ़ जायेगी।
- **ठोस साक्ष्य प्रदान करना:** भारत को अपनी स्थिति के महत्व और वैधता को प्रदर्शित करते हुए, अपनी मांगों के समर्थन में ठोस साक्ष्य और डेटा प्रदान करना चाहिए।
- **नीति सुधार और युक्तिसंगतकरण:** इसके साथ ही, भारत को अपने सब्सिडी कार्यक्रमों में भी सुधार करने और उन्हें युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे लक्षित, प्रभावी और विश्व व्यापार संगठन नियमों के अनुरूप हों।

4.5. MSME निर्यात प्रोत्साहन पर नीति आयोग की रिपोर्ट

संदर्भ

हाल ही में नीति आयोग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) से निर्यात को बढ़ावा देने पर एक रिपोर्ट जारी की।

भारत में एमएसएमई क्षेत्र का अवलोकन

- एमएसएमई को अक्सर भारतीय अर्थव्यवस्था का उर्जा केंद्र कहा जाता है। ये रोजगार सृजन, निर्यात और समग्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- ये उद्यम 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 27.0% का योगदान देते हैं।
- भारत में लगभग 6.4 करोड़ एमएसएमई हैं, जिनमें से 1.5 करोड़ **उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत** हैं।
- एमएसएमई भारतीय श्रम बल के लगभग 23.0% को रोजगार देते हैं,

जो इन्हें कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता बनाता है।

- एमएसएमई कुल विनिर्माण उत्पादन में 38.4% का योगदान देता है और देश के कुल निर्यात में 45.03% हिस्सेदारी रखता है।
- एमएसएमई हेतु निर्यात को आगे बढ़ाने के अवसर के बावजूद, केवल 0.95% एमएसएमई निर्यात में संलग्न हैं।
- **एमएसएमई मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट** के अनुसार, एमएसएमई विनिर्माण की उच्चतम सकेन्द्रण वाले शीर्ष पांच राज्य **उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात हैं।**

एमएसएमई की परिभाषा

- जून 2020 में, वित्त मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को संशोधित किया, जो संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई को परिभाषित करने के लिए टर्नओवर को एक अन्य मानदंड के रूप में पेश किया गया था।
- संशोधित परिभाषा ने विनिर्माण और सेवा उद्यमों के बीच अंतर को भी खत्म कर दिया।

उद्यम पोर्टल

- यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय द्वारा एमएसएमई के पंजीकरण हेतु शुरू किया गया एक मुफ्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।
- जून 2020 में एमएसएमई की संशोधित परिभाषा को अपनाने के बाद, **उद्यम पंजीकरण पोर्टल 1 जुलाई 2020 को शुरू** किया गया था।
- यह पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम है, इसके लिए किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है और यह एमएसएमई के लिए व्यवसाय करने में आसानी की दिशा में एक कदम है।
- इसके अलावा, यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) के डेटाबेस से जुड़ा हुआ है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संशोधित परिभाषा

पैरामीटर	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
प्लांट और मशीनरी में निवेश	< 1 करोड़ रुपये	< 10 करोड़ रुपये	< 50 करोड़ रुपये
वार्षिक टर्नओवर	< 5 करोड़ रुपये	< 50 करोड़ रुपये	< 250 करोड़ रुपये
एमएसएमई की संख्या (एनएसएस डेटा के अनुसार)	6.3 करोड़	3.3 लाख	5 हजार
एमएसएमई की संख्या (31 मार्च 2023 तक उद्यम डेटा के अनुसार)	1.5 करोड़	4.6 लाख	41 हजार

एमएसएमई के लिए अवसर

- श्रम गहन
- वैश्वीकरण
- जनसंख्या
- कौशल विकास
- श्रम बल की उपलब्धता
- निर्यात क्षमता

एमएसएमई के समक्ष चुनौतियाँ

- **जानकारी का अभाव:** भारतीय एमएसएमई निर्यातकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती माल निर्यात के संबंध में समय पर और सटीक जानकारी प्राप्त करना और बाजार अनुसंधान करना है।
- **अनुपालन प्रक्रिया:** चीन ने वर्ष 2022 में ई-कॉमर्स के माध्यम से 200 बिलियन डॉलर का माल निर्यात किया, जबकि उसी प्रणाली के माध्यम से भारत का निर्यात केवल 2 बिलियन डॉलर रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार इस असमानता का मुख्य कारण भारत की बोझिल निर्यात अनुपालन प्रक्रियाएँ हैं।

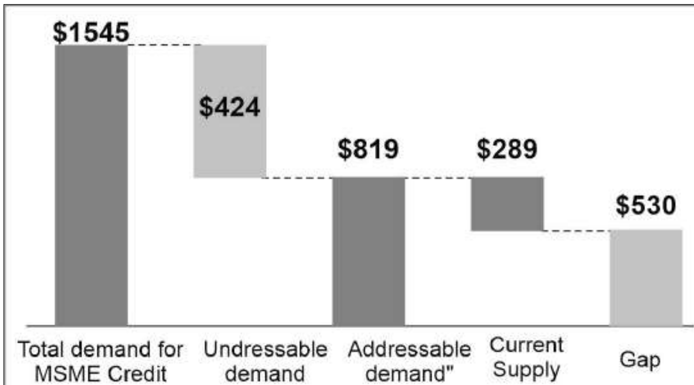

*Figure 4.6: Demand supply gap in debt finance for MSMEs (in USD billions)**

- **ऋण की सीमित उपलब्धता:** निषेधात्मक पूंजी लागत एवं सीमित वित्तपोषण विकल्प निवेश और व्यवसाय विस्तार में बाधा डालते हैं। 6.34 करोड़ एमएसएमई इकाइयों में से केवल 14% की ऋण सुविधा तक पहुंच है, जबकि विकसित देशों में यह आंकड़ा 30% से अधिक है।
- **गैर-प्रशुल्क बाधाएं:** एमएसएमई को विभिन्न गैर-शुल्क बाधाओं का सामना करना पड़ता है (जैसे- तकनीकी विनियमन मानक और प्रमाणन आवश्यकताएं), जिससे विदेशी बाजारों तक पहुंच कठिन हो जाता है।
- **कौशल की कमी:** विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षित कार्यबल की कमी उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन मानक हासिल करने में बाधा डालती है।
- **तकनीकी सीमाएँ:** उन्नत प्रौद्योगिकियों तथा अनुसंधान एवं विकास अभाव तक सीमित पहुंच नवाचार और प्रगति में बाधा डालती है।
- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** कुल 6.34 करोड़ एमएसएमई में से, लगभग 6.3 करोड़ सूक्ष्म उद्यम हैं जिनमें 20 से कम कर्मचारी हैं और इसलिए वे भविष्य निधि, चिकित्सा बीमा आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान नहीं करते हैं।
- **कठोर श्रम कानून:** भारत में वर्तमान नीति परिदृश्य एमएसएमई को छोटा बनाए रखती है, जिससे बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने की उनकी क्षमता बाधित होती है, जैसे- औद्योगिक विवाद अधिनियम (IDA), 1947 100 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों

को कर्मचारियों की छंटनी से पहले सरकार से अनुमति लेने का प्रावधान करता है।

एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

- **सहायता और मार्गदर्शन:**
  - ✓ **निर्यात सुविधा केंद्र (Export Facilitation Centers-EFCs):** सम्पूर्ण भारत में 52 निर्यात सुविधा केंद्र का एक तंत्र एमएसएमई को निर्यात प्रक्रिया के संचालन करने में महत्वपूर्ण सलाह और सहायता प्रदान करता है।
  - ✓ **उद्यम विकास केंद्र (EDCs):** ये 102 केंद्र मौजूदा और महत्वाकांक्षी एमएसएमई (जो ग्रामीण उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं) को पेशेवर मार्गदर्शन और सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं, ताकि उन्हें निर्यात हेतु तैयार होने में मदद मिल सके।
- **वित्तीय सहायता:**
  - ✓ **निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (RoDTEP):** यह योजना निर्यातित वस्तुओं पर शुल्कों और करों की प्रतिपूर्ति करती है, जिससे वैश्विक बाजार में उनकी मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।
  - ✓ **मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स (MAI) योजना:** यह कार्यक्रम बाजार अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी और विदेशी प्रचार अभियान जैसी गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  - ✓ **एमएसएमई-एमडीए (बाजार विकास सहायता) योजना:** यात्रा व्यय, बाजार अध्ययन और एंटी-डंपिंग मामलों में भागीदारी के लिए एमएसएमई निर्यात संघों को वित्तीय सहायता की पेशकश की जाती है।
- **प्रक्रियाओं को सरल बनाना:**
  - ✓ **एमएसएमई के लिए उदारीकृत अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (AEO) कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम निर्यात प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए एईओ-प्रमाणित एमएसएमई हेतु तेजी से सीमा शुल्क अनुमति(कलीयेरंस) प्रदान करता है।

रिपोर्ट में सिफारिशें

- **वन-स्टॉप सूचना तंत्र स्थापित करना:** निर्यातकों को शुल्क, कागजी कार्रवाई आवश्यकताओं, वित्तपोषण स्रोतों, सेवा प्रदाताओं, प्रोत्साहनों और संभावित ग्राहकों सहित बाजार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक व्यापक एआई-आधारित पोर्टल विकसित करना।
- **एक राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क (NTN) बनाना:** लाइसेंस प्राप्त करने से लेकर भुगतान प्राप्त करने, कागजी कार्रवाई के बोझ और देरी को कम करने और निर्यात प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु एक व्यापक व्यापार पोर्टल तैयार करना चाहिए। वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक टास्क फोर्स इनके कार्यान्वयन की निगरानी कर सकती है।
- **ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना:** एक्सपोर्टर ऑन रिकॉर्ड (EOR) और सेलर ऑन रिकॉर्ड (SOR) के बीच अंतर करके, लचीले इनवॉइस मूल्यों की अनुमति देकर, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए वार्षिक वित्तीय समाधान शुरू करके और ग्रीन चैनल निकासी की सुविधा देकर एमएसएमई ई-कॉमर्स निर्यात में बाधा डालने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए।
- **माल निर्यात को सुविधजनक बनाना:** निर्यात प्रक्रियाओं हेतु व्यापार करने में सरलता को बढ़ाना, एमएसएमई को अनुपालन आवश्यकताओं से छूट प्रदान करना और लाभों का समय पर वितरण करना।
- **निर्यात वित्त तक पहुंच में सुधार:** एमएसएमई के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु निर्यात ऋण गारंटी योजनाओं को प्रोत्साहित करना। निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ECGC) योजनाओं की वर्तमान हिस्सेदारी केवल 10% है और सरकार को इसे 50% या उससे अधिक तक बढ़ाने हेतु एक प्रोत्साहन पैकेज बनाना चाहिए।
- **सटीक डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करना:** एमएसएमई निर्यात को सटीक रूप से दर्शाने हेतु पैन नंबर का उपयोग करके विदेश व्यापार महानिदेशालय (Directorate General of Foreign Trade-DGFT) व्यापार डेटा को जीएसटी और आयकर डेटा के साथ एकीकृत करना चाहिए। गोपनीयता की सुरक्षा करते हुए डेटा साझा करने की सुविधा हेतु संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनायी जानी चाहिए।

4.6. निर्धनता पर वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक डेटा

संदर्भ

वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत 'चरम निर्धनता' में जीवन यापन करने वाली आबादी को **कुल जनसख्या के 3% से भी कम करने में सफल रहा है।**

डेटा के प्रमुख बिंदु

- **वैश्विक स्तर पर**
  - ✓ **विश्व की 7.8% आबादी** यानी 628 मिलियन लोग चरम निर्धनता में जीवन यापन करते हैं।

भारत के संदर्भ में

- आंकड़ो को एकत्रित करने के लिए क्लॉक ने क्रय शक्ति समता (PPP) के संदर्भ में आय का स्तर $2.15 प्रति दिन निर्धारित किया। तदनुसार, 2024 में चरम निर्धनता का सामना करने वाली जनसंख्या लगभग 3.44 करोड़ हैं, जबकि 2022 में यह संख्या 4.69 करोड़ थी।
- कुल जनसंख्या के हिस्से के रूप में, चरम निर्धनता में जीवन यापन करने वाली जनसंख्या 2022 में 3.3 प्रतिशत से घटकर 2.4 प्रतिशत हो गई है।

- PPP का प्रयोग आर्थिक डेटा की वैश्विक तुलना का बेहतर अनुमान प्रदर्शित करता हैं, जिससे पता चलता है कि **चरम निर्धनता में जीवन यापन करने वाले 94% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं** जबकि **शेष 6% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।**
- उपभोक्ता अनुभव सर्वेक्षण ने 2022-23 में भारत में निर्धनता के स्तर में भारी गिरावट पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें **शहरी निर्धनता 4.6% और ग्रामीण निर्धनता 7.2% है।**
- **2011-12 के बाद** से वास्तविक **प्रति व्यक्ति खपत वृद्धि औसतन 2.9% प्रति वर्ष** रही है, जिसमें ग्रामीण विकास दर (3.1%) शहरी विकास दर(2.6%) की तुलना में अधिक है।

वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक

- यह विभिन्न देशों में **निर्धनता में कमी** की निगरानी के लिए एक रीयल टाइम प्लेटफोर्म प्रदान करता है
- यह अत्यधिक निर्धनता को समाप्त करने की प्रगति पर नज़र रखता है, जो की **संयुक्त राष्ट्र का पहला सतत विकास लक्ष्य (SDG) है।**
- **अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD)** और **जर्मनी के संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित।**
- यह उम्र, लिंग और ग्रामीण/शहरी स्थान के आधार पर विश्व में अत्यधिक निर्धनता में जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है

निर्धनता क्या है?

- यह उस न्यूनतम मौद्रिक आय का अभाव है, जो किसी व्यक्ति को जीवन की बुनियादी जरूरतें वहन करने के लिए होनी चाहिए।
- **विश्व बैंक** अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का उपयोग करके निर्धनता को परिभाषित करता है। यह चरम निर्धनता को **प्रति व्यक्ति प्रति दिन $2.15** से कम आय के रूप में परिभाषित करता है।
- निर्धनता रेखा **जल, स्वच्छता, बिजली और जल निकासी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक आय स्तर पर आधारित है, जो एक सुरक्षित, सम्मानजनक** और **स्वस्थ मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं।**
- **भारत में निर्धनता रेखा शहरी क्षेत्रों के लिए 1,286 रुपये प्रति माह और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,059.42 रुपये प्रति माह निर्धारित है।**

विगत वर्षों में निर्धनता रेखा आकलन के प्रयास

- **अलघ समिति (1979):** वाई के अलघ की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया।
  - ✓ इसने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह न्यूनतम उपभोग व्यय 49.1 रुपये और न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता 2400 निर्धारित की, जबकि शहरी क्षेत्रों में में प्रति व्यक्ति प्रति माह न्यूनतम उपभोग व्यय 56.7 रुपये है और न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता 2100 निर्धारित की।

निर्धनता नियंत्रण में वृद्धि

वर्ष	कुल जनसँख्या (करोड़ में)	चरम निर्धनता में जीवन यापन करने वालो की संख्या (करोड़ में)	%
2016	132.37	7.59	5.7
2018	135.29	6.26	4.6
2020	138.21	6.73	4.9
2022	140.85	4.69	3.3
2024	143.48	3.44	2.4

Source: www.worldpoverty.io

- **लकड़ावाला समिति (1993):** डी टी लकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित।
  - ✓ कैलोरी सेवन के आधार पर उपभोग व्यय।
  - ✓ राज्य-विशिष्ट निर्धनता रेखाएं और इन्हें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का उपयोग करके अद्यतन किया जाना चाहिए।
  - ✓ राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के आधार पर निर्धनता अनुमानों की 'स्केलिंग' को बंद करना चाहिए।
- **तेंदुलकर समिति (2005):** सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में गठित|
  - ✓ **तीन प्रमुख मुद्दों को संबोधित किया गया** : पुराने उपभोग पैटर्न, अपर्याप्त मुद्रास्फीति समायोजन, और राज्य द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में धारणाएँ।
  - ✓ **इसने कैलोरी-आधारित निर्धनता** अनुमान का उपयोग न करने, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक समान निर्धनता रेखा बास्केट अपनाने, मूल्य समायोजन प्रक्रियाओं में सुधार करने और निर्धनता अनुमान में स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय को शामिल करने की सिफारिश की थी।
- **रंगराजन समिति (2012):** सी रंगराजन की अध्यक्षता में गठित|
  - ✓ इसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग निर्धनता रेखा बास्केट की सिफारिश की।
  - ✓ इसने कैलोरी, प्रोटीन और वसा मानदंडों की एक साथ समन्वय पर विचार करके, पोषण परिणामों के महत्व को पहचानने और बाल पोषण सहायता के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर विचार करके निर्धनता रेखा बास्केट के खाद्य घटक को प्राप्त करने का सुझाव दिया।
  - ✓ रिपोर्ट में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS) की तुलना में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के उपभोग व्यय अनुमानों का उपयोग करने को प्राथमिकता दी गई।

भारत में निर्धनता के कारण

- **जनसंख्या**
  - ✓ तेजी से बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर दबाव डाल सकती है और सभी के लिए रोजगार सृजन में चुनौती उत्पन्न कर सकती है।
  - ✓ **विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार** , भारत जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है।

- **आय असमानता**
  - ✓ अमीर और गरीब के बीच की खाई गरीबों के लिए अवसरों को सीमित कर सकती है।
  - ✓ **'विश्व असमानता रिपोर्ट 2022'** के अनुसार , बढ़ती निर्धनता और 'समृद्ध अभिजात वर्ग' के साथ भारत विश्व के सबसे असमान देशों में से एक है। यह रेखांकित करता है कि भारत में शीर्ष 1% और शीर्ष 10% के पास कुल राष्ट्रीय आय का क्रमशः 22% और 57% हिस्सा है, जबकि निचले 50% की हिस्सेदारी कम होकर 13% हो गई है।
- **जल, स्वच्छता और पोषण तक पहुंच का अभाव:**
  - ✓ बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुच का अभाव और कुपोषण लोगों की काम करने और उत्पादक होने की क्षमता को सीमित कर सकता है।
  - ✓ 2023 में जारी **ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट** में भारत का स्थान 125 देशों में से 111वां है।
- **कौशल की कमी**
  - ✓ भारत में साक्षरता दर बढ़ रही है, फिर भी लाखों लोगों के पास रोजगारपरक बुनियादी कौशल का अभाव है।
  - ✓ **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अनुसार** , 2021 तक भारत की औसत साक्षरता दर लगभग 77% है|
- **बेरोजगारी**
  - ✓ उच्च बेरोज़गारी दर, विशेष रूप से कोविड महामारी के बाद, कई लोगों को बुनियादी ज़रूरतों को वहन करने के लिए आय से वंचित कर दिया है।
  - ✓ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के अनुसार , भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी की बेरोजगारी दर दिसंबर 2023 8.7 प्रतिशत हो गई |
- **प्राकृतिक आपदाएँ और जलवायु परिवर्तन**
  - ✓ ये घटनाएँ फसलों, घरों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकती हैं, लोगों को निर्धनता में धकेल सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में, भारत को केरल (2018), उत्तराखंड और कश्मीर (2013) में बाढ़ से लेकर सुनामी (2004) और गुजरात भूकंप (2001) तक विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है।
- **सामाजिक संघर्ष**
  - ✓ जाति व्यवस्था, अंध विश्वास, दहेज और विरासत कानून इत्यादि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी में वृद्धि का कारण हैं|

निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार की पहल

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA): यह अधिनियम** प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का प्रावधान करता है।
- **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAYNRLM):** इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर निर्धनता को कम करना है, जिसके परिणामस्वरूप गरीबों के लिए टिकाऊ और विविध आजीविका विकल्प उपलब्ध होंगे।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G):** इसका उद्देश्य सभी आवासहीन परिवारों और कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर प्रदान करना है।
- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:** यह निर्धनता रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक योजना है।
- **संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY):** ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और साथ ही खाद्य सुरक्षा और अधिक वेतन रोजगार सुनिश्चित करना।
- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY):** अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों (यानी अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों और प्राथमिकता घरेलू राशन कार्ड लाभार्थियों) को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA):** यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% तक ग्रामीण और 50% तक शहरी आबादी को कवरेज प्रदान करता है।

आगे की राह

- **"निर्धनता उन्मूलन" पर नीति आयोग के द्वारा निम्नलिखित की अनुशंसा की गई है:**
  - ✓ **कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन:** ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की व्यापकता को देखते हुए, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने, किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और 'दूसरी हरित क्रांति' को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाना चाहिए।
  - ✓ **रोजगार का विविधीकरण** : भले ही कृषि अभी भी महत्वपूर्ण है लेकिन औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में विस्तार के माध्यम से अधिक उचित संभावनाएं सृजित की जानी चाहिए। परिधान, जूते, खाद्य प्रसंस्करण और खुदरा व्यापार जैसे क्षेत्रों का विस्तार किया जाना चाहिए।
  - ✓ **निर्धनता-उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ाना:** PDS के तहत नकद या वस्तु हस्तांतरण की पेशकश, मनरेगा के अंतर्गत कौशल विकास को शामिल करना और लाभों के कुशल वितरण के लिए JAM (जन धन योजना, आधार, मोबाइल) ट्रिनिटी का लाभ उठाना शामिल है।
  - ✓ **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** आधार खाते और मोबाइल कनेक्टिविटी लाभ वितरण को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, रिसाव को कम कर सकते हैं और सरकार को लक्षित हस्तक्षेपों के लिए सटीक डेटा प्रदान कर सकते हैं।
  - ✓ **सामुदायिक भागीदारी:** ग्राम पंचायतों को प्रत्येक गांव में पांच सबसे गरीब परिवारों की पहचान करने और उनका समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए| जिसका लक्ष्य लक्षित सहायता और सशक्तिकरण पहल के माध्यम से उन्हें निर्धनता से बाहर निकालना हो।

4.7. गिग इकोनॉमी

संदर्भ

हाल ही में, गिग इकोनॉमी पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 85% गिग वर्कर्स 8 घंटे से अधिक समय तक काम करते हैं।

सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु

- सर्वेक्षण में शामिल 85% गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक काम करते हैं, जबकि 21% वर्कर्स प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक काम करते हैं।
- महिला गिग वर्कर्स के एक महत्वपूर्ण हिस्से (65%) ने उनसे संबंधित रोजगार में असुरक्षित महसूस करने की बात कही है।
- 5,220 उत्तरदाताओं में से, 57% दो से पांच वर्षों से ड्राइवर या राइडर हैं और 16% पांच वर्षों से अधिक समय से ड्राइवर या राइडर हैं।
- युवा वयस्कों (22-30), जिनसे गिग कार्यो को एक अस्थायी नौकरी के रूप में मानने की उम्मीद की जाती है,उनमे से लगभग आधे (47%) दो वर्षों से अधिक समय से गिग वर्कर्स के रूप में कार्यरत हैं।
- सर्वेक्षण रिपोर्ट कार्य की शारीरिक रूप से गहन प्रकृति को ध्यान मे रखते हुए काम के घंटों को निर्धारित करने पर जोर देती है। निर्धारित अवधि के बाद प्लेटफ़ॉर्म को ओवरटाइम का भुगतान करना होगा।

गिग इकोनॉमी क्या है?

- भारत में गिग इकोनॉमी एक मुक्त-बाज़ार व्यवस्था को दर्शाती है, जहां संगठन कंपनी की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्कर्स की अल्पकालिक भर्ती या अनुबंध में संलग्न होते हैं।
- गिग इकोनॉमी के अंतर्गत रोजगार स्वाभाविक रूप से अस्थायी होते हैं, जिन्हें अल्पकालिक प्रतिबद्धताओं के माध्यम से कंपनियों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।
- ओला, उबर, ज़ोमैटो और स्विगी समेत अन्य कंपनियां भारत की गिग इकॉनमी में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

गिग वर्कर्स

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (भारत)** के अनुसार, "गिग वर्कर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के बाहर काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी गतिविधियों से आय अर्जित करता है।"
- ये स्वतंत्र ठेकेदार, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स, अनुबंध फर्म वर्कर्स, ऑन-कॉल वर्कर्स और अस्थायी वर्कर्स होते हैं।

भारत में गिग इकोनॉमी की वर्तमान स्थिति

- **एसोचैम (ASSOCHAM) के अनुसार** , भारत की गिग इकोनॉमी 17 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ रही है।
  - ✓ भारतीय गिग इकोनॉमी में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 1.25% जोड़ने और भारत के गैर-कृषि क्षेत्रों में 90 मिलियन से अधिक रोजगार सृजन करने की क्षमता है।
  - ✓ लगभग 60 प्रतिशत तकनीकी उद्योग संगठन अब गिग वर्कर्स में निवेश कर रहे हैं, और इनमें से 97 प्रतिशत कंपनियां गिग वर्कर्स को अपने मौजूदा स्तर पर रखना चाहती हैं या अधिक गिग वर्कर्स को नियुक्त करना चाहती हैं।
- **गिग इकोनॉमी पर नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार** , 2030 तक गिग कार्यबल बढ़कर 2.35 करोड़ हो सकता है।
- **बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार**, भारत में 15 मिलियन से अधिक वर्कर्स विभिन्न उद्योगों में गिग वर्कर के रूप में कार्यरत हैं। यह संख्या निकट-मध्यम अवधि में 24 मिलियन से अधिक और दीर्घ अवधि में 90 मिलियन तक बढ़ने का अनुमान है।

गिग इकोनॉमी का महत्व

- **नम्यता में वृद्धि** : गिग आधारित कार्य वर्कर्स को अपने शेड्यूल(समय सारणी) और कार्य-जीवन संतुलन को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, जो बच्चों की देखभाल, शिक्षा, या अन्य हितों को पूरा करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है।
- **बेहतर आय सृजन क्षमता:** उच्च-मांग वाले क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी दरों पर कुशल वर्कर कई काम करके, संभावित रूप से पारंपरिक वेतन से अधिक अर्जित सकते हैं।
- **कैरियर अन्वेषण:** यह विविध अवसर प्रदान करता है, जिससे व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने और अपने रूचि के अनुरूप कार्य करने का मौका मिलता है।
- **प्रतिभाओं तक पहुंच:** कंपनियां कुशल पेशेवरों के एक विशाल समूह तक पहुंच प्राप्त करती हैं, जिससे उन्हें दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं के बिना विशिष्ट परियोजनाओं के लिए नियुक्ति करने की अनुमति मिलती है।
- **लागत-प्रभावशीलता:** गिग श्रमिकों को काम पर रखने से पूर्णकालिक कर्मचारियों से जुड़े लाभ और अतिरिक्त लागत की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे यह एक बजट-अनुकूल विकल्प बन जाता है।
- **व्यवसाय विस्तार (स्केलेबिलिटी):** व्यवसाय इष्टतम संसाधन आवंटन सुनिश्चित करते हुए, परियोजना की जरूरतों के आधार पर अपने कार्यबल को आसानी से कम या अधिक कर सकते हैं।

भारत में गिग इकोनॉमी की प्रमुख चुनौतियाँ

- नीति आयोग 2022 की रिपोर्ट **भारत में गिग वर्कर्स के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है:**
  - ✓ **डिजिटल विभाजन:** इंटरनेट और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच गिग और प्लेटफ़ॉर्म क्षेत्रों में भागीदारी को प्रतिबंधित करती है।
  - ✓ **रोजगार की अस्थायी प्रवृति और आय अस्थिरता:** अस्थायी रोजगार , अनियमित वेतन और अप्रत्याशित कार्य की उपलब्धता से वर्कर्स पर तनाव और वित्तीय दबाव होता है। उदाहरण के लिए, भारत में गिग वर्कर्स की औसत मासिक आय 18,000 रुपये है, जो एक परिवार का पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है।
  - ✓ **श्रमिक सुरक्षा का अभाव:** संविदात्मक समझौते प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स

को स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जिससे उन्हें कार्यस्थल लाभ और सुरक्षा तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है।

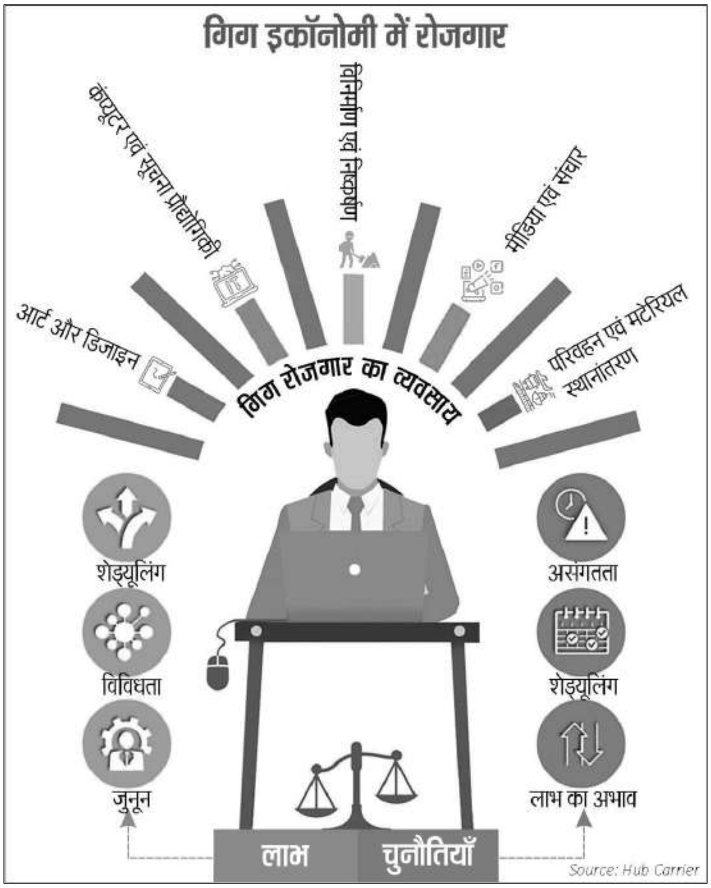

- **निष्पक्षता और पारदर्शिता**
  - ✓ नियोक्ताओं द्वारा अनुचित व्यवहार, जिसमें संभावित वेतन रोकना और अन्य लाभों से वंचित करना शामिल है।
  - ✓ पारदर्शी भुगतान संरचनाओं का अभाव, वर्कर्स को कम भुगतान के प्रति संवेदनशील बनाता है।
  - ✓ प्लेटफ़ॉर्म के पास कर्मचारी आईडी को अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक करने की शक्ति है, जिससे उनकी आजीविका ख़तरे में पड़ सकती है।
- **कार्य-जीवन संतुलन**
  - ✓ अनिश्चितता कार्य-जीवन संतुलन को बाधित करता है और नींद और दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करता है।
  - ✓ लगातार उपलब्ध रहने का दबाव व्यक्तिगत गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है।
- **कैरियर विकास**
  - ✓ गिग कार्य पूर्णकालिक कर्मचारियों के लिए करियर विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
  - ✓ स्थिरता और सुरक्षा वाले पारंपरिक करियर पथ कम उपलब्ध होते जा रहे हैं।
- **अत्यधिक कार्य और शोषण**
  - ✓ कुछ रोजगारों की शारीरिक रूप से मांग वाली प्रकृति के बावजूद, बिना ओवरटाइम वेतन के अधिक काम करना।
  - ✓ प्लेटफ़ॉर्म बढ़ती लागत जैसे ईंधन, वर्कर्स की आय में कमी के लिए अलग से मुआवजे का भुगतान नहीं करते हैं।
- **गिग इकोनॉमी से संबंधित सरकारी प्रयास**
  - ✓ **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर गिग वर्कर्स और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार करने का प्रावधान करती है।
  - ✓ गिग वर्कर्स और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स सहित असंगठित वर्कर्स के पंजीकरण और व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए **ई-श्रम पोर्टल।**
  - ✓ **वेतन संहिता, 2019 के अनुसार,** गिग वर्कर्स सहित सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों को एक सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाना चाहिए।
  - ✓ **राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023 (RGW),** गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अग्रणी राज्य-स्तरीय पहल है।

आगे की राह

भारत में गिग वर्कर्स के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, नीति आयोग एक बहु-आयामी दृष्टिकोण का सुझाव देता है:

- **वित्तीय समावेशन:** सीमित क्रेडिट इतिहास वाले गिग वर्कर्स के लिए विकसित किए गए नकदी प्रवाह-आधारित ऋण (Cash flow based loan) जैसे फिनटेक समाधानों के माध्यम से क्रेडिट तक पहुंच में वृद्धि करनी चाहिए।
- **कौशल विकास** : गिग वर्कर्स को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कौशल विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए।
- **सामाजिक सुरक्षा:** गिग वर्कर्स को वृद्धावस्था सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और सवैतनिक बीमारी अवकाश जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करें।
- **उचित व्यवहार:** गिग वर्कर्स के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कानूनों को लागू करें, जिसमें न्यूनतम वेतन, पारदर्शी भुगतान संरचनाएं, विस्तारित घंटों के लिए ओवरटाइम वेतन और अनिश्चितकालीन खाता निष्क्रियकरण जैसी प्लेटफ़ॉर्म प्रथाओं पर प्रतिबंध शामिल हैं।
- **प्लेटफ़ॉर्म प्रोत्साहन:** उन प्लेटफ़ॉर्मों को कर छूट या अनुदान प्रदान करें जो गिग इकॉनमी में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं और जो विकलांग लोगों (PWD) के लिए पहुंच सुनिश्चित करते हैं।

इन सिफारिशों को लागू करके, भारत एक अधिक सुरक्षित और सतत गिग इकोनॉमी विकसित कर सकता है जो वर्कर्स को सशक्त बनाती है और उनके कल्याण को बढ़ावा देती है।

4.8. उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 (UNNATI)

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 वर्षों की अवधि के लिए **उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना,** 2024 (**UNNATI - 2024**) को मंजूरी दी है।

UNNATI योजना

उद्देश्य: इसका उद्देश्य **पूर्वोत्तर क्षेत्र** (NER) के राज्यों में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
समयसीमा: UNNATI दस वर्ष की परिचालन अवधि वाली एक दीर्घकालिक पहल है, जो अधिसूचना की तारीख से 2034 तक प्रभावी है। **प्रतिबद्ध देनदारियों** (committed liabilities) को पूरा करने हेतु इसके अतिरिक्त आठ साल का समय प्रदान किया गया हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

- **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत** संचालित होने वाली केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) होगी।
- **संचालन की शुरुआत:** उपयुक्त व्यवसायों को उन्नति के तहत पंजीकरण करने के 4 वर्ष के अंदर उत्पादन या संचालन शुरू करना होगा।
- **क्षेत्रीय वर्गीकरण:** संसाधनों के लक्षित आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए जिलों को जोन A (औद्योगिक रूप से उन्नत) और जोन B (औद्योगिक रूप से पिछड़ा) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **पर्यावरण के प्रति जागरूक दृष्टिकोण:** यह औद्योगिक विकास और पूर्वोत्तर क्षेत्र की अपरिवर्तित पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखता है। इसके अंतर्गत कुछ उद्योगों को निम्नलिखित सूची में रखा गया है:
  - ✓ **सकारात्मक सूची:** इसमें नवीकरणीय ऊर्जा और ईवी चार्जिंग स्टेशन जैसे उद्योग शामिल हैं।
  - ✓ **नकारात्मक सूची:** इसमें पर्यावरण की रक्षा के लिए सीमेंट और प्लास्टिक जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- **वित्त का वितरण:** भाग A के परिव्यय का 60 प्रतिशत 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए और 40 प्रतिशत **फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट** (FIFO) के आधार पर निर्धारित किया गया है।
- **पात्रता:** नई और विस्तारित दोनों औद्योगिक इकाइयाँ उन्नति के प्रोत्साहन कार्यक्रमों से लाभान्वित होने के लिए पात्र हैं।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इसका क्रियान्वयन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के निम्नलिखित समितियों द्वारा की जाएगी:
  - ✓ राष्ट्रीय स्तर की **संचालन समिति** की अध्यक्षता उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के सचिव द्वारा की जाएगी।
  - ✓ **राज्य स्तरीय समिति की** अध्यक्षता संबंधित राज्य के मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी।
  - ✓ **सचिव स्तरीय समिति (राज्य स्तरीय)** की अध्यक्षता राज्य के वरिष्ठ सचिव (उद्योग) द्वारा की जाएगी।

केंद्रित क्षेत्र

उन्नति का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास करना है:

उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 (UNNATI – 2024)

नई इकाइयां स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों का महत्वपूर्ण विस्तार करने के लिए निवेशकों को योजना के तहत निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे।

क्र.सं.	जहां जीएसटी लागू है	जहां जीएसटी लागू नहीं है
01.	पूंजी निवेश प्रोत्साहन (नई और विस्तारित दोनों इकाइयों के लिए): जोन A : 30% की सीमा के साथ 5 करोड़ रुपये, ज़ोन B : 50% की सीमा के साथ 7.5 करोड़ रुपये	पूंजी निवेश प्रोत्साहन (नई और विस्तारित दोनों इकाइयों के लिए): जोन A : 30% की सीमा के साथ 10 करोड़ रुपये ज़ोन B : 50% की सीमा के साथ 10 करोड़ रुपये
02.	केंद्रीय पूंजी ब्याज अनुदान (नई और विस्तारित दोनों इकाइयों के लिए): जोन A : 7 वर्षों के लिए 3% जोन B : 7 वर्षों के लिए 5%	केंद्रीय पूंजी ब्याज अनुदान (नई और विस्तारित दोनों इकाइयों के लिए): जोन A : 7 वर्षों के लिए 3% जोन B : 7 वर्षों के लिए 5%
03.	विनिर्माण और सेवाओं से जुड़ा प्रोत्साहन (एमएसएलआई) – केवल नई इकाइयों के लिए – जीएसटी के शुद्ध भुगतान से जुड़ा हुआ है, यानी, जीएसटी ने ऊपरी सीमा के साथ कम इनपुट टैक्स क्रेडिट का भुगतान किया है। जोन A : पी एंड एम में निवेश के योग्य मूल्य का 75 प्रतिशत जोन B : पी एंड एम	NIL

Cabinet Decision: 07th March, 2024

योजना के सभी घटकों से एक इकाई को पात्र लाभः 250 करोड़ रु.

Source: PIB

- नई औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करके।
- मौजूदा व्यवसायों के विस्तार को प्रोत्साहित करके।
- रोजगार के अवसर पैदा करके।

प्रोत्साहन की संरचना

- यह योजना औद्योगिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार के वित्तीय लाभ प्रदान करेगी:
- **पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करना:** यह नए या विस्तारित व्यवसायों के लिए प्रारंभिक निवेश बोझ को कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
- **केंद्रीय पूँजी ब्याज सहायता प्रदान करना:** यह पूँजी निवेश के लिए लिए गए ऋण पर दी जाने वाली ब्याज पर आंशिक सब्सिडी प्रदान करेगा।
- **विनिर्माण और सेवा से संबंधित प्रोत्साहन प्रदान करना:** यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में लगे व्यवसायों के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा।

4.9. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

संदर्भ

जनवरी में औद्योगिक विकास दर घटकर 3.8 प्रतिशत रह गई, वहीं विनिर्माण क्षेत्र में भी गिरावट देखने को मिली है।

अन्य संबंधित जानकारी

- **जनवरी, 2024 में**, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) द्वारा मापे गए हेडलाइन नंबर (headline number) के साथ औद्योगिक विकास में गिरावट आई, **जो दिसंबर में 4.2 प्रतिशत से घटकर 3.8 प्रतिशत हो गई।**
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय **(NSO) के आँकड़ों के अनुसार, जनवरी में विनिर्माण क्षेत्र** के उत्पादन में वृद्धि **दिसंबर के 4.5 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 3.2 प्रतिशत रह गई**, वहीं खनन में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और बिजली उत्पादन में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- 23 विनिर्माण क्षेत्रों में, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स उत्पादों में 11.9 प्रतिशत की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है।
- विनिर्माण क्षेत्र, जो **सकल मूल्य वर्धित (GVA) का लगभग 15 प्रतिशत है**, एक प्रमुख रोजगार सृजक के रूप में पहचाना जाता है तथा समग्र अप्रत्यक्ष कर संग्रह को काफी हद तक प्रभावित करता है।
- जनवरी में औद्योगिक विकास दर के घटकर 3.8 प्रतिशत पर आने का मुख्य कारण **विनिर्माण क्षेत्र में मंदी और सार्वजनिक पूँजीगत व्यय में कमी है**।
- मंदी के बावजूद, जनवरी में फैक्ट्रियों का उत्पादन कोविड काल के पहले (प्री-कोविड) के स्तर से 14.0 प्रतिशत अधिक रहा।

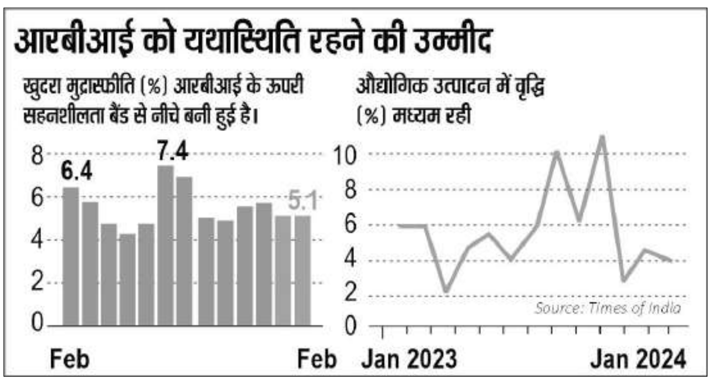

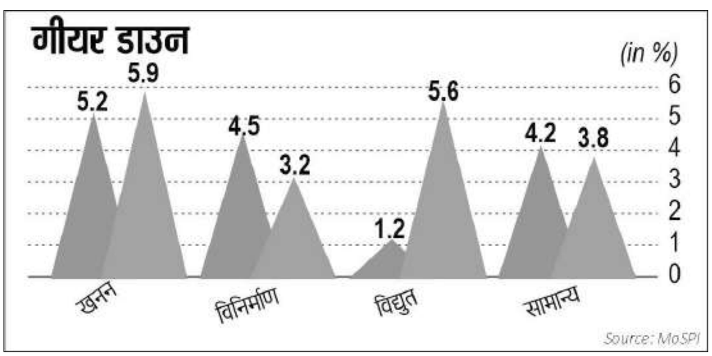

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

- यह **आर्थिक प्रगति के मूल्यांकन** के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क का प्रतिनिधित्व करता है, जो **निर्धारित आधार वर्ष** के सापेक्ष समय के साथ औद्योगिक उत्पादन के बदलते पैटर्न में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह सूचकांक पिछले वर्ष की तुलना में एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान विभिन्न उद्योगों में भौतिक उत्पादन के आनुपातिक बदलाव को दर्शाता है।
- इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत आने वाली **केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित** किया जाता है।
- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) का आधार वर्ष 2011-12 है।**

आठ कोर उद्योग (Eight Core Industries)

- आठ कोर उद्योगों वाला सूचकांक चयनित मुख्य उद्योगों के संयुक्त और अलग-अलग उत्पादन प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।
- आठ कोर उद्योग अपने भारांक के घटते क्रम में इस प्रकार है: **रिफाइनरी उत्पाद (28.04 प्रतिशत) > बिजली (19.85 प्रतिशत) > इस्पात (17.92 प्रतिशत) > कोयला (10.33 प्रतिशत) > कच्चा तेल (8.98 प्रतिशत) > प्राकृतिक गैस (6.88 प्रतिशत) > सीमेंट (5.37 प्रतिशत) > उर्वरक (2.63 प्रतिशत)।**
- आठ प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल वस्तुओं का **40.27 प्रतिशत हिस्सा** शामिल है।
- इस सूचकांक का प्राथमिक उद्देश्य केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) जारी करने से पहले मुख्य उद्योगों में उत्पादन के रुझान का प्रारंभिक संकेत देना है। इन उद्योगों से समग्र आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक संचालन दोनों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** (DPIIT) के **आर्थिक सलाहकार का कार्यालय** (OEA) के द्वारा इसका संकलन और प्रकाशन किया जाता है।

सकल मूल्य वर्धित (GVA)

- **आरबीआई द्वारा दिए गए परिभाषा के अनुसार**, किसी क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धित (GVA) उसके **उत्पादन प्रक्रियाओं में उपभोग किए जाने वाले कच्चे माल और अन्य वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हुए, मध्यस्थ इनपुट को घटाकर आउटपुट मूल्य को दर्शाता है।**
- यह परिणामी **"मूल्य वर्धित" श्रम और पूँजी** सहित उत्पादन के प्राथमिक कारकों के बीच आवंटित किया जाता है। सकल मूल्य वर्धित (GVA) वृद्धि का आकलन करने से अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी कर रहे क्षेत्रों और कठिनाइयों का सामना करने वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है।
- समष्टि आर्थिक (macroeconomics) स्तर पर, सकल मूल्य वर्धित (GVA) में **राष्ट्रीय लेखांकन मानकों का पालन करते हुए** अर्थव्यवस्था में समायोजित **सब्सिडी और करों के साथ-साथ देश की जीडीपी** भी शामिल होती है।
- **सकल मूल्य वर्धित = सकल घरेलू उत्पाद (GDP) + सब्सिडी - कर**

4.10. पीएम-सूरज पोर्टल

संदर्भ

भारत के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार जनकल्याण **(पीएम-सूरज) पोर्टल को** लॉन्च किया।

अन्य संबंधित जानकारी

- इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने वंचित वर्ग के एक लाख लाभार्थियों के **बैंक खातों** में सीधे **720 करोड़ रुपये की** वित्तीय **सहायता हस्तांतरित** किया।
- उन्होंने **नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सेनिटेशन इकोसिस्टम (NAMASTE)** के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक के श्रमिकों **(सफाई मित्रों)** को **आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड** और **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE)** किट भी वितरित किए गए।

नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सेनिटेशन इकोसिस्टम (NAMASTE)

- यह **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** की **केंद्रीय क्षेत्र योजना** (Central Sector Scheme) है।
- यह एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर **शहरी भारत** में **स्वच्छता कर्मचारियों** की **सुरक्षा और सम्मान** की परिकल्पना करते हुए स्वच्छता श्रमिकों को प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में पहचानता है।

पीएम-सूरज पोर्टल

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल के रूप में **पीएम-सूरज पोर्टल लॉन्च** किया है।
- यह पोर्टल वंचितों को विकास पहलों में सबसे आगे रखने के मंत्रालय के समर्पण का प्रतीक है।
- सरकार वंचित समुदायों के एक लाख उद्यमियों को ऋण सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। देश भर में पात्र व्यक्तियों को बैंकों, NBFC-MFI और अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान की जाएगी।

पोर्टल के उद्देश्य

- पीएम-सूरज का उद्देश्य वंचितों को प्राथमिकता देना है। यह एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना है।
- यह पोर्टल **"विकसित भारत"** के व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भारत की विकास यात्रा में योगदान करने और उससे लाभ उठाने का अवसर मिलता है।
  - ✓ यह **'विकसित भारत 2047' वर्ष 2047 तक अर्थात, आजादी के 100 साल बाद भारत को एक विकसित राष्ट्र** बनाने के वर्तमान सरकार के रोडमैप के अनुरूप है।

4.11. ऑयल पाम मिशन के अंतर्गत पहली तेल मील

संदर्भ

हाल ही में प्रधानमंत्री ने ऑयल पाम मिशन के तहत पहली तेल मील का उद्घाटन किया।

पहली तेल मिल का महत्व

- यह **तिलहन और पाम ऑयल को** बढ़ावा देकर खाद्य तेल के उत्पादन में भारत को **आत्मनिर्भर** बनाने में मदद करेगा।
- **यह सरकार की आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, किसानों को सशक्त बनाने एवं** भारत में खाद्य तेल उत्पादन के लिए एक स्थायी और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की प्रतिबद्धता में मदद करेगा।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER)** खाद्य तेल (Edible Oil) में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में पाम ऑयल की खेती के लिए उपयुक्त 8.4 लाख हेक्टेयर का विशाल क्षेत्र मौजूद है।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - पाम ऑयल (NMEO-OP)

- यह मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका मुख्य फोकस पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है।
- इसकी मंजूरी खाद्य तेलों पर आयात के बोझ को कम करने हेतु ऑयल पाम क्षेत्र के विस्तार का **उपयोग करके देश में खाद्य तिलहन उत्पादन** और **तेल की उपलब्धता को** बढ़ाने के उद्देश्य से दी गई है।
- यह **पाम ऑयल की खेती को बढ़ाने के साथ-साथ** वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कच्चे पाम तेल के उत्पादन को **11.20 लाख टन तक पहुँचाने हेतु प्रतिबद्ध** है।
- वर्तमान में, यह मिशन **15 राज्यों में** संचालित है।
- इसके अंतर्गत पाम ऑयल को बढ़ावा देने के लिए कुल राष्ट्रीय बजट में से विशेष रूप से **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 5,870 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसका 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार** द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- भारत सरकार **पूर्वोत्तर क्षेत्र** के कठिन और दुर्गम इलाके को देखते हुए किसानों को **कच्चे पाम ऑयल (CPO) की कीमत** पर **2 प्रतिशत** का विशेष लाभ प्रदान करेगी।
- यह किसानों को जोखिम से बचाव के लिए **'व्यवहार्यता अंतराल भुगतान' (Viability Gap Payment - VGP)** प्रदान करके किसानों को पाम ऑयल की वैश्विक कीमत में अस्थिरता (उतार-चढ़ाव) से बचाता है।

- इस मिशन के अंतर्गत **पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER)** में फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना हेतु निवेश करने के लिए निजी कंपनियों को भी प्रोत्साहित करता है, जिसमें **पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER)** में पाम ऑयल के प्रसंस्करण से संबंधित मिलों के लिए 5 करोड़ रुपये की विशेष सहायता आवंटित की गई है।

पाम ऑयल में निवेश की जरूरत क्यों?

- वर्तमान में, भारत खाद्य तेल का शुद्ध आयातक है। इसके **कुल खाद्य तेल का 57 प्रतिशत** हिस्सा विभिन्न देशों से आयात किया जाता है। खाद्य तेल की अपर्याप्तता हमारे **विदेशी मुद्रा पर 20.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का नकारात्मक प्रभाव डाल रही है।

पाम ऑयल (ताड़ का तेल)

- **पश्चिमी अफ्रीका** से उत्पादित होने वाला **पाम ऑयल** (एलाइस गुइनेंसिस – Elaeis Guineensis), तुलनात्मक रूप से **भारत के लिए एक नई फसल** है तथा इसकी प्रति हेक्टेयर वनस्पति तेल उपज क्षमता सबसे अधिक है।
- **आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल** प्रमुख पाम ऑयल उत्पादक राज्य हैं, जिनके पास **कुल उत्पादन की लगभग 98 प्रतिशत हिस्सेदारी** हैं।
- **इसकी जलवायु संबंधी आवश्यकताएँ इस प्रकार है:**
  - ✓ यह एक **आर्द्र फसल** है। इसके लिए **150 मिमी प्रति माह या 2500 से 4000 मिमी प्रति वर्ष** की समान रूप से वितरित वर्षा की आवश्यकता होती है।
  - ✓ इस फसल हेतु उपयुक्त तापमान **अधिकतम 29 डिग्री से 33 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री से 24 डिग्री** के बीच होनी चाहिए तथा **प्रति दिन कम से कम 5 घंटे तक तेज धूप** होनी चाहिए।
  - ✓ इसे अच्छी तरह से विकसित होने के लिए 80 प्रतिशत से अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है।

4.12. मानक और लेबलिंग कार्यक्रम

संदर्भ

केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को विभिन्न ऊर्जा खपत वाले उपकरणों के लिए प्रभावी विकल्प चुनने में मदद करने के लिए **मानक और लेबलिंग कार्यक्रम** शुरू किया है।

अन्य संबंधित जानकारी

- यह कार्यक्रम भारत सरकार के **विद्युत मंत्रालय** के अंतर्गत **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)** द्वारा शुरू किया गया है।
- यह बिजली संरक्षण, बिजली की खपत को कम करने और **हरित ग्रह (Green Planet) में योगदान करने में सक्षम** बनाता है।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के मानकों और लेबलिंग कार्यक्रमों में शामिल होने वाला नवीनतम उत्पाद **ग्रिड-कनेक्टेड सोलर इन्वर्टर** है।
- यह कार्यक्रम उपभोक्ताओं को **बेहतर गुणवत्ता वाले इनवर्टर प्राप्त करने में मदद करेगा,** जिनका इस्तेमाल **रुफटॉप सोलर सिस्टम** के हिस्से के रूप में किया जा सकता है।
- यह कार्यक्रम **प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) स्कीम** पर भी प्रकाश डालता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 110 मिलियन टन **कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन** में कमी आई है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)

- इसकी स्थापना **वर्ष 2002** में **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001** के प्रावधानों के तहत की गई थी।
- **मुख्यालय:** सेवा भवन, नई दिल्ली
- **इसका विजन** भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता में सुधार करना है जिससे देश के **सतत विकास में योगदान** दिया जा सके।

ग्रिड-कनेक्टेड सोलर इन्वर्टर के लिए मानक और लेबलिंग (S&L) कार्यक्रम

- इसे **15 मार्च, 2024 से 31 दिसंबर, 2025 तक वैध** स्वैच्छिक चरण (voluntary phase) के अंतर्गत लॉन्च किया गया है।
- यह कार्यकम उत्पाद के लिए **न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानक (MEPS)** के रूप में कार्य करेगा, जिसमें **केवल भंडारण के बिना ग्रिड से जुड़े सौर इन्वर्टर शामिल होंगे**, जिनकी निर्धारित क्षमता 100 किलोवाट तक होगी।

मानक और लेबलिंग कार्यक्रम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में सहायक

- BEE के मानक और लेबलिंग कार्यक्रमों ने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति वर्ष 60 मिलियन टन की कमी की है।
- ट्रांसमिशन और वितरण हानियां शून्य हो गई हैं, और कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आई है, क्योंकि उपभोग की जाने वाली ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है

सौर पैनलों के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम

- इस कार्यक्रम को वर्ष 2023 में **केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** द्वारा लॉन्च किया गया।
- सौर इनवर्टर के लिए कार्यक्रम का लक्ष्य **सौर पीवी प्रणाली की दक्षता को और अधिक अनुकूलित** करना है, ताकि उपभोक्ता इसे खरीदने या इसके इस्तेमाल करने का निर्णय लेने से पहले इन्वर्टर की समग्र **दक्षता और प्रदर्शन का आकलन करने में सक्षम** हों।

महत्व

- यह पहल **भारत के स्थायी ऊर्जा संक्रमण** के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है, जो स्वच्छ, हरित भविष्य के प्रति हमारे समर्पण को रेखांकित करती है।
- यह एक **समृद्ध और अधिक ऊर्जा-कुशल विश्व** के प्रति हमारे उपहार में एक साहसिक कदम का प्रतीक है।
- यह **कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने** और उच्च उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करती है।

4.13. ग्रिड-इंडिया मिनीरत्न

संदर्भ

हाल ही में, **विद्युत मंत्रालय** के अंतर्गत आने वाली **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र** के **उद्यम** (CPSE) **ग्रिड-इंडिया (GRID-INDIA)** को **मिनीरत्न श्रेणी**-I की **का दर्जा** मिला **है।**

संबंधित मुख्य बिन्दु

- ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (GRID-INDIA) की स्थापना **2009 में** की गई **थी**।
- यह देश की बिजली व्यवस्था के प्रबंधन करने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में सुचारू रूप से बिजली के हस्तांतरण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- यह विश्वसनीयता और स्थिरता पर ध्यान रखते हुए **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर** बिजली **के** आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करती है।
- ग्रिड-इंडिया (GRID-INDIA) अपने पाँच **RLDC (रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर)** और **NLDC (नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर)** के माध्यम से अखिल भारतीय सिंक्रोनस ग्रिड, जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जटिल बिजली प्रणालियों में से एक है, के संचालन का प्रबंधन **करती है**।
- ग्रिड-इंडिया (GRID-INDIA) को बिजली क्षेत्र में प्रमुख सुधारों (जैसे कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल का कार्यान्वयन और संचालन, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC) तंत्र, ट्रांसमिशन मूल्य निर्धारण, ट्रांसमिशन में अल्पकालिक खुली पहुंच, विचलन निपटान तंत्र, पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (PSDF), आदि) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) को तीन समूहों अर्थात, महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न में वर्गीकृत करती है।

महारत्न	नवरत्न	मिनीरत्न
CPSE को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु मानदंड: • उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने के साथ-साथ सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनतम निर्धारित शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए। • विगत 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार या 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक निवल संपत्ति (कुल संपाती) या वार्षिक शुद्ध लाभ के बाद 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर होना चाहिए। • इसे वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण होना चाहिए। • उदाहरण: कोल इंडिया लिमिटेड, गेल (GAIL) एनटीपीसी (NTPC) लिमिटेड आदि।	CPSE को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु मानदंड: • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मिनीरत्न-I, अनुसूची 'A' कंपनी होनी चाहिए और पिछले पाँच वर्षों में से तीन वर्षों में 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छी' एमओयू रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए। • उसे छह प्रदर्शन संकेतकों में 60 का समग्र स्कोर प्राप्त करना चाहिए। • उदाहरण: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड आदि।	CPSE को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा प्राप्त करने हेतु मानदंड: • कंपनियों का विगत तीन वर्षों में लगातार लाभ होना चाहिए तथा उनका कर-पूर्व मुनाफा (लाभ) तीन वर्षों में से कम से कम एक वर्ष में 30 करोड़ रुपये या उससे अधिक होना चाहिए। • इनकी निवल संपति (Net Worth) सकारात्मक होनी चाहिए। • उदाहरण: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड आदि। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE) को मिनीरत्न श्रेणी-II का दर्जा प्राप्त करने हेतु मानदंड: • सार्वजनिक क्षेत्र की वे कंपनियाँ जिन्होंने पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ कमाया है। • इनकी निवल संपति (Net Worth) सकारात्मक होनी चाहिए। • सरकार को देय किसी भी ऋण के पुनर्भुगतान/ब्याज भुगतान में चूक नहीं होनी चाहिए थी। • मिनीरत्न का दर्ज केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE) बजटीय समर्थन पर निर्भर नहीं होते है। • उदाहरण: इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड आदि।
महारत्न के दर्जा के लाभ: • महारत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम (PSE) होने का सबसे बड़ा लाभ 1,000 करोड़ रुपये से 5,000 करोड़ रुपये के बीच के निवेश सीमा है। • इसके कर्मचारी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष पद धरण करते हैं। • वर्तमान में, भारत में 13 महारत्न कंपनियाँ है।	नवरत्न के दर्जा के लाभ: • इन कंपनियों को सरकार की मंजूरी के बिना 1,000 करोड़ रुपये तक निवेश करने की वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। • उनके बोर्डों के पास मौद्रिक सीमा के बिना नए अधिग्रहण या प्रतिस्थापन पर व्यय करने का अधिकार होता है तथा वे प्रौद्योगिकी सहयोग या गठबंधन में संलग्न हो सकते हैं। • इन सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम (PSE) को आर्थिक मामलें संबंधी कैबिनेट समिति (CCEA) की मंजूरी के के बाद घरेलू और विदेश में विलय और अधिग्रहण करने की अनुमति होती है। • वर्तमान में, भारत में 16 नवरत्न कंपनियाँ है।	मिनीरत्न के दर्जा के लाभ: • मिनीरत्न-I: वित्तीय स्वायत्तता या तो 500 करोड़ रुपये या उनकी निवल संपत्ति, जो भी कम हो, तक होनी चाहिए। • मिनीरत्न-II: वित्तीय स्वायत्तता की सीमा या तो 300 करोड़ रुपये या उनकी निवल संपत्ति का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक होनी चाहिए। • वर्तमान में, भारत में 75 मिनीरत्न कंपनियाँ है।

4.14. पेटेंट कार्यालय द्वारा एक वर्ष में एक लाख पेटेंट प्रदान किये गये

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले पेटेंट की संख्या इस वर्ष पहली बार एक लाख के आँकड़ें से अधिक हो गई है।

मुख्य बिन्दु

- **पेटेंट नियम, 2024 को** पेटेंट प्राप्त करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है, जो **नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में** एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह नियम पेटेंट के अधिग्रहण और प्रबंधन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ आविष्कारकों और रचनाकारों (Creators) के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य **विकसित भारत संकल्प विजन (Viksit Bharat Sankalp vision)** के हिस्से के रूप में आविष्कारकों और रचनाकारों की मदद करने के साथ-साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

संशोधित नियमों की मुख्य विशेषताएँ

- इन नियमों के अंतर्गत पेटेंट किए गए आविष्कार में आविष्कारकों के योगदान को स्वीकार करने के लिए **नए 'सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप'** का अनूठा प्रावधान किया गया है।
- इसके अंतर्गत कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए **इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अग्रिम भुगतान करने पर** नवीनीकरण शुल्क 10 प्रतिशत तक कम लगेगा।
- फॉर्म 27 में पेटेंट के कामकाज का विवरण को भरने की आवृत्ति को **एक वित्तीय वर्ष में एक बार से बढ़ाकर हर तीन वित्तीय वर्षों में एक बार कर दिया गया है।**

पेटेंट (Patent)	भौगोलिक संकेत (Geographical Indication)	कॉपीराइट (Copy Right)	औद्योगिक डिजाइन (Industrial Design)	व्यापार चिह्न (Trade Marks)
• नए उत्पाद या उसकी प्रक्रिया के आविष्कार को सुरक्षित करने हेतु पेटेंट प्रदान किया जाता है। • यह 20 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। • यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। • यह भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 अधिनियम द्वारा शासित है।	• यह खाद्यान या शिल्प जैसे उत्पादों को दी गई कानूनी मान्यता है, जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर उत्पादित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए: रसगुल्ला (ओडिशा)। • एक बार जब किसी उत्पाद को यह विशेष टैग मिल जाता है, तो कोई भी अन्य व्यक्ति समान सामान बेचने के लिए उस नाम का उपयोग नहीं कर सकता है। • यह 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है तथा इसे नवीकरणीय शुल्क के भुगतान पर नवीनीकृत किया जा सकता है। • इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। • इसे वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत प्रदान किया जाता है।	• यह कानूनी रूप से रचनाकारों के साहित्यिक और कलात्मक कार्यों पर उनके अधिकारों की रक्षा करता है। • उदाहरण, संगीत, पेंटिंग, किताबें, कंप्यूटर प्रोग्राम आदि। • 60 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। • इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है। • यह कॉपीराइट नियमों के साथ-साथ कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत नियंत्रित होता है।	• औद्योगिक डिज़ाइन में किसी वस्तु के आकार जैसे त्रि-आयामी तत्वों के साथ-साथ पैटर्न, रंग और कार्य क्षपत्र जैसी द्वि-आयामी विशेषताएँ भी शामिल हो सकती हैं। • किसी डिज़ाइन का पंजीकरण उसके पंजीकरण की तारीख से 10 वर्षों तक मान्य होता है, जिसे बाद में अगले 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। हालाँकि पंजीकरण की कुल अवधि 15 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। • इसके वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। • यह डिज़ाइन अधिनियम, 2000 और करस्पॉन्डिंग डिज़ाइन नियम (corresponding Designs Rules), 2001 द्वारा प्रशासित है।	• यह कोई शब्द, चिह्न और प्रतीक या ग्राफिक भी हो सकता है, जो किसी कंपनी, सामान या सेवाओं पर लगाया जाता है, ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी से अलग किया जा सके। • इसे 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। • इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। • यह ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के द्वारा शासित होता है।

4.15. केंद्र सरकार की नई टोल संग्रहण प्रणाली लागू करने की योजना

संदर्भ

हाल ही में, केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने घोषणा की कि सरकार **वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली पर आधारित एक नई राजमार्ग टोल संग्रह प्रणाली** शुरु करने की योजना बना रही है।

नई प्रस्तावित राजमार्ग टोलिंग प्रणाली की मुख्य बातें

- वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) भी शामिल है, एक प्रकार की नेविगेशन प्रणाली है जो उपग्रहों पर निर्भर करती है।
- यह वैश्विक स्तर पर उपयोगकर्ताओं को **अधिक सटीक स्थान और नेविगेशन विवरण प्रदान करने हेतु कई उपग्रहों के नेटवर्क** का उपयोग करती है, जो अकेले **ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम** (GPS) की तुलना में बेहतर सटीकता प्रदान करती है।

फास्टैग (FASTags)

- इसे वर्ष **2016** में लागू किया गया, जो रेडियो **फ्रीक्वेंसी** का इस्तेमाल करके वाहनों की पहचान करता है।
- इसे **16 फरवरी, 2021** से अनिवार्य कर दिया गया है।
- दिसंबर, 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा से गुजरने वाले 98.9 प्रतिशत वाहनों में फास्टैग (FASTags) लगे है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाला टोल संग्रह वित्तीय वर्ष 2016–2017 के 17,942 करोड़ रुपये से 1.5 गुना बढ़कर वित्तीय वर्ष **2020–2021 में 27,744** करोड़ रुपया हो गया।

- इस नई प्रणाली में **वाहनों में ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU)** नामक एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का प्रस्ताव है।
- ये ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU) वाहन के स्थान को ट्रैक करने के लिए लगभग **10 मीटर** की सटीकता के साथ **भारत के उपग्रह नेविगेशन सिस्टम गगन (GAGAN) का** इस्तेमाल करेगा।
- **गगन (GAGAN) इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया** द्वारा संयुक्त रूप से विकसित **जीपीएस एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन** का संक्षिप्त रूप है।
- यह **जीपीएस (GPS) के मानक पोजिशनिंग सेवा (SPS)** नेविगेशन सिग्नल को आवश्यक संवर्द्धन **प्रदान करने के लिए ग्राउंड स्टेशनों की एक प्रणाली का इस्तेमाल** करता है।
- इसके लिए देश के **सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्देशांक** को डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होगी।
- इसके अंतर्गत **सॉफ्टवेयर** प्रत्येक राजमार्ग के लिए टोल दरें निर्धारित करेगा तथा वाहन द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर टोल राशि की गणना की जायेगी।
- इस टोल राशि को ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU) से जुड़े वॉलेट से स्वतः ही काट लिया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त**, प्रवर्तन उद्देश्यों हेतु राजमार्गों पर सीसीटीवी (CCTV) कैमरों लगे गैन्ट्री** स्थापित की जायेगी।
- ये **सीसीटीवी (CCTV) वाहनों की उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों की फोटो कैप्चर करते हैं और सत्यापित करते हैं** कि क्या कोई वाहन ट्रैकिंग डिवाइस को हटाकर या ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU) को लगाए बिना यात्रा करके टोल से बचने की कोशिश कर रहा है।

महत्व

- इस तकनीक का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को राजमार्ग पर **यात्रा की गई वास्तविक दूरी के आधार पर टोल का भुगतान करने में सक्षम बनाना है, जिसे आप उपयोग के अनुरूप भुगतान करना (Pay-As-You-Use)** के रूप में जाना जाता है।
- इससे **बाधा रहित आवाजाही की सुविधा** मिलेगी।
- वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली **FASTags की** तुलना में **कम परिचालन लागत** प्रदान करती है, जो कि टोल प्लाजा की व्यवस्था को समाप्त करके टोल संग्रह प्रक्रिया में कम संस्थाओं को शामिल करती है।

चुनौतियाँ

- यदि कोई सड़क मार्ग का इस्तेमाल करने वाला, राजमार्ग पर यात्रा पूरी करने के बाद भी भुगतान नहीं करता है और उसका ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU) से जुड़ा डिजिटल वॉलेट खाली है, तो उससे टोल वसूलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत इसका अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
- इसके संबंधित अन्य समस्याएँ जैसे कि वाहन बिना ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU) डिवाइस से जुड़े राजमार्ग पर यात्रा करता है या भुगतान से बचने के लिए जानबूझकर ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU) को बंद कर देना है।
- इसमें **कम टोल का भुगतान करने हेतु ट्रक पर कार के ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU) का** इस्तेमाल करने वाले वाहनों को रोकने हेतु किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

आगे की राह

- इन समस्याओं के समाधान हेतु, पूरे भारत में हाईवे-माउंटेड **ऑटोमैटिक नंबर-प्लेट रिकग्निशन (ANPR)** सिस्टम लगाने की आवश्यकता है।
- सरकार ने **वाहन उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की रक्षा** के लिए, जीपीएस (GPS) के बजाय गगन (GAGAN) उपग्रह प्रणाली का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है, जो डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुरूप है।
- इसे **सरकारी एजेंसियों को दी गई छूटों के विस्तार से बचने की जरूरत है**, जो कि राज्य की निगरानी को बढ़ा सकती है।

5.1. इथेनॉल सम्मिश्रण

संदर्भ

भारत ने नवंबर में शुरु हुए आपूर्ति वर्ष 2023-24 के पहले चार महीनों में 11.60% की औसत इथेनॉल मिश्रण दर दर्ज की।

अन्य संबंधित जानकारी

- सरकार का लक्ष्य पूरे वर्ष के लिए 15% इथेनॉल मिश्रण दर हासिल करना है।
- सरकार का लक्ष्य आपूर्ति वर्ष 2025 तक पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिश्रण दर हासिल करना है।
- अनुबंधित इथेनॉल आपूर्ति का लगभग 57% फरवरी और नवंबर के बीच चीनी मिलों और डिस्टिलरी द्वारा उत्पादित किया गया था।

इथेनॉल के बारे में

- इथेनॉल एक प्रकार का ऐल्कोहॉल (रासायनिक सूत्र CH_3CH_2OH) है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है।
- इसे **एथिल ऐल्कोहॉल के नाम से भी जाना जाता है**। यह चीनी के किण्वन के माध्यम से उत्पादित एक **जैव ईंधन है।**
- भारत में, यह मुख्य रूप से गन्ने से चीनी निकालने की प्रक्रिया के दौरान उत्पादित होता है हालांकि इसे खाद्यान्न जैसे अन्य कार्बनिक पदार्थों का भी उपयोग करके भी उत्पादित किया जा सकता है।
- इसका उपयोग ऑक्टेन मान बढ़ाने और कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य स्मॉग पैदा करने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए गैसोलीन के साथ मिश्रण कारक के रूप में किया जाता है।

सामान्य इथेनॉल मिश्रण

- इथेनॉल का सबसे आम मिश्रण E10 (10% इथेनॉल, 90% गैसोलीन) है और इसे E15 (15% इथेनॉल, 85% गैसोलीन) तक के अधिकांश पारंपरिक गैसोलीन चालित वाहनों में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है।
- कुछ वाहन जिन्हें फ्लेक्स फ्यूल वाहन कहा जाता है को E85 (गैसोलीन-इथेनॉल मिश्रण जिसमें भौगोलिक स्थिति और मौसम के आधार पर 51% -83% इथेनॉल होता है) के उपयोग के लिए विकसित किया गया है, जो कि नियमित गैसोलीन की तुलना में बहुत अधिक इथेनॉल सामग्री वाला एक वैकल्पिक ईंधन है।

जैव ईंधन की पीढ़ियाँ

- **प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन** मुख्य रूप से पशु चारा फसलों या अन्य खाद्य उत्पादों का उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं।
- **द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन** पूरी तरह से गैर-खाद्य चारा जैसे समर्पित ऊर्जा फसलों और अन्य लिग्नोसेल्यूलोसिक पौधों, कृषि अवशेषों, वन अवशेषों और अन्य अपशिष्ट उत्पादों से उत्पादित किए जाते हैं।
- **तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन को** शैवाल ऑयल के ट्रांसएस्टरीफिकेशन या हाइड्रोट्रीटमेंट के माध्यम से सूक्ष्म शैवाल से उत्पादित किया जाता है।
- **चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन** का प्रसंस्करण आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) शैवाल और फोटोबायोलॉजिकल सौर ईंधन और इलेक्ट्रो-ईंधन का उपयोग करके किया जाता है।

इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम

- वैकल्पिक और पर्यावरण अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात निर्भरता को कम करने के लिए **2003 में लॉन्च किया गया था।**

उद्देश्य

- पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर, भारत का लक्ष्य अस्थिर वैश्विक तेल कीमतों पर निर्भरता कम करना और सतत ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

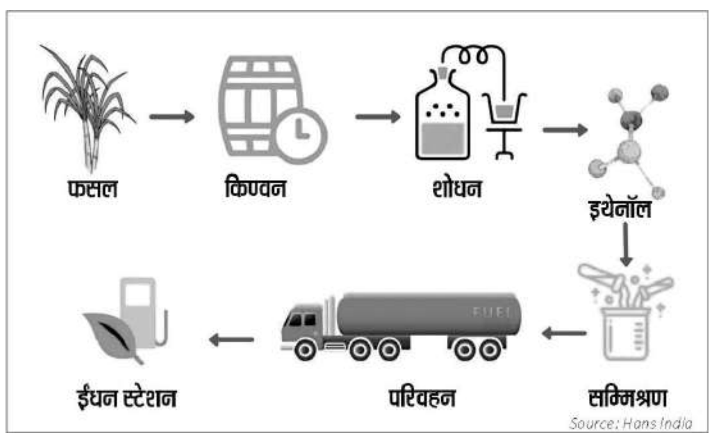

- इथेनॉल की स्वच्छ जलने की प्रकृति हवा की गुणवत्ता में सुधार लाती है और जलवायु परिवर्तन को काम करने मे सहायक है।
- गन्ना और मक्का जैसी फीडस्टॉक फसलों की बढ़ती मांग किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर सृजित करती है।

इथेनॉल सम्मिश्रण का महत्व

- आयातित तेल पर कम निर्भरता से विदेशी मुद्रा पर महत्वपूर्ण लागत बचत मे परिवर्तित होती है।
- किसानों के लिए अतिरिक्त आय का सृजन: कृषि अवशेषों/अपशिष्ट

को इथेनॉल में परिवर्तित किया जा सकता है और अधिशेष अनाज और कृषि बायोमास के इस अपशिष्ट रूपांतरण के लिए एक मूल्य प्रदान किया जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचनागत निवेश जैसे कि देश भर में 2G बायो रिफाइनरियों को शामिल करने से ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचनागत निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
- इथेनॉल का पूर्ण दहन होता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आती है।

वर्तमान स्थिति

- भारत पहले ही अप्रैल 2023 में चरणबद्ध तरीके से 20 प्रतिशत मिश्रित ईंधन के लक्ष्य की तरफ अग्रसर है और आने वाले समय में व्यापक उपलब्धता की उम्मीद है।
- सरकार का लक्ष्य 20% इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल 2024-25 तक और 30% के लक्ष्य को 2029-30 तक प्राप्त करना है। E20 ईंधन का लक्ष्य 2030 से संशोधित करके 2025 कर दिया गया है।
- वर्तमान में, 9,300 से अधिक रिटेल आउटलेट E20 ईंधन उपलब्ध हैं, 2025 तक पूरे देश को कवर करने की योजना है।
- भारत का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना है। भारत ने 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

इथेनॉल सम्मिश्रण की चुनौतियाँ

- इथेनॉल के अधिकांश उत्पादन के लिए गन्ना या चावल जैसी जल-गहन फसलों पर निर्भरता है। इन फसलों पर निर्भरता चुनौतियाँ पैदा करती है, खासकर आपूर्ति में व्यवधान या कीमत में उतार-चढ़ाव ।
- केवल जैव ईंधन के लिए फसलें उगाने से भूमि खाद्य उत्पादन से विमुख हो सकती है, संभावित रूप से खाद्य कीमतों मे वृद्धि हो सकती हैं और यहां तक कि कमी भी हो सकती है।
- यदि घरेलू उत्पादन पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ता है, तो इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने के लिए आयात में वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है। यह वृद्धि आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य के विपरीत है।
- उच्च इथेनॉल मिश्रण के लिए ईंधन स्टेशनों और वाहनों को अपग्रेड करने के लिए भंडारण, परिवहन और संभावित इंजन संशोधनों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है।

इथेनॉल सम्मिश्रण की दिशा में सरकार की पहल

- **"भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण 2020-25 के लिए रोडमैप"** जारी किया गया था, जो 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप दर्शाता है।
- **प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना का** उद्देश्य लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके एकीकृत बायोएथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018:** इसे देश में जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए 2018 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था।
  - ✓ नीति के अंतर्गत 'जैव ईंधन के रूप मे ईंधन की कई श्रेणियों को शामिल किया गया है, जैसे-बायोइथेनॉल, बायोडीजल, उन्नत जैवईंधन, ड्रॉप-इन ईंधन(अपशिष्ट से उत्पादित),जैव सी एन जी
  - ✓ यह गन्ने के रस, चीनी युक्त सामग्री जैसे चुकंदर; मीठी ज्वार; स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मक्का; कसावा, गेहूं जैसे क्षतिग्रस्त अनाज, टूटे चावल, सड़े हुए आलू, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त के उपयोग की अनुमति देकर इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के दायरे का विस्तार करती है।

आगे की राह

- **E20 लक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन:** वैकल्पिक रणनीतियों और समयसीमा पर विचार करते हुए, भूमि उपयोग, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास पर E20 सम्मिश्रण लक्ष्य के प्रभाव का आकलन करना चाहिए।
- **EV को प्राथमिकता:** परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने के लिए एक स्थायी समाधान के रूप में EV अपनाने को बढ़ावा देने और स्वच्छ बिजली के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **अनुसंधान एवं विकास:** इथेनॉल उत्पादन दक्षता में सुधार और सेल्युलोसिक रूपांतरण जैसी उन्नत तकनीकों के विकास के लिए अनुसंधान में निरंतर निवेश आवश्यक है।
- **संधारणीय तकनीक :** खाद्य सुरक्षा से समझौता किए बिना दीर्घकालिक फीडस्टॉक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए **संधारणीय कृषि** के तरीकों को अपनाने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

5.2. वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन आउटलुक रिपोर्ट

संदर्भ

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन (ISWA) द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन आउटलुक रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट का शीर्षक अपशिष्ट के युग से आगे: कचरे को एक संसाधन में बदलना (**'Beyond an Age of Waste: Turning Rubbish into a Resource'**) है।
- इस रिपोर्ट के प्रकाशन को **जापान और स्वीडन की सरकारों** द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी।
- यह रिपोर्ट उत्पन्न होने वाले नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट की मात्रा, इसका प्रबंधन कैसे किया जा रहा है तथा धरती एवं मानव स्वास्थ्य पर वर्तमान प्रथाओं के प्रभावों का एक विवरण प्रदान करता है।

यूएनईपी की अन्य रिपोर्टें

- वैश्विक संसाधन आउटलुक
- उत्सर्जन अंतराल (गैप) रिपोर्ट
- अनुकूलन अंतराल (गैप) रिपोर्ट

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste-MSW) वैश्विक स्तर पर उत्पन्न होता है, जो **जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता हानि का प्रमुख कारण है।**
- अपशिष्ट उत्पादन तीन कारकों **(उत्पाद की डिजाइन, उपभोक्ता की पसंद** और **अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की क्षमता)** से प्रभावित होता है।
- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पादन **वर्ष 2023 में 2.3 बिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2050 में 3.8 बिलियन टन होने की उम्मीद है,** जो एक महत्वपूर्ण विकास गति का संकेत है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था

- किसी चक्रीय अर्थव्यवस्था में, वस्तुएं इस तरह से उत्पादित और उपभोग की जाती हैं जिससे विश्व के संसाधनों का हमारे द्वारा उपयोग कम हो जाता है, अपशिष्ट में कटौती होती है और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है।
- चक्रीय अर्थव्यवस्था में उत्पादों को मरम्मत, पुनर्चक्रण और पुन:निर्मित/डिजाइन के माध्यम से यथा संभव लंबे समय तक उपयोग में रखा जाता है, ताकि उनका बार-बार उपयोग किया जा सके।

- वर्ष 2020 में, अपशिष्ट प्रबंधन की वैश्विक प्रत्यक्ष लागत लगभग 252 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। जब खराब अपशिष्ट निपटान प्रथाओं से प्रदूषण, खराब स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन की छिपी हुई लागत को ध्यान में रखा गया, तो लागत बढ़कर 361 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।
- अपशिष्ट प्रबंधन पर तत्काल कार्रवाई के अभाव मे, वैश्विक वार्षिक लागत वर्ष 2050 तक लगभग दोगुनी होकर 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है।
- वर्ष 2050 तक, चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप वार्षिक रूप से 108 बिलियन डॉलर का शुद्ध लाभ हो सकता है।

तीन परिदृश्यों के तहत वैश्विक स्तर पर नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन की कुल लागत (वर्ष 2020 तक अमेरिकी डॉलर में)

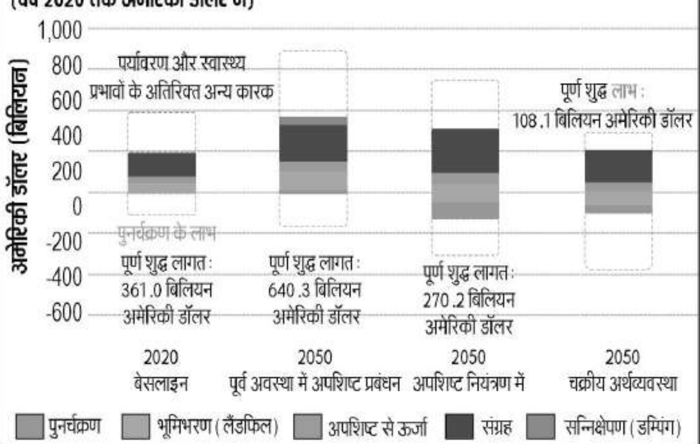

- इस रिपोर्ट के लिए वर्ष **2050 तक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पादन और प्रबंधन** के निम्न तीन परिदृश्य विकसित किए गए थे:
  - ✓ **पारंपरिक अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management as Usual-WMU): ये** प्रथाएं आज भी जारी हैं, साथ ही पर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता के बिना क्षेत्रों में अपशिष्ट उत्पादन तेजी से बढ़ने का अनुमान है।
  - ✓ **नियंत्रित अपशिष्ट (Waste Under Control-WUC): यह एक मध्य बिन्दु है जिसमे** अपशिष्ट उत्पादन वृद्धि को कम करने की दिशा मे सुधार करना शामिल है|
  - ✓ **चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy-CE):** अपशिष्ट उत्पादन को आर्थिक विकास से अलग कर दिया गया है। वैश्विक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण दर 60 प्रतिशत तक पहुँच गयी है और शेष को सुरक्षित रूप से प्रबंधित किया जाता है।

भारत में अपशिष्ट की स्थिति

- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने में भारत **विश्व स्तर पर शीर्ष 10 देशों में से एक** है।
- भारत हर साल **277 मिलियन टन** नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करता है।
- वर्तमान में, **कुल एकत्रित अपशिष्ट का लगभग 5% पुनर्नवीनीकरण** किया जाता है, **18% खाद (कंपोस्ट)** बनाया जाता है और शेष को अपशिष्ट विसर्जन स्थलों (लैंडफिल साइटों) पर फेंक दिया जाता है।

भस्मीकरण

- यह प्रदूषकों को नष्ट करने के लिए खतरनाक सामग्रियों को पर्याप्त उच्च तापमान पर जलाने की प्रक्रिया है।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, भारत में हर दिन औसतन 25,000 टन से अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट (कचरा) पैदा होता है। यह देश में उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट का लगभग 6% है।
- **सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों को प्लास्टिक प्रवाह के राजमार्ग** ('highways of plastic flows') के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनमे देश में अधिकांश प्लास्टिक मलबे का परिवहन और निष्कासन होता है।
- वार्षिक रूप से सृजित 62 मीट्रिक टन कचरे में खतरनाक अपशिष्ट (7.9 मीट्रिक टन), प्लास्टिक अपशिष्ट (5.6 मीट्रिक टन), ई-कचरा (1.5 मीट्रिक टन) और बायोमेडिकल अपशिष्ट (0.17 मीट्रिक टन) शामिल होते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक प्रदूषण बढ़कर 165 मीट्रिक टन हो जाएगा।

भारत में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** अपर्याप्त नगरपालिका ठोस अपशिष्ट संग्रहण प्रणालियाँ और उचित योजना की कमी के परिणामस्वरूप अपशिष्ट भराव (लैंडफिल) स्थल भर जाता है।
- **भस्मक (incinerators) में उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक का अभाव:** पारंपरिक भस्मक में उचित उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक एवं उपकरणों का अभाव है, जो पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करते है।
- **वित्तीय चुनौतियाँ:** शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी में बाधा आती है।

- **तकनीकी उपयुक्त:** भारत में वर्तमान अपशिष्ट निपटान तकनीक भारतीय अपशिष्ट हेतु अनुपयुक्त है क्योंकि इनमे ऊष्मीय तत्वों की मात्र कम होती है जो भस्मीकरण को अप्रभावी और असुरक्षित बनती हैं।
- **विधायी निगरानी:** वर्ष 2000 तक, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कोई विशिष्ट कानून नहीं थे। खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और संचालन) नियम, 1989 जैसे मौजूदा नियम केवल सतही तौर पर इस समस्या पर विचार करते हैं।
- **अपशिष्ट-से-ऊर्जा प्रक्रिया में चुनौतियाँ: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की धारा 21** में उल्लिखित विशिष्ट मानदंड, अपशिष्ट-से-ऊर्जा उत्पादन के लिए चुनौतियाँ पैदा करते हैं, जिसमें 1500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम या अधिक मान वाले गैर-पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट का निपटान ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता हैं|
- अपर्याप्त संग्रहण प्रणालियों या उचित निपटान सुविधाओं की कमी (एकत्रित 3/4 भाग से कम) के कारण बड़ी मात्रा में अपशिष्ट को अवैध रूप से खाली स्थानों, नालियों और जलमार्गों में फेंक दिया जाता है।

भारत में कचरे की समस्या से निपटने के लिए सरकार की पहल

- **नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2016:**
  - ✓ शहरी समूहों, जनगणना कस्बों, औद्योगिक टाउनशिप, भारतीय रेलवे द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों, हवाई अड्डों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, तीर्थ स्थलों और राज्य और केंद्र सरकार के संगठनों को शामिल करने के लिए नियमों को **नगरपालिका क्षेत्रों से आगे बढ़ाया गया।**
  - ✓ यह **प्लास्टिक, बायोमेडिकल, खतरनाक और ई-कचरा सहित** विभिन्न अपशिष्ट श्रेणियों को पहचान करता है और उनका समाधान करता है, जो उत्पन्न अपशिष्ट की विविध प्रकृति को दर्शाता है।
  - ✓ यह **अपशिष्ट पृथक्करण, पुनर्चक्रण, खाद बनाने और विकेन्द्रीकृत उपचार विधियों** सहित स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
  - ✓ इसमें अपशिष्ट संग्रहण दरों को बढ़ाने और उचित प्रसंस्करण और शोधन से गुजरने वाले अपशिष्ट के प्रतिशत को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022:** इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-कचरा) के पर्यावरणीय रूप से सतत प्रबंधन को बढ़ाना है।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021:** यह वर्ष 2022 तक चिन्हित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाता है।
- **नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (NVVNL)** ने कचरे से हरित कोयला या **टॉरफाइड चारकोल का उत्पादन करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी** में एक वाणिज्यिक 'हरित कोयला' संयंत्र चालू किया है। यह संयंत्र भारत में कृषि अवशेषों और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से हरा कोयला उत्पादन करने का **अपनी तरह का पहला प्रयास** है।

तापन (Torrefaction)
• तापन बायोमास का एक थर्मोकेमिकल उपचार है जो आमतौर पर 200 और 320 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पर, वायुमंडलीय दबाव में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है।
• इस प्रक्रिया के दौरान, बायोमास से पानी एवं वाष्पशील पदार्थ निकलते हैं और सेल्युलोज, हेमिकेलुलोज और लिग्निन जैसे बायोपॉलिमर आंशिक रूप से विघटित हो जाते हैं।
• परिणामी उत्पाद एक ठोस, सूखा, काला पदार्थ है जिसे टॉरफाइड बायोमास या बायो–कोयला के रूप में जाना जाता है।

आगे की राह

- **अपशिष्ट की वृद्धि रोकना:** नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। शून्य अपशिष्ट और चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल में परिवर्तन।
- **नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता देना:** सभी समुदायों के लिए किफायती सेवाएं सुनिश्चित करना। खुले में डंपिंग और कचरा जलाने जैसी हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना।
- **उत्पादक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना:** उत्पादकों को अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। स्थायी विकल्पों के लिए समस्याग्रस्त सामग्रियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना।
- **अनुकूलित प्रौद्योगिकी:** भारत के जैविक-समृद्ध कचरे के लिए जैव-मीथेनेशन का उपयोग करना, विकसित देशों के मॉडल की नकल करने के बजाय स्थायी समाधान चुनना।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** स्पष्ट नियमों, प्रोत्साहनों और प्रदर्शन गारंटी के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **विकेंद्रीकरण:** कुशल पृथक्करण और उपचार हेतु छोटी, स्थानीयकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को प्राथमिकता देना।

इन सुझावों एवं उपायों को लागू करके, भारत एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देते हुए अधिक टिकाऊ और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की ओर बढ़ सकता है।

5.3. बेंगलुरु जल संकट

संदर्भ

हाल ही में, कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ा है।

अन्य संबंधित जानकारी

- वर्ष 2018 में केप टाउन में देखी गई स्थिति के समान, बेंगलुरु को 'डे-जीरो' के करीब पहुंचने का खतरा है, जहां जल संसाधन समाप्ति के कगार पर हैं।
- राज्य सरकार के मुताबिक, बेंगलुरु को हर दिन 500 मिलियन लीटर जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो शहर की दैनिक कुल मांग का लगभग पांचवां हिस्सा है।
- हालाँकि, जल की कमी केवल बेंगलुरु तक ही सीमित नहीं है, बल्कि

पूरा कर्नाटक राज्य जल की कमी का सामना कर रहा है।

- जल संकट ने 7,000 से अधिक गांवों, 1,100 वार्डों और 220 तालुकाओं को प्रभावित किया है, जिससे पूरे कर्नाटक में जल की कमी के व्यापक परिणाम सामने आए हैं।

डे-जीरो (Day Zero)

- डे जीरो एक ऐसी स्थिति का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जहां कोई शहर या क्षेत्र ऐसे स्थिति पर पहुंच जाता है जहां जल की आपूर्ति इतनी कम हो जाती है कि सरकार को सख्त जल प्रतिबंधों को लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

- कृष्णराज सागर बांध में जल स्तर फरवरी में पांच साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे जल संकट गहरा गया है। इसके अतिरिक्त, भूमिगत जल मे गिरावट है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है।
- बेंगलुरु में कई घर कावेरी नदी या जल के टैंकरों से जल की आपूर्ति पर निर्भर हैं। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है क्योंकि टैंकर की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे जल आपूर्ति संकट गहरा गया है।

बेंगलुरु में जल संकट के कारण

- **एकल जल स्रोत पर निर्भरता:** बेंगलुरु अपनी जल आपूर्ति के लिए कावेरी नदी पर बहुत अधिक निर्भर है, जो शहर से 100 किलोमीटर से अधिक दूर है। यह जल आपूर्ति के लिए लॉजिस्टिक चुनौतियाँ और जोखिम पैदा करता है।
- **वर्षा और जलाशय स्तर में कमी:** अपर्याप्त वर्षा कावेरी नदी के जलस्तर में कमी करती है। इससे हरंगी, हेमवती और काबिनी जैसे प्रमुख जलाशयों में जल स्तर कम हो जाता है, जो वर्तमान में केवल 39% क्षमता (फरवरी डेटा) युक्त हैं।
- **भू-जल में कमी:** शहरी विस्तार ने भू-जल पुनर्भरण में बाधा उत्पन्न की है, अत्यधिक दोहन के कारण भू-जल स्तर में तेजी से कमी आ रही है|
- **दक्षिण भारत में भूमिगत जलभृतों की प्रकृति:** उत्तर भारत के विपरीत, दक्षिण भारत की जलभृत प्रणाली बहुत चट्टानी है और इसलिए इसमें जल धारण क्षमता कम होती है। वे बहुत जल्दी खाली और पुनर्भरण हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि दीर्घ अवधि तक शुष्कता की स्थिति में भू-जल संसाधन बहुत लंबे समय तक जलापूर्ति में सक्षम नहीं हैं।
- **जल निकाय प्रदूषण:** पर्यावरण प्रबंधन और नीति अनुसंधान संस्थान (EMPRI) के एक अध्ययन के अनुसार, बेंगलुरु के लगभग 85% जल निकाय प्रदूषित हैं, जिससे जल संकट गहरा गया है।
- **शहरी विस्तार और कंक्रीटीकरण :** 1970 के दशक में, बेंगलुरु में 68% हरा क्षेत्र था, और 8% सतह पक्की थी। अब, सतह का 86% हिस्सा पक्का (कंक्रीटीकरण) हो गया है और हरित आवरण 3% तक सिकुड़ गया है। तेजी से शहरीकरण ने वर्षा जल अवशोषण के लिए आवश्यक छिद्रपूर्ण सतह क्षेत्र को कम कर दिया है, जिससे भू-जल पुनर्भरण में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- **जनसंख्या वृद्धि:** वर्ष 2001 के बाद से बेंगलुरु की जनसंख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। यह लगभग 13 मिलियन तक पहुंच गई है और वर्ष 2031 तक इसके 20 मिलियन तक बढ़ने का अनुमान है, जिससे जल की मांग में बढ़ोतरी हो जाएगी।

भारत में जल संकट की स्थिति

- **ताजा जल के सीमित संसाधन:** वैश्विक आबादी का 17% भाग होने के बावजूद, भारत के पास दुनिया के ताजे जल के संसाधनों का केवल 4% है।
- वर्ष 2030 तक, देश की जल की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी होने का अनुमान है, जिसके परिणामस्वरूप देश की जीडीपी में लगभग 6% की हानि होगी।

- **इतिहास का सबसे गंभीर जल संकट:** नीति आयोग की समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (Composite Water Management Index-CWMI) रिपोर्ट के अनुसार, भारत इस समय अपने सबसे गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। लगभग 600 मिलियन लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं।
- **प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में गिरावट:** भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता, जो वर्ष 2021 में 1,486 घन मीटर थी, जल तनाव श्रेणी (1700 घन मीटर से कम) में आती है। सरकारी अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक यह घटकर 1,341 घन मीटर और वर्ष 2050 तक 1,140 घन मीटर हो जाएगा।
  - ✓ जब किसी क्षेत्र में वार्षिक जल आपूर्ति प्रति व्यक्ति 1,700 घन मीटर से कम हो जाती है तो वह क्षेत्र जल तनाव (waterstress) का सामना करता है। जब वार्षिक जल आपूर्ति प्रति व्यक्ति 1,000 घन मीटर से कम हो जाती है, तो आबादी को जल की कमी (water scarcity) का सामना करना पड़ता है, और 500 घन मीटर से नीचे, "पूर्ण जलसंकट" (Absoulate water scarcity) का सामना करना पड़ता है।

- **सुरक्षित पेयजल तक पहुंच का अभाव:** नीति आयोग सीडब्ल्यूएमआई रिपोर्ट के अनुसार:
  - ✓ सुरक्षित जल की अपर्याप्त पहुँच के कारण प्रतिवर्ष लगभग 200,000 लोगों की मृत्यु हो जाती हैं।
  - ✓ भारत में 75% घरों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं है।
  - ✓ अनुमानों से संकेत मिलता है कि वर्ष 2030 तक देश की 40% आबादी पेयजल तक पहुंच से वंचित हो जाएगी।
- **भू-जल का अत्यधिक दोहन और प्रदूषण:**
  - ✓ भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े भू-जल उपयोगकर्ता के रूप में जाना जाता है, जो कुल वैश्विक उपयोग का 25% से अधिक उपयोग करता है। भारत का लगभग 70% भू-जल दूषित है।
  - ✓ महत्वपूर्ण भू-जल संसाधन (जो हमारी जल आपूर्ति का 40% हिस्सा हैं) अस्थिर दर से समाप्त हो रहा हैं।
  - ✓ 122 देशों में भारत की जल गुणवत्ता सूचकांक रैंक 120 है।

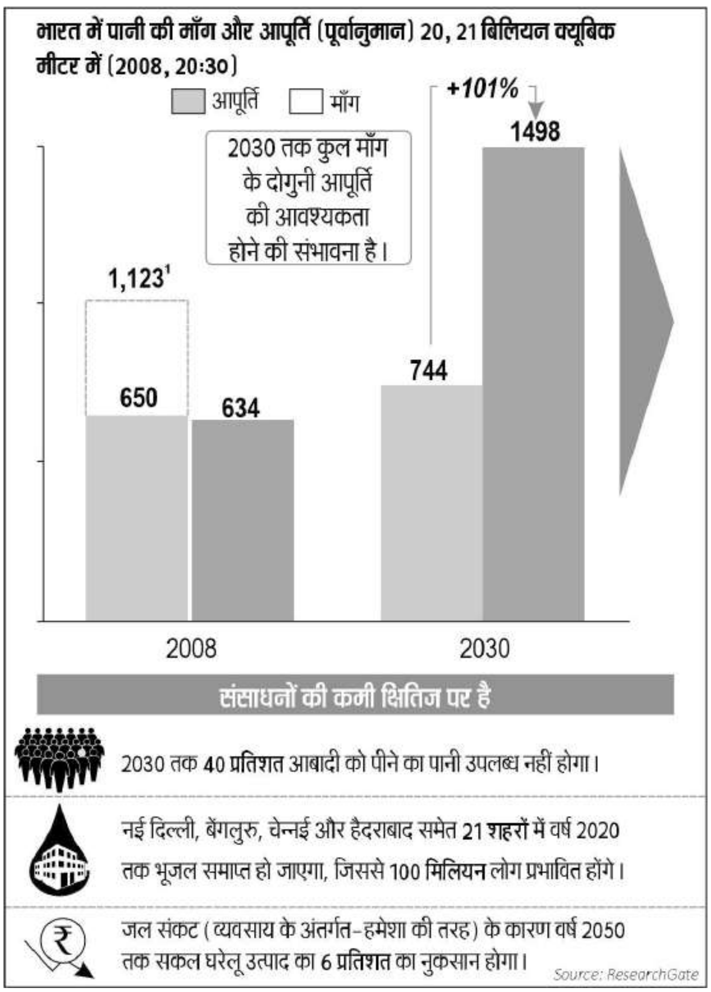

भारत में जल संकट के कारण

- **अस्थिर भू-जल उपयोग:** कृषि के लिए अत्यधिक जल दोहन दोषपूर्ण फसल प्रतिरूप और सिंचाई के लिए बिजली सब्सिडी जैसे कारकों से प्रेरित है। यह क्षरण प्राकृतिक पुनर्भरण दरों की तुलना में बहुत तेजी से हो रही है।
- **जलवायु परिवर्तन:** अनियमित मानसूनी वर्षा और बढ़ते तापमान से नदियों का जल स्तर कम हो जाता है तथा सूखें की आवृति में वृद्धि होती है। यह पारंपरिक जल उपलब्धता पैटर्न को बाधित होता है।
- **जल प्रदूषण:** औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित सीवेज और कृषि अपवाह सतह तथा भू-जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। इससे उपयोग योग्य जल की आपूर्ति कम हो जाती है और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है।
- **खराब जल प्रबंधन:** पुरानी नीतियां, राज्यों और केंद्रों के बीच समन्वय का अभाव अकुशल जल प्रबंधन में योगदान देती हैं। इसमें उचित वर्षा जल संचयन संरचना की कमी और भूमि मालिकों को असीमित भू-जल अधिकार प्रदान करने वाले पुराने कानून जैसे मुद्दे शामिल हैं।
- **जल संसाधनों का असमान वितरण:** असमान वर्षा स्वरूप कुछ क्षेत्रों में जल संकट पैदा करता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में बाढ़ लाते है। असमान नदी जल प्रवाह कुछ घाटियों में अधिशेष जल के साथ और अन्य में जल कमी के साथ प्रवाहित होती है, जो जल वितरण को और जटिल बनाती है।

जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए सरकारी उपाय

- **राष्ट्रीय जल नीति:** यह नीति जल संरक्षण, संवर्धन और कुशल प्रबंधन पर केन्द्रित है। यह जल की मांग को पूरा करने और सतत जल प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित करने हेतु वर्षा जल संचयन जैसे उपायों पर जोर देता है।
- **जल शक्ति अभियान (JSA):** इसे वर्ष 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य जल-तनाव वाले जिलों में जल संरक्षण, पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना है।
- **नमामि गंगे कार्यक्रम:** यह एक व्यापक पहल है, जिसे गंगा (निर्मल धारा) में प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने और नदी के संरक्षण और कायाकल्प को लक्षित करने हेतु शुरू की गई है।
- **अटल भू-जल योजना:** यह कार्यक्रम जल की कमी की समस्या के समाधान हेतु भू-जल पुनर्भरण और भू-जल संसाधनों के सतत दोहन को प्राथमिकता देता है।
- **अमृत सरोवर:** सरकार की योजना 50,000 जल निकायों के निर्माण करने की है, जिन्हें अमृत सरोवर के नाम से जाना जाएगा। ऐसा प्रत्येक सरोवर लगभग एक एकड़ में फैला होगा जो देश भर में जल संरक्षण को बढ़ावा देगा।
- **हर घर नल से जल योजना:** यह योजना जल जीवन मिशन का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में पाइप से पीने का जल उपलब्ध कराना है। यह जल शक्ति मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित होती है।

आगे की राह

- **मिहिर शाह समिति की सिफारिशें:** राष्ट्रीय जल आयोग बनाने सहित मिहिर शाह समिति के सुझावों पर कार्य करना और जल प्रशासन एवं स्थिरता में सुधार के लिए बांध रखरखाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- **एकीकृत घाटी आधारित शासन:** सतही जल परियोजनाओं और आवंटन हेतु बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए केंद्रीय जल

संसाधन मंत्रालय में कई नदी प्राधिकरणों का एकीकरण होना चाहिए।

- **नवोन्मेषी सिंचाई प्रणाली:** खेतों में जल के कुशल उपयोग को सक्षम करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) में किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था अपनाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **वैश्विक भागीदारी:** जल संरक्षण के प्रयासों में अन्तराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए| उदाहरण के लिए भारत में जल संरक्षण हेतु इजरायल के अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाने के लिए जल प्रशासन और संरक्षण में विश्व के अग्रणी देश इजरायल के साथ साझेदारी को औपचारिक रूप देना चाहिए।
- **नदी घाटी प्रबंधन को अपनाना:** नदी प्रबंधन के लिए घाटी-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए। पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करते हुए नदी जोड़ो परियोजनाओं को प्राथमिकता दिया जाए।
- **डेटा-संचालित नीति-निर्माण:** सूचित निर्णय लेने और संसाधन मानचित्रण हेतु आंध्र प्रदेश के जल डैशबोर्ड के समान वास्तविक समय जल निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

5.4. भूगर्भिक समय सारणी में एंथ्रोपोसीन पर चर्चा

सन्दर्भ

हाल ही में, 18 वैज्ञानिकों की एक समिति ने भूगर्भिक समय सारणी में **एंथ्रोपोसीन या मानव युग** की शुरुआत की घोषणा करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

अन्य संबंधित जानकारी

- **एंथ्रोपोसीन कार्यकारी समूह** (Anthropocene Working Group-AWG) ने एंथ्रोपोसीन युग को चिह्नित करने की मांग करते हुए **इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज (IUGS)** के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
- इस प्रस्ताव में 120 देशों के दस लाख से अधिक भू-वैज्ञानिक शामिल थे और इसे मार्च में सबकमीशन ऑन क्वाटर्नरी स्ट्रैटिग्राफी (Subcommission on Quaternary Stratigraphy-SQS) द्वारा मतदान हेतु रखा गया था।
- **अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विज्ञान संघ (International Union of Geological Sciences-IUGS)** का एक हिस्सा है| (SQS), जिसने प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें 18 में से 12 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया।

प्रस्ताव खारिज करने की वजह

- इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज समिति ने निर्धारित किया कि, एंथ्रोपोसीन युग को जोड़ना और होलोसीन को समाप्त करना, युगों को परिभाषित करने के लिए कालानुक्रमिक विज्ञान में स्थापित मानकों को पूरा नहीं करता है।
- कुछ समिति सदस्यों ने हाल के परिवर्तनों का हवाला देते हुए एंथ्रोपोसीन का समर्थन करने वाले प्रमाणों (जो **भूवैज्ञानिक युगों को परिभाषित करने के सख्त मानदंडों** को पूरी तरह से पूरा नहीं करते थे) पर संदेह व्यक्त किया।
- आलोचकों ने तर्क दिया कि 20वीं सदी के मध्य की प्रस्तावित शुरुआत की तिथि बहुत हाल की थी और इसमें स्पष्ट भूवैज्ञानिक चिह्नक (मार्क) का अभाव था।
- एंथ्रोपोसीन के समर्थकों का आरोप है कि **मतदान ने नियमों का उल्लंघन किया है और वे निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने की मांग कर रहे हैं।**

अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विज्ञान संघ (IUGS)

- **गठन:** वर्ष 1961
- यह भूवैज्ञानिक समस्याओं (विशेष रूप से विश्वव्यापी महत्व की समस्याओं) के अध्ययन को बढ़ावा देता है एवं पृथ्वी विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्विषयक सहयोग का समर्थन करता है और सुविधा प्रदान करता है।

एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप (AWG)

- यह एक अंतर्विषयक अनुसंधान समूह है जो एंथ्रोपोसीन की जांच के लिए समर्पित है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2009 में सबकमीशन ऑन क्वार्टनरी स्ट्रैटिग्राफी (Subcommission on Quaternary Stratigraphy–SQS) द्वारा की गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रैटिग्राफी आयोग (International Commission on Stratigraphy–ICS) का एक घटक निकाय है।

- वैज्ञानिक समुदाय (विशेष रूप से एंथ्रोपोसीन कार्यकारी समूह) भूवैज्ञानिक समय पैमाने में एंथ्रोपोसीन को एक भूवैज्ञानिक इकाई के रूप में औपचारिक रूप से परिभाषित करने हेतु 15 साल की प्रक्रिया में लगा हुआ है।

क्वार्टनरी स्ट्रैटीग्राफी सबकमीशन (SQS-AWG)

- यह एक ऐसा आयोग है जो भूगर्भिक समय की हमारी सबसे नवीनतम अवधि के भीतर समय इकाइयों को पहचानने के लिए जिम्मेदार है।

पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी

- भूवैज्ञानिक या वैज्ञानिक जो पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, ग्रह के इतिहास को मापने हेतु भूगर्भिक समय पैमाने (geologic time scale-GTS) का उपयोग करते हैं। भूगर्भिक समय पैमाना (लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के गठन के बाद से) को अवधि के घटते क्रम में ईयान, महाकल्प(Era),कल्प युगों (Epoch), काल और आयु में विभाजित किया गया है। वर्तमान समझ के अनुसार हम होलोसीन युग में हैं।

होलोसीन युग

- होलोसीन युग (ग्रीक "होलोस" से लिया गया, जिसका अर्थ है 'संपूर्ण' और "केनोस", जिसका अर्थ है "नया") लगभग 11,700 साल पहले, अंतिम हिमनद काल (Last Glacial Period-LGP) के अंत में शुरू हुआ था।

- एलजीपी के दौरान, पृथ्वी की 25% भूमि की सतह ग्लेशियरों से ढकी हुई थी, औसत समुद्र स्तर 400 फीट तक कम था और औसत तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था।
- होलोसीन में पृथ्वी गर्म हुई, जो जनसंख्या में वृद्धि और विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान की।

भूगर्भीय समय पैमाना
• यह स्ट्रैटिग्राफी (चट्टान की परतें) को समय की अवधि से संबंधित करता है। समय मापक्रम का उपयोग भूवैज्ञानिकों, जीवाश्म विज्ञानियों और कई अन्य पृथ्वी वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की तिथि नियत करने के लिए किया जाता है।

- एक प्रजाति के रूप में होमो सेपियन्स होलोसीन शुरू होने से काफी पहले विकसित हो चुका था, मानवता का सारा दर्ज इतिहास इसी युग में आता है।
- होलोसीन के दौरान, **मानवता में महत्वपूर्ण विकास हुआ**, सभ्यताओं की स्थापना हुई और उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति भी हासिल हुई।
- इस युग के दौरान पृथ्वी की जलवायु की स्थिरता **मानवीय गतिविधियों के कारण बाधित** हो गई है।
- वैज्ञानिकों द्वारा एक नए भूगर्भीय युग का प्रस्ताव देने की वजह

एंथ्रोपोसीन युग

- यह पृथ्वी के इतिहास की उस अवधि को संदर्भित करता है जब मानव गतिविधियों ने पृथ्वी की पारिस्थितिकी की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था।
- वर्ष 2000 (जब डच मौसम विज्ञानी पॉल क्रुटज़ेन और अमेरिकी वनस्पतिशास्त्री यूजीन स्टोएमर ने एंथ्रोपोसीन शब्द गढ़ा) के बाद से एक अलग 'मानव' युग ("Anthropo": मानव जाति से संबंधित) के विचार ने कई भूवैज्ञानिकों को उत्साहित किया है।
- एंथ्रोपोसीन युग की शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की औद्योगिक क्रांति के साथ मेल खाती है।
- एंथ्रोपोसीन के समर्थकों का तर्क है कि मनुष्यों ने पृथ्वी को इस हद तक बदल दिया है कि एक नया भूगर्भीय युग शुरू हो गया है।
- एंथ्रोपोसीन नामक एक नए भूगर्भीय युग का प्रस्ताव **बढ़ते तापमान, समुद्र-स्तर में बदलाव, ओजोन परत की कमी और समुद्र के अम्लीकरण** जैसे मानव गतिविधियों से जुड़े वैश्विक परिवर्तनों के व्यापक प्रमाण में निहित है।
- एंथ्रोपोसीन की आरंभिक तिथि को **कनाडा के ओंटारियो में क्रॉफर्ड झील में एक अद्वितीय संदर्भ बिंदु के साथ** इसे द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद रखा गया है। **इस स्थान का चयन रेडियोधर्मी तत्व प्लूटोनियम** के अंशों की मौजूदगी के कारण किया गया है।
- वर्ष 1950 के आसपास प्लूटोनियम कणों की सांद्रता स्पष्ट रूप से मानव प्रभाव (जो एंथ्रोपोसीन युग की शुरुआत का प्रतीक है) को इंगित करती है।
- वैज्ञानिक 20वीं सदी के मध्य (वर्ष 1950 के आसपास) को एंथ्रोपोसीन की शुरुआत के रूप में प्रस्तावित करते हैं। यह **"महान त्वरण"** के साथ मेल खाता है, जो तीव्र औद्योगीकरण और वैश्विक विकास का काल है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग को "महान त्वरण" के रूप में जाना जाता है। इसमें मानव की आबादी में वृद्धि, जीवाश्म ईंधन के जलने में वृद्धि, नाइट्रोजन-आधारित उर्वरकों का व्यापक उपयोग और प्लास्टिक का प्रसार देखा गया।

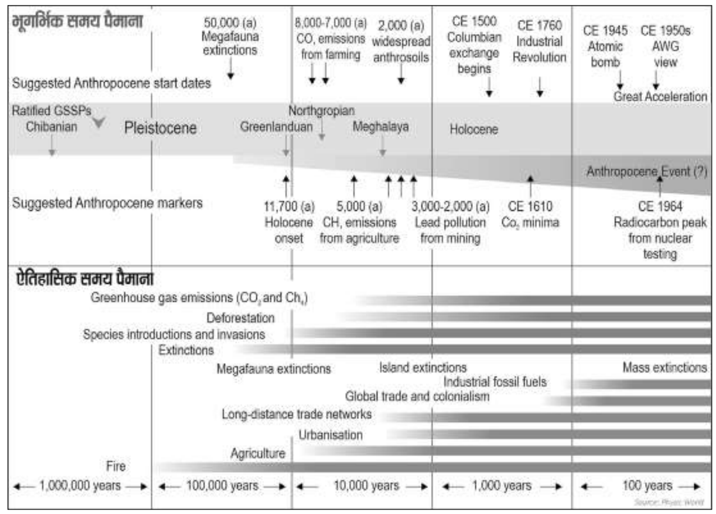

एंथ्रोपोसीन युग की पहचान के चिन्ह (मार्क)

- **तापमान में वृद्धि:** औद्योगिक क्रांति के बाद से, वैश्विक औसत विलोपन तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- **प्रजातियों का विलुप्त होना:** मानव गतिविधि ने विभिन्न प्रजातियों के विलुप्त होने की दर को तेज़ कर दिया है, जो कि लाखों साल पहले की विलोपन की घटनाओं के पैमाने के बराबर है।
- **महाद्वीपीय क्षरण:** महाद्वीपों के क्षरण और अनाच्छादन में विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा से कहीं अधिक गति से वृद्धि।
- **शहरीकरण और जल की कमी:** त्वरित शहरीकरण, भूमि-उपयोग परिवर्तन और शहरी क्षेत्रों में प्रवासन के कारण लगातार जल की क्षीणता और कमी हो रही है। बांध और मार्ग परिवर्तन से प्रभावित प्रमुख नदियों की जल-वहन क्षमता में पिछली शताब्दी में गिरावट देखी गई है।

5.5. उत्सर्जन परिदृश्य और प्रतिनिधि संकेंद्रण मार्ग

संदर्भ
वर्तमान में, प्रतिनिधि संकेंद्रण मार्ग (RCP) उत्सर्जन परिदृश्यों को निर्धारित करने के लिए एक नवीनतम दृष्टिकोण के रूप में उभरा हैं।

उत्सर्जन परिदृश्यों के बारे में

- उत्सर्जन परिदृश्य वे तरीकें हैं जो एक निश्चित अवधि में मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीनहाउस गैस और एरोसोल के उत्सर्जन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
- वैज्ञानिक इन परिदृश्यों का उपयोग **जलवायु मॉडल के लिए इनपुट के रूप में करते हैं** और ये इन जलवायु मॉडल द्वारा भविष्य में वैश्विक तापमान या समुद्र के स्तर की गणना की जाती हैं।
- उत्सर्जन परिदृश्यों को निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक जनसंख्या वृद्धि, जीडीपी, वायु प्रदूषण, भूमि उपयोग और ऊर्जा स्रोतों सहित विविध वैज्ञानिक और सामाजिक आर्थिक डेटा का उपयोग करते हैं।
- उत्सर्जन परिदृश्यों को निर्धारित करने की नवीनतम विधि को प्रतिनिधि संकेंद्रण मार्ग (RCP) कहा जाता है।

प्रतिनिधि संकेंद्रण मार्ग (RCP)

- आरसीपी ग्रीनहाउस गैसों की उस मात्रा को निर्दिष्ट करते हैं, जो पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में, वर्ष 2100 तक लक्षित मात्रा से कुल विकिरण के दबाव मे वृद्धि करेंगे।
  - ✓ जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) वर्ष 1750 को आधार वर्ष मानता है क्योंकि यह औद्योगिक क्रांति से पहले का है और इस समय विकिरण दबाव काफी स्थिर था।
- **कुल विकिरण दबाव** पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली ऊर्जा की मात्रा और पृथ्वी से उत्सर्जित वाली ऊर्जा की मात्रा के बीच का अंतर है।
- उच्च विकिरण दबाव मान ग्रीनहाउस गैसों और प्रदूषकों की बढ़ती सांद्रता का संकेत हैं, जिससे अधिक ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन प्रभाव को बढ़ावा मिलता हैं।
- विकिरण दबाव को **वाट प्रति वर्ग मीटर में मापा जाता है**।
- आरसीपी पूर्वानुमान या नीति अनुशंसाएं नहीं हैं बल्कि केवल जलवायु परिणामों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं।

विभिन्न आरसीपी स्तर

- चार मार्ग हैं: RCP8.5, RCP6, RCP4.5, और RCP2.6
- ये संख्याएँ वर्ष 1750 से 2100 तक विकिरण दबाव में अपेक्षित परिवर्तन को दर्शाती हैं। इसलिए, RCP4.5, 1750 और 2100 के बीच विकिरण दबाव में प्रति वर्ग मीटर 4.5 वाट की वृद्धि को दर्शाता है।
- **RCP2.6** 21वीं सदी के अंत तक 2.6 वाट प्रति वर्ग मीटर के मामूली अतिरिक्त विकिरण दबाव के साथ सबसे बेहतर स्थिति को दर्शाता है।
  - ✓ इस परिदृश्य में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता में पर्याप्त कमी और सख्त शमन प्रयास शामिल हैं।
  - ✓ RCP2.6 को **RCP3PD** के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उत्सर्जन 2050 के आसपास चरम पर होता है और फिर गिरावट आती है।
  - ✓ नतीजतन, वैश्विक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान है।
- **RCP4.5** और **RCP6** मध्यवर्ती परिदृश्य हैं, जिसमें वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तरों से क्रमशः 2.4 और 2.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा।
- **RCP8.5** सबसे खराब स्थिति को दर्शाता है, जिसमें ग्रीनहाउस गैस सांद्रता वर्तमान स्तर से तीन गुना अधिक है। इससे वर्ष 2100 तक तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।

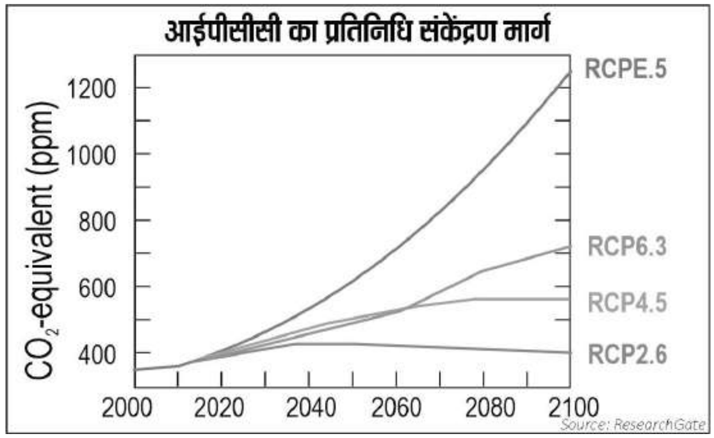

जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC)

- IPCC एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसकी स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा की गई थी।
- इसका उद्देश्य जलवायु नीतियों के निर्माण के लिए सरकारों को वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध करना है।
- **आंकलन रिपोर्ट:** IPCC ने 1988 से अब तक छह आंकलन रिपोर्ट तैयार की हैं,ये रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर सबसे व्यापक वैश्विक वैज्ञानिक संसाधनों के रूप में काम कर रही हैं।

IPCC और RCP

- रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार के रूप में 2014 में IPCC की पांचवीं आंकलन रिपोर्ट में आरसीपी का उपयोग किया गया था।
- **SREC (उत्सर्जन परिदृश्य पर विशेष रिपोर्ट)** के रूप में जाने जाने वाले परिदृश्यों की एक श्रृंखला का उपयोग पिछली IPCC आंकलन रिपोर्ट में किया गया था। ये परिदृश्य सामाजिक-आर्थिक स्थितियों से शुरू होते हैं और वहां से उत्सर्जन प्रक्षेप पथ और जलवायु प्रभाव का पूर्वानुमान लगाते हैं।
- RCP सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के बजाय उत्सर्जन प्रक्षेप पथ और परिणामी विकिरण संबंधी दबाव को बेहतर करते हैं।

उत्सर्जन परिदृश्यों की गणना का महत्व

- **भविष्य की अंतर्दृष्टि:** उत्सर्जन परिदृश्यों की गणना ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के विभिन्न स्तरों के आधार पर संभावित भविष्य के प्रक्षेप पथों (पूर्वानुमानों) को प्रदान करती है।
- **नीति निर्माण:** यह संभावित उत्सर्जन स्तरों पर डेटा प्रदान करके नीतियों के निर्माण में सहायता करता है। यह नीति निर्माताओं को यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने और शमन के लिए उचित रणनीति विकसित करने मे सहायता करता है।
- **जोखिम मूल्यांकन:** उत्सर्जन परिदृश्यों को समझने से उत्सर्जन के विभिन्न स्तरों से जुड़े जोखिमों का आकलन करने में मदद मिलती है। यह बेहतर तैयारी और अनुकूलन उपायों को सक्षम बनाता है।
- **संसाधन आवंटन:** उत्सर्जन परिदृश्य उत्सर्जन में कमी और टिकाऊ प्रौद्योगिकी निवेश के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को इंगित करके संसाधन आवंटन में सहायता करते हैं।

- **हितधारक जुड़ाव:** उत्सर्जन परिदृश्य सरकारों, उद्योगों और समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा देते हैं, जलवायु परिवर्तन चुनौतियों पर सहयोगात्मक कार्रवाई को बढ़ावा देते हैं।
- **दीर्घकालिक योजना:** उत्सर्जन गणना ऊर्जा, परिवहन और कृषि जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक योजना निर्माण मे मदद करती है, जिससे लचीलापन और स्थिरता सुनिश्चित होती है।

उत्सर्जन परिदृश्यों की गणना में चुनौतियाँ

- **डेटा उपलब्धता:** आर्थिक रुझान और जनसंख्या वृद्धि जैसे कारक जो उत्सर्जन को प्रभावित करते है, का सटीक डेटा एकत्रित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
- **मॉडलिंग अनिश्चितताएँ:** उत्सर्जन की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग की जाने वाली जटिल मॉडलिंग तकनीकें में अनिश्चितताओं से ग्रसित हो सकती है, जिसमें भविष्य के रुझानों, नीतियों और मान्यताएं भी शामिल हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक कारक: उत्सर्जन की भविष्यवाणी करना** शहरीकरण और उपभोग प्रारूप जैसे जटिल कारकों से जुड़ा है, जिनका सटीक पूर्वानुमान लगाना चुनौतीपूर्ण है।
- **नीतिगत गतिशीलता:** सरकारी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में परिवर्तन से उत्सर्जन पूर्वानुमानों में अनिश्चितताएँ आ सकती हैं।

आगे की राह

- **डेटा संग्रह मे वृद्धि:** उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले इनपुट कारकों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए डेटा संग्रह विधियों में सुधार करने हेतु निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **मॉडलिंग तकनीकों को परिष्कृत करना:** अनिश्चितताओं को कम करने और उत्सर्जन पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार करने के लिए मॉडलिंग तकनीकों को लगातार परिष्कृत और अद्यतन करने की जरूरत है।

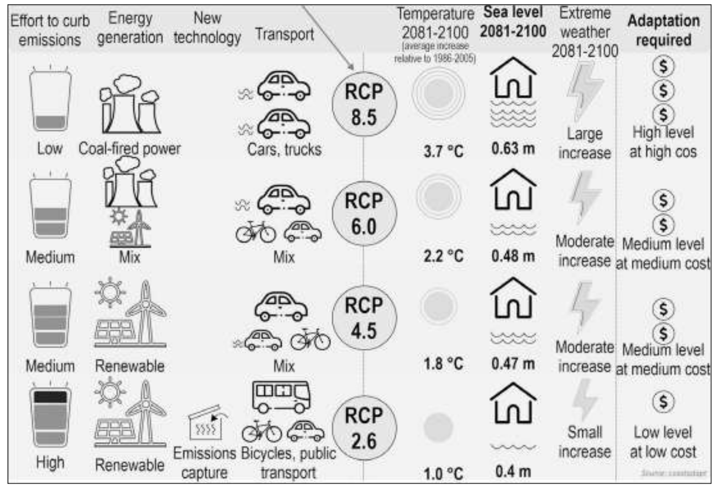

- **सामाजिक-आर्थिक रुझानों का लेखा जोखा:** अधिक सूक्ष्म पूर्वानुमान दृष्टिकोणों को शामिल करते हुए शहरीकरण और उपभोग प्रारूप जैसे गतिशील सामाजिक आर्थिक कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- **अनुकूल नीतिगत रूपरेखा:** एक अनुकूल नीतिगत रूपरेखा लागू करना जो सरकारी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में बदलाव को समायोजित कर सके और उत्सर्जन पूर्वानुमान परिदृश्यों में लचीलापन सुनिश्चित कर सके।
- **अंतर्विषयक सहयोग:** विविध दृष्टिकोणों और विशेषज्ञता पर विचार करते हुए व्यापक उत्सर्जन परिदृश्य विकसित करने के लिए शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और हितधारकों के बीच अंतर्विषयक सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

5.6. समुद्र सतह के तापमान में वृद्धि

संदर्भ

कॉपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा (Copernicus Climate Change Service-C3S) के मासिक जलवायु बुलेटिन के अनुसार, फरवरी 2024 में अब तक का सबसे अधिक औसत वैश्विक समुद्री सतह तापमान (sea surface temperature-SST) दर्ज किया गया।

विवरण

- फरवरी 2024 के लिए औसत वैश्विक समुद्री सतह तापमान (SST) **21.06 डिग्री सेल्सियस** दर्ज किया गया था, जो वर्ष 1979 से पहले के डेटासेट में अब तक का सबसे अधिक है।
- 20.98 डिग्री सेल्सियस का पिछला रिकॉर्ड अगस्त 2023 में बना था।
- मार्च 2023 के बाद से, दैनिक औसत समुद्री सतह तापमान ऐतिहासिक रिकॉर्ड से अधिक हो गया है, जैसा कि नीचे दिए गए ग्राफ़ से दर्शाया गया है।
- ग्राफ़ पर नारंगी रेखा 2023 के समुद्री सतह तापमान डेटा को प्रदर्शित करती है, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से उच्च तापमान को दर्शाती है, जिसे ग्रे रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है।
- वर्ष 2024 में, ठोस काली रेखा द्वारा दर्शाया गया, समुद्री सतह तापमान स्तर वर्ष 2023 में देखी गई असाधारण गर्म परिस्थितियों से भी आगे निकल गया।

समुद्री सतह का तापमान

- समुद्र की सतह का तापमान समुद्र की सतह पर पानी का तापमान होता है। यह विश्व के महासागरों का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है।
- विश्व के महासागरों की सतह का तापमान मुख्य रूप से अक्षांश के साथ बदलता रहता है, साथ ही सबसे गर्म पानी आमतौर पर भूमध्य रेखा के पास और सबसे ठंडा पानी आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में होता है।
- जैसे-जैसे महासागर अधिक गर्मी (ऊष्मा/ताप) अवशोषित करते हैं, समुद्र की सतह का तापमान बढ़ता है, और दुनिया भर में गर्म और ठंडे पानी के वाहक महासागर परिसंचरण प्रतिरूप मे परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है।

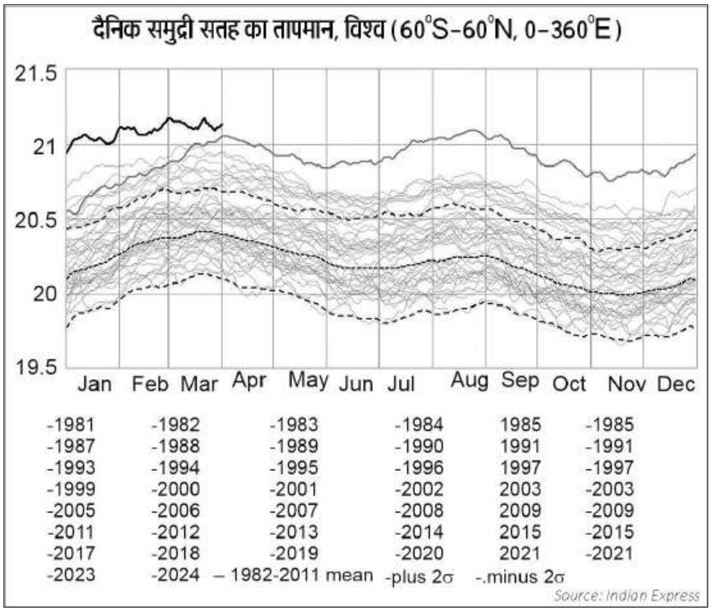

समुद्र सतह के तापमान में वृद्धि करने वाले कारक

- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन:** औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से, जीवाश्म ईंधन के उपयोग जैसी मानवीय गतिविधियों ने वायुमंडल में महत्वपूर्ण मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। ये गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, वातावरण में ऊष्मा को अवशोषित करती हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है।
- **महासागर ऊष्मा अवशोषण:** ग्रीनहाउस गैसों द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊष्मा का लगभग 90% महासागरों द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। इस निरंतर अवशोषण के कारण दशकों से समुद्र के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है।
- **अल नीनो का प्रभाव:** अल नीनो की विशेषता भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। यह समुद्री सतह के गर्म होने और वैश्विक तापमान के वृद्धि में योगदान देता है।
- **सहारा धूल प्रभाव का कमजोर होना:** सहारा रेगिस्तान आमतौर पर धूल पैदा करता है जो एक सुरक्षात्मक घेरा बनाता है, अटलांटिक जल को छायांकित (shading) करता है और समुद्र के तापमान को कम करता है।
- औसत से कमज़ोर हवाओं के कारण सहारा रेगिस्तान से कम धूल उड़ रही है और सुरक्षात्मक प्रभाव कम हो गया है। परिणामस्वरूप, सूर्य की किरणे समुद्र की सतह तक अधिक पहुँचती है, जिससे समुद्र के तापमान में वृद्धि होती है।

समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि के परिणाम

- **महासागरीय स्तरीकरण:** गर्म महासागरों के कारण महासागरीय स्तरीकरण में वृद्धि होती है। समुद्र के पानी को घनत्व के आधार पर क्षैतिज परतों में प्राकृतिक रूप से अलग करना (पृथक्करण) ही स्तरीकरण कहलाता है।
  - ✓ तापमन और घनत्व मे अंतर के कारण महासागर का स्तरीकरण होता है,जिसमे भारी,ठंडे , अधिक लवणयुक्त पानी के ऊपर,हल्का कम लवणयुक्त पानी की परत होती है।
  - ✓ आमतौर पर, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, धाराएँ, पवने और ज्वार इन परतों को मिलाते हैं। तापमान में वृद्धि ने पानी की परतों का एक-दूसरे के साथ मिश्रण करना कठिन बना दिया है।
  - ✓ इसके कारण, महासागर वायुमंडल से कम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, अवशोषित ऑक्सीजन नीचे ठंडे महासागर के पानी के साथ उचित रूप से मिश्रित नहीं हो पाती है। इससे समुद्री जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।
  - ✓ स्तरीकरण के परिणामस्वरूप पोषक तत्व नीचे से महासागरों की सतह तक नहीं पहुंच पाते हैं। इससे पादप प्लवक (phytoplankton) [एकल-कोशिका वाले पौधे जो समुद्र की सतह पर पनपते हैं और कई समुद्री खाद्य शृंखला का आधार हैं] की आबादी को खतरा हो सकता है।
  - ✓ पादप प्लवक को प्राणि प्लवक (zooplankton) [जिसे केकड़े और मछली जैसे अन्य समुद्री जानवर खाते हैं] द्वारा खाया जाता है। प्राणि प्लवक की आबादी में गिरावट के परिणामस्वरूप समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का विनाश हो सकता है।
- **समुद्री ऊष्मा तरंगें:** गर्म महासागर समुद्री तापीय लहरें (marine heat waves-MHWs) उत्पन्न करते हैं। समुद्री ऊष्मा लहरें तब उठती हैं जब समुद्र के किसी विशेष क्षेत्र की सतह का तापमान कम से कम पांच दिनों के औसत तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है।
  - ✓ संयुक्त राष्ट्र के इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) के वर्ष 2021 के एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 1982 और वर्ष 2016 के बीच, ऐसी उष्मा लहरों की आवृत्ति दोगुनी हो गई एवं लंबी और अधिक तीव्र हो गई।
  - ✓ समुद्री तापीय लहरें समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए विनाशकारी होती हैं क्योंकि वे मूंगा विरंजन में योगदान करती हैं, प्रवालों की प्रजनन क्षमता को कम करती हैं और उन्हें जीवन-घातक बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। ये जलीय जंतुओं के प्रवासन पैटर्न को भी प्रभावित करते हैं।
- **चरम मौसमी घटनाएँ:** समुद्र की सतह का तापमान महासागरों के ऊपर वायुमंडलीय जल वाष्प के स्तर को प्रभावित करके वैश्विक जलवायु को प्रभावित करता है।
  - ✓ समुद्र की सतह के ऊंचे तापमान से वायुमंडलीय जल वाष्प में वृद्धि होती है, जो वर्षा उत्पन्न करने वाली मौसम प्रणालियों को बढ़ावा देती है। वर्षा में इस वृद्धि से भारी बारिश और हिमपात की घटनाओं के जोखिम मे वृद्धि हो जाती हैं।
  - ✓ समुद्र की सतह के तापमान में परिवर्तन तूफान के मार्ग को बदल सकता है, जो संभावित रूप से कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति पैदा कर सकता है।
  - ✓ इसके अतिरिक्त, समुद्र की सतह के बढ़ते तापमान से समुद्री खाद्य को दूषित करने वाले बैक्टीरिया के विकास के लिए आवश्यक समयावधि में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे खाद्य जनित बीमारियों और संबंधित स्वास्थ्य प्रभावों का खतरा बढ़ जाएगा।

आगे की राह

- **पेरिस समझौता:** वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने के लिए पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित शमन लक्ष्यों को प्राप्त करना।
- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करना:** महासागरों को और अधिक गर्म होने से रोकने के लिए उत्सर्जन कम करने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं।
- **प्रवाल विरंजन को रोकना:** प्रवाल विरंजन को रोकने और समुद्री जैव विविधता को संरक्षित करने के उपायों को लागू करना।
- **निगरानी और अनुकूलन:** समुद्र के तापमान की लगातार निगरानी करना और तदनुसार नीतियों और प्रथाओं को अपनाना।
- **जागरूकता बढ़ाना:** लोगों को समुद्र के गर्म होने के प्रभाव और कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करना।

5.7. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर हेड-शील्ड सी स्लग की एक नई प्रजाति का नामकरण

संदर्भ

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (Zoological Survey of India) ने भारत के राष्ट्रपति के नाम पर एक नई हेड-शील्ड सी स्लग प्रजाति का नाम **मेलानोक्लामिस द्रौपदी** (Melanochlamys Draupadi) रखा है।

अन्य संबंधित जानकारी

- इस नई प्रजाति का नाम **भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू** के नाम पर रखा गया है।
- यह **मेलानोक्लैमिस जीन** से संबंधित, इस प्रजाति की खोज **पश्चिम बंगाल तट और ओडिशा तट** पर की गई थी।
- **हेड-शील्ड सी स्लग** की यह नई प्रजाति **भारत की स्थानिक प्रजाति** है।

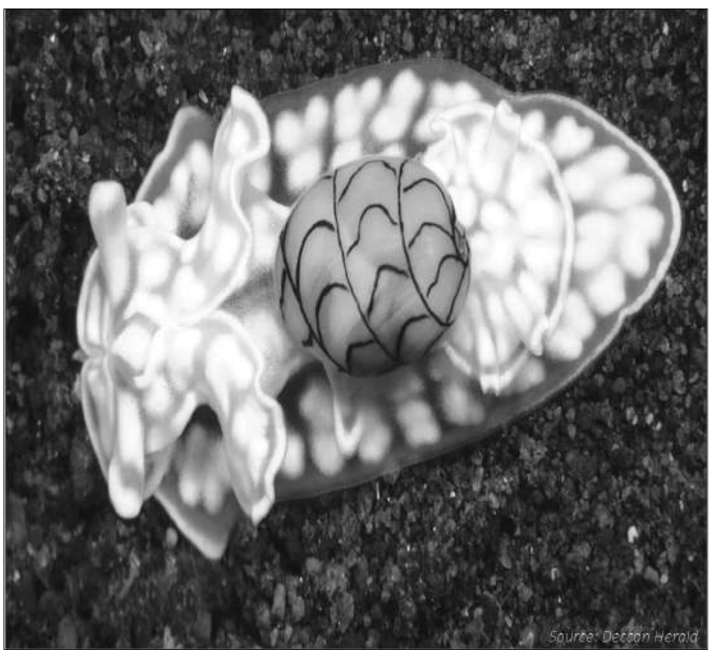

हेड शील्ड समुद्री स्लग

- यह एक छोटा **अकशेरुकी प्राणी** है, जिसकी लंबाई अधिकतम **7 मिमी** तक होती है।
- यह **गहरे लाल धब्बे वाली भूरे काले रंग की** प्रजाति है।
- इनका प्रजनन काल **नवंबर से जनवरी के बीच** होता है।
- यह भारत में पाई जाने वाली हेड-शील्ड समुद्री स्लग की **दूसरी प्रजाति** है।
- समुद्री स्लग **तेजी से शिकार करने वाले** जीव होते हैं, जो जीवित जीवों जैसे अन्य शेल्ड और अनशेल्ड समुद्री स्लग, राउंडवॉर्म, समुद्री कीड़े और छोटी मछलियों को अपना आहार बनाते हैं।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI)

- इसकी स्थापना **वर्ष 1916** में हमारे ज्ञान में उन्नति के लिए सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है।
- **भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI)** के वैज्ञानिक पूरे भारत में जानवरों की **खोज करने, नामकरण करने, वर्णन करने, वर्गीकृत करने के साथ-साथ दस्तावेज़ीकृत** करते हैं।

पर्यावास

- ये प्रजाति **आर्द्र, नम और रेतीले समुद्र तटों** पर पाए जाती हैं।

समुद्री स्लग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

- सभी समुद्री स्लग में **नर और मादा के साथ-साथ उभयलिंगी स्लग** होते हैं।
- इस प्रजाति के नर **के सिर में प्रजनन प्रणाली होती है,** जबकि मादाओं की **पूँछ में प्रजनन प्रणाली** होती है।
- ये प्रजातियाँ मुख्य रूप से **हिंद-प्रशांत महासागर** के समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती हैं।

5.8. इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) का गठन

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) के गठन को मंजूरी दे दी है।

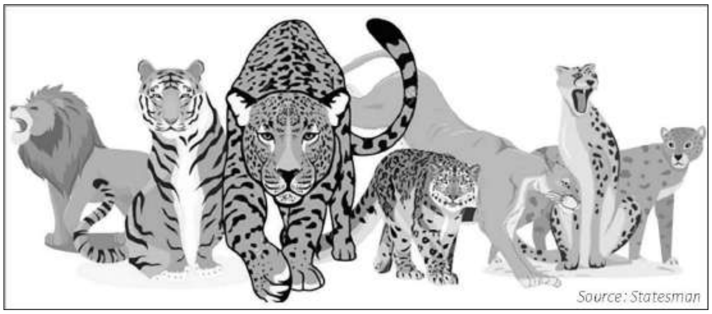

बिग कैट

- 'बिग कैट' (Big Cat) फेलिडे या फ़ेलिडाए (Felidae) परिवार की बड़ी प्रजातियों को संदर्भित करता है, जिसमें मुख्य रूप से पैंथेरा जीन के जानवर अर्थात, बाघ (पैंथेरा टाइग्रिस), शेर (पैंथेरा लियो), जगुआर (पैंथेरा ओंका), तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस), और स्नो लेपर्ड (पेंथेरा अन्सिया)" शामिल हैं।
- **प्यूमा कैट और चीता पैंथेरा का हिस्सा नहीं** हैं। हालाँकि, वे सामान्यतः '**बिग कैट**' के अधिकांश सूची में शामिल हैं।
- भारत **सात बिग कैट** प्रजातियों में से पाँच अर्थात, **बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ** और **चीता** का घर है।

बिग कैट की संरक्षण का महत्व
• पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखना। • बिग कैट का पर्यावास का करोड़ों लोगों के लिए पानी के स्रोत के रूप में कार्य करना। • जलवायु परिवर्तन को कम करना। • सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाना। • बिग कैट के संरक्षण के जरिए अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करना।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)

- यह **बिग कैट के संरक्षण के लिए एक वैश्विक नेटवर्क** है।
- वस्तुतः, भारत सरकार ने वर्ष **2019 में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) के कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा था,** जिसे **प्रोजेक्ट टाइगर** की **50वीं वर्षगाँठ के अवसर पर मैसूर** में शुरू किया गया था।
- **इसका फ्रेमवर्क अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के** आधार पर तैयार किया गया है।
- इसका गठन 96 बिग कैट रेंज में आने वाले देशों और गैर-रेंज संरक्षण वाले देशों, बहु-एजेंसी गठबंधन के रूप में की गई थी।
- **इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)** का **मुख्यालय भारत** में होगा।

उद्देश्य

- **सात बिग कैट अर्थात, शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, हिम तेंदुआ, जगुआर** और **प्यूमा** के संरक्षण के लिए सहयोग सुनिश्चित करना।
- **वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण** में भारत के नेतृत्व को सुदृढ़ करना।

संगठनात्मक संरचना

- इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) की संरचना में सदस्यों की एक सभा, एक स्थायी समिति और एक सचिवालय शामिल होगा। इसका मुख्यालय भारत में होगा।
- इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) के क़ानून को एक अंतरराष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें संस्थापक सदस्य देशों के राष्ट्रीय केंद्र बिंदु शामिल हैं।
- इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) के सचिवालय के एक अंतरिम प्रमुख को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा उस समय तक के लिए नियुक्त किया जाएगा, जब तक कि इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) की सभा द्वारा बैठक के माध्यम से इसके महानिदेशक की नियुक्ति नहीं की जाती है।

वित्तीय सहायता और अन्वेषण

- सरकार ने 2023-24 से 2027-28 तक पांच साल की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये का एकमुश्त बजटीय समर्थन आवंटित किया है।
- केंद्र ने पहल का समर्थन करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों और अन्य उपयुक्त संस्थानों से योगदान लेने, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों से वित्तीय सहायता जुटाने आदि की योजना बनाई है।

5.9. सतत जीवन शैली पर संकल्प

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) ने अपने छठें सत्र में भारत द्वारा प्रस्तुत **स्थायी जीवन शैली संकल्प** को अपनाया है।

अन्य संबंधित जानकारी

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के छठें सत्र का आयोजन 26 फरवरी से 1 मार्च, 2024 तक **केन्या के नैरोबी** में किया गया था
- छठे सत्र के **सभी भाग लेने वाले सदस्य देशों ने श्रीलंका और बोलीविया द्वारा सह-प्रायोजित संकल्प को अपनाया** था।
- यह संकल्प सतत विकास की उपलब्धि में योगदान देने के लिए स्थायी जीवन शैली के प्रति व्यवहारिक परिवर्तनों की क्षमता को मान्यता देता है।
- यह संकल्प **सदस्य देशों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ** अन्य हितधारकों को **सतत विकास लक्ष्य के 4.7 (सतत विकास और वैश्विक नागरिकता के लिए शिक्षा)** में संदर्भित **स्थायी जीवन शैली** के बारे में मौजूद विकल्प को चुनने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाने हेतु आवश्यक साक्ष्य-आधारित सक्षम स्थितियों को बनाने के लिए आमंत्रित करता है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)

- इसकी स्थापना 5 जून, 1972 को **स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंवायर्मेंट** के बाद की गई थी।
- इसका मुख्यालय **केन्या के नैरोबी** में अवस्थित है।
- **5 जून** को **विश्व पर्यावरण दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA)

- यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) से संबंधित निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।
- इसे **जून, 2012** में **सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (रियो+20)** में स्थापित किया गया था।
- इसे संयुक्त राष्ट्र के सभी **193 सदस्य देशों** की सार्वभौमिक सदस्यता प्राप्त है तथा इसकी बैठक हर दो साल में होती है।

Source: CSR journal

मिशन लाइफ (LiFE)

- **मिशन LiFE (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) की अवधारणा की** कल्पना भारत के प्रधानमंत्री ने **UNFCCC के COP26 के दौरान ग्लासगो में विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में की थी।** इसे अक्तूबर, 2022 में गुजरात के एकता नगर के **स्टैच्यू ऑफ यूनिटी** से लॉन्च किया गया था।
- **मिशन लाइफ (Mission LiFE)** भारत के नेतृत्व में चलाया जाने वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य प्रकृति के अनुरूप और प्रकृति को हानि न पहुँचाने वाला जीवन जीने के तरीके को अपनाकर पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है।
- इसे वर्ष 2022 से वर्ष 2027 की अवधि में पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई करने के लिए कम से कम एक अरब भारतीयों और अन्य वैश्विक नागरिकों को एकजुट करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है।
- **मिशन LiFE** का उद्देश्य स्थिरता के प्रति हमारे सामूहिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए निम्नलिखित **त्रि-आयामी** रणनीति का पालन करना है-
  - ✓ **माँग में परिवर्तन: व्यक्तियों को** अपने दैनिक जीवन में सरल लेकिन प्रभावी पर्यावरण-अनुकूल कार्यों वाली प्रथा को **प्रोत्साहित करना।**
  - ✓ **आपूर्ति में परिवर्तन: उद्योगों और बाजारों** को बदलती माँग पर तेजी से प्रतिक्रिया देने में **सक्षम बनाना।**
  - ✓ **नीति में बदलाव:** सतत उपभोग और उत्पादन दोनों का समर्थन करने के लिए सरकार **और औद्योगिक नीति को प्रभावित करना।**
- भारत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) में **मिशन लाइफ (LiFE)** को शामिल करने वाला पहला देश है।

5.10. विश्व वन्यजीव दिवस

संदर्भ

प्रत्येक वर्ष **3 मार्च** को **विश्व वन्यजीव दिवस** मनाया जाता है।

विश्व वन्यजीव दिवस, 2024 की थीम

- वर्ष 2024 का थीम **"कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट: एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन"**

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **20 दिसंबर 2013 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68 वें सत्र में** दुनिया के वन्यजीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जश्न मनाने के लिए **3 मार्च** को **विश्व वन्यजीव दिवस** के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया।
- **वर्ष 1973 में इसी दिन अर्थात,** 3 **मार्च को वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन** (CITES) को अपनाया गया था, जो यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा नहीं है।

इस वर्ष की विश्व वन्यजीव दिवस की मुख्य बातें

- यह मौजूदा डिजिटल नवाचारों के अन्वेषण को प्रोत्साहित करता है, पारस्परिक विसंगतियों को दूर करता है और सभी लोगों और ग्रह के लिए समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी की कल्पना करता है।
- इस वर्ष, **वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) सचिवालय ने** महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा को बढ़ावा देने हेतु **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), वाइल्डलैब्स (WILDLABS), जैक्सन वाइल्ड (Jackson Wild) और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एनिमल वेलफेयर (International Foundation for Animal Welfare)** के साथ मिलकर काम किया है।
- 183 सदस्य देशों वाला **वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)** वन्य जीवों और वनस्पतियों में व्यापार के विनियमन के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण हेतु **दुनिया के सबसे प्रभावशाली कन्वेंशनों में से एक** बना हुआ है।

वन्य जीव और तकनीकी विकास

- तकनीकी विकास ने **वन्यजीव संरक्षण के विभिन्न पहलुओं जैसे अनुसंधान, संचार, ट्रैकिंग और डीएनए विश्लेषण में काफी हद तक सुधार** किया हैं, हालाँकि असमान पहुँच, पर्यावरण प्रदूषण और अस्थिर प्रौद्योगिकी उपयोग जैसी चुनौतियाँ वर्ष 2030 तक **सभी के लिए समान डिजिटल पहुँच** प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती हैं।

विश्व वन्यजीव दिवस, 2024 और भारत

- **वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF)** ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली **ओखला पक्षी अभयारण्य** में EIACP PC-RP **[(पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम), संसाधन भागीदार (RP)] के तहत** विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके विश्व वन्यजीव दिवस, 2024 मनाया। **ओखला पक्षी अभयारण्य, मिशन LiFE** (पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण हेतु व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई को बढ़ावा देने वाली भारत के नेतृत्व में शुरू किया गया वैश्विक जन आंदोलन) पर केंद्रित समृद्ध जैव विविधता से समृद्ध स्थानों में से एक हैं।

महत्व

- यह जीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण वैश्विक जागरूकता कार्यक्रम है।

5.11. स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र

संदर्भ

केंद्रीय इस्पात मंत्री ने स्टेनलेस-स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- यह जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में स्थित है।
- यह **स्टेनलेस-स्टील उद्योग** के लिए **विश्व का पहला ऑफ-ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट** तथा **रुफ और फ्लोटिंग सोलर वाला विश्व का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट** होगा।
- यह परियोजना एक अत्याधुनिक ग्रीन हाइड्रोजन सुविधा है जिसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को लगभग 2,700 मीट्रिक टन प्रति वर्ष और अगले दो दशकों में 54,000 टन CO_2 उत्सर्जन को कम करना है।
- इस्पात क्षेत्र में भारत की प्रगति एक शुद्ध आयातक से एक शुद्ध निर्यातक के रूप में विकसित हुई है, और इसका लक्ष्य कच्चे इस्पात का विश्व मे सबसे बड़ा उत्पादक बनना है।
- इस प्रगति में एक प्रमुख पहल राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) है, जिसे पिछले वर्ष भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए लॉन्च किया गया था।

महत्व

- भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाकर हरित (ग्रीन) अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।
- यह वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य (नेट-ज़ीरो) कार्बन उत्सर्जन की दिशा में भारत के कदम को आगे बढ़ाता है।
- सतत विकास की दिशा में भारत की परिवर्तनकारी कदम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करता है।

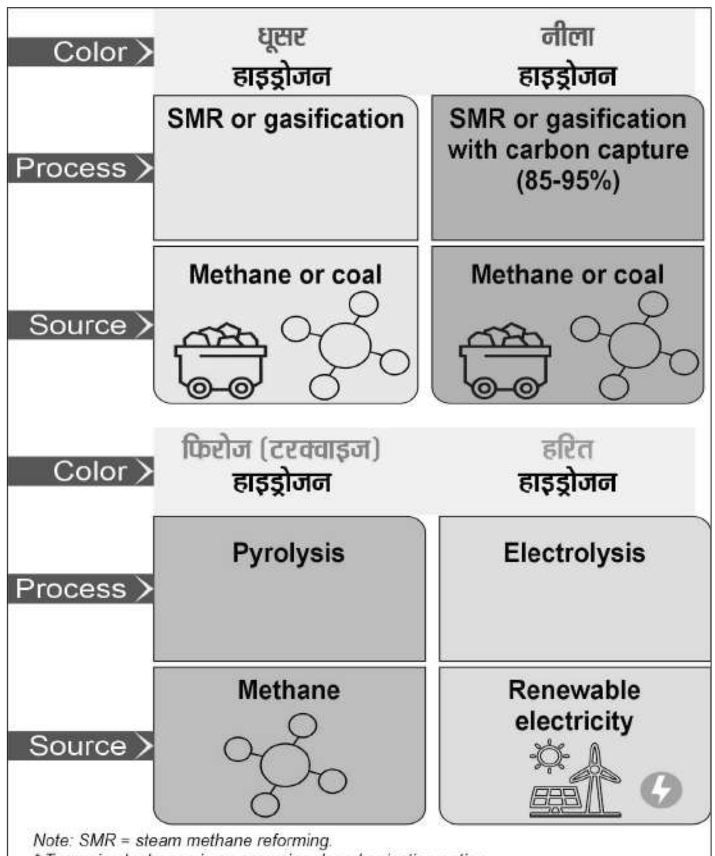

Note: SMR = steam methane reforming.
* Turquoise hydrogen is an emerging decarbonisation option.

- रोजगार के अवसरों का सृजन तथा हरित पहल के सामाजिक-आर्थिक लाभों को रेखांकित करता है।
- यह भारत को हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाने में मदद करने से साथ-साथ वैश्विक मंच पर जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
- यह परियोजना न केवल सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है, बल्कि जिम्मेदार औद्योगिक प्रथाओं की क्षमता को प्रदर्शित करते हुए रोजगार के अवसर भी पैदा करती है।

उत्पादन विधियों और पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर, हाइड्रोजन को निम्नलिखित रंगों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

ग्रीन हाइड्रोजन:
- सौर, पवन या जलविद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस (विद्युत अपघटन) के माध्यम से पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है।
- यह पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ होती है, क्योंकि यह उत्पादन के दौरान कार्बन का उत्सर्जन नहीं करती है।
- इसे हाइड्रोजन का सबसे स्वच्छ रूप माना जाता है और यह विभिन्न क्षेत्रों को डीकार्बोनाइजिंग (विकार्बनीकृत) करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

ग्रे हाइड्रोजन:
- इसमें सामान्यतः भाप मीथेन सुधार (SMR) या कोयला गैसीकरण के माध्यम जैसे कि जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है।
- इसमें उत्पादन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है।
- वर्तमान में, यह दुनिया भर में उत्पादित हाइड्रोजन का सबसे आम प्रकार है।

ब्राउन हाइड्रोजन:
- गैसीकरण के माध्यम से कोयले से उत्पादित।
- ग्रे हाइड्रोजन के समान, यह उत्पादन के दौरान महत्वपूर्ण CO2 उत्सर्जन उत्पन्न करता है।
- कोयला खनन और दहन के पर्यावरणीय प्रभाव के कारण अन्य प्रकार के हाइड्रोजन की तुलना में कम आम और पर्यावरण की दृष्टि से कम अनुकूल।

ब्लू हाइड्रोजन:
- ग्रे हाइड्रोजन के समान, एसएमआर या गैसीकरण का उपयोग करके जीवाश्म ईंधन (प्राकृतिक गैस या कोयला) से उत्पादित।
- पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए, CO2 उत्सर्जन को पकड़ने और संग्रहीत करने के लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) तकनीक का उपयोग करता है।
- इसका उद्देश्य हाइड्रोजन उत्पादन से जुड़े कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जिससे यह स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक संक्रमणकालीन समाधान बन सके।

टरक्वाइज अर्थात, फ़िरोज़ा (Turquoise) हाइड्रोजन:
- प्राकृतिक गैस से उत्पादित, लेकिन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन (सीसीयू) तकनीक के साथ।
- उत्पादन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को एकत्र कर उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे समग्र पर्यावरणीय प्रभाव कम हो जाता है।
- यह ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में कम कार्बन पदचिह्न प्रदान करता है लेकिन यह पूरी तरह से उत्सर्जन–मुक्त नहीं है।

पिंक हाइड्रोजन:
- उच्च तापमान वाले इलेक्ट्रोलिसिस या थर्मोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है।
- परमाणु रिएक्टरों से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग ऊर्जा हाइड्रोजन उत्पादन के लिए करता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है।
- जीवाश्म ईंधन–आधारित हाइड्रोजन उत्पादन विधियों के लिए कम कार्बन वाला विकल्प प्रदान करता है।

5.12. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना 2024

संदर्भ

हाल ही में, **भारी उद्योग मंत्रालय ने** भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपनाने को बढ़ावा देने के लिए **इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS), 2024** की शुरुआत की है।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना

- देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में और तेजी लाने के लिए इसे **वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग** द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- यह **4 महीने** (1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक) की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली एक **सीमित फंड वाली स्कीम** है।
- इसके अंतर्गत तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए केवल उन्नत बैटरी वाली इलेक्ट्रिक वाहन (EV) को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

इस स्कीम के लिए पात्र इलेक्ट्रिक वाहन (EV) श्रेणियाँ है

- **दोपहिया वाहन** (इलेक्ट्रिक) (e-2W)
- **तिपहिया वाहन** (इलेक्ट्रिक), इसमें पंजीकृत ई-रिक्शा और ई-गाड़ियाँ और L5 (e-3W) शामिल हैं।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS), 2024 के घटक

- **सब्सिडी/माँग प्रोत्साहन:** यह पंजीकृत ई-रिक्शा, ई-कार्ट और L5 वाहनों सहित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (e-2W) और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (e-3W) के लिए प्रोत्साहन को कवर करता है।
- **योजना का प्रबंधन:** इसमें परियोजना प्रबंधन एजेंसी के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों और शुल्क का प्रबंधन शामिल है।

उद्देश्य

- इसका लक्ष्य दोपहिया, तिपहिया और ई-रिक्शा **की बिक्री को** बढ़ावा देना है।
- इस योजना के तहत, सरकार **31,000 से अधिक छोटे तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) को कवर करने की योजना बना रही है और** उन्हें खरीदने के लिए **25,000 रुपये की वित्तीय सहायता** प्रदान करेगी।

योजना के लाभ

- **डीजल और पेट्रोल से चलने वाले** वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना।
- **इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड** वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देना।
- यह देश में एक कुशल, प्रतिस्पर्धी और **लचीले इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के विनिर्माण उद्योग** को बढ़ावा देता है।
- यह देश में एक **कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीले ईवी विनिर्माण** उद्योग

को बढ़ावा देता है, जो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

✓ इससे मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ **रोजगार के बड़े अवसर** भी पैदा होंगे।

इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए संचालित अन्य सरकारी पहल

- **फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया (FAME India):**
  - ✓ इसे दो चरणों में संचालित किया गया है, जो इस प्रकार है:
- सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर **वस्तु एवं सेवा कर** (GST) की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के साथ-साथ ईवी के लिए चार्जर या चार्जिंग स्टेशनों पर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
- विद्युत मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और नीति आयोग के साथ मिलकर आम जनता को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में बताने के लिए वर्ष 2021 में एक राष्ट्रव्यापी अभियान **"गो इलेक्ट्रिक"** शुरू किया है।

FEMA-I	• फ़ेम इंडिया (FEMA India) स्कीम का पहला चरण वर्ष 2015 में शुरू हुआ तथा यह 31 मार्च, 2019 तक जारी रहा। • फ़ेम इंडिया (FEMA India) स्कीम के पहले चरण में चार क्षेत्रो पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जो है - तकनीकी विकास, माँग सृजन, पायलट प्रोजेक्ट और चार्जिंग के बुनियादी घटक
FEMA-II	• अप्रैल, 2019 में इस स्कीम का दूसरा चरण शुरू हुआ, जो कि 31 मार्च, 2024 तक जारी रहेगा। • इस चरण का लक्ष्य 7000 ई-बसों, 5 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन, 55000 इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहन यात्री कारों (मजबूत हाईब्रिड सहित) और 10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को समर्थन देकर माँग सृजित करना है।

- **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) को अपनाया गया है, जो घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन (EV) आपूर्ति श्रृंखला को** मजबूत बनाता है।
  - ✓ **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP):** इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
- सरकार ने देश में **पर्यावरण-अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बैटरी** से संचालित/इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क में छूट का प्रस्ताव दिया है।

5.13. भारत को विनिर्माण गंतव्य बनाने के प्रयोजन हेतु ई-वाहन नीति

संदर्भ

हाल ही में, केंद्र सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति पेश की है।

नीति के प्रमुख बिंदु

- सरकार ने भारत को विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए इस योजना को मंजूरी दी है ताकि देश में नवीनतम तकनीक वाले ई-वाहनों का निर्माण किया जा सके।
- यह नीति प्रतिष्ठित वैश्विक ईवी निर्माताओं द्वारा ई-वाहन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए तैयार की गई है। अनुमोदित आवेदकों को e-4w (4 व्हीलर) विनिर्माण के लिए भारत में न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये (500 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के निवेश के साथ विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता होगी, जिसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं होगी।
- इसके अनुसार, भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) द्वारा अनुमोदन पत्र जारी होने की तारीख से **3 साल की अवधि** के अंदर विनिर्माण सुविधा को चालू करना होगा और इसी अवधि के अंदर 25 प्रतिशत का न्यूनतम **घरेलू मूल्यवर्धन (DAV)** हासिल करना होगा।
- **विनिर्माण के दौरान घरेलू मूल्य संवर्धन (DAV): भारी उद्योग मंत्रालय** (MHI) द्वारा अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से तीसरे वर्ष तक 25 प्रतिशत और 5वें वर्ष तक 50 प्रतिशत का स्थानीयकरण स्तर प्राप्त करना होगा।
- आवेदक को 15 प्रतिशत कम **सीमा शुल्क (Customs Duty)** पर न्यूनतम 35,000 अमेरिकी डॉलर के लागत, बीमा और माल ढुलाई (CIF) मूल्य पर उनके द्वारा निर्मित **e-4W** की **पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (CBUs)** को आयात करने की अनुमति दी जाएगी। यह 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी।

✓ वर्तमान में, 40,000 डॉलर से अधिक कीमत वाले **पूरी तरह से निर्मित इकाई (CBU) वाहनों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगता है,** जबकि 40,000 डॉलर से कम कीमत वाले वाहनों पर **70 प्रतिशत कर** लगता है।

- इस स्कीम के तहत **प्रति वर्ष 8,000** से अधिक ईवी आयात की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, अप्रयुक्त वार्षिक आयात सीमाओं को आगे **बढ़ाने की अनुमति** दी जाएगी।
- इस स्कीम का संचालन अवधि 5 वर्ष या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित समय तक होगी।
- यह स्कीम एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) के माध्यम से लागू की जाएगी, जो कि सचिवीय, प्रबंधकीय और क्रियान्वयन सहायता प्रदान करने और भारत सरकार द्वारा सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी।
- कंपनी की प्रतिबद्धता को स्कीम के संचालन अवधि के दौरान छूट वाले कुल शुल्क के बराबर भारत में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी द्वारा समर्थित होना होगा।
- इस स्कीम के दिशानिर्देशों के अंतर्गत परिभाषित घरेलू मूल्य संवर्धन (DAV) और न्यूनतम निवेश मानदंडों को पूरा न करने की स्थिति में बैंक गारंटी लागू की जाएगी।

स्कीम का महत्व

- **नीति आयोग** ने अनुमान लगाया है कि **वर्ष 2030 तक** ईवी (EV) की विभिन्न श्रेणियों की पहुँच के इस प्रकार होने की संभावना है:
  - ✓ **2 पहिया वाहनों के लिए 35 से 40 प्रतिशत**
  - ✓ **निजी 4 पहिया वाहनों के लिए 9 से 11 प्रतिशत**
  - ✓ **साझा 4 पहिया वाहनों के लिए 20 से 25 प्रतिशत**
  - ✓ **बसों के लिए 13 से 16 प्रतिशत।**
- **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (COP26)** में, इलेक्ट्रिक वाहन **कार्बन पदचिह्न (फुटप्रिन्ट) को कम करने और भारत को वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य (नेट ज़ीरो) उत्सर्जन** के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।
- **नवीनतम प्रौद्योगिकी तक पहुँच:** यह स्कीम भारतीय उपभोक्ताओं को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुँच सुनिश्चित करने, परिवहन दक्षता को बढ़ाने के साथ-साथ पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता को कम करेगी।
- **ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना:** ईवी की निर्माता कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने से विनिर्माण की संख्या के बढ़ने और अर्थिकी विकास होने के साथ-साथ उत्पादन लागत में कमी आती है। यह भारत में इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और स्थिरता में योगदान देगा।
- **कच्चे तेल के आयात में कमी:** इस स्कीम से आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा कम होगा तथा देश की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

अन्य पहल

- फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल (FAME)
  - ✓ **भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने वर्ष 2015 में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल (FAME)** स्कीम की शुरुआत की।
  - ✓ फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम का दूसरा चरण (FAME II) **वर्ष 2019 में** 11,500 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ शुरू किया गया था। यह स्कीम ईवी खरीदने वालों को अग्रिम सब्सिडी प्रदान करती है, ताकि उनकी खरीदारी लागत कम हो सके।
- **ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव के घटकों हेतु पीएलआई स्कीम (PLI-Auto): इसे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने** और ऑटोमोटिव विनिर्माण उद्योग की मूल्य श्रृंखला में निवेश को आकर्षित करने हेतु वर्ष 2021 में भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) द्वारा शुरू किया गया था।
- **उन्नत केमिकल सेल के लिए पीएलआई स्कीम (पीएलआई-एसीसी):** इस स्कीम को उन्नत केमिकल सेलों के निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य 50 GWh की स्थानीय विनिर्माण क्षमता का निर्माण करना है, जिसमें से 30 GWh को पहले ही पूरा किया जा चुका है।
- **राज्य की नीतियाँ:** वर्तमान में, भारत में **22 से अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों** के पास **समर्पित ईवी नीतियाँ** हैं।

भारत में ईवी विनिर्माण के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ

- **सीमित बैटरी विनिर्माण:** भारत आयातित बैटरियों पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसके कारण आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आने के साथ-साथ इसकी लागत अधिक हो जाती है।
- **अवसंरचना में निवेश की आवश्यकता:** घरेलू बैटरी क्षमता का विस्तार करने के लिए पर्याप्त अनुसंधान एवं विकास और अवसंरचना को विकसित करने में निवेश की आवश्यकता है।
- **कुशल कार्यबल की कमी** : बैटरी प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सीमित विशेषज्ञता ईवी विनिर्माण विकास में बाधा डालती है।
- **विखंडित आपूर्ति श्रृंखला:** विखंडित ईवी आपूर्ति श्रृंखला गुणवत्ता नियंत्रण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन चुनौती को बढ़ाती है।

आगे की राह

- **घरेलू बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देना:** सरकारी प्रोत्साहन और सब्सिडी के जरिए भारत में बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने को प्रोत्साहन करना।
- **चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मानकीकृत बनाना:** सभी स्थानों पर आसान ईवी चार्जिंग की सुविधा के लिए मानकीकृत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना।
- **कार्यबल में कुशलता को बढ़ाना:** बैटरी प्रौद्योगिकी और पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स में कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना।
- **आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करें:** इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने के लिए बुनियादी ढाँचे में निवेश करना और आपूर्तिकर्ताओं के बीच सहयोग को बढ़ाना।

5.14. इथेनॉल 100 ईंधन

संदर्भ

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने हाल ही में एक नवोन्मेषी ऑटोमोटिव ईंधन 'इथेनॉल 100' का उद्घाटन किया।

इथेनॉल 100

- इथेनॉल 100, जिसे E100 के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार का ईंधन है, जो **93 से 93.5 प्रतिशत इथेनॉल, 5 प्रतिशत गैसोलीन और 1.5 प्रतिशत सह-विलायक** (जो एक सूत्र में रखने वाले अव्यय में कार्य करने वाला) से बना होता है।
- यह एक नवीकरणीय ईंधन है, जिसे मक्का या गन्ना जैसे पौधों की सामग्रियों से तैयार किया जाता है।
- इथेनॉल 100 को गैसोलीन के स्वच्छ और अधिक टिकाऊ विकल्प के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।

इथेनॉल 100 के लाभ

- **ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कमी:** इथेनॉल 100 गैसोलीन की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है, जो ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है।
- **उच्च-ऑक्टेन रेटिंग:** इथेनॉल 100 की ऑक्टेन रेटिंग (100 से 105 के बीच) काफी अधिक है, जिसका अर्थ है कि यह पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए इंजन के प्रदर्शन और ईंधन दक्षता में सुधार कर सकता है।
- **इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार:** इंडियन ऑयल के 183 आउटलेट्स पर **एथेनॉल 100 (ETHANOL100)** को लॉन्च करने के साथ ही भारत इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 तक 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा।
- **घरेलू स्तर पर उत्पादित:** इथेनॉल 100 का उत्पादन घरेलू फसलों से किया जा सकता है, जो विदेशी तेल पर निर्भरता को कम करने में मदद कर सकता है।

फ्लेक्स-ईंधन वाले वाहन (Flex-fuel vehicles-FFVs)

फ्लेक्स-ईंधन वाले वाहनों (FFVs) को कभी-कभी दोहरे ईंधन वाले वाहन भी कहा जाता है, जो एक से अधिक प्रकार के ईंधन से चल सकते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाला सबसे आम संयोजन गैसोलीन और इथेनॉल मिश्रण है, हालाँकि मेथनॉल का इस्तेमाल भी सीमित अनुप्रयोगों में कुछ फ्लेक्स-ईंधन वाले वाहनों (FFVs) में किया गया है।

फ्लेक्स-ईंधन वाले वाहनों की प्रमुख विशेषताएँ

- **ईंधन का कई प्रकार के इस्तेमाल:** फ्लेक्स-ईंधन वाले वाहनों (FFVs) में आंतरिक दहन इंजन होते हैं, जिन्हें गैसोलीन या गैसोलीन-इथेनॉल मिश्रण पर संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो सामान्यतः 85 प्रतिशत इथेनॉल (E85) और इथेनॉल 100 (E 100) तक होता है।
- **स्वचालित समायोजन:** इन वाहनों में विशेष सेंसर और नियंत्रण उपकरण लगे होते हैं, जो स्वचालित रूप से उपयोग किए जा रहे ईंधन के प्रकार का पता लगा सकते हैं और प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए इंजन की सेटिंग्स (व्यवस्था) को उसके अनुसार समायोजित कर सकते हैं।

इथेनॉल 100 के उपयोग मे चुनौतियाँ

- **सभी वाहनों में उपयोग योग्य न होना:** इथेनॉल 100 (E100) सभी वाहनों के इस्तेमाल योग्य नहीं है। इसका इस्तेमाल केवल फ्लेक्स-ईंधन वाले वाहन, जो विशेष रूप से गैसोलीन, इथेनॉल या दोनों के किसी भी मिश्रण से चलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, द्वारा किया जा सकता हैं।
- **निम्न ऊर्जा घनत्व:** इथेनॉल 100 में गैसोलीन की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व होता है, जिसका अर्थ है कि वाहनों को इथेनॉल 100 (E100) पर प्रति गैलन कम दूरी/मील तय कर पाएंगे अर्थात, इसका माइलेज कम होगा।
- **पानी के प्रति आकर्षण:** इथेनॉल 100 (E 100) हवा से पानी को आकर्षित कर सकता है, जिसके करण कुछ वाहनों के इंजनों में जंग लग सकती है।

इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Program-EBP)

- जनवरी, 2003 में, इसे भारत में चुनिंदा राज्यों में 5 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण (E5) के साथ लॉन्च किया गया था।
- जून, 2022 में, सरकार ने देश में पेट्रोल में औसतन 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है।
- सरकार ने इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (7u6ESY) 2025-26 तक इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP) कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में इथेनॉल के 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य रखा है।
- **क्रियान्वयन:** इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियाँ (OMCs) इथेनॉल को खरीदने और इसे पेट्रोल में मिलाने के लिए जबावदेह हैं।

लक्ष्य और उद्देश्य

- **आयातित तेल पर निर्भरता को कम करना:** भारत घरेलू स्तर पर उत्पादित इथेनॉल का इस्तेमाल करके परिवहन ईंधन के लिए विदेशी तेल स्रोतों पर अपनी निर्भरता को कम कर सकता है।
- **नवीकरणीय ईंधन को बढ़ावा देना:** इथेनॉल गन्ने जैसे पौधों की सामग्री से तैयार किया जाने वाला एक जैव ईंधन है, जो इसे एक नवीकरणीय संसाधन बनाता है।
- **कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना:** इथेनॉल उत्पादन की बढ़ती माँग से गन्ना और अन्य फीडस्टॉक की खेती करने वाले किसानों को फायदा हो सकता है।
- **वायु गुणवत्ता में सुधार करना:** इथेनॉल गैसोलीन की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है, जो संभवतः हानिकारक उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ वायु गुणवत्ता में सुधार करता है।

6.1. अंतरिक्ष क्षेत्र में सौ प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति

संदर्भ

हाल ही, में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए **100% तक** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति मिल गई।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2020 में, भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में **गैर-सरकारी संस्थाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यापक सुधार प्रस्तुत किए।**
- वर्ष 2023 में, बढ़ी हुई निजी भागीदारी के माध्यम से **अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमता को उजागर करने** के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर **भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 को मंजूरी दे दी**। इसके उद्देश्य निम्न हैं:
  - ✓ अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाना, अंतरिक्ष क्षेत्र में एक समृद्ध व्यावसायिक मौजूदगी दर्ज करना।
  - ✓ प्रौद्योगिकी विकास के चालक के रूप में अंतरिक्ष का उपयोग करना और संबद्ध क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करना।
  - ✓ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना।
  - ✓ सभी हितधारकों के बीच अंतरिक्ष अनुप्रयोगों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
- मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार, केवल सरकारी अनुमोदन मार्ग के माध्यम से उपग्रहों की स्थापना और संचालन के लिए **100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति** है।

अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति में संशोधन

संशोधित नीति के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रवेश मार्ग निम्नानुसार हैं:

- **स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक:**
  - ✓ उपग्रह-विनिर्माण और प्रचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पादों और धरातल खंड एवं उपयोगकर्ता(यूजर) खंड।
  - ✓ इनमें से 74% से अधिक निवेश गतिविधियाँ सरकारी मार्ग के अंतर्गत हैं।
- **स्वचालित मार्ग के तहत 49% तक:**
  - ✓ प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रणाली या उप-प्रणाली, अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने और प्राप्त करने हेतु स्पेसपोर्ट का निर्माण।
  - ✓ इनमें से 49% से अधिक निवेश गतिविधियाँ सरकारी मार्ग के अंतर्गत हैं।
  - ✓ वर्तमान में, श्रीहरिकोटा में इसरो द्वारा संचालित केवल एक स्पेसपोर्ट है।
- **स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक:** उपग्रहों, धरातल खंड और उपयोगकर्ता खंड के लिए घटकों(कलपुर्जों) और प्रणालियों/उप-प्रणालियों का वि निर्माण।
- नोट:
  - ✓ **स्वचालित मार्ग** के तहत विदेशी निवेशक या भारतीय कंपनी को निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार से किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है।
  - ✓ **सरकारी मार्ग** के तहत भारत सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है।

अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अन्य पहल

- **न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL):** यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक शाखा है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय उद्योगों को उच्च-प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष-संबंधी गतिविधियों को अपनाने में सक्षम बनाना है | यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से निकलने वाले उत्पाद और सेवाएँ के प्रचार और वाणिज्यिक दोहन के लिए भी जिम्मेदार है।

निजी क्षेत्र की कुछ नवीनतम उपलब्धियाँ

- **विक्रम-एस:** स्काईरूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट।
- **धवन-1:** स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा भारत का पहला निजी तौर पर पूर्णतः विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन।
- पहली बार सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC), शार, श्रीहरिकोटा में इसरो परिसर के भीतर एक निजी प्रक्षेपण स्थल और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। इसे एक निजी कंपनी, एक भारतीय अंतरिक्ष-तकनीकी स्टार्ट-अप, अग्निकुल द्वारा डिजाइन और संचालित किया जाता है।

- **भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe):** यह गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) की विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, समर्थन करने, प्राधिकृत करने और पर्यवेक्षण का कार्य करता है, जिसमें निम्न शामिल हैं:
  - ✓ प्रक्षेपण वाहनों एवं उपग्रहों का निर्माण तथा अंतरिक्ष-आधारित सेवाएं प्रदान करना।
  - ✓ डीओएस/इसरो के नियंत्रण में अंतरिक्ष अवसंरचना और परिसर को साझा करना;
  - ✓ नयी अंतरिक्ष अवसंरचना और सुविधाओं की स्थापना।
- **राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022:** इसका उद्देश्य आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रीय विकास और एक संपन्न सूचना अर्थव्यवस्था की सहायता करने के लिए भू-स्थानिक क्षेत्र को मजबूत करना है। यह न केवल एक सक्षम बुनियादी ढांचा तैयार करेगा बल्कि एक उच्च-वियोजन (रिजोल्यूशन) वाले स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करने के लिए भी काम करेगा।
- भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश है, जो

नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में भाग लेने वाले देशों के बीच अंतरिक्ष अन्वेषण सहयोग को निर्देशित करने हेतु सिद्धांतों का एक व्यावहारिक सेट स्थापित करता है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में सौ प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लाभ

- **व्यवसाय करने में आसानी में वृद्धि:** सुव्यवस्थित नियम और अनुमोदन प्रक्रियाएं विदेशी निवेश को आकर्षित करेंगी, जिससे उनके लिए इस क्षेत्र में स्थापित होना और संचालन करना आसान हो जाएगा।
- **रोज़गार सृजन:** उदारीकृत एफडीआई नीतियों के साथ, विशेषज्ञों के अनुसार वर्ष 2030 तक 50 बिलियन डॉलर का संभावित सकल घरेलू उत्पाद में योगदान और अंतरिक्ष क्षेत्र में 500,000 से अधिक नए रोजगार पैदा होने की संभावना।

अंतरिक्ष क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

- भारत की वर्तमान अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था **8.4 बिलियन डॉलर** है, जो वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में **2% हिस्सेदारी** रखती है।
- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN–SPACe) का अनुमान है कि वर्ष 2033 तक, भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 44 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, जो वैश्विक हिस्सेदारी का लगभग 8% है।
- वर्तमान में, घरेलू बाज़ार हिस्सेदारी 8.1 बिलियन डॉलर है और निर्यात बाज़ार हिस्सेदारी 0.3 बिलियन डॉलर है।
- अंतरिक्ष क्षेत्र का लक्ष्य घरेलू हिस्सेदारी को 33 अरब डॉलर और निर्यात हिस्सेदारी को 11 अरब डॉलर तक बढ़ाना है।
- भारत का अंतरिक्ष उद्योग राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7 बिलियन डॉलर का योगदान देता है और विभिन्न विषयों में 100,000 से अधिक कुशल पेशेवरों को रोजगार देता है।

- **आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना:** विदेशी निवेश अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और विशेषज्ञता तक पहुंच मे वृद्धि करेगा, जिससे भारत वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने में सक्षम होगा।
- **मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत:** विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना **'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत'** पहल के अनुरूप है, जो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देता है और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करता है।
- **वैश्विक बाजार में बड़ी हिस्सेदारी:** विदेशी निवेश को आकर्षित करके और घरेलू नवाचार को बढ़ावा देकर, भारत वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वर्तमान में **वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 2% से थोड़ा अधिक हिस्सेदारी** रखता है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में सौ प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति से संबंधित चुनौतियाँ

- **राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** विदेशी कंपनियों को कुछ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और डेटा पर पूर्ण नियंत्रण की अनुमति देने से संभावित दुरुपयोग या संवेदनशील जानकारी तक पहुँच के बारे में चिंताएँ बढ़ सकती हैं।
- **तकनीकी निर्भरता:** विदेशी निवेश पर बढ़ती निर्भरता के कारण विदेशी प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता पर अत्यधिक निर्भरता घरेलू नवाचार और अंतरिक्ष क्षेत्र में दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता में बाधा बन सकती है।
- **असमान साझेदारी:** छोटी भारतीय कंपनियों को स्थापित विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में संघर्ष करना पड़ सकता है, जिससे संभावित शोषण या अनुचित साझेदारी हो सकती है।

आगे की राह

- **पूर्व-परिभाषित संवेदनशील प्रौद्योगिकियों की सूची:** प्रतिबंधित विदेशी स्वामित्व या पहुंच के साथ संवेदनशील अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और डेटा की सूची को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण खंड:** घरेलू विशेषज्ञता को बढ़ावा देने और विदेशी जानकारी पर निर्भरता कम करने के लिए एफडीआई समझौतों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण खंड का प्रावधान अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- **घरेलू अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता:** घरेलू अंतरिक्ष कंपनियों और संस्थानों में अनुसंधान और विकास में सहायता करने के लिए समर्पित निधि आवंटित की जाए।
- **निष्पक्ष और पारदर्शी नियामक ढांचा:** अंतरिक्ष क्षेत्र में घरेलू और विदेशी कंपनियों के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियम स्थापित किए जाने चाहिए।
- **सुविधा एवं विवाद समाधान तंत्र:** प्रभावी विवाद समाधान प्रणाली प्रदान करते हुए भारतीय और विदेशी कंपनियों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए तंत्र बनाए जाएँ।
- **भारत में विनिर्माण को प्राथमिकता देना:** विदेशी कंपनियों को देश के भीतर विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करके 'मेक इन इंडिया' पहल पर जोर दिया जाना चाहिए।
- **डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों पर ध्यान देना:** कृषि, संचार और आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोगों के विकास और व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इन उपायों को लागू करके, भारत संभावित जोखिमों को कम करते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लाभ उठा सकता है। यह दृष्टिकोण भारत को एक प्रमुख वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वाला देश बनने के लिए प्रेरित कर सकता है।

6.2. भारत का स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान (AMCA)

सन्दर्भ

हाल ही, में **सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Security-CCS)** ने भारत के पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट **[एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA)]** को डिजाइन और विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है।

भविष्य का लड़ाकू विमान

स्टील्थ विमान को दुश्मन के रडार और रडार-निर्देशित हथियारों की पकड़ से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) Mark-1 पांचवीं जेनरेशन का स्टील्थ विमान होगा।

लंबाई
17.6m

पंख की लंबाई
11.13m

अधिकतम टेक-ऑफ भार
25,000kg

अधिकतम गति
2,600 kmph
(मैक 2.15)

मारक क्षमता
1,620km

अधिकतम ऊँचाई (सर्विस सीलिंग)
20,000m

भार क्षमता
6,500kg

प्रदर्शन
आफ्टरबर्नर की सहायता के बिना सुपरसोनिक स्पीड प्राप्त कर सकता है।

लागत
₹15,000 crore
प्रथम पांच जेट विकसित करने के लिए

पंखें
विमान के मुख्य भाग पर लगे, हीरे के आकार के समलम्बाकार विंग्स सुपरसोनिक गति पर ड्रेग (पीछे की और खिंचाव) कम करेंगे; किनारों को स्टील्थ से संरेखित किया गया।

विमान का ढांचा
फलकित डिजाइन; रडार-अवशोषक सतह

कॉकपिट
सिंगल बबल कैनोपी युक्त ग्लास कॉकपिट

आंतरिक हथियार कक्ष
विमान के ढांचे के नीचे

दो इंजन

हथियार

हवा से हवा
- क्लोज कॉम्बैट मिसाइल
- बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल

हवा से सतह
- ज्वाइंट डाइरेक्ट अटैक म्यूनेशन (युद्ध सामग्री)
- सटीकता से निर्देशित युद्ध सामग्री

AMCA किस्में

AMCA Mark-1
- अमेरिका निर्मित इंजन
- पांचवी जेनरेशन की तकनीकियाँ

AMCA Mark-2
- इसमें स्वदेशी रूप से विकसित इंजन होंगे
- छठी जेनरेशन की तकनीकियाँ (अपेक्षित)

तुर्की के TF-X की टाइमलाइन AMCA के समान है।
BEA सिस्टम्स टेम्पेस्ट एंड फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम अगली जेनरेशन के लड़ाकू विमानों पर काम करने वाले यूरोपीय कार्यक्रम हैं।
इस वर्ष दक्षिण कोरिया के उन्नत लड़ाकू विमान KF-21 MS का लक्ष्य अपनी पहली उड़ान भरने का है।

उन्नत लड़ाकू विमान के

चौथी-जेनरेशन

ये विमान हवा से हवा और हवा से सतह के बीच स्विच और स्विंग कर सकते हैं; फ्लाई-बाय-वायर नियंत्रण प्रणाली (एक पूर्णत: इलेक्ट्रॉनिक उड़ान नियंत्रण प्रणाली) का नियमित उपयोग करने वाला पहला लड़ाकू विमान है।
विकास: 1960 के दशक से 1980 के दशक के अंत तक
उदाहरण: मिग-29, Su-27, F/A-18, F-15, F-16 और मिराज-2000

4.5 जेनरेशन

4- जेनरेशन के विमान से विकसित; चौथी जेनरेशन के विमानों की तुलना में बेहतर एवियोनिक्स और कम दृश्यता की सीमित स्टील्थ विशेषताएँ
विकास: 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक में
उदाहरण: यूरोफाइटर टाइफून, डसॉल्ट राफेल, मिग-35, SU-30SM, F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट

पांचवीं-जेनरेशन

उन्नत स्टील्थ विशेषताएँ और उन्नत एकीकृत एवियोनिक्स; शत्रुओं पर बेहतर स्थितिजन्य और श्रेष्ठ निर्णय लेने में सक्षम
विकास: 1980-वर्तमान तक
उदाहरण: F-22, F-35,SU-57 (अभी तक शामिल नहीं किया गया), चेंगडू J-20 (दावा किया गया है)

स्रोत- वैमानिकी विकास एजेंसी

विवरण

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन(DRDO) के अन्तर्गत कार्यरत **एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA)** इस कार्यक्रम को पूरा करने और विमान को डिजाइन करने के लिए **नोडल एजेंसी** होगी।
- इसकी **विनिर्माण एजेंसी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)** होगी।

पृष्ठभूमि
• एएमसीए को विकसित करने के लिए चर्चा वर्ष 2007 में शुरू हुई। प्रारंभिक योजना में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान (FGFA) कार्यक्रम के तहत रूस के साथ संयुक्त रूप से विमान विकसित करने की थी। • हालाँकि, वर्ष 2018 में भारत पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान परियोजना से अलग हो गया और अपना स्वयं का AMCA विकसित करने की योजना बनाई।

- मंजूरी के बाद, एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की योजना **साढ़े चार से पांच साल** में पहली एएमसीए उड़ान शुरू करने की है। विमान के पूर्ण विकास में अब से लगभग 10 साल लगने की उम्मीद है।
- एचएएल द्वारा विमान का निर्माण शुरू करने से पहले पांच प्रतिकृति तैयार की जाएगी।

उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA)

- एएमसीए भारत का स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान (एफजीएफए) होगा, जो भारतीय वायु सेना (IAF) सूची में अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा।
- एक पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान (FGFA) उन्नत स्टील्थ (stealth), सुपरक्रूज़ (बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक गति प्राप्त करना), उच्च-पैंतरेबाज़ी, डेटा फ़्यूज़न और मल्टी-सेंसर एकीकरण को एक ही लड़ाकू विमान में एकीकृत करता है।
- एएमसीए का विकास हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस को विकसित करने में प्राप्त विशेषज्ञता पर आधारित होगा।
  - ✓ एलसीए तेजस 4.5 पीढ़ी का एकल इंजन वाला बहुउद्देश्यीय विमान है।
- **अमेरिका, रूस और चीन** ही ऐसे देश हैं जिन्होंने ऐसे उन्नत जेट विकसित किए हैं।
- वर्तमान में विश्व में **पाँचवीं पीढ़ी के केवल चार लड़ाकू विमान** हैं -
  - ✓ **अमेरिका** - F-22 रैप्टर और F-35A लाइटनिंग II
  - ✓ **चीन** - J-20 माइटी ड्रैगन
  - ✓ **रूस** - सुखोई Su-57

एएमसीए की मुख्य विशेषताएं

- **स्टील्थ :** 25 टन के **जुड़वां इंजन युक्त इस विमान** में दुश्मन के रडार की पकड़ से बचने के लिए उन्नत गुप्त (Stealth) विशेषताएं होंगी।
- **ईंधन और हथियार:** विमान में 6.5 टन क्षमता का एक बड़ा आंतरिक ईंधन टैंक और इसके मध्य में हथियारों की खेप ले जाने के लिए एक **आंतरिक हथियार कक्ष** होगा।
- **इंजन: एएमसीए Mk1 किस्म में 90kN (किलोन्यूटन) श्रेणी** का अमेरिका निर्मित GE414 इंजन होगा। **एएमसीए Mk2** अधिक उन्नत होगा और यह 110kN के मजबूत इंजन द्वारा संचालित होगा, जिसे **एक बड़ी विदेशी कंपनी के सहयोग** से गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान (GTRE) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा।

भारत के लिए एएमसीए का महत्व

- **आधुनिक वायु सेना:** एएमसीए की स्टील्थ विशेषताएं और उन्नत हथियार आधुनिक खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय वायु सेना की क्षमता में काफी सुधार करेंगे।
- **स्वदेशी प्रौद्योगिकी:** एएमसीए का विकास भारत के एयरोस्पेस क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा। प्राप्त अनुभव को भविष्य के स्वदेशी लड़ाकू जेट कार्यक्रमों में लागू किया जा सकता है।
- **आत्मनिर्भरता:** राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विदेशी जेट विमानों पर निर्भरता कम करना ।
- **अंतर को कम करना:** एएमसीए भारत के मौजूदा लड़ाकू विमानों और चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के बीच अंतर को कम करने में मदद करेगा।
- **कम लागत:** विमान के कई संरचनात्मक घटकों पर नज़र रखने और वास्तविक समय में विमान की स्थिति का आकलन करने के लिए एक व्यापक एकीकृत वाहन स्वास्थ्य प्रबंधन (IVHM) प्रणाली को शामिल करने से विमान के उपयोग के समय में वृद्धि होगी और रखरखाव की लागत कम होगी।

एएमसीए को विकसित करने में चुनौतियाँ

- भारत अभी तक अपना खुद का सर्वोत्तम इंजन नहीं बना सका है। यहां तक कि भारत में अमेरिकी जीई इंजन बनाने की मंजूरी मिलने में भी काफी समय लग जाता है। इससे एएमसीए परियोजना में देरी हो सकती है।
- **एएमसीए को रडार (स्टील्थ प्रौद्योगिकी) के लिए अदृश्य** बनाना भारत के लिए एक कठिन काम है। यह स्टील्थ विशेषता आधुनिक लड़ाकू विमानों के लिए महत्वपूर्ण है।

भारतीय वायु सेना के स्क्वाड्रन की घटती संख्या
• भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में लगभग 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं, जबकि स्वीकृत संख्या 42 है। • यह संख्या और भी कम होने की उम्मीद है क्योंकि अगले दशक के मध्य तक मिग-21, मिग-29, जगुआर और मिराज 2000 के स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। • हालाँकि, दो मोर्चों पर युद्ध के खतरे को देखते हुए, एलसीए तेजस और एएमसीए को शामिल करने की योजना भारतीय वायुसेना की व्यापक जरूरतों को पूरा नहीं करेगी।

- एएमसीए को शुरू से विकसित करना एक धीमी प्रक्रिया है। **पूरी तरह से कार्यात्मक जेट बनाने में लगभग 10 साल** लगेंगे। विकास का यह लंबा समय भारत को **सैन्य प्रगति में पीछे कर सकता है।**
- चीन और पाकिस्तान में उन्नत लड़ाकू विमानों की मौजूदगी, साथ ही पाकिस्तान द्वारा चीन से अधिग्रहण, **संभावित दो-मोर्चा युद्ध परिदृश्य** (जो शक्ति के क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित करता है) के बारे में चिंता पैदा करता है।

आगे की राह

- एएमसीए Mk2 इंजन के लिए किसी बड़ी विदेशी कंपनी के साथ सहयोग भविष्य के स्वदेशी विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

- भले ही एएमसीए और एलसीए तेजस को शामिल करने की योजना है लेकिन भारत को हवाई सुरक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए नियोजित स्क्वाड्रनों और भारतीय वायुसेना की स्वीकृत ताकत के बीच के अंतर को कम करना होगा, खासकर संभावित दो-मोर्चे पर युद्ध परिदृश्य को देखते हुए।
- इंजन विकास को प्राथमिकता देकर और संभावित रूप से उत्पादन संख्या बढ़ाकर, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि एएमसीए कार्यक्रम वास्तव में अपने घरेलू एरोस्पेस (aerospace) उद्योग और वायु सेना क्षमताओं को मजबूत करता है।

6.3. भारत का स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

सन्दर्भ

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के **पूर्णत: स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR)** की "कोर लोडिंग" के साक्षी बने।

अन्य संबंधित जानकारी

- यह देश के **प्रचुर थोरियम भंडार का उपयोग करने, परमाणु ईंधन आयात** की निर्भरता को समाप्त करने, **भारत के ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों में योगदान देने** और **शुद्ध-शून्य कार्बन फुटप्रिंट** की ओर आगे बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी)

- इसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक **पब्लिक लिमिटेड कंपनी (2003)** के रूप में निगमित किया गया था।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य तमिलनाडु के कलपक्कम में पहले 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) का निर्माण और प्रचालन आरंभ करना है।
- इसका उद्देश्य बिजली उत्पन्न करने हेतु आगामी फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के निर्माण, प्रचलनारंभ, संचालन और रखरखाव को आगे बढ़ाना है।

- **भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) (BHAVINI)** ने एमएसएमई सहित 200 से अधिक भारतीय उद्योगों के सहयोग से इस 500 मेगावाट के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को विकसित किया है।
- एक बार चालू होने के बाद, भारत रूस के बाद व्यावसायिक रूप से संचालित **फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालित करने वाला दूसरा देश** बन जाएगा।
- अमेरिका, जापान और फ्रांस सहित कई देशों ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विकसित करने की कोशिश की है| तरल सोडियम को सुरक्षित रूप से संभालने में बार-बार विफलता के कारण इसे छोड़ दिया है।

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

- एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों (जो धीमी न्यूट्रॉन पर निर्भर होते हैं) के विपरीत, यूरेनियम-238 के विखंडन को प्रेरित करने के लिए तेज़ न्यूट्रॉन का उपयोग करके संचालित होता है। शब्द "ब्रीडर" इन रिएक्टरों की खपत की तुलना में प्लूटोनियम-239 जैसी अधिक विखंडनीय सामग्री उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है।

प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

- प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (Prototype Fast Breeder Reactor-PFBR) एक 500 मेगावाट की इकाई है जिसे **इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कलपक्कम** द्वारा डिजाइन किया गया है।
- यह एक **सोडियम-कूल्ड, मिश्रित ऑक्साइड (MOX) ईंधन वाला, पूल टाइप का** तीव्र रिएक्टर है।
- कोर थर्मल **पावर 1253 मेगावाट है और सकल विद्युत उत्पादन 500 मेगावाट है।**
- यह भारत के तीन चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा है।

भारत का तीन चरणीय परमाणु कार्यक्रम

- होमी जहाँगीर भाभा ने **देश की कम यूरेनियम संसाधन उपलब्ध क्षमता के अनुरूप तीन चरणों में भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की।**
- **प्रथम चरण:** प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन वाले दाबित भारी जल रिएक्टर (Fuelled Pressurised Heavy Water Reactors-PHWRs):
  - ✓ **प्राकृतिक यूरेनियम (U-235 + U-238)** का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है जिससे उप-उत्पाद के रूप में **प्लूटोनियम** (Pu-239) उत्पादित होता है।

विखंडनीय और उर्वर सामग्री

- विखंडनीय पदार्थ वे होते हैं जो कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन टकराने के बाद नाभिकीय विखंडन से गुजरने में सक्षम होते हैं। जैसे- **U-235; Pu-239; U-233**
- उर्वर पदार्थ (फर्टाइल मटेरियल) वे होते हैं जो कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन के साथ विखंडन करने में सक्षम नहीं होते हैं। बल्कि, रिएक्टर के भीतर न्यूट्रॉन के अवशोषण के बाद वे विखंडनीय पदार्थ में बदल जाते हैं, जैसे- U-238 और Th-232 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले केवल दो उर्वर पदार्थ हैं।
- पीएचडब्ल्यूआर ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हैं, जबकि हल्का जल रिएक्टर (LWRs) और क्वथन जल रिएक्टर (BWR) को निम्न संवर्धित यूरेनियम मिलता है।
- प्राकृतिक यूरेनियम में विखंडनीय आइसोटोप यूरेनियम-235 का केवल 0.7% होता है। शेष 99.3% में से अधिकांश यूरेनियम-238 है और इसे एक रिएक्टर में विखंडनीय आइसोटोप प्लूटोनियम-239 में परिवर्तित किया जा सकता है।

- **द्वितीय चरण:** प्लूटोनियम आधारित ईंधन का उपयोग करने वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स (FBRs):
  - ✓ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स Pu-239 (पहले चरण से खपत किए गए ईंधन को पुन: संसाधित करके प्राप्त) और प्राकृतिक यूरेनियम से बने **मिश्रित ऑक्साइड (MOX) ईंधन** का उपयोग करेंगे।
  - ✓ एफबीआर में, प्लूटोनियम-239 **ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विखंडन से गुजरता है**, जबकि **मिश्रित ऑक्साइड ईंधन में मौजूद यूरेनियम-238** अतिरिक्त प्लूटोनियम-239 में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार, द्वितीय चरण एफबीआर को खपत से अधिक ईंधन "सृजित" करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

- ✓ एक बार प्लूटोनियम-239 का भंडार तैयार हो जाने पर, थोरियम को रिएक्टर में एक मुख्य सामग्री के रूप में पेश किया जा सकता है और तीसरे चरण में उपयोग के लिए यूरेनियम-233 में परिवर्तित किया जा सकता है।
- ✓ **प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR):** भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है।

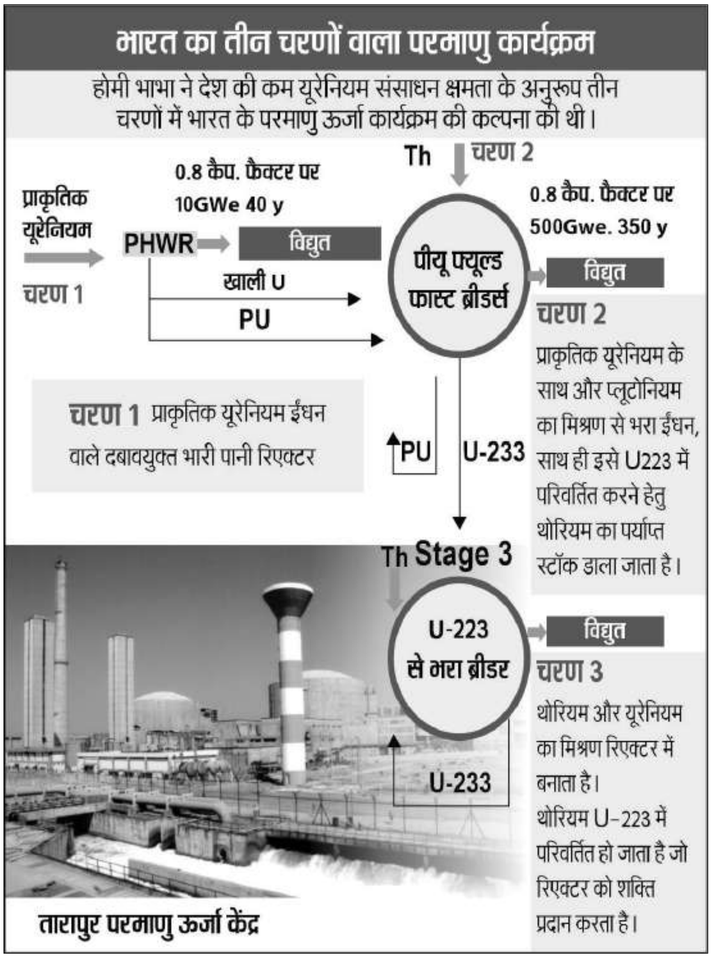

- **तृतीय चरण:** थोरियम के उपयोग हेतु उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणालियाँ:
  - ✓ दूसरे चरण से प्राप्त **यूरेनियम-233 का उपयोग थोरियम के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है।**
  - ✓ थोरियम U-233 दूसरे चरण में परिवर्तित हो जाता है, जो रिएक्टर को शक्ति प्रदान करता है। ताज़ा थोरियम रिएक्टर कोर में ख़त्म हो चुके थोरियम की जगह ले सकता है, जिससे यह मूल रूप से थोरियम-ईंधन वाला रिएक्टर बन जाता है, भले ही यह U-233 है जो बिजली पैदा करने के लिए विखंडन से गुजर रहा है।
  - ✓ इस प्रकार, यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले थोरियम का उपयोग करने वाला एक आत्मनिर्भर ब्रीडर रिएक्टर है।
  - ✓ **कामिनी (कलपक्कम मिनी रिएक्टर)** आईजीसीएआर में एक अनुसंधान रिएक्टर है। यह विश्व का एकमात्र थोरियम-आधारित प्रायोगिक रिएक्टर है और इसे **फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (FBTR)** द्वारा उपयोग किए गए थोरियम ईंधन चक्र द्वारा उत्पादित यूरेनियम-233 द्वारा संचालित होता है।

पीएफबीआर से जुड़ी चुनौतियाँ

- **परियोजना में देरी और लागत में वृद्धि:** पीएफबीआर परियोजना को वर्ष 2003 में अपनी स्थापना के बाद से अनगिनत विलंबों, लागत में वृद्धि और बारम्बार समय सीमा मे वृद्धि का सामना करना पड़ा।
  - ✓ **3,492 करोड़ रुपये** की मूल लागत वर्ष 2019 तक बढ़कर 6,800 करोड़ रुपये हो गई।
- **तकनीकी बाधाएँ:** इसे तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें **'स्माइलिंग बुद्धा' परमाणु परीक्षण** के बाद प्रतिबंधों के कारण **मिश्रित कार्बाइड ईंधन** में बदलाव भी शामिल था।
- **खरीद चुनौतियाँ:** सीएजी 2014 के ऑडिट से पता चला कि भाविनी को न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर अत्यधिक निर्भर होने से खरीद प्रक्रिया मे देरी का सामना करना पड़ता है|
- **रेडियोधर्मी उपोत्पाद:** थोरियम ईंधन चक्र (जो भारत के परमाणु कार्यक्रम का अभिन्न अंग है), सीज़ियम-137, एक्टिनियम-227, रेडियम-224, रेडियम-228 और थोरियम-230 जैसे रेडियोधर्मी उप-उत्पादों का उत्पादन करता है, जिससे प्रबंधन और भंडारण जटिल हो जाता है।

थोरियम आधारित ईंधन के उपयोग की चुनौतियाँ

- **थोरियम ऑक्साइड (ThO_2) का उच्च गलनांक:** थोरियम ऑक्साइड का गलनांक यूरेनियम ऑक्साइड (UO_2) की तुलना में बहुत अधिक होता है, जिससे उच्च घनत्व वाले थोरियम ऑक्साइड और थोरियम ऑक्साइड-आधारित मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का उत्पादन करने के लिए 2000°C से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है।
- **ईंधन की निष्क्रिय प्रकृति:** थोरियम ऑक्साइड और थोरियम ऑक्साइड-आधारित ईंधन अपेक्षाकृत निष्क्रिय होते हैं और सांद्रित नाइट्रिक एसिड में आसानी से नहीं घुलते हैं, जिसके लिए हाइड्रोफ्लोरिक (HF) को मिलाने की आवश्यकता होती है, जिससे पुनर्संसाधन संयंत्रों में क्षय की समस्या पैदा होती है।
- **विकिरण जोखिम और अल्प अर्ध-जीवन आइसोटोप:** विकिरणित थोरियम या थोरियम-आधारित ईंधन में कम अर्ध-जीवन के साथ U-232 होता है, जिससे भंडारण के दौरान महत्वपूर्ण विकिरण जोखिम उत्पन्न होता है, जिसके लिए दूरस्थ और स्वचालित पुन: प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है।
- **प्रोटैक्टीनियम-233 के लिए लंबा शीतलन समय:** Th-232 से U-233 में रूपांतरण लंबे आधे जीवन वाले Pa-233 का उत्पादन करता है, जिसके क्षय के लिए विस्तारित शीतलन समय की आवश्यकता होती है।
- **तीन-स्ट्रीम पृथक्करण प्रक्रिया:** प्रयुक्त ईंधन से यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम को अलग करने के लिए तीन-स्ट्रीम प्रक्रिया का विकास अभी तक हासिल नहीं किया जा सका है।
- **सीमित डेटाबेस और अनुभव:** थोरियम ईंधन और थोरियम ईंधन चक्र से संबंधित डेटाबेस और अनुभव यूरेनियम आधारित ईंधन की तुलना में सीमित हैं, जिन्हें व्यावसायिक उपयोग के लिए बड़े निवेश से पहले बढ़ाने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- **चुनौतियों पर काबू पाने पर ध्यान देना:** पीएफबीआर की उपलब्धि के बावजूद, द्वितीय चरण के सफल कार्यान्वयन के लिए जटिल एफबीआर प्रौद्योगिकी, सुरक्षा के प्रति सार्वजनिक धारणा और स्वतंत्र परमाणु विनियमन जैसी चुनौतियों को दूर किया जाना चाहिए।
- **एसएमआर की भूमिका का मूल्यांकन करना:** लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) शीघ्र परियोजन, कम लागत और सशक्त सुरक्षा लाभ प्रदान करते हैं। भारत को संतुलित परमाणु रणनीति के लिए एफबीआर के साथ-साथ इनकी भूमिका पर भी विचार करना चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** जानकारी साझा करने, विकास में तेजी लाने और बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए संभावित रूप से संसाधनों को एकत्रित करने हेतु थोरियम प्रौद्योगिकी का अनुसरण करने वाले अन्य देशों के साथ भागीदारी करनी चाहिए।
- **प्रचुर थोरियम भंडार का लाभ उठाना:** भारत में विशाल थोरियम भंडार है। थोरियम पर ध्यान केंद्रित करके, भारत ऊर्जा स्वावलंबन हासिल कर सकता है साथ ही यूरेनियम आयात पर निर्भरता कम कर सकता है।

थोरियम को अपनाकर और अनुसंधान एवं विकास तथा सहयोग के माध्यम से तकनीकी बाधाओं को दूरकर के, भारत ऊर्जा सुरक्षा हासिल कर सकता है, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकता है और स्वच्छ परमाणु ऊर्जा में अग्रणी देश बन सकता है।

6.4. मिशन दिव्यास्त्र: एमआईआरवी तकनीक

संदर्भ

हाल ही में, भारत ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक से लैस अग्नि-V बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक पहला परीक्षण किया।

अन्य संबंधित जानकारी

- **मिशन दिव्यास्त्र: मिशन दिव्यास्त्र** के तहत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने एमआईआरवी तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि-V मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया।
- **परीक्षण स्थल:** अग्नि-V का उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से आयोजित किया गया था।
- **महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका:** मिशन दिव्यास्त्र की परियोजना निदेशक एक महिला (शीना रानी) हैं, जो भारत के रक्षा क्षेत्र में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है।

परीक्षण का महत्व

- **भारत की विश्वसनीय न्यूनतम निवारक क्षमता को मजबूत बनाना:** मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल तकनीक के साथ अग्नि-V परमाणु हमले का जवाब देने की भारत की क्षमता को मजबूत करती है, जिससे यह अधिक विश्वसनीय निरोधक (deterrent) बन जाती है।
- **भारत को विशिष्ट समूह में शमिल करना:** भारत एमआईआरवी तकनीक वाले देशों के समूह में शामिल हो गया है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बाद भारत ऐसी तकनीक हासिल करने वाला छठा देश बन गया है।

"नों फर्स्ट यूज" (No First Use Policy)

- भारत ने वर्ष 1998 में सफल परमाणु परीक्षण किए। उसके बाद, भारत ने वर्ष 2003 में 'नों फर्स्ट यूज नीति (No First Use Policy)' अपनाई।
- इसमें कहा गया है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल केवल भारतीय क्षेत्र या भारतीय सेनाओं पर कहीं भी परमाणु हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में किया जाएगा।
- इस सिद्धांत ने "न्यूनतम प्रतिरोध, गैर-परमाणु हथियार वाले राष्ट्रों के खिलाफ पहले उपयोग न करने और पहले प्रयोग नहीं" पर जोर दिया।

- **स्वदेशी तकनीक:** मिशन दिव्यास्त्र की सफलता एवियोनिक्स और उच्च सटीकता सेंसर सहित अपनी स्वयं की रक्षा प्रौद्योगिकी विकसित करने में भारत की प्रगति को उजागर करती है।
- **भू-रणनीतिक महत्व:** यह उपलब्धि एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करती है और रणनीतिक मामलों में अधिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में योगदान देती है।
- **क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला:** अग्नि-V की बढ़ी हुई क्षमता चीन और पाकिस्तान से संभावित खतरों के खिलाफ भारत की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है।
- **शत्रु की सुरक्षा भेदना :** एमआईआरवी तकनीक एक ही मिसाइल को कई स्थानों को निशाना बनाने की सुविधा देती है, जिससे दुश्मनों के लिए ऐसे हमलों से बचाव करना मुश्किल हो जाता है।

एमआईआरवी प्रौद्योगिकी क्या है?

- एक पारंपरिक मिसाइल (जो केवल एक वारहेड ले जाती है) के विपरीत, एमआईआरवी कई हथियार ले जा सकती है, जिन्हें मिसाइल से अलग-अलग गति और अलग-अलग दिशाओं में लॉंच किया जा सकता है, जिससे मिसाइल की विनाशकारी क्षमता काफी बढ़ जाती है।
- इन मिसाइलों को जमीन या समुद्र में पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया जा सकता है।
- प्रक्षेपण के बाद, ये वारहेड उड़ान के अंतिम चरण में अलग हो जाते हैं और **अलग-अलग स्थानों** को लक्षित करते हुए स्वतंत्र रूप से वायुमंडल में पुन: प्रवेश करते हैं।
- एमआईआरवी तकनीक का विकास भी कठिन है क्योंकि इसके लिए बड़ी मिसाइलों, छोटे हथियारों, सटीक मार्गदर्शन और उड़ान के दौरान हथियारों को क्रमिक रूप से लॉंच करने के लिए एक जटिल तंत्र के संयोजन की आवश्यकता होती है।
- **मल्टीपल री-एंट्री व्हीकल (MRV)** तकनीक की तुलना में, एमआईआरवी तकनीक स्वतंत्र लक्ष्यीकरण क्षमता का लाभ प्रदान करती है।

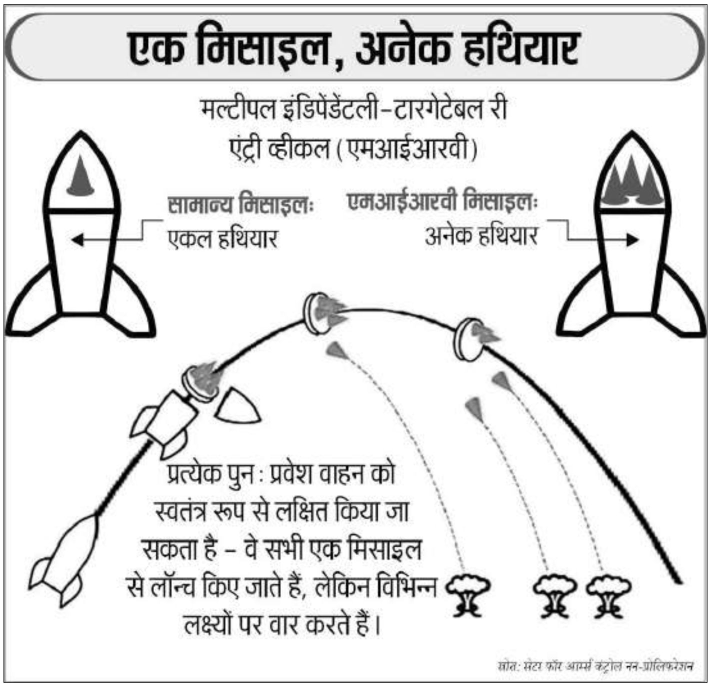

- घटक
  - ✓ **मिसाइल बस:** प्रारंभिक प्रक्षेपण के लिए हथियार और मार्गदर्शन प्रणाली (guidance system) ले जाने वाला मिसाइल का मुख्य हिस्सा।
  - ✓ **पुनः प्रवेश वाहन (RVs):** एकल हथियार जो वायुमंडलीय पुन: प्रवेश करने के लिए और अलग-अलग लक्ष्यों पर विस्फोट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

अग्नि-V का विवरण

- अग्नि-V को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित की गई एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है।
- यह भारत के शस्त्रागार में सतह से सतह पर मार करने वाली सबसे उन्नत मिसाइल है।
- **मारक क्षमता:** 5,000 किमी से अधिक, पूरे एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में लक्ष्य भेदने की क्षमता।
- **प्रणोदन:** उच्च प्रणोद और परिचालन सरलता के लिए तीन-चरण, ठोस-ईंधन इंजन, **1.5-टन परमाणु हथियार** ले जाने में सक्षम।
- **प्रक्षेपण प्लेटफ़ॉर्म:** रोड-मोबाइल और कनस्तरीकृत, जिससे अधिक गतिशीलता, प्रक्षेपण में लचीलापन और खराब मौसम में प्रक्षेपण सुविधा मिलती है।
- **वारहेड:** सामरिक प्रतिरोध हेतु परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया।
- **एमआईआरवी क्षमता:** मिशन दिव्यास्त्र की सफलता के साथ, जाने पर एमआईआरवी एक ही मिसाइल से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है।

एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP)

- एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (1983-2008): इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी/तकनीक में भारत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना था।
- भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत 1990 के दशक में विकसित अग्नि मिसाइल पृथ्वी, नाग, आकाश और त्रिशूल मिसाइलों के साथ विकसित कई मिसाइलों में से एक थी।

अग्नि मिसाइल के अन्य संस्करण

- **अग्नि-1: श्रृंखला में अग्रणी**
  - ✓ वर्ष 1983 में शुरू की गई अग्नि-1 मिसाइल ने अग्नि श्रृंखला की शुरुआत की, जो 1,000 किलोग्राम तक की पेलोड क्षमता और 700 किलोमीटर की रेंज के साथ परमाणु-सक्षम मिसाइल के रूप में कार्य करती है।
- **अग्नि-2: मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल**
  - ✓ अग्नि-2 को वर्ष 1999 में प्रक्षेपित किया गया था जिसने 2,000 से 2,500 किलोमीटर की मध्यवर्ती-सीमा क्षमता और बेहतर सटीकता के लिए उन्नत नेविगेशन सिस्टम के साथ **अग्नि-1** की क्षमताओं को बढ़ाया।
- **अग्नि-3: पहुंच में वृद्धि और सटीकता**
  - ✓ अग्नि-2 के उत्तराधिकारी के रूप में अग्नि-3 को वर्ष 2011 में इसके शामिल होने के बाद से लगभग 40 मीटर की चक्रीय त्रुटि संभाव्य (circular error probable-CEP) का दावा करते हुए, उच्च स्तर की सटीकता बनाए रखते हुए इसकी मारक क्षमता को 3,500 किलोमीटर तक विस्तारित किया गया।

अन्य नवीनतम घटनाक्रम

- **न्यूक्लियर ट्रायड:** भारत ने स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को शामिल करने के साथ अपना न्यूक्लियर ट्रायड पूरा कर लिया है, जो ऑपरेशनल सेकेंड-स्ट्राइक क्षमता सुनिश्चित करता है।
- **विगत प्रदर्शन:** रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पहले मार्च 2019 में मिशन शक्ति के तहत एंटी-सैटेलाइट (ASAT) क्षमता का प्रदर्शन किया था, जो रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति को दर्शाता है।

- **अग्नि-4: विस्तारित मारक क्षमता और गतिशीलता**
  - ✓ अग्नि-4 को वर्ष 2012 में पेश किया गया जिसके साथ, भारत ने 4,000 किलोमीटर की मारक क्षमता हासिल की एवं रोड-मोबाइल लॉन्चरों के माध्यम से इसकी बढ़ी हुई गतिशीलता का प्रदर्शन किया गया और एक ही परीक्षण प्रक्षेपण में इसने 3,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की।
- **अग्नि-प्राइम:** इसकी मारक क्षमता 1,000 से 2,000 किमी है जो एक महत्वपूर्ण उन्नयन है, जिसमें समग्र मोटर आवरण, **मैन्युवरेबल रीएंट्री वाहन (MaRV),** बेहतर प्रणोदक और नेविगेशन तथा मार्गदर्शन प्रणाली शामिल हैं।

आगे की राह

- यद्यपि मिशन दिव्यास्त्र ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, परंतु एमआईआरवी तकनीक को परिष्कृत करने और एमआईआरवी से सुसज्जित अग्नि-V मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने से पहले इसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु कई और परीक्षण किया जाना चाहिए।

- भारत की इस उपलब्धि पर निस्संदेह चीन और पाकिस्तान द्वारा बारीकी से नजर रखी जाएगी, जो क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता में प्रमुख देश हैं। वे इस उपलब्धि पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं (बयानों, सैन्य अभ्यासों या अपनी स्वयं की तकनीकी प्रगति के माध्यम से), यह आने वाले वर्षों में देखने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होगा।

6.5. भारत में मधुमेह

संदर्भ

हाल ही में प्रकाशित एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन के अनुसार, अनुमान है कि भारत में 10.13 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित हैं और अन्य 13.6 करोड़ लोग पूर्व-मधुमेह (pre-diabetic) की स्थिति में हैं।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- विश्व के कुल मधुमेह रोगियों में से 17% मरीज़ भारत में हैं।
- 35% से अधिक भारतीय उच्च रक्तचाप से और लगभग 40% पेट के मोटापे से पीड़ित हैं, ये दोनों ही मधुमेह के लिए जोखिम कारक हैं|
- पूर्व-मधुमेह और मधुमेह (टाइप 1 और टाइप 2) का निदान करने और मधुमेह को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले परीक्षणों में से एक **हीमोग्लोबिन A1C (HbA1C) परीक्षण** है।

HbA1C परीक्षण

- HbA1C परीक्षण मधुमेह के निदान हेतु उपयोग किए जाने वाले कई परीक्षणों में से एक है। **इसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन परीक्षण या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन परीक्षण** के रूप में भी जाना जाता है।
- अमेरिकन मधुमेह संघ ने वर्ष 2009 में इसे निदान उपकरण के रूप में अनुमोदित किया; इसी तरह, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने **वर्ष 2011 में इसे मंजूरी** दी।

यह कैसे काम करता है?

- शर्करा (sugar) हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन से जुड़कर हमारे रक्तप्रवाह में प्रवेश करती है।
  - ✓ हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है।
- हर किसी के हीमोग्लोबिन में कुछ शर्करा की मात्रा जुड़ी होती है, लेकिन पूर्व-मधुमेह या मधुमेह से ग्रस्त लोगों के लिए हीमोग्लोबिन में शर्करा की अधिक मात्रा जुड़ी होती है।
- HbA1C परीक्षण लाल रक्त कोशिकाओं के प्रतिशत को मापता है जिसमें शर्करा-लेपित (या ग्लाइकेटेड) हीमोग्लोबिन होता है।

HbA1C परीक्षण के परिणाम क्या दर्शाते हैं?

- HbA1C का स्तर **प्रतिशत के रूप में या मिलीमोल प्रति मोल (mmol/mol)** में प्रदान किया जाता है।
  - ✓ मोल माप की एक इकाई है जिसका उपयोग अक्सर रासायनिक पदार्थों के लिए किया जाता है।
- **HbA1C का प्रतिशत** जितना अधिक होगा, रक्त शर्करा का स्तर उतना ही अधिक होगा।
  - ✓ Hb1A1C का स्तर 5.7% से कम (या 42 mmol/mol से कम) को सामान्य माना जाता है।
  - ✓ 5.7% - 6.4% (या 42-47 mmol/mol) के बीच पूर्व-मधुमेह का संकेत हो सकता है।
  - ✓ 6.5% या उससे अधिक (48 mmol/mol या उससे अधिक) मधुमेह का संकेत हो सकता है।
- कुछ परिस्थितियों में परीक्षण के परिणाम बदल सकते हैं, जिसमें रोगी की किडनी या लीवर की विफलता, गंभीर एनीमिया (भारत में आम) या थैलेसीमिया जैसे रक्त विकार शामिल है।

परीक्षण किसे और कब करना चाहिए?

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के टाइप 2 मधुमेह के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देशों (2018) के अनुसार, 30 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को यह परीक्षण कराना चाहिए।
- सामान्य ग्लूकोज सहनशीलता के मामले में तीन साल बाद पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्री-डायबिटिक है, तो उसे सालाना पुनः परीक्षण करवाना चाहिए।

यह परीक्षण अन्य परीक्षणों से किस प्रकार भिन्न है?

- उपवास और भोजन के बाद, रक्त शर्करा परीक्षण व्यक्ति को **एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर रक्त शर्करा के स्तर की जानकारी देता है।** पारंपरिक रक्त शर्करा परीक्षण व्यक्ति के नवीनतम भोजन और आखिरी बार कब खाया था, इसके आधार पर उतार-चढ़ाव हो सकता है।
- HbA1C परीक्षण **पिछले दो से तीन महीनों में आपके औसत रक्त ग्लूकोज स्तर को दर्शाता है।**
- HbA1C परीक्षण भोजन से जुड़े इन कारकों से प्रभावित नहीं होता हैं,इसलिए यह अधिक विश्वसनीय है| आपने आखरी बार कब भोजन किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है|

परीक्षण की कमियाँ

- HbA1C परीक्षण अन्य परीक्षणों को प्रतिस्थापित नहीं करता है और इसे अन्य परीक्षण के साथ किया जा सकता है, जैसे मधुमेह और पूर्व-मधुमेह की परीक्षण के लिए पारंपरिक रक्त शर्करा परीक्षण।
- यह घर पर नियमित रक्त-शर्करा परीक्षण का भी स्थान नहीं लेता है,

क्योंकि रक्त शर्करा का स्तर दिन या रात में बढ़ या घट सकता है और संभावना है कि HbA1C परीक्षण इसे पकड़ नहीं सकता है।

- इसे सभी वैश्विक चिकित्सा निकायों द्वारा इसे सर्वसम्मति से नैदानिक परीक्षण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।
- इस परीक्षण की सीमाएं भी हो सकती हैं (विशेष रूप से भारत में), क्योंकि **वर्ष 2013 में डायबिटीज टेक्नोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स जर्नल में प्रकाशित एक शोधपत्र में कहा गया था** कि कुछ नैदानिक स्थितियों में थैलेसीमिया, लोगों में संरचनात्मक हीमोग्लोबिन वेरिएंट, आयरन-कमी से होने वाला एनीमिया (जो भारत में अपेक्षाकृत अधिक है) जैसी स्थितियों में सटीक माप करना और कुछ दवाओं का उपयोग करना कठिन होता है।

मधुमेह क्या है?

- **मधुमेह एक दीर्घकालिक (लंबे समय तक चलने वाली) स्वास्थ्य स्थिति है जो शरीर द्वारा भोजन को ऊर्जा में बदलने के तरीके को प्रभावित करती है।**
- हमारा शरीर हमारे द्वारा खाए जाने वाले अधिकांश भोजन को शर्करा (ग्लूकोज) में तोड़ देता है और इसे रक्तप्रवाह में छोड़ देता है।
- जब रक्त में शर्करा बढ़ जाती है, तो अग्न्याशय इंसुलिन नामक हार्मोन स्त्रावित करता है। इंसुलिन रक्त शर्करा को ऊर्जा के रूप में उपयोग करने के लिए शरीर की कोशिकाओं में एक कुंजी की तरह काम करता है।
- मधुमेह के कारण शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है या इसका अपेक्षित उपयोग नहीं कर पाता है।
- जब पर्याप्त इंसुलिन नहीं होता है या कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया देना बंद कर देती हैं, तो व्यक्ति के रक्तप्रवाह में बहुत अधिक रक्त शर्करा रह जाती है।
- समय के साथ, **यह हृदय रोग, दृष्टि हानि और गुर्दे की बीमारी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है।**
- **मधुमेह का कोई इलाज नहीं है,** लेकिन वजन कम करना, स्वस्थ भोजन खाना और सक्रिय रहना इसके असर में कमी ला सकते है।

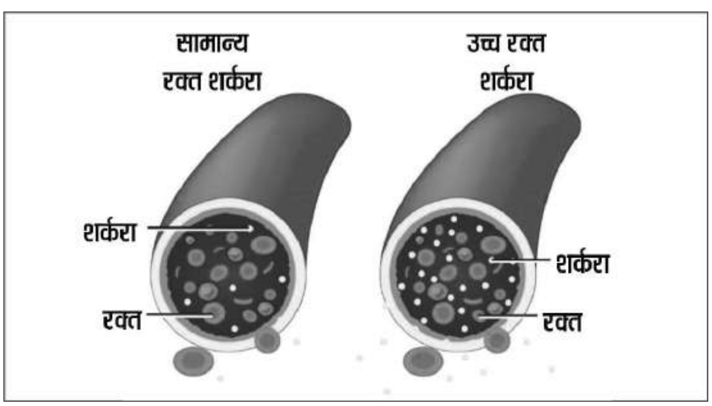

मधुमेह के प्रकार

- **मधुमेह मेलिटस:** मधुमेह मेलिटस एक सामान्य स्थिति है जो ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने की शरीर की क्षमता को प्रभावित करती है। मधुमेह मेलिटस के तीन प्रकार हैं: टाइप 1, टाइप 2 और गर्भावधि मधुमेह (गर्भवती होने पर मधुमेह)।
  - ✓ **टाइप 1 मधुमेह**
    - टाइप 1 मधुमेह एक ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया (शरीर गलती से स्वयं पर हमला करता है) के कारण होता है। यह प्रतिक्रिया शरीर को इंसुलिन बनाने से रोकती है।
    - लगभग 5-10% लोग मधुमेह टाइप 1 से पीड़ित हैं।
  - ✓ **मधुमेह टाइप 2**
    - टाइप 2 मधुमेह में शरीर इंसुलिन का अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाता है और रक्त शर्करा को सामान्य स्तर पर नहीं रख पाता है।
    - मधुमेह से पीड़ित लगभग 90-95% लोगों में टाइप 2 मधुमेह होता है।
    - यह कई वर्षों में विकसित होता है और आमतौर पर वयस्कों में इसका निदान किया जाता है (लेकिन यह बच्चों, किशोरों और युवा वयस्कों को प्रभावित कर सकता है)।
    - स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर इसे रोका या टाला जा सकता है, जैसे- वजन कम करना, स्वस्थ भोजन खाना और सक्रिय रहना।
  - ✓ **गर्भावस्थाजन्य मधुमेह**
    - गर्भावधि मधुमेह उन गर्भवती महिलाओं में विकसित होता है जिन्हें कभी मधुमेह नहीं हुआ हो।
    - यदि किसी महिला को गर्भावधि मधुमेह है, तो उनके बच्चे को स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा अधिक हो सकता है।
    - गर्भावधि मधुमेह आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद दूर हो जाता है। यह बाद के जीवन में टाइप 2 मधुमेह के खतरे को बढ़ा देता है।
    - बचपन या किशोरावस्था में बच्चे में मोटापा होने और बाद के जीवन में टाइप 2 मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है।
- **मूत्रमेह (Diabetes insipidus):**
  - ✓ मूत्रमेह (Diabetes insipidus) एक ऐसी समस्या है जिसके कारण शरीर में तरल पदार्थ असंतुलित हो जाते हैं।
  - ✓ यह शरीर मे बड़ी मात्रा में यूरिन बनने का कारण बनता है। इससे कुछ पीने के बाद भी बहुत अधिक प्यास लगने का एहसास होता है।
  - ✓ मूत्रमेह को आर्गिनिन वैसोप्रेसिन की कमी और आर्गिनिन वैसोप्रेसिन प्रतिरोध भी कहा जाता है।

सरकार की पहल

- **कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke- NPCDCS):** यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गैर-संचारी रोगों (NCDs) की रोकथाम और नियंत्रण हेतु सहायता प्रदान करता है।
- **जनसंख्या-आधारित एनसीडी परीक्षण:** इसमें शीघ्र पता लगाने के लिए 30 से अधिक उम्र वालों को लक्षित किया जाता है।
- **निःशुल्क औषधि सेवा पहल:** इसके द्वारा जरूरतमंदों को इंसुलिन सहित आवश्यक दवाएं प्रदान की जाती है।
- **प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP):** यह कम

कीमतों पर इंसुलिन सहित गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं प्रदान करता है।
- **आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना:** यह पात्र परिवारों को रोगी देखभाल सुविधा प्रदान करती है।
- **अनुसंधान सहायता:** जैव प्रौद्योगिकी विभाग मधुमेह जैसे उच्च रोग-भार वाले क्षेत्रों में अनुसंधान में सहायता करता है।
- **राष्ट्रीय मधुमेह नीति 2017: इस नीति का** वर्ष 2025 तक मधुमेह के प्रसार को 20% तक कम करने का लक्ष्य है।

आगे की राह

- **जागरूकता अभियान:** लोगों को मधुमेह की रोकथाम, शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन के बारे में शिक्षित करने हेतु व्यापक अभियान चलाया जाए।
- **प्राथमिक स्वास्थ्य:** मधुमेह की परीक्षण और प्रबंधन की सुविधा हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों पर बुनियादी ढांचे और जनशक्ति को बढ़ाया जाए।
- **स्वस्थ जीवनशैली:** मधुमेह की रोकथाम और प्रबंधन के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित आहार सहित स्वस्थ आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- **स्वास्थ्य देखभाल:** मधुमेह परीक्षण परीक्षणों, दवाओं और उपचार विकल्पों की सुलभ और सामर्थ्य सुनिश्चित किया जाए।
- **अनुसंधान प्रयासों को बढ़ाना:** मधुमेह की रोकथाम, उपचार और इलाज हेतु नवीन समाधान विकसित करने के लिए अनुसंधान में निवेश की आवश्यकता है।

6.6. सखी ऐप

प्रसंग

हाल ही में, गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए सखी (SAKHI) ऐप लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिन्दु

- विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) ने गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी प्राप्त करने या एक दूसरे के साथ संचार स्थापित करने जैसे कई कार्यों को पूर्ण करने में मदद करने के लिए स्पेस-बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन (SAKHI) नामक एक बहुउद्देश्यीय ऐप विकसित किया है।
- SAKHI चालक दल को ऑनबोर्ड कंप्यूटर और ग्राउंड-आधारित स्टेशनों से जोड़े रखेगा और निर्बाध संचार लिंक को सुनिश्चित करेगा|
- यह रक्तचाप, हृदय गति और ऑक्सीजन संतृप्ति जैसे प्रमुख मापदंडों पर जानकारी प्रदान करके अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर भी कड़ी निगरानी रखेगा। ऐप उन्हें उनके जलयोजन (हाइड्रेशन), आहार कार्यक्रम और नींद के पैटर्न के बारे में भी याद दिलाएगा।
- ऐप उनके स्पेस सूट से कनेक्टेड होगा और इसे हर समय जल्दी से एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा, अंतरिक्ष यात्री वॉयस रिकॉर्ड, टेक्स्ट और छवियों सहित कई प्रारूपों में मिशन पर लॉग बनाए रखने हेतु ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
- इसरो वर्ष 2025 में गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है और पहले से ही चार नामित अंतरिक्ष यात्री का चयन कर चुका है।

गगनयान मिशन

- गगनयान भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को **अल्प अवधि** के लिए **निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में भेजने** के इसरो के मिशन को संदर्भित करता है।

गगनयान के विभिन्न घटक

- इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं:
- **एचएसएफसी (मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र):** इसे इसरो द्वारा गगनयान मिशन के कार्यान्वयन निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसकी भूमिका में एंड-टू-एंड मिशन योजना, अंतरिक्ष में चालक दल के जीवन रहने के लिए इंजीनियरिंग प्रणाली का विकास, चालक दल का चयन एवं प्रशिक्षण और निरंतर मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए गतिविधियों का संचालन शामिल है।
- **प्रक्षेपण यान मार्क-3:** पूर्व में **GSLV MK-III नाम से ज्ञात,** LVM-3 एक **तीन चरणों वाला रॉकेट है।**
  - ✓ पहले भाग में रॉकेट कोर से जुड़े दो ठोस-ईंधन बूस्टर हैं।
  - ✓ दूसरे भाग में एक साथ क्लस्टर किए गए दो तरल-ईंधन वाले विकास 2 इंजन का उपयोग किया गया है।
  - ✓ तीसरे हिस्से में **CE-20 स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन लगा है** , जो क्रमशः ईंधन और ऑक्सीडाइज़र के रूप में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है।

निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit-LEO)

निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) पृथ्वी की सतह से लगभग 160 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसके भीतर उपग्रह तेजी से यात्रा करते हैं, 2 घंटे से कम समय में अपनी कक्षा पूरी करते हैं।

निम्न पृथ्वी कक्षा का महत्व

निम्न पृथ्वी कक्षा विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:
- **उपग्रह संचार:** यह संचार उपग्रहों और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) के लिए महत्वपूर्ण है। इसरो ने निम्न पृथ्वी कक्षा में एक उपग्रह संचार कंपनी वनवेब के लिए 36 संचार उपग्रहों का एक समूह तैनात किया।
- **पृथ्वी अवलोकन:** निम्न पृथ्वी कक्षा मौसम की पूर्वानुमान, पर्यावरण निगरानी, आपदा प्रबंधन और अन्य अवलोकन कार्यों की सुविधा प्रदान करता है। इसरो ने आपदा प्रबंधन प्रणालियों जैसे अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए RISAT-2B उपग्रह को निम्न पृथ्वी कक्षा में प्रक्षेपित किया।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान:** निम्न पृथ्वी कक्षा खगोल विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान और माइक्रोग्रैविटी प्रभावों के अध्ययन को सक्षम बनाता है।
- **अंतरिक्ष अन्वेषण:** निम्न पृथ्वी कक्षा अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के मंचन के लिए एक मंच है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) निम्न पृथ्वी कक्षा में एक प्रमुख केंद्र है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

- **कक्षीय मॉड्यूल:** कक्षीय मॉड्यूल वह वस्तु है जिसे LVM-3 रॉकेट

लॉन्च करेगा और निचली-पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। इसमें **क्रू मॉड्यूल** और **सर्विस मॉड्यूल शामिल हैं।**

- ✓ क्रू मॉड्यूल एक सप्ताह के लिए तीन अंतरिक्ष यात्रियों को समायोजित कर सकता है। क्रू मॉड्यूल में **'व्योममित्र' नाम की एक गाइनोइड (महिला रोबोट) भी शामिल होगी** जो विकिरण की निगरानी करने, कैप्सूल की स्थिति की जांच करने और आपात स्थिति के लिए अलर्ट करने के लिए सेंसर से लैस होगी।
- ✓ क्रू मॉड्यूल में एक पर्यावरण नियंत्रण और जीवन-समर्थन प्रणाली (ECLSS; तापमान, सांस लेने के वातावरण, अपशिष्ट निपटान, अग्नि सुरक्षा, आदि को नियंत्रित करने हेतु) और **क्रू एस्केप सिस्टम** (जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री रॉकेट की चढ़ाई के दौरान खराबी की स्थिति में सुरक्षित निकलने के लिए कर सकते हैं) शामिल हैं।
- ✓ सेवा मॉड्यूल में रॉकेट से अलग होने के बाद कक्षीय मॉड्यूल की ऊंचाई बढ़ाने और बाद में इसे पृथ्वी की ओर वापस मार्गदर्शन करने हेतु आवश्यक **प्रणोदन प्रणाली** शामिल है।

- **दल:** प्रथम चार अंतरिक्ष यात्री दल में प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला शामिल हैं।

गगनयान का महत्व

- **अंतरिक्ष अन्वेषण:** गगनयान पृथ्वी से परे किफायती मानव अंतरिक्ष मिशन और वैज्ञानिक अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त करता है।
- **वैज्ञानिक खोजें:** माइक्रोग्रैविटी प्रयोगों में चिकित्सा, सामग्री और जीव विज्ञान में सफलता की बात कही गई है।
- **आर्थिक लाभ:** गगनयान अंतरिक्ष उद्योग के विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी प्रगति के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है।
- **आत्मनिर्भरता:** गगनयान भारत को महंगी विदेशी सेवाओं पर निर्भर हुए बिना अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने में मदद मिलेगा|
- कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए उठाए गए कदम
- **भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 यह रेखांकित करती है** कि भारत आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष में क्या हासिल करना चाहता है, जिसमें अंतरिक्ष, चंद्रमा और उससे आगे विज्ञान, व्यापार और अन्वेषण के मिशन शामिल हैं।
- सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र के राजस्व को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, इसीलिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) **और** इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर (**IN-SPACe**) जैसे नए निकाय स्थापित किए गए हैं।
- देश की वृद्धि और विकास के लिए अधिक राजस्व अर्जित करने हेतु अन्य पहल, जैसे- **राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022**, दूरसंचार अधिनियम 2023 और अंतरिक्ष सेवा और अंतरिक्ष उड़ान में **100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** की अनुमति प्रदान की गई हैं।

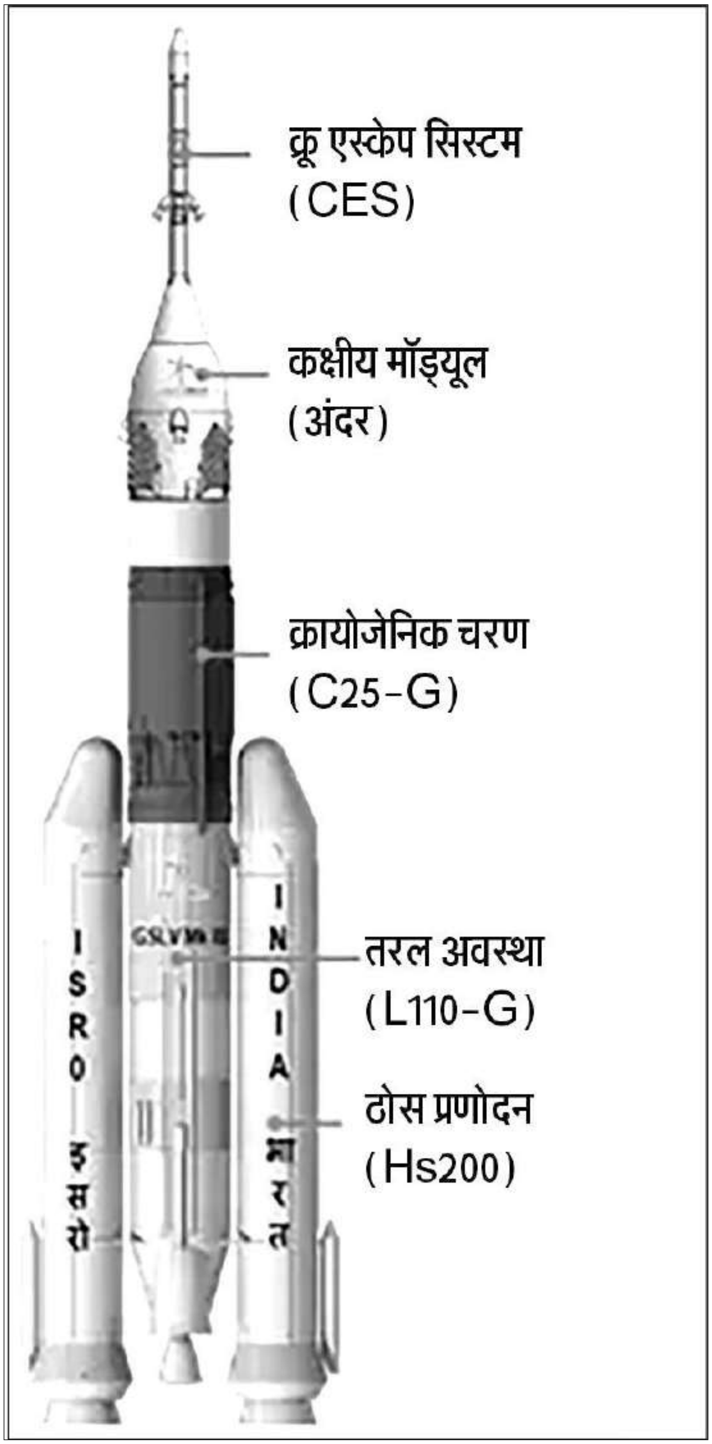

6.7. विश्व में मोटापे की दर मे वृद्धि : लैंसेट अध्ययन

संदर्भ

लैंसेट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में मोटापे से ग्रस्त बच्चों, किशोरों और वयस्कों की कुल संख्या **एक अरब से अधिक** हो गई है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- यह अध्ययन विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से एनसीडी जोखिम कारक सहयोग (**NCD-RisC**) द्वारा आयोजित किया गया था।
- इसने 190 देशों में पांच और उससे अधिक उम्र के 220 मिलियन से अधिक लोगों के डेटा का अध्ययन किया।
- उन्होंने मोटापे और कम वजन में वैश्विक परिवर्तनों को समझने के लिए 1990 से 2022 तक बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) रुझानों की जांच की।

बॉडी मास इंडेक्स (BMI)
बीएमआई, जिसे पहले क्वेटलेट इंडेक्स कहा जाता था, वयस्कों में पोषण की स्थिति को इंगित करने के लिए एक संकेत है। इसे किसी व्यक्ति के वजन को किलोग्राम में उसकी ऊंचाई के वर्ग मीटर (किलो/एम2) से विभाजित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- विश्व में बच्चों और किशोरों में मोटापे की दर वर्ष 1990 से वर्ष 2022 तक **चार गुना** बढ़ गई है, जबकि वयस्कों में मोटापे की दर **दोगुनी** से अधिक हो गई है।

मोटापा ढांचा

भारत	1990	2022
पुरुष	1.1	26
महिला	2.4	44
लड़का	0.2	7.3
लड़की	0.2	5.2

विश्व	1990	2022
पुरुष	67	374
महिला	128	504
लड़का एवं लड़की (कुल)	31	160

स्रोत: लांसेट

सभी आंकड़े मिलियन में

- भारत में, लड़कियों में मोटापे की दर **वर्ष 1990 के 0.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022 में 3.1 प्रतिशत हो गई है,** जबकि **लड़कों में 0.1 प्रतिशत से 3.9 प्रतिशत** हो गई है।
- महिलाओं में मोटापे की दर वर्ष **1990 के 1.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022 में 9.8 प्रतिशत** हो गई है, जबकि पुरुषों में **0.5 प्रतिशत** से बढ़कर **5.4 प्रतिशत** हो गई।
- लड़कियों और लड़कों में मोटापे की श्रेणी के प्रसार के मामले में, भारत **वर्ष 2022 में दुनिया में 174वें स्थान** पर था।

मोटापा (Obesity)

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के अनुसार, अधिक वजन और मोटापे को असामान्य या अत्यधिक वसा संचय के रूप में परिभाषित किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है।
- 25 से अधिक बॉडी मास इंडेक्स (BMI) को अधिक वजन माना जाता है, और 30 से अधिक को मोटापा माना जाता है।

मोटापे के कारण

- यह पारंपरिक खाद्य पदार्थों से हटकर आहार संबंधी विकल्पों में बदलाव और शारीरिक निष्क्रियता के कारण होता है।
- यह अतिरिक्त कैलोरी का सेवन करना, विशेष रूप से वसायुक्त और शर्करायुक्त खाद्य पदार्थों में पाई जाने वाली कैलोरी के कारण होता है।
- लंबे समय तक कम नींद और उच्च तनाव का स्तर।
- मेटाबोलिक सिंड्रोम, PCOS, हाइपोथायरायडिज्म और गठिया जैसी स्वास्थ्य स्थितियाँ।
- जीन, चयापचय और हार्मोन उच्च जोखिम।

मोटापे के प्रभाव

- अतिरिक्त वसा से हृदय रोग (मुख्य रूप से हृदय रोग और स्ट्रोक), टाइप 2 मधुमेह, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे मस्कुलोस्केलेटल विकार और कुछ कैंसर (एंडोमेट्रियल, स्तन और कोलन) जैसे गंभीर स्वास्थ्य परिणाम होते हैं।
- मोटापे के रोग से पीड़ित व्यक्तियों को अक्सर सामाजिक कलंक, आत्मसम्मान में कमी के साथ-साथ अवसाद का सामना करना पड़ता है।
- काम करने की सीमाएँ, थकान और असुविधा दैनिक जीवन को प्रभावित करती है।
- मोटापे से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल लागत स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और व्यक्तिगत वित्त पर दबाव डालती है।
- मोटापे से संबंधित खाद्य उत्पादन, परिवहन और अपशिष्ट निपटान पर्यावरणीय समस्या को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

मोटापे से निपटने के लिए प्रयास

- **फिट इंडिया पहल:** स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ाने के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय** द्वारा **फिट इंडिया पहल** शुरू की गयी है।
- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) पहल:** कमर की परिधि के माध्यम से पेट के मोटापे का आकलन करने के लिए **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) पहल** शुरू की गई है।
- **विश्व मोटापा दिवस (4 मार्च):** यह एक वार्षिक वैश्विक पहल है, जिसका उद्देश्य मोटापे से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- **भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण:** भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने **"Eat Right"** के अलावा इस प्रकार की अन्य नए नियम और अभियान शुरू किया हैं। इसके अतिरिक्त, **भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)** स्कूल के परिसरों/कैंटीन में जंक फूड की समस्या का समाधान करने हेतु कई स्तरों पर कार्रवाई कर रहा है|
- **ICDS कार्यक्रम:** अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के लिए शिरु किए गए इस कार्यक्रम में, भोजन की गुणवत्ता के बजाय खाद्य पदार्थों के केवल कैलोरी मानकों की जाँच की जाती है, जो संतुलित आहार का एक प्रमुख कारक है।

निष्कर्ष

- रिपोर्ट नीतिगत निर्णयों पर खाद्य उद्योग के प्रभाव को सीमित करने और स्वस्थ, निष्पक्ष और अधिक टिकाऊ खाद्य प्रणालियों की दिशा में राष्ट्रीय प्रयासों को प्रेरित करने के लिए खाद्य प्रणालियों पर एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन (FCS) बनाने का समर्थन करती है।

6.8. भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टाटा समूह द्वारा प्रबंधित की जाने वाली **गुजरात में भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप निर्माण** इकाई को मंजूरी दे दी

प्रमुख बिन्दु

- पीएम मोदी ने करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये की तीन सेमीकंडक्टर प्लांटों की आधारशिला रखी, जिनमें दो गुजरात और एक असम मे है।

Source: indian express

- लॉन्च की गई तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में गुजरात के धोलेरा में भारत की पहली फैब सुविधा, राज्य के साणंद में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (OSAT) सुविधा और असम के मोरीगांव में एक OSAT सुविधा शामिल है।
- भारत की पहली फैब सुविधा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प के साथ साझेदारी में स्थापित की गई है।
- संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 15 मिलियन चिप्स की होगी।
- इन चिप्स का उपयोग उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाएगा।
- धोलेरा प्लांट से पहली चिप दिसंबर 2026 में और माइक्रोन प्लांट से चिप दिसंबर 2024 तक उत्पादित होगी।

सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट (Semiconductor fabrication plant)

- यह एक विनिर्माण संयंत्र है, जिसमें कच्चे सिलिकॉन वेफर्स से एकीकृत सर्किट (IC) बनाया जाता है।
- **सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट**, जिसे **फाउंड्री (foundry)** के रूप में भी जाना जाता है, एक कारखाना है, जिसमें **एकीकृत सर्किट(IC)** जैसे उपकरणों का विनिर्माण होता है। ये माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक उद्योग का हिस्सा हैं।
- एक **फाउंड्री** (foundry) अपने स्वयं के डिजाइन का निर्माण नहीं करती है, बल्कि **फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनियों** के डिजाइन का निर्माण करती है।
- **सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट** का मुख्य केंद्र एक साफ-सुथरा कक्ष होता है, जो पर्यावरण को नियंत्रित करने और धूल को खत्म करने के लिए आवश्यक है। साफ कमरे को कंपन का समाधान करने के साथ-साथ स्थैतिक बिजली को कम करने के लिए तापमान और आर्द्रता को बेहद उच्च कोटि के तंत्र के जरिए नियंत्रित करना चाहिए। जिसके परिणामस्वरूप, सेमीकंडक्टर निर्माण प्रक्रियाओं की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।
- सेमीकंडक्टर फैब प्रक्रिया के चरणों के दौरान गैसों, ऑक्सीडाइज़र और एसिड सहित विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है।
- सेमीकंडक्टर फैब सुविधा में कई प्रकार के Ic का निर्माण किया जाता है, जिसमें **NAND फ्लैश डिवाइस, डायनेमिक रैम मेमोरी चिप्स, माइक्रोप्रोसेसर, ग्राफिक्स नियंत्रक, हार्ड ड्राइव नियंत्रक, RAID (redundant array of independent disks)** नियंत्रक और एप्लिकेशन-विशिष्ट Ic शामिल हैं।
- ऐसे चिप्स का उपयोग कंप्यूटर, सॉलिड-स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, मोबाइल फोन, टेलीविजन और ऑटोमोबाइल जैसे उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है।

महत्व

- यह भारत का **पहला AI-सक्षम अत्याधुनिक फैब** होगा।
- यह कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज, **ऑटोमोटिव, वायरलेस संचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता** जैसे बाजारों में बढ़ती माँग को भी पूरा करेगा।
- इन इकाइयों का उपयोग 28 नैनोमीटर तकनीक के साथ उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूट चिप्स बनाने और बिजली प्रबंधन के लिए चिप्स बनाने के लिए भी किया जाएगा।
- यह भारत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में भारत द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इससे अन्य देशों पर भारत की निर्भरता कम हो सकती है, क्योंकि वैश्विक सेमीकंडक्टर चिप उद्योग पर कुछ देशों **(ताइवान और दक्षिण कोरिया चिप के वैश्विक फाउंड्री बेस के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से को कवर करते हैं)** का वर्चस्व है।
- इससे 20,000 प्रत्यक्ष नौकरियाँ और 60,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

चुनौतियाँ

- एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक कंप्यूटर चिप बनाने के लिए **लगभग "10 गैलन" पानी की आवश्यकता** होती है।
- इसकी विनिर्माण प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है तथा इसमें विशिष्ट उपकरणों और सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला लगी होती है।
- वर्तमान में, भारत में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के क्षेत्र में अपने मौलिक अनुसंधान और प्रतिभा पूल का भी अभाव है।

- चिप निर्माताओं के लिए अधिक आकर्षक प्रोत्साहनों के कारण भारत को **अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे** देशों से प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है।
- वर्तमान में, भारत उन्नत उपकरणों में इस्तेमाल किए जाने वाले अत्याधुनिक नोड्स की तुलना में पुरानी चिप प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- भारत में चिप निर्माण सुविधाओं के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित पर्याप्त कुशल श्रमिकों की कमी है।

आगे की राह

- भारत सरकार को सेमीकंडक्टर संयत्रों की स्थापित करने में आने वाली स्थानीय खामियों को दूर करने की जरूरत है।
- सरकार को प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं और निवेशकों को देश में लाने के लिए बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- भारत को **चिप डिजाइन की क्षमताओं** को और अधिक बेहतर करने को अधिक प्राथमिकता देने की जरूरत है।

6.9. भारत ने पाकिस्तान जाने वाली दोहरी उपयोग वाली वस्तुओं को जब्त किया

संदर्भ

भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारियों ने चीन से पाकिस्तान भेजी जा रही दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं की एक खेप जब्त कर ली।

अन्य संबंधित जानकारी

- मुंबई के **न्हावा शेवा पोर्ट** (JNPT) के सीमा शुल्क अधिकारियों ने चीन से पाकिस्तान भेजी जा रही दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं को जब्त कर लिया, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में किया जा सकता था।
- जब्त की गई वस्तुओं में दो **उन्नत कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल (CNC) मशीनरी** शामिल थीं। इससे पहले उत्तर कोरिया ने अपने **परमाणु कार्यक्रम में सीएनसी मशीनों का इस्तेमाल** किया था।
- वर्ष 1996 से ही **वासेनर अरेंजमेंट या वासेनार व्यवस्था द्वारा** सीएनसी मशीनों के **अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण पर प्रतिबंध** लगे हुए हैं।

दोहरे उपयोग वाली वस्तुएँ

- दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, जिसका उपयोग **नागरिक और सैन्य** दोनों उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है।
- **कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल (CNC)** मशीनरी की गिनती दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं में की जाती है।

- जब्त किए गए उपकरण **पाकिस्तान के मिसाइल विकास कार्यक्रम** के लिए महत्वपूर्ण हिस्से के निर्माण में भी उपयोगी होंगे, जिससे यह आशंका मजबूत हो जाएगी कि पाकिस्तान मिसाइलों का अवैध व्यापार जारी रख रहा है और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) का उल्लंघन कर रहा है।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

- पाकिस्तान ने भारत द्वारा कराची भेजे जाने वाले वाणिज्यिक सामान की "अनुचित जब्ती" का विरोध करते हुए कहा कि यह खेप एक वाणिज्यिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक खराद मशीन के आयात का "सरल मामला" था, जो की पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल उद्योग को पार्ट्स की आपूर्ति करती है।

चीन की प्रतिक्रिया

- चीन ने कहा है कि, जब्त की गई सामग्री किसी भी तरह से सैन्य उपकरण का हिस्सा या चीन के अप्रसार निर्यात नियंत्रण व्यवस्था के तहत आने वाली दोहरे उपयोग वाली वस्तु नहीं है।

बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएँ

- मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR)
  - ✓ यह **मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार** को सीमित करने वाले देशों के बीच की एक **अनौपचारिक राजनीतिक समझ** है।
  - ✓ इसका गठन **वर्ष 1987 में** G-7 के देशों (कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका) द्वारा किया गया था।
  - ✓ **वर्ष 2016 से भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य है।** वर्तमान में, इसकी सदस्यों की संख्या 35 है।
- वासेनार व्यवस्था (वासेनर अरेंजमेंट)
  - ✓ यह एक **वैश्विक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था** है, जो नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के प्रसार पर अंकुश लगाती है।
  - ✓ औपचारिक रूप से जुलाई, 1996 में स्थापित, यह व्यवस्था एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, जिसके 42 सदस्य पारंपरिक हथियारों के साथ-साथ दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर जानकारी का आदान-प्रदान करते हैं।
  - ✓ **दिसंबर, 2017** में, भारत **42वें सदस्य** के रूप में वासेनार व्यवस्था में शामिल हुआ।
- ऑस्ट्रेलिया समूह
  - ✓ यह एक **बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण समूह** है, जो रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को प्रतिबंधित करने का काम करती है।
  - ✓ वर्तमान में, इसके **43 (42 देश और यूरोपीय संघ)** सदस्य है।
  - ✓ भारत **जनवरी, 2018** में ऑस्ट्रेलिया समूह (AG) में शामिल हुआ।
- **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह** (NSG)
  - ✓ इसका उद्देश्य परमाणु निर्यात और परमाणु-संबंधित निर्यात हेतु दिशानिर्देशों के दो मसौदों के क्रियान्वयन के माध्यम से **परमाणु हथियारों के अप्रसार** में योगदान देना है।
  - ✓ **वर्ष 1974** में, इसे एक प्रतिक्रिया के रूप में गठित किया गए था।
  - ✓ भारत, इस समूह का सदस्य **नहीं** है।

7.1. भारत में मादक पदार्थों की तस्करी

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय एजेंसियों ने गुजरात तट के पास ईरान की एक नौका से लगभग 3,300 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया।

अन्य संबंधित जानकारी

- पिछले कुछ वर्षों में समुद्री मार्ग से मादक पदार्थों की तस्करी में वृद्धि हुई है और यह देश में अब तक की सबसे बड़ी अपतटीय अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में से एक थी।
  - ✓ इस ऑपरेशन को नौसेना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने संयुक्त रूप से 'सागरमंथन-1' कोडनेम के तहत अंजाम दिया था।
- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने कहा कि मादक पदार्थों का स्रोत ईरान में **चाबहार बंदरगाह पाया गया।**
- नशीले पदार्थ के पैकेटों पर एक पाकिस्तानी खाद्य कंपनी का नाम है और इसलिए आतंकवाद निरोधक दस्ते को इस खेप को जुटाने में पाकिस्तान का हाथ होने का संदेह है।

भारत में मादक पदार्थों के कारण

- **भौगोलिक स्थिति:** भारत दो प्रमुख मादक पदार्थ उत्पादक क्षेत्रों, यानी **गोल्डन क्रिसेंट** और **गोल्डन ट्राइएंगल के बीच अवस्थित** है। यह निकटता भारत को मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।
  - ✓ "गोल्डन क्रिसेंट" में वे स्थान शामिल हैं जहां ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अवैध रूप से अफ़ीम का उत्पादन किया जाता है।
  - ✓ "गोल्डन ट्राएंगल" विश्व स्तर पर अफ़ीम उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के क्षेत्र शामिल हैं।
- **लंबी सीमा:** भारत की सीमा सात देशों के साथ लगती है और इसकी तटरेखा 7500 किमी से अधिक लंबी है। इस प्रकार मादक पदार्थों की तस्करी पर निगरानी का कार्य चुनौतीपूर्ण हो गया है।
  - ✓ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में तस्करी की जाने वाली लगभग 70% अवैध दवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के समुद्री मार्गों से आती हैं।
- **जनसंख्या:** भारत की बड़ी आबादी तनाव, बेरोजगारी और सहकर्मी/साथियों जैसे कारक इसकी खपत में वृद्धि करते हैं।
- **आर्थिक असमानताएँ:** गरीबी और सीमित आर्थिक अवसर गरीब लोगों को मादक पदार्थों के सेवन और मादक पदार्थों की तस्करी में धकेल देते हैं।
- **सांस्कृतिक और सामाजिक कारक:** अफ़ीम और भांग उपभोग की पारंपरिक स्वीकृति मादक पदार्थों के सेवन को सामान्य बनाकर मादक पदार्थों की खेती और तस्करी को बढ़ावा देती है।

भारत में मादक पदार्थों के उपयोग का परिदृश्य

- संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2009 से वर्ष 2018 के बीच भारत में मादक पदार्थों के उपयोग में 30% की वृद्धि हुई है।
- ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की विश्व ड्रग रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत सबसे बड़े अफ़ीम बाज़ारों में से एक है।
- वर्ष 2018 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) द्वारा संचालित भारत में मादक द्रव्यों के उपयोग की सीमा और स्वरूप पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, विभिन्न मनो-सक्रिय पदार्थों के वर्तमान उपयोगकर्ताओं में वयस्कों और बच्चों का प्रतिशत निम्न है:

पदार्थ	बच्चे एवं किशोर (10-17 वर्ष) व्यापकता (%)	वयस्क (18-75 वर्ष) व्यापकता (%)
शराब	1.30	17.10
भांग	0.90	3.30
मादक पदार्थों	1.80	2.10
शामक	0.58	1.21
इनहेलेंट	1.17	0.58
कोकीन	0.06	0.11
एटीएस	0.18	0.18
हैलुसिनोजन	0.07	0.13

मादक पदार्थों की तस्करी का प्रभाव

- राष्ट्रीय सुरक्षा
  - ✓ **आतंकवाद और उग्रवाद का वित्तपोषण:** मादक पदार्थों की तस्करी से होने वाले लाभ का उपयोग भारत की सीमाओं के भीतर और उसके आसपास सक्रिय आतंकवादी समूहों और विद्रोहियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करता है। इस धन से उनकी वित्तीय क्षमता मजबूत होती है और उन्हें संघर्ष को दीर्घअवधि तक चलाने में मदद मिलती है।
  - ✓ **संगठित अपराध के साथ गठजोड़:** मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले उत्पादक संघ अक्सर संगठित अपराध समूहों के साथ गठबंधन कर लेते हैं। इससे हिंसा बढ़ती है, अधिकारियों का भ्रष्टाचार बढ़ता है और कानून का शासन कमजोर होता है। इससे राष्ट्र की स्थिरता भी कमजोर होती है।
  - ✓ **सीमा भेद्यता:** पाकिस्तान और म्यांमार (दोनों मादक पदार्थों के ज्ञात उत्पादक या पारगमन मार्ग) जैसे देशों के साथ भारत की व्यापक और कभी-कभी छिद्रपूर्ण सीमाएँ (porous borders) इसे मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति सुभेद्य बनाती हैं। इससे सीमा सुरक्षा से समझौता हो सकता है और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है।
- आर्थिक प्रभाव
  - ✓ **अवैध अर्थव्यवस्था:** मादक पदार्थों की तस्करी काले बाजार की समांतर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, जिससे सरकार को पर्याप्त कर राजस्व की हानि होती है। ये अवैध धन वैध आर्थिक प्रणालियों को और अस्थिर कर देते हैं।
  - ✓ **मनी लॉन्ड्रिंग:** मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से उत्पन्न धन को अक्सर जटिल वित्तीय नेटवर्क के माध्यम से खपाया जाता है, जिससे इसका पता लगाना और जब्त करना मुश्किल हो जाता है। यह भारत की वित्तीय प्रणाली की अखंडता को नुकसान पहुंचाता है।
- सामाजिक प्रभाव
  - ✓ **सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन :** मादक पदार्थों की लत व्यापक जन स्वास्थ्य समस्या को बढ़ावा देती है। इससे विनाशकारी स्वास्थ्य पर विनाशकारी परिणाम, अपराध दर में वृद्धि और कार्यबल में उत्पादकता में कमी आती है।
  - ✓ **युवाओं का शोषण:** मादक पदार्थों के तस्कर गरीब समुदायों और युवाओं को निशाना बनाते हैं, उन्हें नशे और अपराध के जाल में फंसाते हैं। इससे राष्ट्र का सामाजिक ताना-बाना कमजोर होता है।
  - ✓ **संसाधनों पर दबाव:** मादक पदार्थों की तस्करी और इसके परिणामों से निपटने हेतु महत्वपूर्ण संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे अन्य आवश्यक क्षेत्रों पर खर्च किया जाना चाहिए वह व्यर्थ होता है।

मादक पदार्थों की समस्या से निपटने हेतु सरकार के कदम

- **राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ नीति (NDPS):** भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और उपयोग को विनियमित करने के लिए वर्ष 1985 में यह नीति पेश की गई थी।
- **राष्ट्रीय नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल (NCORD):** इसे मादक पदार्थों की समस्या से निपटने में राष्ट्रव्यापी समन्वय के लिए गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था।
- **मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR):** जागरूकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, उपचार सुविधाओं और क्षमता निर्माण जैसी विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसे वर्ष 2018-2025 अवधि हेतु शुरू किया गया है।
- **नशा मुक्त भारत अभियान:** इसे 32 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 272 संवेदनशील जिलों के लिए वर्ष 2020 में शुरू किया गया है। इसमें मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 500 से अधिक स्वंयसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।
- **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB):** इसे वर्ष 1986 में ड्रग कानून प्रवर्तन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था।
- **व्यसनियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (IRCAs):** व्यसनियों (Addicts) के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र के रखरखाव हेतु गैर सरकारी संगठनों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। व्यसनियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों को व्यापक पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करता है।

मादक पदार्थों की समस्या से निपटने में चुनौतियाँ

- **कृत्रिम दवाओं का विकास:** कृत्रिम दवाएं प्राकृतिक और अर्ध-कृत्रिम दवाओं की जगह ले रहे हैं। इनकी निगरानी करने और विनियमित करने में कठिनाई के कारण यह सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष चुनौतियां खड़ी करता है।
- **ड्रग प्रीकर्सर:** कानूनी पूर्ववर्ती रसायनों को वैध उपयोग से अवैध दवा उत्पादन की ओर मोड़ दिया जाता है। प्रीकर्सर को विनियमित करना एक कठिन कार्य है।
- **क्रिप्टो मुद्रा लेनदेन:** ऑनलाइन फार्मेसियों और क्रिप्टो-आधारित लेनदेन के तेजी से प्रसार ने भारत की अवैध दवा व्यापार बाजार की निगरानी प्रणाली को कमजोर खराब कर दिया है।
- **ड्रोन का उपयोग:** सीमा पार से मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। यह कानून प्रवर्तन के लिए एक नई चुनौती पेश करता है।
- **उपचार में अंतर:** राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से पता चलता है कि मादक पदार्थों के उपयोग से होने वाले विकारों के लिए उपचार में 70% से अधिक का अंतर है, केवल 5% को ही आंतरिक रोगी देखभाल सुविधा प्राप्त होती है। यह मादक पदार्थों के सेवन को प्रभावी ढंग से निपटने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का संकेत देता है।

आगे की राह

- **सीमा नियंत्रण में सुधार:** मादक पदार्थों की तस्करी के मार्गों पर नियंत्रण में सुधार हेतु सीमा पर निगरानी बढ़ाना, उन्नत प्रौद्योगिकी का

उपयोग करना और सीमा सुरक्षा बलों को मजबूत करना चाहिए।

- **सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना:** मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने हेतु सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू किया जाना चाहिए।
- **व्यसन से निपटना:** अधिक केंद्र स्थापित करके और वित्तपोषण बढ़ाकर व्यसन (लत) के उपचार और पुनर्वास हेतु सहायता में वृद्धि की जानी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (2017) [जिसमें शराब और मादक पदार्थों के उपयोग से होने वाले विकार शामिल हैं], सही दिशा में एक कदम है।
- **सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को दूर करना:** मादक पदार्थों के उद्योग और तस्करी में योगदान देने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों का समाधान करने के लिए गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन करने और शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने वाले उपायों को लागू करना चाहिए।
- **कानूनों और विनियमों को मजबूत करना:** अद्यतन कानून और विनियमों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी के लिए सख्त विधान लागू करना आवश्यक है।

7.2. जनजातीय अधिकारों हेतु टिपरा (TIPRA) मोथा के साथ समझौता

संदर्भ

हाल ही में, भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और जनजातीय (आदिवासी) अधिकारों के लिए टिपरा मोथा के नाम से प्रसिद्ध "The Indigenous Progressive Regional Alliance-TIPRA" के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

अन्य संबंधित जानकारी

- समझौते का उद्देश्य **त्रिपुरा के स्थानीय लोगों (जो वहां की कुल जनसंख्या का 33% हैं) से संबंधित सभी मुद्दों का "समयबद्ध" और "सम्मानजनक" समाधान प्रदान करना है।**
- **टिपरा मोथा** के संस्थापक प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा ने स्थानीय लोगों की समस्याओं के स्थायी समाधान की आवश्यकता पर जोर देने के लिए 27 फरवरी को "**आमरण अनशन" विरोध प्रदर्शन** शुरू किया।

समझौते के मुख्य बिंदु

- इस समझौते में त्रिपुरा के स्थानीय आबादी के इतिहास, भूमि और राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति और भाषा से संबंधित **समस्याओं का समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जायेगा।**
- दोनों पक्ष निर्दिष्ट मुद्दों पर पारस्परिक रूप से सहमत बिंदुओं को तैयार करने और निष्पादित करने के लिए एक **संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जायेगा।**

ग्रेटर त्रिप्रालैंड

त्रिपुरा का इतिहास

- **त्रिपुरा पर 13वीं शताब्दी के अंत** से वर्ष 1949 तक (जब भारत सरकार के साथ **विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे**) माणिक्य राजवंश का शासन था।
- **मांग की शुरुआत**
  - ✓ ग्रेटर त्रिप्रालैंड की मांग की तुलना अक्सर **वर्ष 2009 में इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (IPFT) द्वारा की गई पिछली त्रिप्रालैंड के मांग की शुरुआत की थी।**
  - ✓ आईपीएफटी ने **इंडिजिनस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्रिपुरा (INPT) से अलग होने के बाद त्रिप्रालैंड** की मांग पेश की गई थी।
  - ✓ वर्ष 1941 की जनगणना के अनुसार, त्रिपुरा में आदिवासी और गैर-आदिवासी जनसंख्या का अनुपात लगभग 50:50 था।
  - ✓ जनजातीय आबादी घटकर **37% से कुछ अधिक** (बांग्लादेश से शरणार्थियों के आने की वजह से) रह गई।
  - ✓ वर्ष 1950 और वर्ष 1952 के बीच, लगभग **1.5 लाख शरणार्थियों ने त्रिपुरा में** (मुख्य रूप से बांग्लादेश से) **आश्रय स्थल मांगा।**
  - ✓ शरणार्थियों के आने की वजह से आदिवासी और गैर-आदिवासी लोगों के बीच कटुता पैदा हो गई।
  - ✓ वर्ष 1980 में आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच संघर्ष ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया।
  - ✓ इस अवधि के दौरान, माँगें स्वायत्तता या अलग प्रदेश से हटकर संप्रभुता और स्वतंत्रता की माँगों में बदल गईं।
  - ✓ राज्य और विद्रोही समूहों के बीच राजनीतिक संघर्ष विराम स्थापित होने के बाद, राज्य की मांग में पुनरुत्थान हुआ।

टिपरा मोथा की मांग

- पहले त्रिप्रालैंड की मांग का उद्देश्य **त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद** (TTAADC) क्षेत्रों के भीतर **जनजातीय लोगों के लिए एक अलग राज्य का निर्माण करना।**
- वर्तमान मांग त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए इसमें कम **से कम 36 अतिरिक्त गांव शामिल हैं जहां जनजातीय आबादी 20% से 36% तक है।**
- इसकी निर्दिष्ट सीमा के भीतर **नौ प्रतिशत मुस्लिम आबादी** और **बहुसंख्यक हिंदू आबादी** शामिल हैं।

त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (TTADC)

- इसकी स्थापना वर्ष 1985 में संविधान की छठी अनुसूची के तहत की गई थी।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य त्रिपुरा में आदिवासी समुदायों के **विकास एवं अधिकारों** और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद, विधायी और कार्यकारी शक्तियों के साथ, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग दो-तिहाई हिस्से में फैला हुआ है।
- इसमें **30 सदस्य** हैं, जिनमें **28 निर्वाचित और दो राज्यपाल द्वारा मनोनीत** होते हैं।

- पूर्वोत्तर राज्य के स्थानीय समुदायों के लिए एक अलग राज्य 'ग्रेटर टिपरालैंड' बनाने की मांग है। वे चाहते हैं कि केंद्र संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत एक अलग राज्य का गठन करें।

- त्रिपुरा में 19 अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों में से, त्रिपुरी (उर्फ टिपरा और टिपरासा) सबसे बड़ी हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में कम से कम 5.92 लाख त्रिपुरी हैं, इसके बाद रियांग और जमातिया की आबादी है।
- मांग में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद को अतिरिक्त शक्तियां देना भी शामिल है, जैसे कि केंद्र से सीधे वित्तपोषण, अपना पुलिस बल और राज्य गैस अन्वेषण से हुई आय में हिस्सेदारी। इसके अतिरिक्त, रोमन लिपि को स्वदेशी कोकबोरोक भाषा की आधिकारिक लिपि घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2

- संसद समय-समय पर कानून द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है या स्थापित कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3

- संसद, कानून द्वारा निम्न कर सकती है:
  - ✓ किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को एकजुट करके या किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र को एकजुट करके एक नया राज्य का गठन।
  - ✓ किसी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि।
  - ✓ किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में कमी।
  - ✓ किसी भी राज्य की सीमाओं में बदलाव।
  - ✓ किसी राज्य का नाम में बदलाव।

"ग्रेटर त्रिप्रालैंड" के गठन के प्रति सरकार की अनिच्छा की वजह

- **भौगोलिक और सामाजिक चुनौतियाँ:**
  - ✓ विविध समुदायों वाला भौगोलिक रूप से छोटा राज्य होने के कारण त्रिपुरा को "ग्रेटर त्रिप्रालैंड" की मांग को लागू करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
  - ✓ त्रिपुरा के भीतर जनजातीय लोगों हेतु एक अलग राज्य का निर्माण मौजूदा सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को बाधित कर सकता है, जिससे यह अव्यवहारिक हो जाएगा।
- **आर्थिक स्थिरता संबंधी चिंताएँ:**
  - ✓ त्रिपुरा की जनसांख्यिकीय संरचना (जहां जनजातीय आबादी लगभग 37% है) एक अलग राज्य की स्थापना की आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में चिंता पैदा करती है।
- आबादी के इस हिस्से के लिए संसाधनों और बुनियादी ढांचे का आवंटन दीर्घावधि में आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं हो सकता है।

व्यावहारिक विकल्प के रूप में स्वायत्तता पर जोर

- त्रिपुरा सरकार मौजूदा त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के लिए स्वायत्तता बढ़ाने का समर्थन करके एक वैकल्पिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है।
- केंद्र सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा में वर्ष 2018 का एक मसौदा विधेयक का लक्ष्य क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करते हुए, मौजूदा ढांचे के भीतर आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना है।

आगे की राह

- **संवैधानिक अन्वेषण:** मोथा अन्य राज्यों के समान अनुच्छेद 371 जैसे प्रावधान के तहत त्रिपुरा को शामिल करने की संभावना तलाश सकता है। यह विशेष प्रावधान प्रदान करता है जो क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखते हुए जनजातीय जरूरतों को पूरा कर सकता है।
- **छठी अनुसूची को मजबूत करना:** छठी अनुसूची के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के साथ सहयोग करने से परिषद को सशक्त बनाया जा सकता है और मौजूदा ढांचे के भीतर विकास की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है।
- **सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य:** जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे और आजीविका के अवसरों हेतु योजनाओं को प्राथमिकता देने से व्यापक समर्थन प्राप्त हो सकता है|
- **समावेशी बातचीत:** समस्याओं का समाधान करने हेतु और एक व्यावहारिक साझा समाधान पर पहुँचने के लिए राजनीतिक दलों, सामुदायिक नेताओं और नागरिक समाज संगठनों के साथ खुली और समावेशी बातचीत को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।
- **विकल्पों के प्रति खुलापन:** मौजूदा संवैधानिक ढांचे के भीतर वैकल्पिक समाधानों की खोज के लिए खुलापन बनाए रखना (जैसे कि कानून में संशोधन या विकेंद्रीकृत शासन मॉडल) राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए जनजातीय चिंताओं का हल निकाल सकते हैं।

7.3. आईएनएस जटायु

संदर्भ

भारतीय नौसेना द्वारा अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए **आईएनएस जटायु** को लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर जलावतरण किया गया।

अन्य संबंधित जानकारी

- **नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय** की स्थापना वर्ष 1980 के दशक की शुरुआत में **लक्ष्यद्वीप मे तैनात नौसेना के ऑफिसर इन चीफ** (Naval Officer-in-Charge) के परिचालन कमान के अंतर्गत की गई थी।
  - ✓ **आईएनएस जटायु** के संस्थापन से मौजूदा छोटी नौसैनिक टुकड़ी एक "**स्वतंत्र नौसैनिक इकाई**" में बदल जाएगी।
- रणनीतिक रूप से **लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप** के रूप में स्थित **मिनिकॉय द्वीप संचार की समुद्री लाइनों** (SLOCs) के लिए महत्वपूर्ण है।
- कवारत्ती में **आईएनएस द्वीपरक्षक** के बाद यह **लक्षद्वीप में दूसरा नौसेना बेस** है।
- यह द्वीपों के व्यापक विकास हेतु भारत सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।

आईएनएस जटायु का सामरिक महत्व

- यह हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में स्वयं को 'वास्तविक सुरक्षा प्रदाता' के रूप में स्थापित करने की भारत की क्षमताओं को बढ़ाता है।
- मालदीव से लगभग 50 मील की दूरी पर रणनीतिक रूप से स्थित यह बेस अरब सागर में निगरानी और नियंत्रण क्षमताओं को बढ़ाता है जो भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह द्वीपीय क्षेत्रों में भारतीय नौसेना की समग्र परिचालन क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ पश्चिमी अरब सागर में समुद्री डकैती रोधी और मादक द्रव्य रोधी अभियानों की दिशा में भारतीय नौसेना के परिचालन प्रयासों को सुविधाजनक बनाएगा।
- यह क्षेत्र में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भारतीय नौसेना की क्षमता को भी बढ़ाएगा और मुख्य भूमि के साथ सम्पर्क को मजबूत करेगा।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आईएनएस बाज़ के समान कार्य करते हुए, आईएनएस जटायु नौसैनिक क्षमताओं की एक मजबूत प्रणाली बनाकर भारत की समुद्री रक्षा स्थिति को मजबूत करता है।

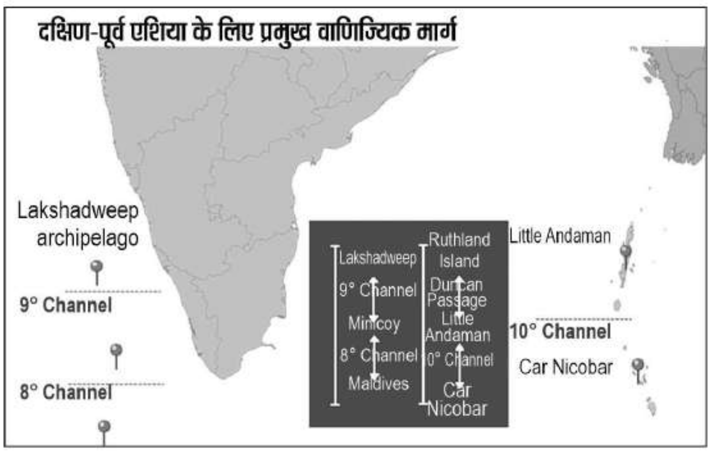

आईएनएस जटायु के समक्ष चुनौतियाँ

- **लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियाः** दूरदराज के द्वीप स्थानों में लॉजिस्टिक सहायता और बुनियादी ढांचे का गठन और रखरखाव कठिन समुद्री वातावरण, सीमित संसाधनों और पहुंच के कारण चुनौतियां पैदा करता है।
- **संभावित भूराजनीतिक तनावः** क्षेत्र में बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी से पड़ोसी देशों के साथ संभावित भू-राजनीतिक तनाव पैदा हो सकता है, जिसके लिए सतर्क कूटनीति और रणनीतिक जुड़ाव की आवश्यकता है।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएः** संवेदनशील द्वीप पारिस्थितिकी तंत्र में संचालन पर्यावरणीय चिंताओं को बढ़ाता है, जिससे नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सतत विकास और संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता होती है।

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी से उत्पन्न संभावित सुरक्षा खतरों को लेकर चिंतित है।
- समुद्री डकैती, तस्करी और अवैध गतिविधियों सहित बढ़ते समुद्री खतरे, क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के भारत के प्रयासों को चुनौती देते हैं।
- हिंद महासागर में समुद्री व्यापार और संसाधन दोहन जैसे आर्थिक हितों को सुरक्षा अनिवार्यताओं के साथ संतुलित करना भारत के लिए एक चुनौती है।
- भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए हिंद महासागर में नौवहन की स्वतंत्रता और निर्बाध व्यापार मार्गों को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

लक्षद्वीप

भूगोल
- लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं जो तीन समूहों में विभाजित हैं: लक्कादीव, अमिनदीवी और मिनिकॉय।
- इसमें प्रवालद्वीप, चट्टानें और जलमग्न तट शामिल हैं।
- कुल भूमि क्षेत्र: 32 वर्ग किलोमीटर, समुद्र तट: 132 किलोमीटर, लैगून क्षेत्र: 4,200 वर्ग किलोमीटर।
- ज्वालामुखीय द्वीपों के धंसने से, किनारों वाली चट्टानों से निर्मित।

अवस्थिति
- यह मालाबार तट से 220–440 किमी दूर अरब सागर और लक्षद्वीप सागर के बीच स्थित है।
- व्यापार और समुद्री गतिविधियों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण।

पर्यटन क्षमता
- पर्यटन की संभावनाओं के साथ, प्राचीन समुद्र तट और जीवंत समुद्री जीवन प्रदान करता है।

आगे की राह

- परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए द्वीप क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और लॉजिस्टिक सहायता में निरंतर निवेश की जरूरत है।
- **निगरानी और टोही गतिविधि:** भारत को प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हुए निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाने वाले क्षेत्र में निवेश करने की जरूरत है, अर्थात,
  - ✓ **कार्टोसैट श्रृंखला** से उच्च स्थिरता वाले सेटेलाइट मैपिंग और **P-8I पोसीडॉन** जैसे समुद्री गश्ती विमान हिंद महासागर में परिस्थितिजन्य जागरूकता और जवाबी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, जिससे संभावित खतरों का समय पर पता लगाने और उन्हें रोकने में मदद मिलेगी।
- भारत को चीन की नौसैनिक क्षमताओं की बराबरी करने के लिए अपने नौसैनिक बेड़े के आधुनिकीकरण की दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा।
  - ✓ क्षेत्र में वास्तविक सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखने के लिए भारत को अपने परमाणु पनडुब्बी बेड़े के साथ-साथ स्वदेशी विमान वाहक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है।

7.4. ADITI योजना

संदर्भ

हाल ही में, रक्षा मंत्री ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) योजना के साथ एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज (ADITI) स्कीम को लॉन्च किया।

अन्य संबंधित जानकारी

- इस योजना को नई दिल्ली में आयोजित **डेफकनेक्ट 2024** में शुरू किया गया।
- वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 750 करोड़ रुपये की अदिति (ADITI) योजना रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग (DDP) के iDEX (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार) ढांचे के अंतर्गत आती है।
- योजना के तहत, स्टार्ट-अप रक्षा प्रौद्योगिकी में अपने अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपये तक की अनुदान सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।
- इस कार्यक्रम में **डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (DISC) के 11वें संस्करण** का भी शुभारंभ हुआ।

रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX)

- इसका उद्देश्य **रक्षा और एयरोस्पेस में आत्मनिर्भर** बनने के साथ-साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है।
- इसे **अप्रैल, 2018** में **भारत के प्रधानमंत्री** द्वारा शुरू किया गया था।
- युवा नवप्रवर्तकों को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए iDEX को **iDEX Prime** तक विस्तारित किया गया है, साथ ही इसके अंतर्गत मिलने वाली सहायता को 1.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

उद्देश्य

- इसका लक्ष्य प्रस्तावित समय सीमा में लगभग **30 डीप-टेक महत्वपूर्ण** और **सामरिक प्रौद्योगिकियों** को विकसित करना है।
- ADITI का लक्ष्य आधुनिक सशस्त्र बलों की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं और रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमताओं के बीच अंतर को पाटने हेतु एक "टेक्नोलॉजी वॉच टूल" बनाना भी है।
- ADITI जैसी योजनाओं के पीछे का विचार दुनिया भर में तकनीकी बढ़त हासिल करने के लिए भारत को एक 'ज्ञान समाज' में बदलना है।

डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (DISC)

- इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण रक्षा चुनौतियों का समाधान करना, नवप्रवर्तकों को ऐसे नवीन समाधान प्रस्तावित करने के लिए आमंत्रित करना है जो देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ा सकें और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान दे सकें।
- यह **राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा** के क्षेत्र में आदर्श बनाने और/या उत्पादों/समाधानों का व्यावसायीकरण करने के लिए स्टार्टअप/एमएसएमई/नवप्रवर्तकों की सहायता करेगा।
- इसे **रक्षा मंत्रालय** द्वारा **अटल इनोवेशन मिशन** के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है।
- **DISC 11** में 22 समस्या विवरण प्रस्तुत किए गए हैं - भारतीय सेना (4), भारतीय नौसेना (5), भारतीय वायु सेना (5), बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (7) और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (1)

ADITI योजना के लाभ

- यह योजना रक्षा क्षमताओं में वृद्धि करेंगी।
- इसका उद्देश्य युवाओं को अभिनव विचारों के लिए प्रोत्साहित करना है।
- यह आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है।
- उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास से रक्षा क्षमताओं और तैयारियों को बढ़ावा मिलेगा।
- यह योजना प्रौद्योगिकी नवाचार, विनिर्माण और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगी।

7.5. 'चक्षु' और 'डीआईपी' प्लेटफॉर्म

सन्दर्भ

केंद्रीय संचार मंत्री ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए **डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP)** और **चक्षु पोर्टल** की शुरुआत की।

चक्षु पोर्टल (CHAKSHU Portal)

- सरकार ने **संचार साथी पहल** के हिस्से के रूप में **चक्षु पोर्टल** (CHAKSHU Portal) को की शुरुआत की है।
- यह उपयोगकर्ताओं को व्यवसायों के द्वारा फ़ोन नंबरों की संभावित लीक और धोखाधड़ी वाली कॉल, लॉटरी या नौकरी की पेशकश करने वाले संदेश जैसी **संदिग्ध गतिविधियों को रिपोर्ट** करने की अनुमति देता है।
- **भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण** (TRAI) चक्षु के लिए एक ऐप विकसित करने पर भी काम कर रहा है।
- यह विभिन्न हितधारकों के बीच वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करने में सक्षम है।

संचार साथी पहल

- यह **दूरसंचार विभाग** की एक नागरिकों पर केंद्रित पहल है। जिसका उद्देश्य मोबाइल **उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, उनकी सुरक्षा मजबूत करना और सरकार की नागरिक-केंद्रित पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना** है।

संचार साथी पोर्टल पर पहले से ही उपलब्ध सुविधाएं

- उनके नाम पर जारी किए गए मोबाइल कनेक्शनों को जानना और कनेक्शनों को बंद करने के लिए उन मोबाइल कनेक्शनों की रिपोर्ट करना जिनकी या तो आवश्यकता नहीं है या उनके द्वारा नहीं लिया गया है।
- चोरी/खोए हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करने और उसका पता लगाने के लिए रिपोर्ट करने हेतु।
- नया/पुराना उपकरण खरीदते समय मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता की जांच करने हेतु।
- कॉलिंग लाइन पहचान के रूप में भारतीय टेलीफोन नंबर के साथ आने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की रिपोर्ट करने हेतु।
- लाइसेंस प्राप्त वायरलाइन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के विवरण की जांच करने के लिए।

डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म

- इसे **दूरसंचार विभाग द्वारा** हितधारकों के बीच **वास्तविक समय में**

खुफिया जानकारी साझा करने, सूचनाओं के आदान-प्रदान करके समन्वय स्थापित करने हेतु एक सुरक्षित और एकीकृत मंच के रूप में विकसित किया गया है।

- डीआईपी नागरिकों के लिए सुलभ नहीं है और यह एक बैक-एंड मॉड्यूल है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और दस्तावेज़ जारी करने वाले अधिकारियों आदि के बीच वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने की सुविधा देता है।
- यह **संचार साथी पहल** का भी एक हिस्सा है।
- इस पोर्टल पर दूरसंचार के दुरुपयोग के संदर्भ में दर्ज मामलों की जानकारी भी शामिल है।

7.6. सेला सुरंग परियोजना का उद्घाटन

संदर्भ

प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में **विकसित भारत विकसित उत्तर-पूर्व कार्यक्रम** के दौरान सेला सुरंग परियोजना को वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।

सेला सुरंग का विवरण

- सेला सुरंग परियोजना में **दो सुरंग** और एक लिंक रोड शामिल है। यह दुनिया में 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दो लेन वाली सबसे लंबी सुरंग है।
- सुरंग-1 980 मीटर लंबी **एकल-नलिका** (सिंगल-ट्यूब) सुरंग है , जबकि सुरंग-2 यातायात और आपातकालीन सेवाओं के लिए एक दो लेन वाली सुरंग के साथ 1,555 मीटर लंबी है । दोनों सुरंगों के बीच लिंक रोड (दोनों सुरंगों को जोड़ने वाली सड़क) 1.2 किमी लंबी है ।
- इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा **प्रोजेक्ट वर्तक** के तहत किया गया है।

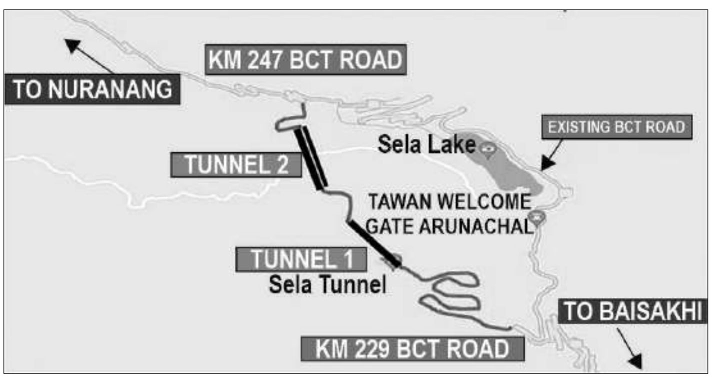

- सुरंग का उद्देश्य असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ने वाली बालीपारा-चारिदुआर-तवांग (BCT) सड़क पर सेला दर्रे के पार तवांग को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
- सेला सुरंग का निर्माण नवीन ऑस्ट्रियाई टनलिंग पद्धति का उपयोग करके किया गया है और इसमें उच्चतम मानकों की सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं।

महत्त्व

- **सामरिक महत्व:** सेला सुरंग सभी मौसमों में खुला रहने वाला हिमालय से होकर जाने वाला मार्ग प्रदान करती है, जो असम में गुवाहाटी को अरुणाचल प्रदेश में तवांग से जोड़ती है। चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए यह सैन्य आवाजाही और रसद के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।
- **बेहतर पहुंच:** पहले, भारी बर्फबारी के कारण सेला दर्रा महीनों तक बंद रहता था। सुरंग इस बाधा को समाप्त कर देती है, जिससे तवांग और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों तक पूरे वर्ष पहुंच संभव हो जाती है।
- **सामाजिक-आर्थिक लाभ:** बेहतर कनेक्टिविटी वस्तुओं और सेवाओं के सुगम परिवहन को सक्षम करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। यह क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा देती है।
- **त्वरित तैनाती:** सेला सुरंग सीमा पर आपात स्थिति या सुरक्षा खतरों के मामले में त्वरित सैन्य आवाजाही और संसाधनों की तैनाती में सहायक है। सुरंग के जरिए भारी तोपों को भी ले जाया जा सकता है।

प्रोजेक्ट वर्तक

- वर्ष 1960 में शुरुआत।
- **संगठन:** भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन सीमा सड़क संगठन (BRO) की परियोजना।
- **लक्ष्य:** अरुणाचल प्रदेश और असम के आसपास के जिलों में सड़कों का निर्माण और रखरखाव।
- **मुख्य उपलब्धियाँ:**
  - ✓ क्षेत्र में पहला विभागीय तौर पर निर्मित प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट पुल।
  - ✓ सेला सुरंग (13,000 फीट से ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची द्वि-लेन सुरंग) के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **महत्व:**
  - ✓ रणनीतिक: तेजी से सेना की तैनाती के साथ सीमा सुरक्षा में सुधार।
  - ✓ आर्थिक: बेहतर कनेक्टिविटी सक्षम बनाता है, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देता है।
  - ✓ इंजीनियरिंग उपलब्धि: महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए कठोर हिमालयी इलाके पर काबू पाना।

चुनौतियां

- **दुर्गम भूभाग और मौसम:** चुनौतीपूर्ण भूभाग और ख़राब मौसम में इतनी ऊंचाई पर सुरंग बनाने में कई तकनीकी चुनौतियाँ आईं।
- **पर्यावरणीय चिंताएँ:** हिमालय में निर्माण परियोजनाएँ नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर सकती हैं। इन पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए सतर्क योजना और निर्माण पद्धतियों की आवश्यकता होती है।
- **लागत और समय:** इस तरह की विशाल अवसंरचना परियोजना के निर्माण में काफी धन और समय लगता है।
- **निष्कर्ष:** सेला सुरंग रणनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान करते हुए, हिमालयी संपर्क सुविधा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।

7.7. वर्ष 2019 से 2023 के बीच भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयातक : SIPRI

संदर्भ

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत वर्ष 2019 से वर्ष 2023 की अवधि के दौरान विश्व के शीर्ष हथियार आयातक है।

अन्य संबंधित जानकारी

- वर्ष 2019 से वर्ष 2023 की अवधि में भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयातक है। जिसका वर्ष 2014 से वर्ष 2018 की अवधि की तुलना में **आयात 4.7 प्रतिशत बढ़ा** है।
- वर्ष 2014 से वर्ष 2018 और वर्ष 2019 से वर्ष 2023 के बीच यूरोपीय देशों द्वारा हथियारों के आयात में 94 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो संभवतः यूक्रेन में युद्ध से प्रभावित है।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI)

SIPRI एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान के लिए समर्पित है।

मिशन और फोकस
- वर्ष 1966 में स्थापित, SIPRI खुले स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर आँकड़ा-विश्लेषण और सिफारिशें करता है।
- SIPRI के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट जैसे कि **SIPRI इयरबुक (Yearbook)**, वैश्विक स्तर पर नीति निर्माताओं और विद्वानों के लिए अत्यधिक सम्मानित संसाधन हैं।
- इसमें शामिल मुख्य क्षेत्र हैं:
  - ✓ सशस्त्र संघर्ष
  - ✓ सैन्य सामग्री के व्यय और हथियारों का व्यापार
  - ✓ निरस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण

मुख्यालय और वित्त पोषण
- SIPRI का मुख्यालय स्वीडन के स्टॉकहोम में है।
- इसे स्वीडिश सरकार और विभिन्न अन्य संगठनों से फंड (वित्त) प्राप्त होता है।

- **रूस** भारत का प्राथमिक हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, **जो भारत के हथियारों के आयात का 36 प्रतिशत हिस्से का भागीदार है।** हालाँकि, 1960-64 के बाद, इस अवधि में पहली बार ऐसा हुआ जब रूस से होने वाली डिलीवरी में भारत के हथियार आयात का हिस्सा आधे से भी कम है।
- वर्ष 2019 से वर्ष 2023 के बीच शीर्ष 10 सबसे बड़े हथियार आयातकों में से नौ एशिया और ओशिनिया (Oceania) या मिडिल-ईस्ट के देश शामिल है, जिनमें शीर्ष तीन में भारत, सऊदी अरब और कतर शामिल है।
- **यूक्रेन इस अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा हथियार आयातक** बनकर उभरा है, जिसने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 30 से अधिक देशों से प्रमुख हथियारों को आयात किया है।
- पाकिस्तान वर्ष 2019-23 में पांचवां सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था तथा चीन इसके मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में और भी अधिक प्रभावशाली हो गया, जिसने पाकिस्तान के हथियार आयात का 82 प्रतिशत हिस्सा आपूर्ति किया।
- चीन के अपने हथियारों के आयात में 44 प्रतिशत की कमी आई, जिसका मुख्य कारण आयातित हथियारों के स्थान पर स्थानीय रूप से उत्पादित प्रणालियों का उपयोग करना था।

शीर्ष हथियार आयातक

- भारत हथियारों का शीर्ष आयातक है, इसके बाद सऊदी अरब (8.4 प्रतिशत), कतर (7.6 प्रतिशत), यूक्रेन (4.9 प्रतिशत), पाकिस्तान (4.3 प्रतिशत), जापान (4.1 प्रतिशत), मिस्र (4 प्रतिशत), ऑस्ट्रेलिया (3.7 प्रतिशत), दक्षिण कोरिया (3.1 प्रतिशत) और चीन (2.9 प्रतिशत) स्थान हैं।

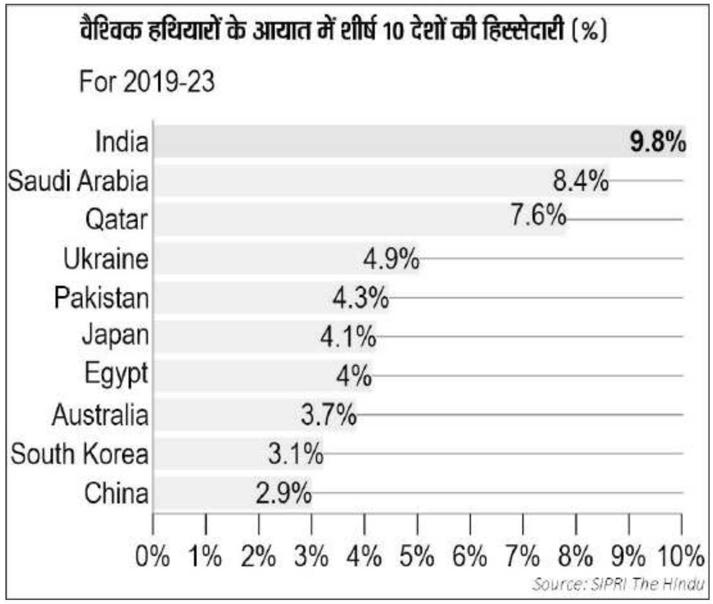

शीर्ष हथियार निर्यातक

- शीर्ष 10 हथियार निर्यातक देशों में अमेरिका (42 प्रतिशत), फ्रांस (11 प्रतिशत), रूस (11 प्रतिशत), चीन (5.8 प्रतिशत), जर्मनी (5.6 प्रतिशत), इटली (4.3 प्रतिशत), यूके (3.7 प्रतिशत), स्पेन 2.7 प्रतिशत), इज़राइल (2.4 प्रतिशत) और दक्षिण कोरिया (2 प्रतिशत) शामिल हैं।

उच्च आयात निर्भरता के कारण

- **भू-राजनैतिक तनाव**
  - ✓ **सीमा विवादः** पड़ोसी देशों, विशेषकर चीन और पाकिस्तान के साथ लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय विवादों के कारण सीमाओं पर सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता है।
  - ✓ **अनुमानित सुरक्षा खतरे:** सीमा पर होने वाली झड़पों और सीमा पार आतंकवाद पर चिंताओं के साथ-साथ अस्थिर क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति उन्नत हथियारों की आवश्यकता को बढ़ाती है।

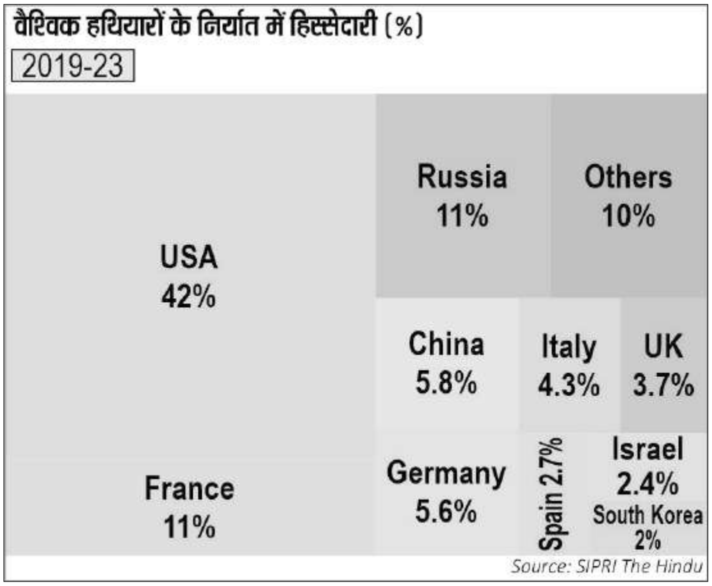

- सैन्य आधुनिकीकरण
  - ✓ **हथियारों का पुराना होना:** भारतीय सशस्त्र बलों के उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा पुराना हो चुका है और समकालीन खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए इसकी तत्काल आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।
- तकनीकी विकास
  - ✓ **तेजी से विकास:** युद्ध पद्धति के निरंतर विकास को देखते हुए लड़ाकू विमान, मिसाइल रक्षा प्रणाली और अन्य अत्याधुनिक उपकरण प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है।
  - ✓ **सीमित घरेलू क्षमताएँ:** भारत अभी भी कुछ उच्च-स्तरीय रक्षा प्रौद्योगिकियों में पीछे है, जिसके कारण इसे अपनी सेना को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए आयात करने की आवश्यकता होती है।
- अधिक हथियारों को आयात करने का प्रभाव
  - ✓ **आर्थिक बोझ:** आयातित हथियारों पर अधिक खर्च राष्ट्रीय बजट पर दबाव डालता है, जिससे संभावित रूप से अवसंरचना और सामाजिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए संसाधनों की कमी हो जाती है।
  - ✓ भारत ने पिछले तीन वर्षों के दौरान हथियारों के आयात पर 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च किया है तथा इसके अगले पाँच वर्षों में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की उम्मीद है।
- **निर्भरता भेद्यता:** यूक्रेन युद्ध के कारण रूस जैसे पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं के साथ तनावपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला संबंध बाहरी स्रोतों पर निर्भरता से जुड़ी भेद्यता को उजागर करते हैं।
  - ✓ **सीमित लाभ:** विदेशी स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता हथियार सौदों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर बातचीत करने में भारत की बार्गेनिंग पॉवर को कमजोर करती है।
  - ✓ **घरेलू उद्योग पर प्रभाव:** आयात पर अत्यधिक निर्भरता स्वदेशी रक्षा क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध कर सकती है, जिससे दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता लक्ष्य बाधित हो सकते हैं।

आगे की राह

- **स्वदेशी हथियार उद्योग को प्रोत्साहन:** स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास के लिए अधिक संसाधन आवंटित किया जाना चाहिए। नवाचार और उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **अनुसंधान एवं विकास पर व्यय में वृद्धि:** तकनीकी अंतर को पाटने और महत्वपूर्ण रक्षा क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश करने की जरूरत है।
- **रणनीतिक साझेदारी:** स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं में तेजी लाने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त उद्यमों के लिए विदेशी राष्ट्रों के साथ सहयोग करने की जरूरत है।
- **विकल्पों का विस्तार:** किसी एक स्रोत पर निर्भरता कम करने के लिए पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं से परे देखें।

कला एवं संस्कृति

8.1. श्रीनाथ वीर म्हस्कोबा उत्सव

संदर्भ

श्रीनाथ वीर म्हस्कोबा उत्सव 10 दिनों के लिए माघ पूर्णिमा (फरवरी की पूर्णिमा) के दौरान मनाया जाता है।

श्रीनाथ वीर म्हस्कोबा उत्सव पर एक नजर

- **"श्रीनाथ वीर म्हस्कोबा"** नाम **भगवान शिव के अवतारों में से एक को संदर्भित** करता है।
- यह मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में रहने वाले **चरवाहा (शेपर्ड) समुदाय** द्वारा मनाया जाता है।
- इस उत्सव के दौरान **भगवान शिव के विवाह (दो देवताओं का विवाह अर्थात, म्हस्कोबा और माता जोगेश्वरी के विवाह)** का उत्सव मनाया जाता है तथा यह 10 दिनों तक चलता है।
- शादी के दिन होने वाले **भंडारा** नामक उत्सव को चारों ओर **लाल रंग और फूल उड़ाकर** मनाया जाता है।
- इस उत्सव को पुणे से 50 किमी दूर **पूर्णगंगा नदी** के तट पर स्थित **वीर गाँव** में मनाया जाता हैं।
- यह उत्सव माघ पूर्णिमा (फरवरी पूर्णिमा) के दौरान मनाया जाता है, जिसमें महीने का अंतिम रविवार सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है।

वीर म्हस्कोबा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

- **श्रीनाथ म्हस्कोबा हिंदू भगवान शिव के काल भैरव अवतार माने जाते हैं।**
- उनकी पूजा **म्हसवाद, बोरबन और सोनारी के जनजाति/आदिवासी समुदायों** द्वारा भी की जाती है।

काल भैरव अवतार

- वे शिव के एक प्रभावशाली रूप या अवतार है, जो **शैव धर्म में विनाश** से जुड़ें है।
- भैरव **सर्वोच्च वास्तविकता** के प्रतीक हैं, **जिन्हें त्रिका तंत्र में परा ब्रह्म अर्थात, परम ब्रह्म** भी कहा जाता है।
- चूँकि वे अपराधियों को दंड देने के लिए छड़ी या डंडा का उपयोग करते है, इसलिए हिंदू धर्म में **भैरव को दंडपाणि (हाथ में दंड धारण करने वाला) और स्वस्व (Svasva)** के नाम से भी जाना जाता है। **स्वस्व (Svasva) का अर्थ है - "जिनकी सवारी कुत्ता हो"।**
- **वज्रयान बौद्ध धर्म में उन्हें हेरुका, वज्रभैरव और यमंतक के** नाम से भी जाना जाता है।
- उन्हे **बोधिसत्व मजूर** के उग्र स्वरूप के रूप में माना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म के साथ, **भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका और जापान में** भी उनकी पूजा की जाती है।

8.2. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार

संदर्भ

भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के लिए **संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (अकादमी पुरस्कार) और संगीत नाटक अकादमी फ़ेलोशिप (अकादमी रत्न)** पुरस्कार प्रदान किया गया।

विवरण

- संगीत नाटक अकादमी की सामान्य परिषद ने संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक/लोक/आदिवासी संगीत/नृत्य/रंगमंच, कठपुतली और प्रदर्शन कला में समग्र योगदान/छात्रवृत्ति के क्षेत्रो से पुरस्कार के लिए 94 कलाकारों का चयन किया।
- **राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी, नई दिल्ली** की सामान्य परिषद ने सर्वसम्मति से प्रदर्शन कला के क्षेत्र में छह (6) प्रतिष्ठित हस्तियों को अकादमी रत्न के रूप में चुना।
- **80 युवा कलाकारों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया।**

संगीत नाटक अकादमी फ़ेलोशिप और पुरस्कार पर एक नजर

- अकादमी पुरस्कार
  - ✓ संगीत नाटक अकादमी की स्थापना से पहले ही अर्थात, वर्ष 1951 से ही **हिंदुस्तानी और कर्नाटक** संगीत में पुरस्कार दिए जाते थे, जिसे **राष्ट्रपति पुरस्कार** के रूप में जाना जाता था।
  - ✓ संगीत नाटक अकादमी के गठन के साथ ही इन पुरस्कारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के रूप में जाना जाने लगा तथा इन पुरस्कारों की जिम्मेदारी अकादमी को दी गयी।

संगीत नाटक अकादमी

- **वर्ष 1953** में संगीत, नृत्य और नाटक के रूपों में व्यक्त **भारत की विविध संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत के संरक्षण और प्रचार हेतु संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय** के रूप में इसकी स्थापना की गई थी।
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसके **अध्यक्ष** की नियुक्त की जाती है, जिसका कार्यकाल **पाँच वर्ष** का होता है।
- अकादमी के कार्यों को वर्ष 1961 में अपनाए गए **मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन** में रेखांकित किया गया है, जो इसे एक सोसायटी के रूप में स्थापित करता है।
- अकादमी का प्रबंधन इसकी **सामान्य परिषद** द्वारा किया जाता है।

- **वर्ष 1952 और वर्ष 1953 में दिए गए राष्ट्रपति पुरस्कारों** को बाद में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की सूची में शामिल किया गया।
- इसमें पुरस्कार के प्राप्तकर्त्ता को **1 लाख रुपये की नकद राशि, एक ताम्रपत्र और एक अंगवस्त्र** प्रदान किया जाता है।

Source:THE HINDU

अकादमी फ़ेलोशिप

- अकादमी रत्न प्रदर्शन कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कलाकारों को प्रदर्शन कला में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।
- यह किसी भी समय 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को ही दिया जाता है।
- वर्ष 1954 में, अकादमी का पहला फेलो चुना गया था तथा वर्तमान में, अकादमी के द्वारा 153 प्रतिष्ठित हस्तियों को अकादमी फेलो के रूप में सम्मानित किया जा चुका है।
- यह पुरस्कार **राष्ट्रीयता, नस्ल, जाति, धर्म, पंथ या लिंग पर विचार किए बिना** प्रदान किया जाता है।
- **मानदंड:** इससे सम्मानित व्यक्ति की आयु **50 वर्ष से कम होनी चाहिए।**
- अकादमी की **सामान्य परिषद द्वारा पुरस्कार** प्राप्त करने वालों के नामों की सिफारिश किया जाता हैं।
- फ़ेलोशिप के प्राप्तकर्त्ता को **3 लाख रुपये की नगद राशि, एक ताम्रपत्र और एक अंगवस्त्र** दिया जाता है।

उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार

- संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2006 से "उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार" की शुरुआत की, यह संगीत, नृत्य और नाटक में युवा कलाकारों को मान्यता देता है।
- **पात्रता:** नामांकन वर्ष के 1 अप्रैल तक 40 वर्ष तक के कलाकार।
- यह पुरस्कार प्रति वर्ष अधिकतम 33 लोगों को दिया जाता है।
- इसमें पाँच क्षेत्र शामिल हैं: संगीत, नृत्य, रंगमंच, अन्य पारंपरिक/लोक/आदिवासी नृत्य/संगीत/थिएटर, और प्रदर्शन कला में योगदान/छात्रवृत्ति।
- इसमें पुरस्कार के प्राप्तकर्त्ता को **25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) की नकद राशि, एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्र** प्रदान किया जाता है।

8.3. स्टैच्यू ऑफ वेलोर

संदर्भ

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने लाचित बोरफुकन मैदान में **'स्टैच्यू ऑफ वेलोर'** (Statue of Valour) का अनावरण किया गया।

स्टैच्यू ऑफ वेलोर

- यह पूर्वी असम के जोरहाट जिले में उनके मैदाम (समाधि स्थल) पर **अहोम जनरल लाचित बोरफुकन (Ahom general Lachit Borphukan)** की 125 फुट की कांस्य की प्रतिमा है।
- फरवरी, 2022 में पूर्व राष्ट्रपति **राम नाथ कोविंद ने** इस प्रतिमा की नींव रखी थी।
- इस प्रतिमा का निर्माण अनुभवी मूर्तिकार **राम वनजी सुतार** (पद्म भूषण पुरस्कार विजेता) द्वारा किया गया है। उन्होंने इससे पहले **गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी** का निर्माण किया था।
- यह प्रतिमा लाचित बोरफुकन मैदाम विकास परियोजना का एक हिस्सा है जिसमें एक संग्रहालय, 500 सीटों की क्षमता वाला सभागार और एक छात्रावास का निर्माण भी शामिल है।

Source: NDTV

लाचित बोरफुकन का परिचय

- लाचित बोरफुकन **अहोम साम्राज्य (1228-1826)** के एक प्रसिद्ध सेना कमांडर (army commander) थे, जिन्हें 1671 ई. के **'सराईघाट का युद्ध'** में अहोम साम्राज्य की सेना के नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है।
- उन्होंने इस युद्ध में राजा रामसिंह-प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना को हराया और असम को वापस लेने के उनके प्रयास को विफल कर दिया।
- लड़ाई के एक साल बाद बीमारी के कारण 49 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, उन्हें होल्लोंगापार के **'मैदाम' (अहोम राजघरानों और रईसों के लिए कब्रिस्तान)** में दफनाया गया था।

सराईघाट का युद्ध

- यह 1671 ई. में **मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य** के बीच हुआ।
- यह युद्ध **ब्रह्मपुत्र नदी,** जो उनके पूरे क्षेत्र से होकर बहती है, के किनारे लड़ी गई थी। यह राज्य को लगभग दो हिस्सों में विभाजित करती है, और फिर वर्तमान के बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
- उस समय, **औरंगजेब मुगल साम्राज्य का शासक था, जिसके आदेश पर राजा राम सिंह-प्रथम (मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र) के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने** गुवाहाटी के सरायघाट (सराईघाट) में **लाचित बोरफुकन** के नेतृत्व वाले अहोम साम्राज्य की सेना से लड़ाई लड़ी थी।
- इस लड़ाई ने **ब्रह्मपुत्र घाटी और पूर्वोत्तर क्षेत्र** के इतिहास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

8.4. कोचरब आश्रम और साबरमती आश्रम पुनर्विकास परियोजना

संदर्भ

दांडी मार्च की 94 वीं वर्षगाँठ के मौके पर प्रधानमंत्री ने **कोचरब आश्रम** का उद्घाटन करने के साथ-साथ गुजरात के साबरमती में गाँधी आश्रम स्मारक के लिए मास्टर प्लान लॉन्च किया।

अन्य संबंधित जानकारी

- गाँधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान में गाँधीजी के जीवन और शिक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए आश्रम का विस्तार, जीर्णोद्धार और नई सुविधाओं का निर्माण शामिल है।
- इस मास्टर प्लान के अंतर्गत आश्रम के मौजूदा पाँच एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति में 12 मार्च, 2021 को साबरमती आश्रम से ही आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत पर भी प्रकाश डाला।
- उन्होंने **साबरमती आश्रम को मानवता की धरोहर** बताते हुए इसके संरक्षण के महत्व पर बल दिया।
- उन्होंने राजपथ के पुनर्विकास और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सहित भारत के स्वतंत्रता संग्राम तथा विरासतों के जीर्णोद्धार से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं पर बात की।

कोचरब आश्रम

- वर्ष 1915 में, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद **महात्मा गाँधी द्वारा स्थापित** यह पहला आश्रम था। आश्रम का पुनर्विकास एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में इसके संरक्षण को सुनिश्चित करता है।
- शुरुआत में, इसका नाम **सत्याग्रह आश्रम** था, जो साबरमती आश्रम से जाने जाने से पहले लगभग 18 महीने तक आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्थान के साथ गाँधीजी के प्रयोगों के लिए आधार के रूप में कार्य किया।

साबरमती आश्रम

- इसकी स्थापना वर्ष 1917 में महात्मा गाँधी द्वारा की गई थी।
- अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर स्थित साबरमती आश्रम में वर्ष 1917 से 1930 तक महात्मा गांधी निवास करते थे।
- इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उन्होंने भारत के स्वतंत्र होने तक आश्रम में न लौटने की प्रतिज्ञा की।
- साधारण मिट्टी-ईंट से बनी ये इमारतें और प्रार्थना स्थल उनके मूल्यों को दर्शाते हैं।
- वर्तमान में, यह आश्रम एक राष्ट्रीय स्मारक और शांति केंद्र है, जिसमें गाँधी संग्रहालय भी शामिल है, जो उनके जीवन और दर्शन को प्रदर्शित करता है।
- यह गाँधीजी के शांति, अहिंसा और सामाजिक न्याय के आदर्शों का प्रतीक है।
- गांधीजी ने 12 मार्च, 1930 को यहीं से प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था, उन्होंने निम्न की भी शुरुआत की:
  - ✓ चंपारण सत्याग्रह (1917)
  - ✓ अहमदाबाद मिलों की हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह (1918)
  - ✓ खादी आंदोलन (1918)
  - ✓ रोलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन (1919)
  - ✓ साबरमती में रहते हुए असहयोग आंदोलन (1920)

8.5. वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव

संदर्भ

हाल ही में, **संस्कृति मंत्रालय ने हार्टफुलनेस** के सहयोग से तेलंगाना के हैदराबाद के **कान्हा शांति वनम्** (Kanha Shanti Vanam) में **वैश्विक आध्यात्मिकता/आध्यात्म महोत्सव** का आयोजन किया है।

वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव की मुख्य विशेषताएँ

- यह कार्यक्रम दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र **कान्हा शांति वनम** में आयोजित किया गया था।
- 14 से 17 मार्च, 2024 तक निर्धारित, यह एक शुभ अवधि है जिसे अमृतकाल के रूप में जाना जाता है।
- इसका उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का जश्न मनाना और प्रदर्शित करना है।
- यह विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं, अंतर-धार्मिक **प्रमुखों, योग गुरुओं और समग्र कल्याण विशेषज्ञों की दुनिया की पहली मंडली/सभा** है।
- **केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, श्री राम चंद्र मिशन और अन्य** के समन्वय से आध्यात्मिकता के इस महाकुंभ का आयोजन किया है।

Source: GSM

  - ✓ श्री राम चंद्र मिशन एक आध्यात्मिक आंदोलन है, जो **"सहज मार्ग"** या **"हार्टफुलनेस मेडिटेशन"** के अभ्यास पर केंद्रित है।
- **महोत्सव का थीम/विषय:** इस महोत्सव का थीम/विषय **"विश्व शांति के लिए आंतरिक शांति"** (From Inner Peace to World Peace) है। यह वैश्विक समस्याओं का समाधान करने और शांति को बढ़ावा देने के मार्ग के रूप में आंतरिक संघर्षों का समाधान करने के महत्व पर प्रकाश डालता है।
- यह भारत के "वसुधैव कुटुंबकम" के दृष्टिकोण को भी प्रतिबिंबित करता है कि "विश्व एक परिवार है"।

हार्टफुलनेस (Heartfulness)
• **हार्टफुलनेस** (Heartfulness) की शुरुआत **1800 के दशक** के अंत में भारत के उत्तर में **गंगा नदी** पर के तट पर अवस्थित **फतेहगढ़** नामक एक छोटे से शहर में हुई थी। • यह प्रथा **संक्रमण (ट्रांसमिशन)** काल की प्राचीन कला पर आधारित हैं, जो एक परिवर्तनकारी **योग पद्धति** है, इसे **फतेहगढ़** के **लालाजी** के नाम से **प्रसिद्ध श्री राम चंद्र जी** द्वारा दोबारा शुरू गया था।

कान्हा शांति वनम्

- यह हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का विश्व मुख्यालय है।
- यह परस्पर संवादात्मक (इंटरैक्टिव) कार्यक्रमों के साथ-साथ **आध्यात्मिक प्रशिक्षण** भी प्रदान करता है, जो समग्र कल्याण तथा सीखने और योगदान करने के अवसर को बढ़ावा देता है।
- **कान्हा शांति वनम की उपलब्धियाँ**
  - ✓ वर्ष 2019 में, कान्हा को **राउंड टेबल इंडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया** द्वारा आंतरिक कल्याण के लिए **'द प्राइड ऑफ तेलंगाना'** से सम्मानित किया गया था।
  - ✓ इसे विश्व स्तरीय पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं का पालन करने के लिए वर्ष 2019 में ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) का **प्लेटिनम पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था, जो इसे यह उपलब्धि पाने वाला **विश्व का पहला मेडिटेशन सेंटर** बनाता है।

आयोजन का महत्व

- वैश्विक परिदृश्य में भू-राजनीतिक तनाव, असमान विकास, असहिष्णुता, भेदभाव और धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा तेजी से बढ़ रही है। इस स्थिति में, दुनिया की **1/6 आबादी का घर भारत आशा और ज्ञान का प्रतीक** बना हुआ है।
- यह **आध्यात्मिक महोत्सव** मानवता को एक साथ बाँधने वाले सार्वभौमिक मूल्यों का **अभिनंदन और उत्सव दोनों** है।

8.6. श्री अय्या वैकुंड स्वामीकल

संदर्भ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री अय्या वैकुंड स्वामीकल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

अय्या वैकुंडर

- वैकुंडर का जन्म वर्ष 1809 में कन्याकुमारी से लगभग पाँच मील की दूरी पर स्थित तमराईक्कुलम शहर के निकट पूवंदन थोप्पू गांव में एक गरीब नादर परिवार में हुआ था।
- वैकुंठर के माता-पिता ने शुरू में उनका नाम 'मुदी सुदुम पेरुमल' रखा था, लेकिन ऊंची जातियों और सरकारी अधिकारियों की आपत्तियों के कारण, उन्होंने इसे बदलकर 'मुथुकुट्टी' रख दिया।
- मुथुकुट्टी चमत्कारिक ढंग से समुद्र में गायब हो गया और तीन दिन बाद फिर से प्रकट हुआ, उसने खुद को नारायण अवतार घोषित किया, इस प्रकार अय्या वैकुंडर के रूप में उसकी यात्रा शुरू हुई।

Source: THE HINDU

शिक्षाएँ और सामाजिक सुधार

- उनकी शिक्षाएँ उस समय की स्थापित धार्मिक और सामाजिक पदानुक्रमों को चुनौती देते हुए समानता, भाईचारे और जाति-आधारित भेदभाव के उन्मूलन पर केंद्रित थीं।
- उन्होंने अय्यावाज़ी संप्रदाय नामक एक नए संप्रदाय की स्थापना की और मंदिरों का निर्माण किया जहां पीड़ित लोग स्वतंत्र रूप से पूजा कर सकते थे।
- उनकी शिक्षाओं में दान, धैर्य और स्वयं के भीतर ईश्वर की पहचान पर जोर दिया गया।
- वैकुंडर का जीवन दलितों के उत्थान और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए समर्पित था।
- उनकी शिक्षाएँ आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार को प्रेरित करती रहती हैं एवं हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच आत्म-सम्मान और गरिमा की भावना को बढ़ावा देती हैं।
- उन्होंने अनुयायियों को शाकाहार और अनुशासन की शिक्षा देते हुए **थुवायल पंथी कार्यक्रम** की शुरुआत की, जिन्होंने इन शिक्षाओं को पूरे तमिलनाडु में फैलाया।
- उन्होंने **निज़ल थंगल्स को सामुदायिक पूजा स्थलों** के रूप में स्थापित किया, जिसमें कोई मूर्ति या देवता नहीं थे और पूजा के लिए केवल तमिल का उपयोग किया जाता था। इन सामुदायिक पूजा केंद्रों में सामुदायिक रसोई और यहां तक कि बुनियादी विद्यालय भी थे।
- उन्होंने जन्म के आधार पर असमानता को दूर करने और **जातिविहीन समाज की स्थापना के लिए अथक प्रयास किया** और **सभी लोगों के बीच समानता का** उपदेश दिया।
- अय्या वैकुंडर की शिक्षाओं का वर्णन **अकिलथ थिराट्टू अम्मानई और अरुलनूल में किया गया है** जो अय्या वाज़ी अनुयायियों की पवित्र पुस्तकें हैं।

8.7. मेदाराम जतारा महोत्सव

संदर्भ

केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री ने तेलंगाना के मेदाराम में देश का सबसे वड़ा जानजातीय उत्सव, सम्मक्का-सरलम्मा महा जतारा का दौरा किया।

अन्य संबंधित जानकारी

- कुंभ मेले के बाद द्विवार्षिक जनजातीय त्योहार भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जो 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का प्रतीक है।
- यह वारंगल सिटी से 90 किमी दूर मुलुगु जिले में कोया जनजाति द्वारा चार दिनों तक मनाया जाता है।
- वर्ष 1996 में घोषित यह तेलंगाना सरकार का एक राज्य महोत्सव है।
- इस वर्ष यह जनजातीय कल्याण विभाग, तेलंगाना सरकार के सहयोग से 21-24 फरवरी, 2024 तक मनाया गया।

कोया जनजाति

- कोया मुख्य रूप से पश्चिम गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, खम्मम और वारंगल जिलों के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और आदिलाबाद और करीमनगर जिलों में बहुत कम पाए जाते हैं।
- कोया लोग खुद को लोकप्रिय रूप से दोराला सत्तम (देवताओं का समूह) और पुट्टा डोरा (मूल देवता) कहते हैं।
- कोया मुख्यतः **बसे हुए कृषक** हैं। वे ज्वार, रागी, बाजरा और अन्य बाजरा उगाते हैं।

मेदाराम जतारा महोत्सव

- मेदाराम जतारा या सम्मक्का सरलम्मा जतारा भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला देवी-देवताओं के सम्मान का एक जनजातीय त्योहार है।
- यह एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ सत्तारूढ़ शासकों के साथ एक माँ और बेटी (सम्मक्का और सरलम्मा) की लड़ाई की याद दिलाता है।
- **स्थान:** मेदाराम **इटुरनगरम वन्यजीव अभयारण्य** में एक दूरस्थ स्थान है, जो मुलुगु में सबसे बड़े जीवित वन बेल्ट दंडकारण्य का एक हिस्सा है।
- यह दुनिया का सबसे बड़ा आदिवासी धार्मिक समागम है।
- **धार्मिक संस्कार:**
  - ✓ लोग देवी-देवताओं को अपने वजन के बराबर मात्रा में बांगरम/सोना (गुड़) चढ़ाते हैं और जम्पन्ना वागु (धारा) में पवित्र स्नान करते हैं।
  - ✓ यह एक ऐसा त्यौहार है जिसका कोई वैदिक या ब्राह्मण प्रभाव नहीं है।

- **सांस्कृतिक महत्व**
  - ✓ यह त्योहार सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता एवं बढ़ावा देता है और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेदाराम जतारा को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता रहा है।
  - ✓ इस उत्सव का उद्देश्य आदिवासी संस्कृतियों, त्योहारों और विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करना और साथ ही आगंतुकों और तेलंगाना के जनजातीय समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना है।

बहुविकल्पीय अभ्यास प्रश्न

Q 1. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह योजना घर की छत पर सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है।
2. वर्तमान में, भारत सौर ऊर्जा क्षमता में वैश्विक स्तर पर छठें स्थान पर है।
3. इस योजना के तहत उच्च वाट क्षमता वाले पैनल केंद्रीय सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

Q 2. हाल ही में, जारी की गयी तेंदुए स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भारत में तेंदुओं की आबादी वर्ष 2018 के मुकाबले वर्ष 2022 में कम हो गई है।
2. इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 3. भारत के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसकी स्थापना गुजरात में की जा रही है।
2. इस विनिर्माण संयंत्र की स्थापना सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से की जा रही है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 4. मेलानोक्लामिस द्रौपदी (Melanochlamys Draupadi) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह हेड शील्ड समुद्री स्लग प्रजाति की एक नई प्रजाति है।
2. बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इसकी खोज की है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 5. ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2024 के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह लोवी इंस्टीट्यूट (Lowy Institute) द्वारा जारी किया जाने वाला एक वार्षिक सूचकांक है।
2. वर्ष 2024 में जारी किए गए सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 6. सतत जीवन शैली पर संकल्प के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसकी परिकल्पना भारत के प्रधानमंत्री ने COP26 में ग्लासगो में वैश्विक नेताओं के शिखर सम्मेलन में की थी।
2. इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) द्वारा अपनाया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं ?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 7. मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसका आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया था।
2. इस कांग्रेस में स्मार्टफोन ब्राण्ड अपने नवीनतम नवाचारों का प्रदर्शन करते हैं।
3. इस कांग्रेस में सी-डॉट और क्वालकॉम ने दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

Q 8. ताप तरंगों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यदि किसी मैदानी क्षेत्र का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तो उसे लू घोषित किया जाता है।
2. प्रायः, लू की शुरुआत निम्न दबाव वाली प्रणाली से होती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 9. हाल ही में खबरों में रहा, नेदुनथीवु, नैनातिवु, और अनालाईतिवु द्वीप, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं?

(a) श्रीलंका (b) चीन
(c) रूस (d) यूक्रेन

Q 10. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए :

1. आधिकारिक तौर पर, सरकार ने 92 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को अधिसूचित किया हैं।
2. पंजाब और हरियाणा में एक भी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) नहीं रहते है।
3. ओडिशा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की संख्या सबसे अधिक है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

Q 11. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए :

1. इसका फ्रेमवर्क काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर आधारित है।
2. इसका मुख्यालय भारत में स्थित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Q 12. प्रोजेक्ट ओडिसर्व के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह एक उद्योग-अकादमिक सहयोग परियोजना है।
2. यह प्रोजेक्ट को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 13. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (NSD) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद (NCSTC) राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (NSD) को आयोजित करने वाली नोडल एजेंसी है।
2. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (NSD)-2024 का विषय "विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक" है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 14. ओशन ग्रेस के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था।
2. यह पहली मेड-इन-इंडिया अनुमोदित मानक वाले टग डिजाइन एवं विशिष्टि (ASTDS) युक्त नाव है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 15. कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल (CNC) मशीनरी के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उपयोग नागरिक और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है।
2. कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनरी का उपयोग परमाणु अनुसंधान में किया जा सकता है।
3. कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण ऑस्ट्रेलियाई समूह के तहत प्रतिबंधित है।

उपर्युक्त में से से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

Q 16. प्रेस सेवा पोर्टल के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा शुरू किया गया था।
2. यह पोर्टल प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम (PRP) अधिनियम 1867 के तहत बनाया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 17. त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जिला परिषद के अध्यक्ष परिषद की बैठक बुलाते हैं।
2. जिला परिषद के सभी सदस्य वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं।
3. जिला परिषद के अध्यक्ष का अपना सचिवालय होता है, जिसका नेतृत्व जिला परिषद का सचिव करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

Q 18. "चक्षु पोर्टल" के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह संचार साथी पहल का हिस्सा है।
2. इसे ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए लॉन्च किया गया है।
3. यह विभिन्न हितधारकों के बीच वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करने में सक्षम है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

Q 19. अदिति (ADITI) योजना के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था।
2. इसका उद्देश्य रक्षा और एयरोस्पेस में आत्मनिर्भरता हासिल करना तथा नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 20. भारत के त्रि-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. पहले चरण में दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) में ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है।
2. दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य थोरियम का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करना है।
3. तीसरे चरण में रिएक्टरों के लिए यूरेनियम प्राथमिक ईंधन स्रोत है, जो अभी भी विकास के अधीन हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

Q 21. हरित हाइड्रोजन कई संभावित लाभ प्रदान करता है, लेकिन कुछ चुनौतियों का भी सामना करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. हरित हाइड्रोजन का उपयोग बिना किसी संशोधन के सीधे आंतरिक दहन इंजन में किया जा सकता है।
2. हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो संभावित रूप से मौजूदा बिजली ग्रिडों को प्रभावित कर सकती है।
3. पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में, हरित हाइड्रोजन परिवहन के लिए एक स्वच्छ विकल्प प्रदान करता है, जिसमें जल वाष्प ही एकमात्र उत्सर्जन है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

Q 22. निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने "मीथेनसैट" नामक सैटेलाइट को लॉन्च किया है?

(a) राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA)
(b) यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA)
(c) जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA)

Q 23. गेवरा खदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह झारखंड के बोकारो में स्थित है।
2. यह भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन खदान है।
3. इसे 'मेगा ओपनकास्ट माइन' के नाम से भी जाना जाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

Q 24. प्रवाल-भित्ति या मूँगा-चट्टान (Coral reef) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. प्रवाल भित्ति मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और पॉलीप्स अपने बाह्यकंकाल के निर्माण हेतु सिलिका का स्राव करते हैं।
2. मूँगा विरंजन मूँगा ऊतकों से सहजीवी शैवाल के निष्कासन के कारण होने वाली एक घटना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Q 25. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पैसा अधिनियम) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. पेसा (PESA) अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अपने गाँवों में आने वाले वन क्षेत्र और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है।
2. यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को पेसा (PESA) प्रावधानों के साथ स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अपने स्वयं के पंचायत कानून बनाने का आदेश देता है।
3. यह अधिनियम ग्राम सभाओं को उच्च-स्तरीय अधिकारियों की निगरानी के बिना, निर्णय लेने में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

Q 26. संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है।
2. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अभ्यासरत कलाकारों, गुरुओं और विद्वानों को प्रदान की जाने वाली सर्वोच्च राष्ट्रीय पहचान है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) कोई नहीं

Q 27. श्रीनाथ वीर म्हस्कोबा उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है?

(a) महाराष्ट्र (b) कर्नाटक
(c) आंध्र प्रदेश (d) तेलंगाना

Q 28. मेदाराम जतारा उत्सव के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह उत्सव ओडिशा सरकार के जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा मनाया जाता है।
2. यह एक ऐसा उत्सव है, जिसका कोई वैदिक या ब्राह्मणीय प्रमाण नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 29. सीमांत प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला अर्थात, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स (FTLs) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसे अटल इनोवेशन मिशन (AIM), नीति आयोग और मेटा के सहयोगात्मक प्रयास के जरिए लॉन्च किया गया है।
2. यह लैब छात्रों को केवल रोबोटिक्स और नैनोटेक्नोलॉजी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके नवाचार करने के लिए सशक्त बनाती हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 30. व्यापार रहस्य/ ट्रेड सीक्रेट के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. ट्रेड सीक्रेट गोपनीय जानकारी पर बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, जिसे बेचा या अनुज्ञप्ति/लाइसेंस पर दिया जा सकता है।
2. ट्रेड सीक्रेट कानून द्वारा संरक्षित हैं, भले ही वे किसी सरकारी एजेंसी के साथ पंजीकृत न हों।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 31. विधि आयोग के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विधि आयोग एक सांविधिक निकाय है।
2. विधि आयोग का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Q 32. निम्नलिखित में से किस देश की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है?

(a) डेनमार्क
(b) एस्टोनिया
(c) आइसलैंड
(d) पोलैंड

Q 33. बाल्टिक सागर के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह आर्कटिक महासागर का एक किनारा है।
2. यह स्कैंडिनेविया को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करता है।
3. यह एक खारा अंतर्देशीय समुद्र है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

Q 34. भारत के एआई मिशन के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह मिशन को इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत लागू किया जा रहा है।
2. इस मिशन के अंतर्गत एक भारत एआई इनोवेशन सेंटर (IAIC) की स्थापना की जा रही है।
3. यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

Q 35. उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण स्कीम, 2024 (उन्नति-UNNATI) के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

(a) उन्नति (UNNATI) एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है।
(b) यह स्कीम औद्योगिक उन्नति के आधार पर जिलों को वर्गीकृत करती है और तदानुसार फंड (धन) आवंटित करती है।
(c) यह केवल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करता है।
(d) यह स्कीम विनिर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है तथा इसमें सेवा उद्योगों को बाहर किया गया है।

Q 36. हाल ही में, भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) ने एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) पर हस्ताक्षर किए। इस संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इस समझौते के माध्यम से भारत ने आइसलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
2. व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करके "मेक इन इंडिया" और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 37. इनमें से किस देश को 'खसरा (मीजल्स) और रूबेला चैंपियन' पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है?

(a) संयुक्त राज्य अमेरिका
(b) स्वीडन
(c) नॉर्वे
(d) भारत

Q 38. "पोषण पखवाड़ा 2024" के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है।
2. यह जन-जागरूकता और सामुदायिक गतिविधियों पर केंद्रित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Q 39. संशोधित फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता स्कीम (RPTUAS) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक क्रेडिट लिंक्ड स्कीम है।
2. इसका परियोजना प्रबंधन सलाहकार अर्थात, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट भारतीय भेषजी परिषद (फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया) है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Q 40. सामान्यतः, गोल्डन लंगूर की सामाजिक संरचना में शामिल हैं:

(a) एकल प्राणी (Solitary animal)
(b) एकल पुरुष के नेतृत्व में परिवार समूह
(c) बिना किसी अनुक्रम के बड़े समूह
(d) जीवन भर के लिए युगल जुड़ाव

Q 41. IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार, गोल्डन लंगूर की संरक्षण स्थिति है:

(a) कम चिंताजनक (LC)
(b) निकट संकटग्रस्त (NT)
(c) संकटग्रस्त (EN)
(d) गंभीर रूप से संकटग्रस्त (CR)

Q 42. अग्नि-V मिसाइल के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सामरिक युद्धक्षेत्र में तैनाती के लिए किया जाता है।
2. यह तीन चरणों वाली, ठोस ईंधन वाली मिसाइल है।
3. इसे एकल पारंपरिक हथियार ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) कोई नहीं

Q 43. गोल्डन लंगूर मुख्य रूप से पाया जाता है:

(a) पश्चिमी घाट में
(b) पूर्वी घाट में
(c) पूर्वोत्तर भारत में
(d) पश्चिमी हिमालय में

Q 44. सराईघाट (सरायघाट) की लड़ाई के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह लड़ाई मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी।
2. युद्ध के समय औरंगजेब मुगल शासक था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 45. लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स (LDI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसे वेरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है।
2. नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, औसत भारतीय अब 1975 की तुलना में उच्च स्तर के उदार लोकतंत्र का आनंद ले रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 46. महतारी वंदन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह पात्र विवाहित महिलाओं को ₹1000 प्रदान करने वाली एक वित्तीय सहायता योजना है।
2. इसमें वे महिलाएं शामिल नहीं हैं जो अन्य पेंशन योजनाओं से धन प्राप्त कर रही हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 47. जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2024 अभियान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसका विषय "नारी शक्ति से जल शक्ति" है।
2. यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत आता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 48. **"लोकपाल" के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. वह लोक-सेवकों के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही कर सकता है।
2. प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने 'लोकपाल' की स्थापना की सिफारिश की।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 49. **"हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस" के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :**

1. इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा डिजाइन किया गया है।
2. इसे हल्के लड़ाकू विमान (LCA) कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q 50. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :**

1. वर्ष 1915 में, गाँधी जी ने कोचरब आश्रम की स्थापना की, जो आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्थान के साथ गाँधी जी के प्रयोगों के लिए आधार के रूप में कार्य करता था।
2. वर्ष 1917 में स्थापित साबरमती आश्रम दांडी मार्च जैसी घटनाओं का साक्षी बना।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तरमाला

1.	B	6.	D	11.	C	16.	A	21.	C	26.	C	31.	D	36.	C	41.	C	46.	A
2.	B	7.	C	12.	A	17.	B	22.	D	27.	A	32.	C	37.	D	42.	A	47.	C
3.	B	8.	D	13.	C	18.	C	23.	B	28.	B	33.	B	38.	B	43.	C	48.	B
4.	A	9.	A	14.	B	19.	B	24.	B	29.	A	34.	C	39.	D	44.	C	49.	B
5.	D	10.	B	15.	B	20.	A	25.	B	30.	C	35.	B	40.	B	45.	A	50.	C

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q 1. सदन में वोट या वक्तव्य हेतु रिश्वत सम्बन्धी मामलों में संसद सदस्यों (सांसदों) और विधान सभा सदस्यों (विधायकों) को दी गई प्रतिरक्षा को पलटने वाले उच्चतम न्यायालय के नवीनतम फैसले का विश्लेषण कीजिए। (10 अंक/150 शब्द)

Q 2. "क्रॉस-वोटिंग संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को कमजोर करती है"। इस कथन के संदर्भ में भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु क्रॉस-वोटिंग के मूल कारणों को दूर करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए। (10 अंक/150 शब्द)

Q 3. मजबूत भारत-भूटान संबंध भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) सुरक्षा संरचना के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। विवेचना कीजिए। (10 अंक/150 शब्द)

Q 4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को अक्सर भारतीय अर्थव्यवस्था का पावरहाउस कहा जाता है। हालाँकि, भारत के एमएसएमई क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन करने में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। विवेचना कीजिए। (10 अंक/150 शब्द)

Q 5. राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (NUCFDC) की स्थापना और भारत में सहकारी बैंकिंग के संदर्भ में इसके महत्व का औचित्य बताएं। (10 अंक/150 अंक)

Q 6. कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस (C3S) की एक रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 2024 में अब तक का सबसे अधिक औसत वैश्विक समुद्री सतह तापमान (SST) दर्ज किया गया। समुद्री जीवन और वैश्विक जलवायु प्रणाली पर बढ़ते समुद्री सतह तापमान के कारकों और परिणामों पर चर्चा कीजिए। (10 अंक/150 शब्द)

Q 7. मधुमेह के निदान के लिए अन्य उपकरणों की तुलना में HbA1C परीक्षण की प्रभावशीलता पर चर्चा करें। साथ ही, भारत में मधुमेह के बोझ को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों पर प्रकाश डालें। (10 अंक/150 शब्द)

Q 8. भारत में श्रमिक अधिकारों और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता पर गिग अर्थव्यवस्था के निहितार्थ का आकलन करें। गिग इकॉनमी श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? (10 अंक/150 शब्द)

Q 9. अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की नवीनतम एफडीआई नीति आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए अंतरिक्ष क्षमताओं का लाभ उठाने की उसकी आकांक्षाओं में कैसे योगदान करती है? (10 अंक/150 शब्द)

Q 10. भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) भारत के तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम के संचालन की दिशा में एक अद्वितीय अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। विवेचना कीजिए। (10 अंक/150 शब्द)

Q 11. शासन की दक्षता और नीति की निरंतरता को बढ़ाने के साधन के रूप में "एक राष्ट्र एक चुनाव" पर जोर दिया गया है। आलोचनात्मक रूप से विवेचना कीजिए कि समकालिक चुनाव प्रत्येक संघीय स्तर पर प्रभावी नीति निर्माण और कार्यान्वयन में कैसे योगदान दे सकते हैं। (15 अंक/250 शब्द)

Q 12. आदर्श आचार संहिता (MCC) क्या है? आदर्श आचार संहिता चुनावों के दौरान चुनावी अखंडता और नैतिक आचरण को बनाए रखने में किस हद तक सफल रही है, टिप्पणी कीजिए। (15अंक/250 शब्द)

Q 13. डेयरी क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। साथ ही, भारत के पोषण लक्ष्यों में योगदान करने के लिए डेयरी क्षेत्र की क्षमता का वर्णन कीजिए। (15 अंक/250 शब्द)

Q 14. न्यूनतम सीमा (डी मिनिमिस सीलिंग) की अवधारणा विश्व व्यापार संगठन में कृषि सब्सिडी को विनियमित करने में कैसे भूमिका निभाती है? भारत जैसे विकासशील देशों के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं? (15 अंक/250 शब्द)

Q 15. नवीनतम कूटनीतिक उथल-पुथल के संदर्भ में, भारत-मालदीव संबंधों की बदलती गतिशीलता का आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्षेत्रीय स्थिरता और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों के लिए इसके निहितार्थ का विश्लेषण कीजिए। (15 अंक/250 शब्द)

Q 16. 'शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम भारत में समावेशी शिक्षा प्राप्त करने में सहायक रहा है।' उपरोक्त कथन के आलोक में, समाज के वंचित वर्गों से संबंधित बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में कई राज्य सरकारों द्वारा लाए गए नवीनतम बदलावों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। (15 अंक/250 शब्द)

Q 17. स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को परिभाषित कीजिए। साथ ही, महिलाओं को सशक्त बनाने और भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने में स्वयं सहायता समूहों की परिवर्तनकारी भूमिका पर भी चर्चा कीजिए, जैसा कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की नवीनतम रिपोर्ट में बताया गया है। (15 अंक/250 शब्द)

Q 18. 'डे-ज़ीरो' का वर्णन करें। बेंगलुरु और इसके आसपास के क्षेत्रों में गंभीर जल संकट में योगदान देने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। साथ ही, शहरी जल प्रबंधन और सतत विकास के संदर्भ में संकट के महत्व का मूल्यांकन कीजिए।
(15 अंक/250 शब्द)

Q 19. वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत के पांचवीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA) विकास कार्यक्रम के रणनीतिक महत्व का मूल्यांकन करें। यह भारत की रक्षा क्षमताओं और तकनीकी प्रगति में कैसे योगदान देता है? (15 अंक/250 शब्द)

Q 20. भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल एलायंस(TIPRA) के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित त्रि-पक्षीय समझौते के कुछ प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करें। यह समझौता त्रिपुरा की स्वदेशी आबादी से संबंधित समस्याओं को दूर करने हेतु किस प्रकार तत्पर है? (15अंक/250शब्द)

Our Programmes

OPTIONAL COURSES

Maths | Geography | Sociology | Public Administration | Hindi Literature

CSAT BATCH

Hindi Medium

CSAT BATCH

English Medium

ESSAY BATCH

Hindi Medium

TEST SERIES (UPSC PRELIMS)

Hindi Medium / English Medium

TEST SERIES (UPPSC PRELIMS)

Hindi Medium / English Medium

Admission Open

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform

Read **Daily** Current Affairs

KGS Offline Center's

Delhi

Prayagraj

Dehradun

Patna

Follow Us

YouTube

Website

Telegram

Whatsapp

CODE : KGS-CM01

9 788197 137938

Price: 100/-

For more informaiton: 8757354880 enquiry@khanglobalstudies.com